VISIONIAS

www.visionias.in

Classroom Study Material

अंतर्राष्ट्रीय संबंध

October 2016 – June 2017

Note: July, August and September Material will be updated in September Last week.

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.

विषय सूची

1. भारत एवं इसके पड़ोसी देश ____ 5

1.1. चीन ____ 5

1.1.1. भारत तथा चीन ____ 5

1.1.2. भारत-चीन सीमा विवाद ____ 7

1.1.3. चीन-पाक धुरी ____ 8

1.1.4. 'वन बेल्ट, वन रोड' (OBOR) समिट ____ 9

1.1.5. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा ____ 11

1.1.6. वन चाइना पॉलिसी ____ 13

1.1.7. दक्षिण चीन सागर विवाद ____ 14

1.1.8. डोकलाम में चीन और भारत के मध्य झड़प ____ 15

1.2 भारत- भूटान ____ 18

1.2.1. BBIN MVA पहल ____ 19

1.3. पाकिस्तान ____ 20

1.3.1. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) का जाधव प्रकरण में अंतरिम निर्णय ____ 20

1.3.2. भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह ____ 21

1.3.3. सिंधु जल संधि ____ 22

1.4. बांग्लादेश ____ 24

1.4.1. भारत-बांग्लादेश ____ 24

1.4.2. जल बटवारे से संबंधी मुद्दें ____ 24

1.4.3. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ____ 25

1.5. अफगानिस्तान ____ 26

1.5.1. भारत-अफगानिस्तान ____ 26

1.5.2. अफगानिस्तान पर वैश्विक सम्मेलन ____ 29

1.6. श्रीलंका ____ 30

1.6.1. भारत-श्रीलंका ____ 30

1.6.2. मछुआरों का मुद्दा ____ 30

1.6.3 व्यापार और निवेश संबंध ____ 31

1.6.4. भारत-श्रीलंका: विश्लेषण ____ 32

1.7. नेपाल ____ 32

1.7.1. भारत-नेपाल ____ 32

2. आसियान ____ 35

2.1. भारत-आसियान ____ 35

2.2. एक्ट ईस्ट पालिसी ____ 37

2.3. म्यांमार ____ 39

2.3.1. भारत-म्यांमार ____ 39

2.3.2. रोहिंग्या मुद्दा ____ 41

2.4. भारत-सिंगापुर ____ 42

2.4.1. भारत-सिंगापुर: DTAA ____ 43

2.5. भारत-वियतनाम ____ 43

2.6. भारत -इंडोनेशिया ____ 44

2.7. भारत-ताइवान ____ 45

3. मध्य एशिया ____ 47

3.1. भारत-मध्य एशिया ____ 47

3.2. भारत और कजाखिस्तान ____ 49

3.3. शंघाई सहयोग संगठन (SCO) ____ 50

4. पश्चिमी एशिया/ मध्य पूर्व ____ 52

4.1 भारत-पश्चिम एशिया ____ 52

4.2 चीन की पश्चिम एशिया नीति ____ 53

4.3. हाल में हुई यात्राएँ ____ 55

4.4 सीरिया के लिए रूस-तुर्की शांति पहल ____ 56

4.5. क़तर राजनयिक संकट ____ 57

4.6. तुर्की का जनमत संग्रह ____ 58

5. अफ्रीका ____ 60

5.1. भारत-अफ्रीका ____ 60

5.2 अफ्रीका में चीन Vs भारत ____ 62

5.3. भारत-पूर्व अफ्रीका ____ 62

5.4. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक ____ 64

5.5. एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर ____ 65

6. यूरोपीय संघ ____ 66

6.1.भारत-EU ____ 66

6.2. भारत-फ्रांस ____ 67

6.3. भारत और जर्मनी ____ 68

6.4. भारत-ब्रिटेन ____ 69

6.4.1. चागोस द्वीपसमूह विवाद ____ 70

6.5. अन्य यात्राएँ ____ 71

VISION IAS

7. अमेरिका ____ 72
7.1. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा ____ 72
7.2. रक्षा सम्बन्ध ____ 73
7.3. भारत-अमेरिकी वीजा विवाद ____ 74
7.4. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय ____ 75
7.4.1. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) व्यापार समझौता ____ 76
7.4.2. शरणार्थियों और आगंतुकों पर प्रतिबन्ध ____ 76
8. जापान ____ 77
8.1. भारत-जापान ____ 77
8.2 भारत-जापान परमाणु करार ____ 78
9. ऑस्ट्रेलिया ____ 80
9.1. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा ____ 80
9.2. 457 वर्किंग वीजा में परिवर्तन ____ 81
10. भारत-हिन्द महासागर ____ 82
11. भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपसमूह ____ 85
12. रूस ____ 87
12.1. भारत-रूस ____ 87
12.2. रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा ____ 87
12.3. प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा ____ 88
12.4. रूस पाकिस्तान संबंध ____ 89
13. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह एवं सम्मेलन ____ 91
13.1. बिम्सटेक ____ 91
13.2. ITI-DKD-Y कॉरिडोर ____ 92
13.3. विश्व व्यापार संगठन ____ 92
13.3.1. WTO के महानिदेशक की भारत की यात्रा ____ 92
13.3.2. ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज (TFS) एग्रीमेंट 93
13.3.3. वैश्विक निवेश समझौता ____ 94
13.4. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ____ 94
13.5. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ____ 95
13.6. UNCITRAL ____ 96
13.7. TIR कन्वेंशन ____ 97
13.8. कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ (CLCS) ____ 97
13.9.यूरेशियाई आर्थिक संघ ____ 98
14. विविध ____ 99
14.1.भारत की शरणार्थी नीति ____ 99
14.2. निकासी नीति ____ 100
14.3. विकसित देशों में संरक्षणवाद ____ 101
14.4. मॉडल द्विपक्षीय संधि ____ 102
14.5. एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत ____ 104
14.6. अंतरिक्ष कूटनीति ____ 106
14.7. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत 106
14.8. द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास ____ 108
14.9. परमाणु निरस्त्रीकरण ____ 109

VISION IAS

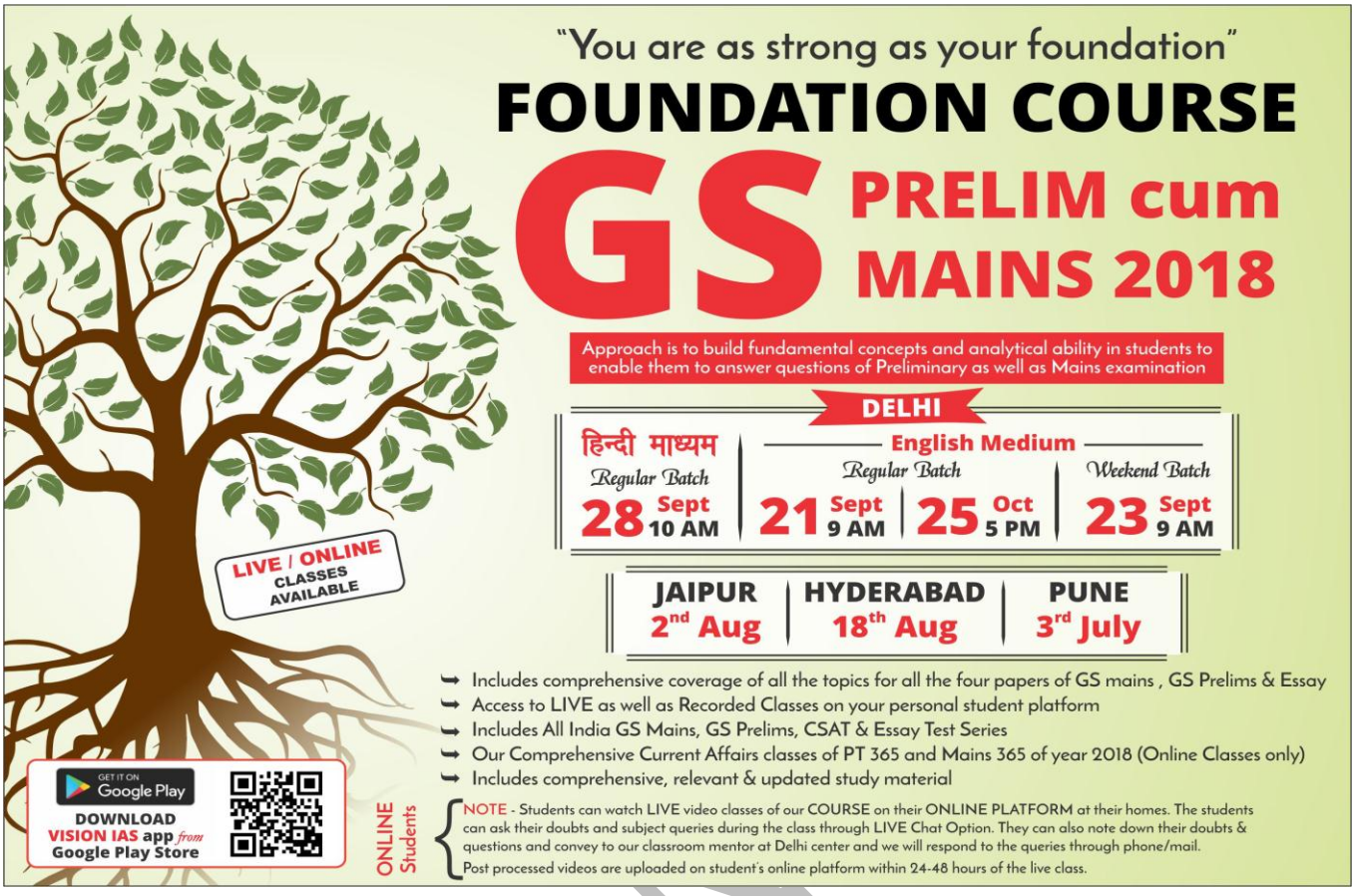
"You are as strong as your foundation"
FOUNDATION COURSE
GS PRELIM cum MAINS 2018
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
DELHI
हिन्दी माध्यम
Regular Batch
28 Sept 10 AM
English Medium
Regular Batch
21 Sept 9 AM
25 Oct 5 PM
Weekend Batch
23 Sept 9 AM
JAIPUR
2nd Aug
HYDERABAD
18th Aug
PUNE
3rd July
LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of GS mains , GS Prelims & Essay
Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal student platform
Includes All India GS Mains, GS Prelims, CSAT & Essay Test Series
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018 (Online Classes only)
Includes comprehensive, relevant & updated study material
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store
ONLINE Students
NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts and subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions and convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail.
Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

फाउंडेशन कोर्स
सामान्य अध्ययन
28 Sep | 10 AM
इनोवेटिव क्लासरूम प्रोग्राम के घटक
हिन्दी माध्यम में
प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और निबंध के लिए महत्वपूर्ण सभी टॉपिक का विस्तृत कवरेज
मौलिक अवधारणाओं की समझ के विकास एवं विश्लेषणात्मक क्षमता निर्माण पर विशेष ध्यान
एनीमेशन, पॉवर प्वाइंट, वीडियो जैसी तकनीकी सुविधाओं का प्रयोग
अंतर - विषयक समझ विकसित करने का प्रयास
योजनाबद्ध तैयारी हेतु करेंट ओरिएंटेड अप्रोच
नियमित क्लास टेस्ट एवं व्यक्तिगत मूल्यांकन
कॉम्प्रीहेंसिव स्टडी मटेरियल
PT 365 कक्षाएं
MAINS 365 कक्षाएं
PT टेस्ट सीरीज
मुख्य परीक्षा टेस्ट सीरीज
निबंध टेस्ट सीरीज
सीसैट टेस्ट सीरीज
निबंध लेखन - शैली की कक्षाएं
करेंट अफेयर्स मैगजीन
ऑनलाइन कक्षाएं भी उपलब्ध
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store
Venue: Mukherjee Nagar Classroom Center

1. भारत एवं इसके पड़ोसी देश

(INDIA AND ITS NEIGHBOURS)

1.1. चीन

(China)

1.1.1. भारत तथा चीन

(India-China)

आर्थिक और सैन्य शक्तियों के रूप में भारत तथा चीन विश्व के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण देश हैं।

दोनों राष्ट्रों में कई समान विशेषताएँ हैं एवं यहाँ तक कि एक जैसी ही समस्याएँ भी विद्यमान हैं। इनमें विशाल जनसंख्या, वृहद ग्रामीण-शहरी विभाजन, उभरती अर्थव्यवस्था और पड़ोसी देशों के साथ संघर्ष शामिल हैं।

मुख्य समस्याएँ

सीमा विवाद

भारत और चीन के मध्य लगभग 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा है जो अभी तक स्पष्ट नहीं है। भारत और चीन के संबंधों में सुधार की एक प्रमुख बाधा कई अनिर्णीत क्षेत्रीय दावे एवं सीमा का अतिक्रमण है।

दलाई लामा और तिब्बत

- दलाई लामा ने निर्वासन काल में तिब्बती सरकार का गठन किया जो वर्तमान में भी बिना किसी वास्तविक अधिकार के जनता के लिए कार्यरत है।
- प्राय: भारत और कई अन्य देशों में तिब्बतियों द्वारा चीन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन किया जाता रहा है।
- चीन ने हाल ही में दलाई लामा की अरूणाचल प्रदेश की यात्रा का विरोध किया। विशेषतः तवांग में, जिसे चीन दक्षिणी तिब्बत मानता है।
- चीन का मानना है कि दलाई लामा की यात्रा का चीन-भारत संबंधों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। चीन ने भारत पर तिब्बत के विषय में अपनी प्रतिबद्धता के उल्लंघन का आरोप लगाया है।
- चीन की चिंताओं को खारिज करते हुए भारत ने लामा की तवांग यात्रा को पूरी तरह धार्मिक बताया है।

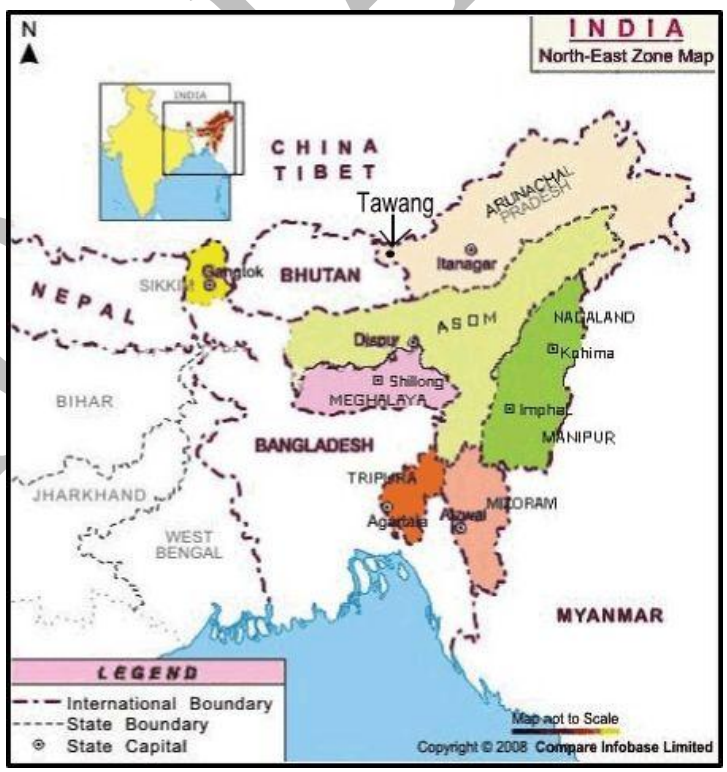

अरुणाचल प्रदेश और स्टेपल वीजा:

- भारत के विरुद्ध पहला कदम उठाते हुए चीन ने अरुणाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल वीजा जारी करना आरम्भ कर दिया था।
- बाद में चीन द्वारा जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिए स्टेपल वीजा जारी करने पर रोक लगा दी गयी। परंतु अरुणाचल प्रदेश में रहने वाले लोगों के लिए यह अब भी जारी है।
- चीन ने पहली बार अरुणाचल प्रदेश के छह स्थानों के 'मानकीकृत' आधिकारिक नामों की घोषणा की है। रोमन वर्णों का उपयोग करके रखे गए छह स्थानों के नाम वोग्यैनलिंग, मिला री, कोईदेंगारबो री, मेनकुका, बूमो ला और नमकापब री हैं।

स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स

- *"स्ट्रिंग ऑफ़ पर्ल्स"* भारत को घेरने के उद्देश्य से चीन द्वारा अपनाई गयी एक अघोषित नीति है। इसमें भारत की समुद्री पहुंच (मैरीटाइम रीचेज़) के आसपास बंदरगाहों और नौसेना-ठिकानों का निर्माण किया जाना शामिल है।

- चीन कोकोस द्वीप (म्यांमार), चटगांव (बांग्लादेश), हंबनटोटा (श्रीलंका), मारो एटॉल (मालदीव) और ग्वादर (पाकिस्तान) में मौजूद है। विशेष बात यह है कि भारत के अतिरिक्त केवल चीन का ही माले में कार्यात्मक दूतावास है।
- दूसरी तरफ भारत भी चीन के आसपास के देशों के साथ सामरिक सम्बन्ध स्थापित करने का प्रयास कर रहा है।
- भारत केवल जापान,दक्षिण कोरिया और वियतनाम के साथ ही नहीं बल्कि चीन के अन्य एशियाई पड़ोसी राष्ट्रों के साथ भी मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने में सक्षम हुआ है।

नदी जल विवाद:

- ब्रह्मपुत्र नदी का जल बँटवारा भारत और चीन के मध्य विवाद का एक मुख्य विषय है। चीन द्वारा ब्रह्मपुत्र (तिब्बत में सांगपो) नदी के ऊपरी क्षेत्रों में बाँधों (जिक्सू, झांगमू और जियाचा) का निर्माण किया जा रहा है।
- हालांकि भारत ने इसके संबंध में आपत्ति व्यक्त की है, परंतु ब्रह्मपुत्र के जल बँटवारे पर कोई औपचारिक संधि नहीं हुई है।

परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह:(NSG)

चीन द्वारा भारत के इस विशिष्ट समूह में प्रवेश के प्रयास को अवरुद्ध किया जा रहा है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि चीन, भारत के प्रवेश को अवरुद्ध करके पाकिस्तान के हित में कार्य कर रहा है।

आतंकवाद:

- एक ओर भारत आतंकवादी संगठनों की स्पष्ट शब्दों में निंदा करता है तथा पाकिस्तान को आतंकवाद का सबसे बड़ा स्रोत मानता है। वहीँ दूसरी ओर इस तथ्य के बावजूद चीन हर बार पाकिस्तान का बचाव करता है।
- भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में जैश-ए-मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर के विरुद्ध प्रतिबन्धों के अनुमोदन का प्रयास किया जाता रहा है। चीन ने इन प्रयासों को बाधित किया है।·

चीन-पाकिस्तान-आर्थिक-कॉरिडोर (CPEC):

- भारत का मानना है कि CPEC का निर्माण, चीन द्वारा भारत की संप्रभुता और राष्ट्रीय अखंडता में हस्तक्षेप है। परंतु इसके बाद भी चीन निरंतर आगे बढ़ रहा है।

भूटान और नेपाल:

- चीन द्वारा भूटान और नेपाल में भारत की भूमिका एवं इनके साथ भारत के संबंधों की आलोचना की जाती रही है।
- भारत ने अपनी सीमाओं के संरक्षण हेतु भूटान के साथ सुरक्षा प्रबंध किये हैं।

व्यापार असंतुलन:

- हालाँकि, चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है किन्तु दोनों देशों के मध्य व्यापार असंतुलन संबंधित चिंताएँ बनी हुई हैं। यह असंतुलन चीन के पक्ष में है।
- 2016 में भारत-चीन द्विपक्षीय व्यापार 70.8 अरब डॉलर रहा।
- चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा 2016 में बढ़कर 46.56 अरब डॉलर तक पहुँच गया।

भारत और चीन के मध्य सहयोग:

- दोनों राष्ट्र उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं के समूह ब्रिक्स (BRICS) के सदस्य हैं। BRICS द्वारा औपचारिक रूप से ऋण देने वाली संस्था *'न्यू डेवलपमेंट बैंक'* की स्थापना की जा रही है।
- चीन समर्थित *एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक*(AIIB) के संस्थापक सदस्यों में भारत भी शामिल है।
- दोनों पक्ष शंघाई सहयोग संगठन के अंतर्गत निरंतर सहयोग के लिए तैयार हैं। चीन ने शंघाई सहयोग संगठन में भारत की पूर्ण सदस्यता का स्वागत किया।
- दोनों देश विश्व बैंक तथा IMF जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों के लोकतांत्रिकरण के समर्थक हैं।
- WTO की वार्ताओं के दौरान चीन और भारत द्वारा समान रुख अपनाया गया है। विश्व व्यापार संगठन (WTO)की दोहा दौर की वार्ता में कई मुद्दों पर भारत और चीन के दृष्टिकोण समान हैं ।
- दोनों देश संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार के पक्ष में हैं। इन सुधारों में इस तथ्य को मान्यता देना शामिल है कि संयुक्त राष्ट्र के मामलों तथा उसके प्रशासनिक ढाँचे में विकासशील देशों की भागीदारी में वृद्धि अनिवार्य है। दोनों देशों का मानना है कि इससे संयुक्त राष्ट्र की प्रभावशीलता में वृद्धि की जा सकेगी।
- भारत एवं चीन जी -20 समूह के सदस्य हैं।

VISION IAS

- **पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन:** चीन और भारत इन मामलों में अमेरिका और उसके मित्रों द्वारा की जाने वाली आलोचना के केंद्र में रहते हैं। इसके बावजूद दोनों ही देशों ने अब तक के पर्यावरणीय शिखर सम्मेलनों में अपनी रणनीतियों का सफलतापूर्वक समन्वय किया है।

1.1.2. भारत-चीन सीमा विवाद

(India-China Border Dispute)

चीन के पूर्व विशेष राजदूत दाई बिंगुओ (Dai Bingguo) ने कहा है कि यदि नई दिल्ली, अरुणाचल प्रदेश के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण तवांग क्षेत्र पर बीजिंग के दावे को स्वीकार कर लेती है तो चीन और भारत के बीच के सीमा विवाद को सुलझाया जा सकता है।

- दाई बिंगुओ ने सुझाव दिया है कि यदि भारत **"पूर्वी सीमा" पर (अरुणाचल प्रदेश में) लचीलापन प्रदर्शित करता है तो "अन्य क्षेत्रों" जैसे कि पश्चिमी सीमा पर जम्मू-कश्मीर में चीन द्वारा लचीलापन प्रदर्शित किया जा सकता है।**

भारत की 3,488 किलोमीटर की सीमा रेखा चीन के साथ लगती है। चीन-भारत सीमा को सामान्यतः तीन क्षेत्रों में बांटा गया है: (i) पश्चिमी क्षेत्र, (ii) मध्य क्षेत्र, और (iii) पूर्वी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र

पश्चिमी क्षेत्र में चीन के साथ 2152 किमी लंबी भारतीय सीमा है। यह सीमा जम्मू और कश्मीर तथा चीन के झिंजियांग (सिक्यांग) प्रांत के बीच है।

अक्साई चिन

अक्साई चिन पर क्षेत्रीय विवाद की जड़ें ब्रिटिश साम्राज्य की अपने भारतीय उपनिवेश और चीन के बीच कानूनी सीमा की स्पष्ट व्याख्या न करने की विफलता में निहित हैं।

- ब्रिटिश राज के दौरान भारत और चीन के बीच दो सीमाएं प्रस्तावित की गई थीं - जॉनसन लाइन (**Johnson's Line**) और मैकडॉनाल्ड लाइन (**McDonald Line**)
- **जॉनसन लाइन, अक्साई चिन को भारतीय नियंत्रण में प्रदर्शित करती है** जबकि **मैकडॉनाल्ड लाइन इसे चीन के नियंत्रण में प्रदर्शित करती है।**
- भारत चीन के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में जॉनसन लाइन को सही मानता है जबकि दूसरी ओर, चीन मैकडॉनल्ड लाइन को भारत-चीन के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा मानता है।
- भारतीय-प्रशासित क्षेत्रों को अक्साई चिन से अलग करने वाली रेखा को **वास्तविक नियंत्रण रेखा (लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल: LAC)** के रूप में जाना जाता है और यह रेखा चीन द्वारा दावा की जाने वाली अक्साई चिन सीमा रेखा के साथ समवर्ती है।
- भारत और चीन के बीच 1962 में विवादित अक्साई चिन क्षेत्र को लेकर युद्ध हुआ था। भारत का दावा है कि यह कश्मीर का हिस्सा है, जबकि चीन ने दावा किया कि यह झिंजियांग का हिस्सा है।

मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र में लगभग 625 किलोमीटर लंबी सीमा रेखा लद्दाख से नेपाल तक जलविभाजक (वाटरशेड) के साथ-साथ चलती है। इस सीमा रेखा पर भारत के हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्य, तिब्बत (चीन) के साथ लगते हैं।

पूर्वी क्षेत्र

पूर्वी क्षेत्र में सीमा रेखा 1,140 किमी लंबी है तथा यह भूटान की पूर्वी सीमा से लेकर **भारत, तिब्बत और म्यांमार के मिलन बिंदु, तालू दर्रा** के पास तक विस्तृत है। इस सीमा रेखा को **मैकमोहन रेखा** (हेनरी मैकमोहन के नाम पर) कहते हैं। हेनरी मैकमोहन एक ब्रिटिश प्रतिनिधि थे जिन्होंने 1913-14 के शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे।

- यह सीमा रेखा हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में स्थित ब्रह्मपुत्र नदी के जलविभाजक से लगी हुई है, जहां लोहित, दिहांग, सुबनसिरी और केमांग नदियाँ उस जल विभाजक से होकर निकलती हैं।

- चीन **मैकमोहन रेखा को गैरकानूनी और अस्वीकार्य मानता है। उसके अनुसार तिब्बत को मैकमोहन रेखा का निर्धारण करने वाले 1914 के शिमला कन्वेंशन पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था।**

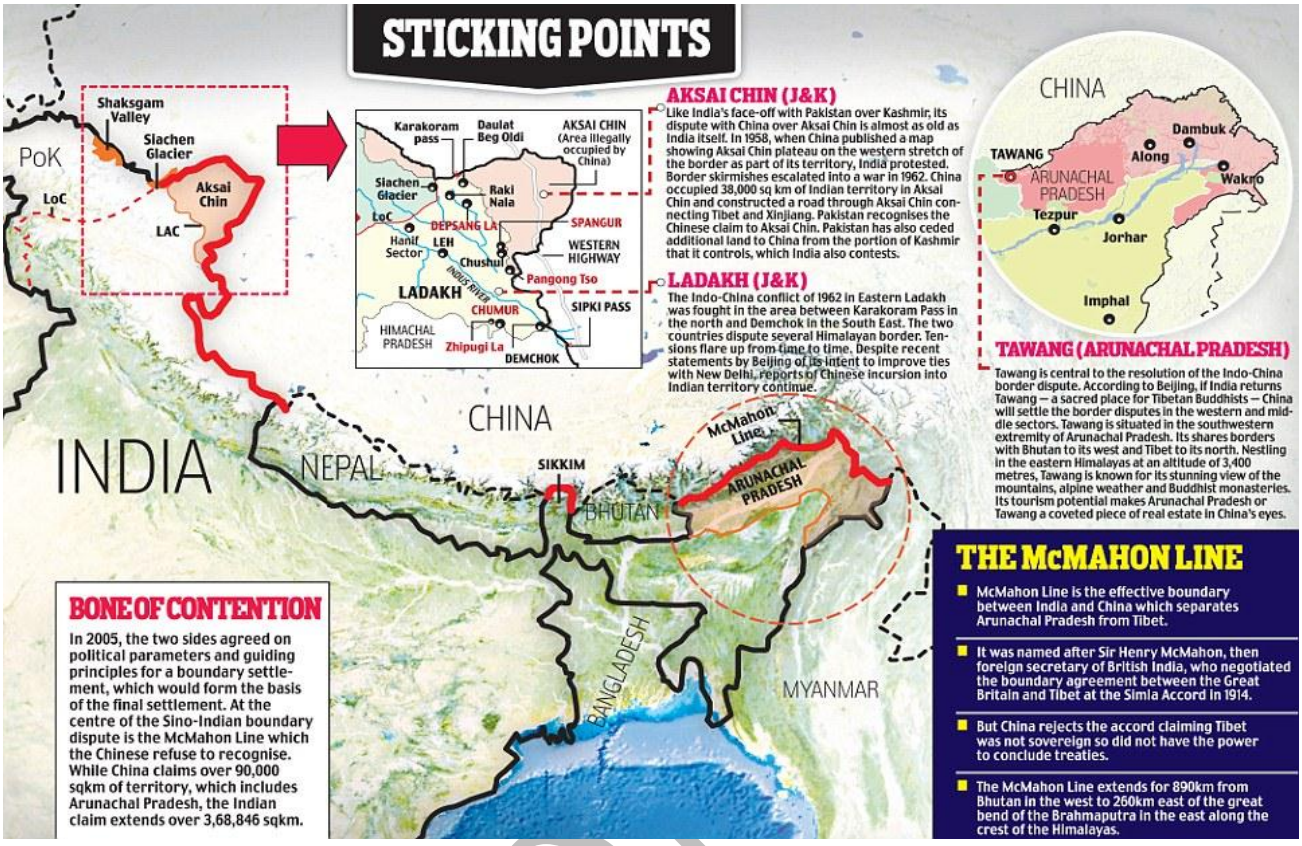

सीमा विवाद मुद्दे पर विशेष प्रतिनिधि वार्ता

- **2003 में सीमा विवाद पर चर्चा करने के लिए चीन और भारत ने विशेष प्रतिनिधि नियुक्त किए।**
- 2005 में दोनों पक्ष सीमा समझौते के लिए उन राजनीतिक मापदंडों और मार्गदर्शक सिद्धांतों पर सहमत हुए, जिन्हें अंतिम समाधान हेतु आधार बनाया जाएगा।
- Fसीमा विवाद मुद्दे पर भारत और चीन के बीच वार्ताओं के 19 दौर आयोजित किए गए हैं (जिनमें से नवीनतम वार्ता, अप्रैल 2016 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल और यांग के बीच थी)। हालांकि, अभी भी मानचित्रों का आदान-प्रदान किया जाना शेष है।

1.1.3. चीन-पाक धुरी

(China-Pak Axis)

- चीन और पाकिस्तान अपनी दोस्ती को **'पहाड़ों से भी ऊँची, महासागरों से भी गहरी तथा शहद से भी ज्यादा मीठी'** के रूप में वर्णित करते हैं।
- पाकिस्तान चीन से अत्यधिक आर्थिक अपेक्षाएं रखता है और वह पाकिस्तान का सबसे विश्वसनीय सैन्य मित्र भी है।
- पाकिस्तान, चीन की भू-रणनीतिक महत्वाकांक्षाओं के केंद्र में स्थित है। यह वैश्विक स्तर की नौसेनिक शक्ति के रुप में मध्य एशिया के ऊर्जा क्षेत्रों और यूरोप के बाजारों को पूर्व एशिया के मेगा शहरों में जोड़ने वाली नई सिल्क रूट योजना के मध्य में स्थित है।

सहयोग के प्रमुख क्षेत्र

- **UNSC और NSG की सदस्यता**- चीन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में भारत की स्थायी सदस्यता और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत के प्रवेश का विरोध किया। जबकि, पाकिस्तान की एक परमाणु प्रसारक के रूप में साख को भूल UNSC में उसके प्रवेश पर जोर दिया।

- **आधारभूत संरचना में निवेश-** चीन, चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना में निवेश कर रहा है, जो चीन में झिंजियांग प्रांत के काशगर को पाकिस्तान में ग्वादर बंदरगाह के साथ जोड़ेगा।
- चीन पकिस्तान को पूर्व में आर्थिक सहयोग के अतिरिक्त सैन्य और नाभिकीय हथियारों के स्तर पर भी मदद करता रहा है।
- **आतंकवाद-** चीन, पाकिस्तान के जिहादी आतंकवादी संगठन प्रमुख अजहर मसूद का UN द्वारा 'ग्लोबल टेररिस्ट' के रूप में सूचीबद्ध करने का बचाव करता रहा है।
    - यह चीन की महाशक्ति बनने की इच्छा और वैश्विक सुरक्षा में एक 'जिम्मेदार हितधारक' होने के दावे के अनुरूप नहीं है।
- **सैन्य प्रोत्साहन** - चीन न केवल भारत के लिए समग्र पाकिस्तान समस्या का एक हिस्सा है, बल्कि अब CPEC के रूप में चीन के अत्यंत महत्त्वपूर्ण सामरिक उद्देश्य के साथ, भारत के खिलाफ पाकिस्तान के सैन्य दुस्साहस को प्रोत्साहित करने में इसका योगदान काफी हद तक बढ़ गया है।
- पाकिस्तान के साथ चीन का सैन्य सहयोग पाकिस्तान की नौसेना को मजबूत करने में सहयोग करेगा।
- पाकिस्तान ने चीन से आठ पनडुब्बियों के अधिग्रहण की योजना बनाई है जो चीन के साथ उसके रिश्ते के "सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण" संकेतों में से एक है।
- अक्टूबर 2015 में, पाकिस्तान ने चीन से आठ टाइप 41 युआन-क्लास डीजल-इलेक्ट्रिक पनडुब्बियों के अधिग्रहण का फैसला लिया था। इनमें से आधी पाकिस्तान में बनाई जा सकती हैं, जबकि अन्य आधी पनडुब्बियों को चीन में बनाकर पाकिस्तान को सौंप दिया जाएगा।

विश्लेषण

- भारत के खिलाफ पाकिस्तान और चीन-पाकिस्तान धुरी से उत्पन्न आतंकवाद ऐसी दो प्रमुख भू-राजनीतिक चुनौतियां हैं जिनका देश सामना कर रहा है।
- भारत ने चीन-पाकिस्तान धुरी की प्रकृति पर गंभीर आपत्ति दर्ज की थी और चीन द्वारा पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के विवादित क्षेत्रों में बुनियादी ढाँचे में निवेश का विरोध किया था। हालांकि, भारत को पाकिस्तान को अलग-थलग करने की एकतरफा रणनीति से बंधे नहीं रहना चाहिए क्योंकि इस रणनीति का अभी तक चीन, रूस या अमेरिका पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

भारत के लिए आगे की राह

- भारत और चीन दोनों एक नया अंतर्राष्ट्रीय दर्जा चाहते हैं जो उनके आकार, शक्ति और क्षमता के अनुरूप हो।
- दोनों देशों के संबंधों में समानता स्थापित के लिए आर्थिक और सुरक्षा संबंधी क्षमताओं का निर्माण और चीन के साथ शक्ति अंतराल को समाप्त करने की शुरूआत करना आवश्यक है।
- दोनों देशों के बीच इस तरह का सहयोग उन्हें वैश्विक प्रभावों को पुनर्संतुलित करने और विश्व में एक बेहतर समझौता वार्ता स्तर को विकसित करने में समर्थ कर सकता है।
- चीन और पाकिस्तान पर भारत की विदेश नीति के निर्माण और दृष्टिकोण को अलग-अलग विदेश नीति नियोजन क्षेत्र के रूप में मानने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि इसे एक हाइफेनेटेड (सामासिक) रणनीतिक इकाई के रूप में देखा जाना चाहिए।
- अब समय आ गया है कि भारत जापान, अमेरिका और यूरोपीय संघ के साथ मिलकर चीनी आर्थिक शोषण के विरुद्ध विकल्पों को बढ़ावा दे।
- उपमहाद्वीप में कमज़ोर स्थिति भारत की कूटनीति का एक गंभीर दोष है।
- भारत के पड़ोसी देशों में से अधिकांश देश **भारत के कथित "नेतृत्त्व" के खिलाफ "चीन कार्ड"** खेलने में माहिर हैं और चीन अपने फायदे के लिए इसका लाभ उठाने के लिए तत्पर है।
- इसकी रणनीति उपमहाद्वीप में भारत को सीमित रखने की है, किन्तु भारत **पड़ोसियों के साथ सीमा पर बाड़ की मरम्मत** करके तथा उन्हें यह समझा कर कि भारत का उद्देश्य प्रभुत्व स्थापित करना नहीं है, चीन की इस रणनीति से निपट सकता है।

1.1.4. 'वन बेल्ट, वन रोड' (OBOR) समिट

[One Belt One Road (OBOR) Summit]

चीन ने भव्य दो दिवसीय OBOR शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। इस सम्मेलन में चीन ने अपने व्यापार मार्गों के नेटवर्क- **वन बेल्ट, वन रोड (OBOR)** का निर्माण करने की योजनाओं का प्रदर्शन किया। OBOR एशिया, अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ेगा।

- बीजिंग में संपन्न हुए वन बेल्ट, वन रोड या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI) फोरम में देश या सरकार के 29 प्रमुखों और लगभग 100 देशों के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडलों ने भाग लिया।
- भूटान को छोड़कर, भारत के सभी पड़ोसियों ने इस शिखर सम्मेलन के लिए उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल भेजे थे।
- चीन ने वन बेल्ट वन रोड (OBOR) को विश्व के लिए अत्यधिक आर्थिक महत्व **(immense economic sense)** का बताया और इसे 'सदी के महानतम प्रोजेक्ट **(project of the century)**' के रूप में प्रस्तुत किया।

OBOR पर भारत की आपत्ति

भारत ने **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव (BRI)** शिखर सम्मेलन से दूर रहकर अपनी चिंताएं सार्वजनिक कर दी हैं। जैसे;-

- पहला कारण, BRI की एक प्रमुख परियोजना **चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC)** है। यह गलियारा गिलगिट-बाल्टिस्तान क्षेत्र से होकर गुजरता है तथा इसमे भारत की **"संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता"** की अनदेखी की गई है।
- भारत का दावा है कि चीन न केवल भारत की संप्रभुता के प्रति असंवेदनशील है, बल्कि इसने बेल्ट एंड रोड पहल (पहले वन बेल्ट वन रोड कहा गया है) के लिए अपनी योजना का खुलासा भी पूरी तरह नहीं किया है। **चीन के एजेंडे में पारदर्शिता की कमी है।** भारत का मानना है कि BRI सिर्फ एक आर्थिक परियोजना नहीं है, बल्कि राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने के लिए चीन इसे बढ़ावा दे रहा है।
- दूसरा कारण **BRI इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर (BRI infrastructure project structure)** है, जो **चीन के नव-उपनिवेशवाद के चरित्र को दर्शाता है।** ऐसी परियोजनाएं छोटे देशों को ऋण के चक्र में धकेल सकती हैं, पारिस्थितिकी को नष्ट कर सकती हैं और स्थानीय समुदायों के जीवन को प्रभावित कर सकती हैं।

विश्लेषण

भारत द्वारा इस बैठक में न जाने का निर्णय, NSG में भारत के प्रवेश और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद नेता मसूद अजहर पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाने के प्रयासों के विरुद्ध चीन की हठधर्मिता जैसे द्विपक्षीय विवादों के एक वर्ष बाद लिया गया है।

- भारत द्वारा एक पर्यवेक्षक के रूप में भी इसमें शामिल नहीं होने का निर्णय इसके लिए कूटनीति के दरवाजे बंद कर देगा। जबकि अमेरिका और जापान जैसे देश जो BRI का हिस्सा नहीं हैं लेकिन फिर भी उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल भेजे हैं।
- भारत में कुछ लोग यह भी तर्क दे रहे है कि भारत बीजिंग सम्मलेन का बहिष्कार करके, OBOR के रूप में प्राप्त होने वाले कुछ बड़े तथा अंतहीन लाभों से वंचित रह जायेगा।
- भारत को आगे कुछ और कठिन निर्णय लेने पड़ सकते हैं क्योंकि भारत **एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक** के एक सह-संस्थापक और **शंघाई कोऑपरेशन (जून 2017 से)** का सदस्य है और इस नाते भारत को BRI के तहत आने वाली कई परियोजनाओं को सहयोग करने के लिए कहा जाएगा।
- **संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने BRI के समर्थन** में कहा था कि BRI में वैश्विक विकास के लिए एक साझा दृष्टिकोण निहित है। UN महासचिव के इस रुख को देखते हुए भारत का परियोजना से दूर होना एक अच्छा विकल्प नहीं कहा जायेगा।
- चीन की OBOR पहल को प्रतिसंतुलित करने के लिए भारत और जापान ने **एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर (AAGC)** प्रस्तावित किया है।

OBOR के बारे में

- इस पहल में सिल्क रोड इकनोमिक बेल्ट और 21 वीं सदी का मेरीटाइम सिल्क रोड सम्मिलित हैं।
- इस पहल को वर्ष 2013 में राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा प्रस्तावित किया गया था।
- इसका उद्देश्य पूरे एशिया, अफ्रीका और यूरोप में कनेक्टिविटी और व्यापार को बढ़ावा देना है। चीन के तीन मुख्य लक्ष्य हैं:
  - आर्थिक विविधीकरण
  - राजनीतिक स्थिरता और
  - एक बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था का विकास

भारत के लिए लाभ

- सर्वप्रथम चीन की इस पहल का विरोध और बहिष्कार करने की नीति के चलते भारत अलग-थलग पड़ गया है। भूटान को छोड़ दिया जाए तो इसके सभी पड़ोसी देश तथा बहुत से क्षेत्रीय देश OBOR का हिस्सा बन चुके हैं। क्षेत्रीय मंच पर इस तरह अलग होना भारत के लिए दीर्घकालिक रूप से श्रेयस्कर नहीं है, वह भी तब जब अमेरिका और ब्रिटेन जैसे देश भी बीजिंग में **बेल्ट रोड फोरम** में शामिल हो चुके हैं।
- दूसरा, इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य अमीर यूरोपीय अर्थव्यवस्थाओं को चीन के साथ जोड़ना है, न कि CPEC और पाकिस्तान, जोकि इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना का एक छोटा सा हिस्सा मात्र है। भारत के पास चीन के महत्त्वाकांक्षी यूरेशिया योजना की प्रतिस्पर्धा करने के लिहाज़ से संसाधनों की कमी है, परन्तु यह इससे सीधे तौर पर प्रभावित होता है। ऐसे में इससे पृथक रहने का अर्थ एक ऐसे बड़े अवसर से वंचित हो जाना होगा जो भारत में व्याप्त अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करने में सहायक सिद्ध हो सकता है।
- तीसरी बात यह है कि दोनों पक्ष ऐतिहासिक मुद्दों के हल हो जाने तक, उन परियोजनाओं में सहयोगात्मक रूप से कार्य कर सकते हैं जो उतनी संवेदनशील नहीं हैं। परियोजना में कहा गया है कि द्विपक्षीय संबंधों का ठोस एवं स्थिर विकास न सिर्फ दोनों राष्ट्रों को लाभ प्रदान करेगा अपितु समूचे क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा।
- अंततः, यह भारत, चीन तथा अन्य देशों के मध्य व्यापार संबंधों में सुधार लाने की क्षमता रखता है।

आगे की राह:

भारत को चीन के साथ अपनी विशिष्ट शिकायतों का सक्रिय रूप से समाधान निकालना चाहिए। अपनी चिंताओं को अन्य भागीदार देशों के साथ और अधिक प्रभावी तरीके से व्यक्त करना चाहिए। इसके अतिरिक्त भारत को बेहतर संपर्क (connectivity) स्थापित करने के प्रयास से बाहर रहने के बजाय स्वयं को एशियाई नेता के रूप में स्थापित करना चाहिए।

1.1.5. चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा

(China-Pakistan Economic Corridor)

चीन ने एक निर्यात जहाज को मध्य पूर्व और अफ्रीका के लिए रवाना करके मध्य एशिया, दक्षिण एशिया और मध्य पूर्व को जोड़ने वाले नव निर्मित ग्वादर बंदरगाह से एक नया अंतरराष्ट्रीय व्यापार मार्ग खोला।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

ग्वादर बंदरगाह चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (चीन पाकिस्तान इकॉनोमिक कॉरिडोर: CPEC) परियोजना का शोपीस है। बीजिंग विश्व शक्ति बनने के लिए CPEC परियोजना को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखता है।

CPEC और पाकिस्तान

- पाकिस्तान में CPEC निवेश से 1970 के बाद से सभी प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को पार करने की उम्मीद है।
- पाकिस्तान में CPEC द्वारा 7 लाख से अधिक प्रत्यक्ष नौकरियों के सृजन की संभावना है।
- यह चीन और पाक के बीच सहयोग बढ़ाएगा।
- कुछ पाक समूहों ने चिंता व्यक्त की है कि अंततः बीजिंग भारत के साथ अपने व्यापार को बढ़ावा देने के लिए CPEC का इस्तेमाल कर सकता है।

बलूच दृष्टिकोण

- पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत, जिसमें ग्वादर स्थित है, में लोग CPEC के खिलाफ हैं। उनका दावा है कि CPEC का लाभ उन तक नहीं पहुंचेगा। बलूचिस्तान में स्वायत्तता हेतु चल रहा जनांदोलन अब तीव्र हो रहा है।
- इसके अतिरिक्त, बलूच नेशनल मूवमेंट के अनुसार CPEC आर्थिक परियोजना नहीं है बल्कि चीन और पाकिस्तान बलूचिस्तान के तटीय क्षेत्रों में सैन्य अवसंरचना का निर्माण कर रहे हैं। इसका उद्देश्य इस क्षेत्र में उनके सैन्य वर्चस्व को सशक्त करना है जिसके परिणामस्वरूप यह क्षेत्र अस्थिर हो जायेगा।
- अंततः, बलूचिस्तान में CPEC के क्रियान्वयन के फलस्वरूप यहाँ पाकिस्तान के अन्य भागों से प्रवासियों की बड़ी संख्या का आगमन होगा। इससे इस क्षेत्र की जनांकिकी में परिवर्तन आ जायेगा तथा बलूच जनता अपनी ऐतिहासिक जन्मभूमि में ही अल्पसंख्यक समुदाय बनकर रह जाएगी।

VISION IAS

भारत की चिंताएँ

- यद्यपि चीन अपनी 'वन बेल्ट वन रोड' योजना में भारत को भी शामिल करने का इच्छुक रहा है परन्तु भारत ने इसमें भागीदारी के कोई संकेत नहीं दिए हैं। नई दिल्ली इस योजना में भाग लेने के विरुद्ध रहा है क्योंकि CPEC जोकि बेल्ट एंड रोड प्लान का एक भाग है, विवादित पाक अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है। इस प्रकार CPEC के माध्यम से POK क्षेत्र में भारत के दावे को ख़ारिज करने का प्रयास किया जा रहा है।
- भारत को चिंता है कि CPEC के पाक अधिकृत कश्मीर से गुजरने का उद्देश्य इस क्षेत्र में पाकिस्तान के दावे को मान्यता प्रदान करने जैसा है तथा चीन इस गलियारे के निर्माण को प्रोत्साहित कर कश्मीर मुद्दे में हस्तक्षेप करने का प्रयास कर रहा है।
- संप्रभुता के मुद्दे के अतिरिक्त, विवादित क्षेत्र में चीन द्वारा किसी भी प्रकार का विनिर्माण कार्य भारत के लिए सुरक्षा सम्बन्धी चिंताएँ उत्पन्न करेगा। भारत के सुरक्षा विशेषज्ञों ने चिंता ज़ाहिर की है कि ग्वादर बंदरगाह तक पहुँच सुलभ हो जाने के बाद, चीन के लिए हिन्द महासागर तक आना आसान हो जायेगा।
- ग्वादर बंदरगाह में चीन की समुद्री उपस्थिति भारत की समुद्री और आर्थिक रणनीतियों के लिए अत्यधिक हानिकारक हो सकती है क्योंकि भारत उसी क्षेत्र से तेल का आयात करता है। यह चीन को रणनीतिक बढ़त दिला सकता है क्योंकि भारत और चीन के मध्य किसी विवाद में यदि चीन इस मार्ग को अवरुद्ध करने में समर्थ हो जाता है तो यह भारत को अत्यधिक प्रभावित कर सकता है।
- भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठानों के लिए चिंता का एक विषय यह भी है कि पाक अधिकृत कश्मीर में उपस्थित CPEC संपत्तियों को भारत के विरुद्ध सैन्य रूप से प्रयोग न किया जा सके।

आगे की राह

- भारत को किसी भी तरह के अवांछित प्रवेश के विरुद्ध अपनी चिंताओं से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को अवगत कराने का मौका नहीं गंवाना चाहिए। इसके साथ ही इसे यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करने चाहिए कि इस क्षेत्र में इसकी भू-स्थिति उस तरह कमजोर न हो जाये जैसा अतीत में तिब्बत और अक्साई चिन जैसे क्षेत्रों के मामले में हुआ था।
- वस्तुतः इस समय भारत को कूटनीतिक तरीके से CPEC पर अपनी आपत्तियों को व्यक्त कर इसे अप्रवर्तनीय बनाने का प्रयास करना चाहिए। इसके अलावा भारत इस परियोजना को रोकने के लिए कुछ विशेष नहीं कर सकता। क्योंकि सिर्फ कूटनीतिक बयानों से इस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं डाला जा सकेगा।
- 'वन बेल्ट वन रोड' को स्थायित्व प्रदान करने में CPEC एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण परियोजना है। भारत की चिंताओं के परिप्रेक्ष्य में इसकी असफलता चीन तथा पाकिस्तान दोनों के लिए असम्मानजनक सिद्ध होगी। अतः ये दोनों देश इसकी सफलता के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं।

भारत के लिए संभावित लाभ

- **इस सन्दर्भ में यह तर्क दिया जा सकता है कि** बांग्लादेश चीन भारत म्यांमार (BCIM) गलियारा तथा CPEC संयुक्त रूप से भारत चीन क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने में सहायक होगा।
- इसके अतिरिक्त, भारत को CPEC की एक शाखा के भारत के पंजाब और जम्मू कश्मीर राज्यों तक विस्तृत होने की सम्भावना पर विचार करना चाहिए।
- इसके साथ ही भारत उस स्थिति में CPEC में शामिल होने के लिए तैयार होना चाहिए जब पाकिस्तान भारत को अफगानिस्तान तथा मध्य एशिया तक स्थल मार्ग से पहुँच प्रदान करे।
- जम्मू कश्मीर में LoC के उस पार CPEC के कार्यान्वयन के उपरांत संभावित लाभों के बारे में अटकलें लगायी जा रही हैं। वहां की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती ने कश्मीर को दक्षिण एशिया तथा मध्य एशिया के बीच अंतरक्षेत्रीय व्यापार तथा ऊर्जा सहयोग के केंद्र के रूप में विकसित करने के महत्त्व को रेखांकित किया है।

CPEC बारे में

चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (CPEC) राजमार्गों, रेलवे और पाइपलाइनों से मिलकर बना एक 3,218 किलोमीटर लम्बा मार्ग है, जो कि ग्वादर बंदरगाह को चीन में झिंजियांग से जोड़ेगा। CPEC चीन की 'वन बेल्ट, वन रोड' पहल के लिए महत्वपूर्ण है, इस पहल का उद्देश्य चीन को यूरोप और एशिया से जोड़ना है।

VISION IAS

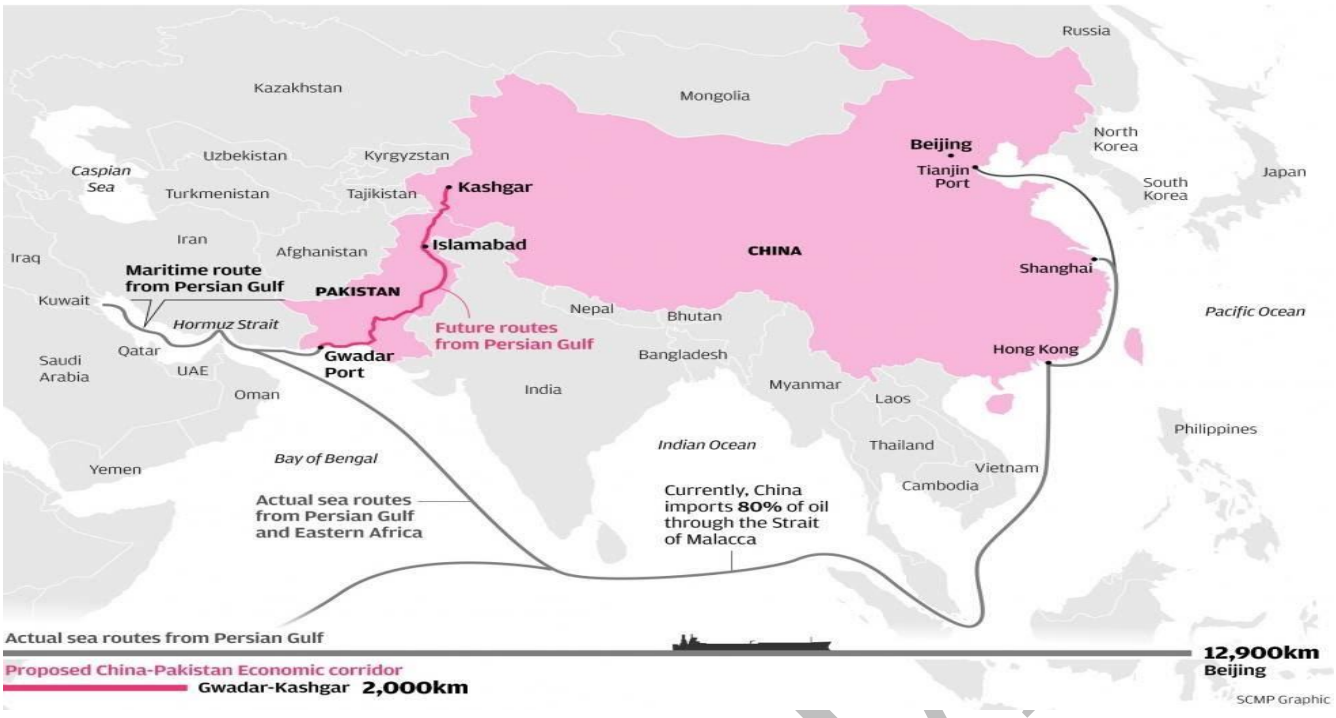

1.1.6. वन चाइना पॉलिसी

(One China Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों ?

फ़रवरी 2017 में भारत ने ताइवान से आये एक तीन सदस्यीय महिला प्रतिनिधिमंडल का स्वागत किया। इस यात्रा में कोई बड़ी घोषणा नहीं की गयी न ही इसने सुर्खियाँ बटोरीं। परन्तु यह एक ऐसे समय में भू-राजनीतिक रूप में महत्वपूर्ण है जब चीन द्वारा 'वन चाइना पालिसी' पर अधिक सतर्क नजर रखी जा रही है।

वन चाइना नीति क्या है?

वन चाइना नीति का सिद्धांत या दृष्टिकोण यह दर्शाता है कि, दो सरकारों के अस्तित्व के बावजूद भी केवल एक ही राष्ट्र है, जो चीन के नाम से जाना जाता है।

- नीति के रूप में, इसका मतलब है कि जो देश पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC, मुख्यभूमि चीन) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC, ताइवान) के साथ आधिकारिक संबंधों को तोड़ना होगा और जो देश रिपब्लिक ऑफ चाइना (ROC, ताइवान) के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करना चाहते हैं उन्हें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना (PRC, मुख्यभूमि चीन) के साथ आधिकारिक संबंधों को तोड़ना होगा।
- वन चाइना नीति "वन चाइना सिद्धांत' से अलग है, यह सिद्धांत इस बात पर बल देता है कि ताइवान और चीन की मुख्य भूमि दोनों एकल चीन का अविच्छेद्य (अलग न किया जा सकने वाला) भाग हैं।

'वन चाइना ' सिद्धांत क्या है?

- यह सिद्धांत ताइवान पर चीनी संप्रभुता की पुष्टि एवं वाशिंगटन और बीजिंग के बीच द्विपक्षीय राजनयिक संबंधों की आधारशिला है।
- कोई भी देश जो चीन के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध स्थापित करना चाहता है उसे इस सिद्धांत का पालन करने के लिए सहमत होना होगा और वह ताइवान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता नहीं देगा।
- वर्तमान में, 21 राज्यों ने ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता प्रदान की है।
- व्यवहार में, 'वन चाइना' सिद्धांत एक संतुलन स्थापित करने वाली प्रक्रिया है जो कि ताइवान की राजनीतिक स्थिति को एक स्वतंत्र, आर्थिक, नागरिक और प्रशासनिक इकाई के रूप में कार्य करने की अनुमति देकर यथास्थिति को बरकरार रखता है।

- 1979 के बाद से, ताइवान को अपने 'अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य (international living space)' में बने रहने के लिए वार्ता करनी पड़ रही है, लेकिन यह व्यापक रूप से 'वन चाइना' के सिद्धांत को स्वीकृत करता है।

चीनी प्रतिक्रिया

- **चीन के विदेश मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि यदि भारत द्वारा वन चाइना पालिसी में किसी परिवर्तन को प्रेरित किया गया तो यह बीजिंग और नई दिल्ली के द्विपक्षीय संबंधों को प्रभावित करेगा। चीन द्वारा ताइवान से महिला प्रतिनिधिमंडल को निमंत्रण देना 'आग से खेलने' के बराबर कहा गया।**
- **ताईवान की पहली महिला राष्ट्रपति साई इंग वेन(Tsai) ताईवान की चीन से स्वतंत्रता की पक्षधर हैं। उन्होंने अपने देश की विदेश नीति में भारत के बढ़ते महत्त्व के विषय में चर्चा की है।**
- **भारत के साथ मधुर संबंधों का निर्माण कर ताईवान की राष्ट्रपति साई चीन की मुख्यभूमि पर दबाव बनाने का प्रयास कर रही हैं।**
- बीजिंग 'वन चाइना' सिद्धांत को चुनौती देने का अर्थ, सीधे तौर पर चीनी संप्रभुता को चुनौती के रूप में मानता है।
- चीन अपने भू राजनीतिक जोखिम के कारण ताइवान के संदर्भ में अधिक संवेदनशील है। यह अपने समुद्र फ्रंट के ऊपर अन्य शक्तियों का दबाव या नियमों में कोई परिवर्तन नहीं चाहता है।

आगे की राह

- CPEC तथा पाकिस्तान और चीन के मध्य बढ़ते संबंधों की पृष्ठभूमि में ताईवान दोनों देशों के मध्य महत्वर्ण भूमिका निभाता है।
- भारत के वरिष्ठ राजनयिकों ने सुझाव दिया है कि सरकार को भारत तथा ताईवान के मध्य बढ़ते राजनैतिक एवं आर्थिक संबंधों को रक्षा संबंधों तक विस्तृत करने पर आगे बढ़ना चाहिए।
- हालाँकि बैठकों तथा यात्राओं के पहले से अधिक होने के बावजूद नई दिल्ली से सीधे तौर पर प्रतिरक्षा संबंधों को बढ़ाने की उम्मीद करना अपरिपक्वता होगी क्योंकि इस मामले को लेकर बीजिंग की संवेदनशीलता स्पष्ट दिखाई देती है।
- भारत ताइपे को एक महत्वपूर्ण आर्थिक और राजनीतिक भागीदार के रूप में देखता है। जो चीन-पाकिस्तान के संबंधों को प्रतिसंतुलित करने में सहयोग कर सकता है।

1.1.7. दक्षिण चीन सागर विवाद

(South China Sea (SCS) Dispute)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (PLA) की नौसेना ने **दक्षिण चीन सागर (SPS) में** स्थित जिशा और नान्सा द्वीप समूहों की पुन:प्राप्ति की 70वीं वर्षगांठ मनायी। यह द्वीप **परासल और स्प्रेटली द्वीप समूह** के चीनी नाम है।
- सेंटर फॉर स्ट्रेटजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज (CSIS) की रिपोर्ट में जारी किए गए इन द्वीप समूहों के कुछ नवीनतम उपग्रह चित्रों से पता चलता है कि चीन अब यहाँ बड़ी एंटीएयरक्राफ्ट गन्स के साथ साथ शस्त्र प्रणालियां भी स्थापित करने में लगा है।

पृष्ठभूमि

- **काहिरा घोषणा और पॉट्सडैम उद्घोषणा** का अनुपालन करते हुए नवंबर-दिसंबर 1946 में चीन ने अवैध रूप से जापान द्वारा कब्ज़ा किए गए इन द्वीपों के पुनः अधिग्रहण के लिए , अधिकारियो को चार युद्धपोतों के साथ आगे बढ़ने का आदेश दिया था।*
- स्प्रेटली द्वीप समूह वियतनाम के पूर्व और फिलीपींस और मलेशिया के पश्चिम में स्थित हैं। मत्स्य संसाधनों की उपलब्धता और संभावित तेल और गैस के भंडारों के कारण यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है।
- तलमार्जन(ड्रेजिंग) की रेत(तट के आसपास की रेत) को चट्टान में परिवर्तित कर चीन ने सात नए द्वीपों का निर्माण किया है।चीन द्वारा इन द्वीपों का निर्माण दक्षिण चीन सागर में सभी स्प्रैटली द्वीपों पर अपना दावा मजबूत करने के लिए किया गया है। साथ ही चीन ने इन मानवनिर्मित द्वीपों पर पत्तनों, हवाई पट्टी और रडार सुविधाओं का भी निर्माण कर लिया है।

- **काहिरा घोषणापत्र 1943** ने चीन को चार महान मित्र शक्तियों में से एक का दर्जा दिया और इस बात पर सहमति व्यक्त की कि मंचूरिया, ताइवान, और पेस्काडोरस समेत जापान द्वारा चीन से अधिग्रहीत प्रदेश संघर्ष समाप्त होने के बाद चीन गणराज्य के नियंत्रण में वापस लौटा दिए जाएंगे।
- इसी तरह, **जुलाई 1945** में, द्वितीय विश्व युद्ध में जापान से लड़ रहे प्रमुख मित्र राष्ट्रों के नेताओं ने उन शर्तों को जारी करने के लिए पॉट्सडैम, जर्मनी में बैठक की जिनके अनुसार जापानियों नो मित्र राष्ट्रों के समक्ष आत्मसमर्पण करना था।

सुनामी चेतावनी प्रणाली (TWS) का उपयोग सुनामी का अग्रिम रूप से पता लगाने और जीवन की हानि और क्षति रोकने के लिए अग्रिम चेतावनी जारी करने के लिए किया जाता है। यह समान रूप से दो महत्वपूर्ण घटकों से बना है: सुनामी का पता लगाने के लिए संवेदकों का नेटवर्क ओर तटीय क्षेत्रों से निकासी संभव बनाने के लिए समय पर चेतावनी जारी करने के लिए संचार अवसंरचना।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की चिंताएं

- इस क्षेत्र में चीनी विकास अन्य देशों के लिए खतरे के रूप में देखा जा रहा है विशेष रूप से वियतनाम के पूर्व और फिलीपींस और मलेशिया के पश्चिम में स्थित द्वीपों समूहों के लिए।
- व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का अनुमान है कि विश्व के वार्षिक व्यापारिक आवागमन का लगभग 50% 2010 में दक्षिण चीन सागर के ज़रिये हुआ। इस क्षेत्र में किसी भी विवाद से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और अर्थव्यवस्था गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है।
- संघर्ष के अलावा इस क्षेत्र के पूर्ण चीनी अधिग्रहण से एक अन्य आर्थिक सुरक्षा चिंता पैदा हो सकती है। चीन ने इस क्षेत्र से गुजरने वाले सभी मार्गों को नियंत्रित करना चाहता है जिसे वह अपनी नौसैनिक शक्ति का क्षेत्र समझता है। चीन का यह कदम खुले समुद्रों के माध्यम से मुक्त पारगमन के अमेरिका समर्थित वैश्विक मानदंड का प्रत्यक्ष विरोध है।

भारत ने दक्षिण चीन सागर के देशों को सुनामी प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली देने का प्रस्ताव किया

- भारत चाहता है कि वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण चीन सागर के देश भारत द्वारा विकसित सुनामी चेतावनी प्रणाली का उपयोग करें।
- नम्य-कूटनीति (सॉफ्ट डिप्लोमेसी) के तहत भारत की इच्छा है है कि वियतनाम, मलेशिया और फिलीपींस जैसे दक्षिण चीन सागर के देश भारत द्वारा विकसित सुनामी चेतावनी प्रणाली का उपयोग करें।
- इसके साथ ही, इस कदम को भारत की "एक्ट ईस्ट पॉलिसी" के भाग के रूप में भी देखा जा सकता है जिसमें भारत अपने पूर्वोत्तर के पड़ोसियों (ASEAN देशों) की अवसंरचनात्मक क्षमताओं में सुधार लाना चाहता है।
- चीन ने अतीत में भारत को आक्रामक रूप से विवादित जलक्षेत्र से दूर रहने की चेतावनी दी थी, जिस पर ब्रुनेई, मलेशिया, फिलीपींस, ताइवान और वियतनाम आदि देश अपना दावा करते है।
- चीन का तर्क है कि उसने इस प्रकार की प्रणाली पर पहले ही काम आरंभ कर दिया था और वह यह महसूस करता है कि भारत का प्रस्ताव उसकी प्रणाली ही का भाग होना चाहिए।

1.1.8. डोकलाम में चीन और भारत के मध्य झड़प

[Face-Off In Doklam Plateau]

चीन की "*पीपुल्स लिबरेशन आर्मी*" द्वारा **डोकलाम पठार (Donglong) पर किये जा रहे सड़क निर्माण कार्य** को रोकने के लिए भारतीय सेना ने इस क्षेत्र में हस्तक्षेप किया। भूटान के सीमा क्षेत्र में स्थित 269 वर्ग किलोमीटर का डोकलम पठार रणनीतिक रूप से अत्यधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। हालाँकि बीजिंग इस क्षेत्र पर 1980 से अपना दावा कर रहा है।

- यह **प्रथम घटना है जब भारत ने भूटान के क्षेत्रीय हितों की रक्षा के लिए सैनिकों का इस्तेमाल** किया है।
- भारत-चीन सीमा के पश्चिमी क्षेत्र की तुलना में सिक्किम सीमा के ट्राई-जंक्शन क्षेत्र में बहुत कम तनाव है। उपर्युक्त विवादों के संबंध में भारत और भूटान द्वारा चीन के साथ अलग-अलग वार्ताएं भी की जा रही हैं।

पृष्ठभूमि

- डोक्लाम विवाद की जड़ें भूटान तथा चीन के मध्य भूभाग को लेकर चले आ रहे एक पुराने विवाद में निहित है। यह विवाद 1950 के दशक में आरम्भ हुआ था जब चीन ने अपने मानचित्र में भूटान के एक बड़े हिस्से को अपने क्षेत्र के रूप में प्रदर्शित किया था।
- 1998 में दोनों देशों द्वारा पहली बार एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इस समझौते में भूटान-चीन के सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति तथा व्यवस्था बनाये रखने का संकल्प लिया गया। यह एक आधिकारिक मान्यता भी थी कि दोनों देशों के मध्य डोक्लाम समेत कुछ ऐसे क्षेत्रीय मुद्दे मौजूद हैं जिनमें शांतिपूर्ण समाधान की आवश्यकता है।
- 1990 की शुरुआत में चीन ने भूटान के समक्ष एक '**पैकेज डील**' प्रतुत की जिसमें चीन ने 269 वर्ग किलोमीटर के डोक्लाम पठार के बदले **पसमलुंग(pasamlung) और जकरलुंग(jakarlung) घाटियों** के 495 वर्ग किलोमीटर के विवादित क्षेत्र में अपने दावे को छोड़ने पर सहमति जताई थी।

सड़क निर्माण के संबध में भारत की चिंतायें-

विश्लेषकों का मानना है कि चुम्बी घाटी के माध्यम से एक नई सड़क का निर्माण "***चिकन नेक***" **(संकीर्ण सिलीगुड़ी गलियारा** जो भारत के **शेष हिस्सों के साथ उत्तर-पूर्व को जोड़ता है**) के लिए खतरनाक होगा।

- शेष भारत एवं उसके उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के मध्य संपर्क का एकमात्र मार्ग होने के कारण यह गलियारा भारत के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह गलियारा **चुम्बी घाटी** से लगभग 500 किमी दूर है।
- भारत ने चीन सरकार को इस बात से अवगत कराया है कि विवादित **डोकलाम क्षेत्र** में सड़क निर्माण के कार्य से यथास्थिति (status quo) में महत्वपूर्ण बदलाव संभव है। साथ ही गंभीर सुरक्षा परिणाम भी देखने को मिल सकता है।
- भारत ने अपनी सुरक्षा सम्बंधित चिंताओं का हवाला देते हुए चीन द्वारा की गई **1890 की चीन-ब्रिटिश संधि** की व्याख्या को अस्वीकार कर दिया।
- चीन के सैनिकों द्वारा सिक्किम और भूटान के क्षेत्र में अनिर्धारित सीमा क्षेत्र का अतिक्रमण करना, **1998 और 1999 में भूटान के साथ और 2012 में भारत के साथ यथास्थिति बनाये रखने हेतु सम्पन्न समझौते का उल्लंघन होगा**। भविष्य में यथास्थिति बनाए रखने के लिए यह विशेष चिंताएं उत्पन्न करेगा।
- डोकलाम में भारत की सैन्य उपस्थिति महत्वपूर्ण रास्तों पर नजर रखने में सहायक होगी और निकट भविष्य में, युद्ध की स्थिति में ल्हासा और नाथु-ला क्षेत्र के बीच रेल जुड़ाव की निगरानी की जा सकेगी।
- हाल ही में चीन ने **भूटान पर अपना दबाव बढ़ाया है**। इस दबाव का उद्देश्य, **डोकलाम क्षेत्र को सौंपने के लिए भूटान को राजी करना** है ताकि चीन **नाथू-ला से ल्हासा** को जोड़ने वाली एक सड़क बना सके तथा इन विवादित क्षेत्रों से होकर रेलवे लाइन बिछाने की प्रक्रिया शुरू की जा सके।

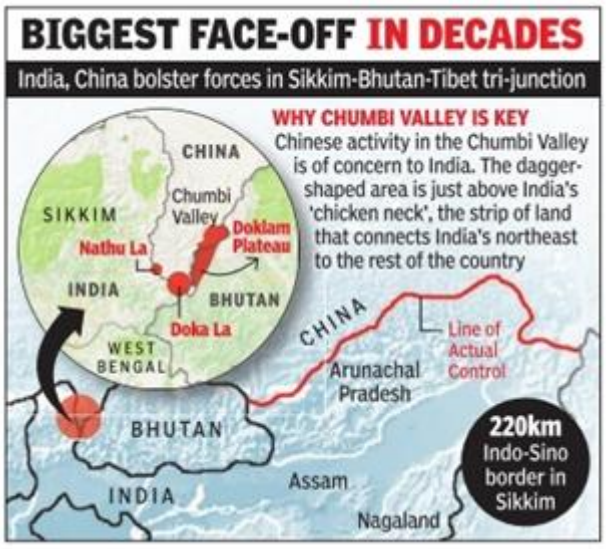

VISION IAS

इस नवीनतम घटनाक्रम पर चीन की प्रतिक्रिया

चीन के अनुसार भारतीय सेना ने **डोकलाम में घुसपैठ किया है**। चीन के अनुसार, डोंगलांग (चीन में कहा जाता है) सिक्किम सीमा क्षेत्र में स्थित वह क्षेत्र (भाग) है जो निर्विवाद रूप से चीन की सीमा के अंतर्गत आता है।

- इस तनाव के कारण ही चीन के अधिकारियों ने **नाथू-ला दर्रे** को **कैलाश मानसरोवर के तीर्थयात्रियों** हेतु बंद कर दिया है।
- चीन के अनुसार भारत ने कथित रूप से चीन की सीमा का "अतिक्रमण" किया है। इसलिए नई दिल्ली के साथ **"सार्थक वार्ता"** के लिए चीन ने भारत को अपनी सेना वापसी हेतु पूर्वशर्त रखी है।
- **1890 की चीन-ब्रिटिश संधि** के आधार पर चीन ने सिक्किम क्षेत्र में सड़क के निर्माण को उचित ठहराया है क्योंकि यह बिना किसी संदेह के इसकी सीमा के अंतर्गत आता है।
- चीन लंबे समय से सीमा के मुद्दे पर भूटान से एक ऐसे स्टैंड की अपेक्षा करता है जो भारत की सलाह और हस्तक्षेप से स्वतंत्र हो। इस क्षेत्र में भारतीय हस्तक्षेप को चीनी विशेषज्ञ अक्सर दक्षिण एशिया में प्रभुत्व स्थापित करने के प्रयास के रूप में दर्शाते हैं ।
- बीजिंग के पड़ोसी देश भूटान के साथ राजनयिक संबंध नहीं हैं । जिसकी अब चीन को भी कमी महसूस होती है । जबकि भूटान ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों की शुरुआत भले ही देर से की हो किन्तु कम समय में ही उसने जापान सहित 53 देशों के साथ अपने संबंध स्थापित कर लिए ।
- चीन भूटान की सुरक्षा को चुनौती देकर भारत-भूटान के "अनन्य संबंधों" में तनाव पैदा करने की उम्मीद करता है।

भारत-चीन संबंधों में गिरावट

2014 में चीन के राष्ट्रपति (Mr. Xi) की भारत यात्रा के बाद से ही भारत-चीन संबंधो में निरंतर गिरावट आई है। इसका मुख्य कारण द्विपक्षीय वार्ता की निरंतर असफलता है।

- दिल्ली ने, **चीन द्वारा भारत की संप्रभुता संबंधी चिंताओं** को अस्वीकार करने और सीमापारीय आतंकवाद पर पाकिस्तान का विरोध न करने, **परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह की सदस्यता** के लिए भारत का समर्थन न करने आदि पर निराशा व्यक्त की है।
- भारत ने ***बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव*** **(BRI)** को अस्वीकार कर दिया है और समुद्री मुद्दों पर अमेरिका के साथ सहयोग को बढ़ावा दिया है।
- **दलाई लामा की तवांग यात्रा** का चीन द्वारा विरोध किया गया और यह आरोप लगाया कि भारत तिब्बत में अलगाववाद को बढ़ावा दे रहा है।
- चीन के विदेश मंत्रालय का भारत के प्रति कटुता का कारण हिन्द महासागर में चीन की शक्ति को सीमित करने के लिए **जापान, दक्षिण कोरिया और अमेरिका** के साथ भारत का बढ़ता सहयोग भी है।

आगे की राह

इन मुद्दों को निरंतर वार्ता के माध्यम से हल करना होगा। तत्काल उठाए जाने वाले कदमों में, **ट्राई-जंक्शन पर तनाव को कम करने** पर केंद्रित वार्ताओं का आयोजन किया जाना चाहिए।

- चीन ने वार्ता के लिए पूर्व शर्त यह रखी है कि पहले भारत सेना हटाए। यह भारत के लिए अस्वीकार्य होगा जब तक PLA अपने सैनिकों और सड़क निर्माण टीमों को वापस नहीं हटा लेगा।
- यथास्थिति के प्रति अपनी प्रतिबद्धताओं के अतिरिक्त बीजिंग को यह आवश्यक रूप से समझना होगा कि 1947 से ही **भारत और भूटान** के मध्य विशेष सम्बन्ध हैं। 2007 में हुए मैत्री संधि के तहत भारत, भूटान के हितों की रक्षा के प्रति वचनबद्ध है। साथ ही इसमें दोनों राष्ट्रों की सेनाओं के मध्य नजदीकी समन्वय बनाये रखने का भी प्रावधान है।
- भारत को इस चुनौती का सामना करते हुए आगे बढ़ना चाहिए । इसके साथ ही भारत को अपने सहयोगी के प्रति अपनी वचनबद्धता प्रदर्शित करते हुए डोकलाम की वर्तमान स्थिति के सम्बन्ध में एक सुदृढ़ स्टैंड अपनाना चाहिए।
- भूटान पर भारत का प्रभाव एक सीमा तक ही है और यह सीमा भारत को यह ऐतिहासिक विरासत के रूप में मिली है। हाथ से निकल जाने के बाद इसे पुनः प्राप्त करना भारत के लिए असंभव होगा, विशेषकर जब इस सन्दर्भ में प्रतिस्पर्धा एक समृद्ध और अधिक शक्तिशाली बीजिंग से हो ।
- भारत सरकार को यह देखना होगा कि भूटान की संप्रभुता कम महत्वपूर्ण नहीं है । भारत यह सुनिश्चित करे कि भूटान की संप्रभुता अक्षुण्ण बनी रहे क्योंकि यही सुरक्षा नई दिल्ली और थिंपू के बीच अनन्य संबंधों का एकमात्र आधार है।

VISION IAS

1.2 भारत- भूटान

(Indo- Bhutan)

भारत और भूटान के मध्य लंबे समय से कूटनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक संबंध रहे हैं। भूटान-भारत सम्बन्ध एक मैत्री संधि के द्वारा संचालित होते है। 2007 में इस मैत्री संधि की समीक्षा करके भूटान के वैदेशिक सम्बन्धों को नई दिल्ली से निर्देशित होने की बाध्यता से मुक्त कर दिया गया। अब थिम्पू अपने विदेशी संबंधो का निर्धारण स्वयं कर सकता है। किन्तु अभी भी इस हिमालयी राष्ट्र की सुरक्षा सम्बन्धी आवश्यकताओं में भारत सहयोग करेगा।

भारत-भूटान मैत्री संधि

- 8 अगस्त, 1949 को भूटान और भारत ने मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किया था। इसमें दोनों देशों के मध्य शांति और एक-दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की बात की गई थी। इसके द्वारा भूटान ने भारत को अपनी विदेश नीति "निर्देशित करने" के लिए सहमति दे दी तथा यह भी तय किया गया कि दोनों देश वैदेशिक और रक्षा मामलों में एक दूसरे से परामर्श करेंगे। संधि के माध्यम से मुक्त व्यापार और प्रत्यर्पण प्रोटोकॉल भी स्थापित किये गए थे।
- भारत और भूटान ने वर्ष 2007 में एक नई मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किये जिसने वर्ष 1949 में हुई मैत्री संधि का स्थान लिया।
- नई संधि ने भूटान के लिए अपनी विदेश नीति के संबंध में भारत का मार्गदर्शन लेने सम्बन्धी प्रावधान को समाप्त कर दिया है। अब भूटान को सीमा संप्रभुता और हथियारों के आयात पर भारत की अनुमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है।
- 2007 में हुई भारत-भूटान मैत्री संधि के अंतर्गत दोनों पक्ष "राष्ट्रीय हितों से संबंधित मुद्दों पर एक दूसरे का सहयोग करने" पर सहमत हुए हैं।
- दोनों देश एक दूसरे की राष्ट्रीय सुरक्षा और हितों के विरुद्ध अपनी भूमि का उपयोग न करने देने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

वाणिज्यिक सम्बन्ध

- भारत भूटान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है।
- भारत और भूटान ने 12 नवंबर, 2016 को व्यापार, वाणिज्य और पारगमन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किये हैं। यह पारस्परिक लाभ के लिए द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दोनों देशों के बीच एक मुक्त व्यापार व्यवस्था प्रदान करता है।
- इस समझौते का उद्देश्य भूटान के अन्य देशों के साथ व्यापार को *कन्टेनर कार्गो* के माध्यम से सुविधाजनक बनाना है। इसके तहत भूटान को भारत में अतिरिक्त प्रवेश / निकास बिंदु पर देने तथा कार्गो की आवाजाही में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम अपनाने का प्रयास करना भी शामिल है।
- 2015 में दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 8,550 करोड़ रुपये तक पहुँच गया है। भूटान में भारत से 5,374 करोड़ रुपये का आयात हुआ जो भूटान के कुल आयात का 79% था। वर्तमान में भूटान का भारत को निर्यात (बिजली सहित) 3,180 करोड़ रुपये का हो गया है जो उसके कुल निर्यात का 90 फीसदी है।
- भारत को भूटान से होने वाले निर्यात में एक तिहाई हिस्सा बिजली का है। निर्यात की अन्य मदों में खनिज जैसे कि सीमेंट, डोलोमाइट और फेरो-सिलिका (भूटान की शिकायत है कि इसका निर्यात घट रहा है) आदि शामिल हैं।
- सरकार निर्यात क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फुंटशोलिंग के सीमवर्ती कस्बे में एक छोटा ड्राई पोर्ट बनाने की योजना बना रही है। उसे दुर्गम भूभाग और खराब कनेक्टिविटी जैसी अन्य कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। भूटान अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अधिकांश संसाधन भारत से आयात करता है।
- भारत द्वारा 1961 से ही भूटान की पंचवर्षीय विकास योजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इसमें 2018 तक की अवधि के लिए 4500 करोड़ की सहायता राशि शामिल है जिसे जारी करने का निर्णय पिछले वर्ष लिया गया।

जलविद्युत् सहयोग

- भूटान के *रन-ऑफ-रिवर* बाँधों द्वारा होने वाला जल विद्युत् उत्पादन भारत-भूटान संबंधों का आर्थिक आधार है।
- भारत वहां के बाँधों को वित्तीय सहायता देता है और ऋण के संयोजन के माध्यम से भी मदद करता है। बदले में वह बहुत कम कीमतों पर अतिरिक्त बिजली खरीदता है।
- भारत में पहले से ही 1416 मेगावाट की कुल तीन जल विद्युत परियोजनाएँ (HEPs) (336 मेगावाट की चूखा HEP, 60 मेगावाट कुरिछू HEP, और 1020 मेगावाट ताला HEP) बिजली निर्यात कर रही हैं।

VISION IAS

- 2008 में, दोनो देशों द्वारा 2020 तक न्यूनतम 10,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन क्षमता विकसित करने के लिए सहमति व्यक्त की गई तथा दस अन्य परियोजनाओं की पहचान की गई।

भूटान का महत्व

- भारत और चीन के मध्य भूटान एक **बफर स्टेट** के रूप में है। चीन और भूटान के बीच 470 किमी लंबी सीमा है।
- **सामरिक महत्व:** चुम्बी घाटी भूटान, भारत और चीन के ट्राई-जंक्शन पर स्थित है। यह उत्तरी बंगाल में स्थित "चिकन्स नेक"("Chicken's neck") से 500 किमी की दूरी पर है। चिकन्स नेक उत्तर-पूर्व को पूरे देश के साथ जोड़ता है।
- **पूर्वोत्तर में उग्रवाद को रोकने के लिए**: पूर्व में भूटान ने भारत के साथ सहयोग किया था जिससे इस हिमालयी देश से उग्रवादी समूहों जैसे यूनाईटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (ULFA) और नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (NDFB) को बाहर निकालने में मदद मिली थी।
- **भूटान में चीन के प्रवेश पर नियंत्रण हेतु:** चीन का अभी तक भूटान में राजनयिक मिशन नहीं है। अतः चीन थिम्पू के साथ औपचारिक संबंध स्थापित करने को आतुर है। भूटान रणनीतिक रूप से भारत और चीन दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। पश्चिमी भूटान में सिलीगुड़ी कॉरिडोर के निकटवर्ती क्षेत्र पर चीन अपना दावा पेश करता है।
- इस क्षेत्र में भूटान एकमात्र देश है जो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के विशाल प्रोजेक्ट, **बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव** के बहिष्कार में भारत के साथ शामिल है।

1.2.1. BBIN MVA पहल

(BBIN MVA Initiative)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN) मोटर वाहन समझौते (Motor Vehicle Agreement: MVA) को भूटानी संसद के ऊपरी सदन राष्ट्रीय परिषद द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

इससे पहले, समझौते को संसद के निचले सदन नेशनल असेंबली ने मंजूरी दे दी थी। हालांकि विपक्ष द्वारा इसकी कड़ी आलोचना की गयी थी।

भूटान के सांसदों द्वारा उद्धृत कारण

- BBIN MVA से भूटान के आर्थिक विकास में ज्यादा मदद नहीं मिलेगी क्योंकि भूटान का ज्यादातर व्यापार भारत के साथ है और दोनों देश पहले से ही अपनी सीमा के आर-पार वाहनों की मुक्त आवाजाही की अनुमति प्रदान किए हुए हैं।
- भूटान को संदेह है कि यात्री और कार्गो परिवहन की गति को सुगम बनाने वाला समझौता दक्षिण एशिया के इस सबसे छोटे देश पर यातायात, पर्यटकों और प्रदूषण का दबाव बढ़ाएगा।

भारत के लिए BBIN का महत्व

- भारत के सीमावर्ती देशों के साथ भारत की कूटनीति के लिए BBIN MVA का विशेष महत्व है।
- भारत के प्रधानमंत्री BBIN प्रतिमान (पैराडाइम) के एक दृढ़ समर्थक रहे हैं - यह आंशिक रूप से इस बात को प्रदर्शित करता है कि दक्षिण एशियाई संदर्भ में एक प्रभावी क्षेत्रीय समझौता पाकिस्तान की मौजूदगी के बिना भी संभव हो सकता है।
- चार सार्क देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत और नेपाल (BBIN) के बीच MVA समझौता सीमाओं के आर-पार लोगों और माल की सहज आवाजाही सुनिश्चित करके क्षेत्रीय लाभ और एकीकरण तथा आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त करेगा।
- BBIN फ्रेमवर्क को कनेक्टिविटी के क्षेत्र में उप-क्षेत्रीय सहयोग के एक लाभदायक मॉडल के रूप में देखा जा रहा है जिसमें परिवहन के साथ-साथ ऊर्जा भी शामिल है ।
- संधि को लागू करके पाकिस्तान को बाहर रखने की भारत की योजना को, इस अस्वीकृति से एक झटका लगा है।

भूटान के फैसले पर भारत की प्रतिक्रिया

- भारत ने भूटान सरकार से समझौते पर पुनर्विचार करने के लिए कहा है। हालांकि, वहाँ की प्रक्रिया के अनुसार पुनर्विचार केवल एक वर्ष के बाद ही किया जा सकता है।
- नई दिल्ली अब समझौते को लागू करने के लिए विभिन्न विकल्पों को तलाश रही है। फिलहाल यह निर्णय लिया गया है कि समझौता केवल उन देशों के बीच लागू किया जाएगा जिन्होंने इसकी पुष्टि की है - भारत, बांग्लादेश और नेपाल।

चार दक्षिण एशियाई देशों के बीच यात्रियों, कार्मिकों और कार्गो वाहनों की आवाजाही के नियमन के लिए भारत, नेपाल, भूटान और बांग्लादेश ने एक महत्वपूर्ण मोटर वाहन समझौते (MVA) पर 2015 में हस्ताक्षर किए हैं।

1.3. पाकिस्तान

(Pakistan)

1.3.1. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस (ICJ) का जाधव प्रकरण में अंतरिम निर्णय

(International Court of Justice (ICJ)'S Interim Ruling in Jadhav Case)

सुर्ख़ियों में क्यों?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (International Court of Justice: ICJ) ने अंतिम निर्णय देने तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगा दी है। कुलभूषण जाधव को पाकिस्तानी सैन्य न्यायालय द्वारा जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गयी थी।

- न्यायालय ने कहा कि विएना कन्वेंशन के अनुसार भारत को कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच प्रदान करने का मौका दिया जाना चाहिए था।
- पाकिस्तान को अब इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए उठाये गए कदमों के बारे में न्यायालय को सूचित करना चाहिए।
- ICJ के न्यायाधीशों ने स्पष्ट किया है कि ये अनंतिम उपाय उस देश पर बाध्यकारी हैं तथा साथ ही उस पर अंतरराष्ट्रीय विधिक बाध्यता आरोपित करते हैं, जिसे संबोधित करते हुए ये सुनाये गए हैं।

कुलभूषण जाधव केस की पृष्ठभूमि

कुलभूषण जाधव को 3 मार्च, 2016 को पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर बलूचिस्तान के चमन इलाके में गिरफ्तार किया गया था।

- भारत ने जाधव के भारत सरकार से किसी भी प्रकार के संपर्क की बात को नकार दिया है। सरकार ने कहा कि वह नौसेना से "समयपूर्व सेवानिवृत्ति" के बाद ईरान के बंदरगाह शहर चाबहार में एक व्यवसाय चला रहा था।
- भारत का मानना है कि कुलभूषण जाधव को ईरान से अपहृत कर लिया गया था तथा उसके बाद पाकिस्तान में उसकी उपस्थिति की विश्वसनीय व्याख्या नहीं की गयी है।
- कुलभूषण जाधव को साढ़े तीन महीने की सुनवाई के उपरांत एक फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल द्वारा जासूसी के आरोप में दोषी सिद्ध कर 10 अप्रैल 2017 को मौत की सजा सुनाई गई थी।

भारत द्वारा मामले को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में उठाना

- जाधव को राजनयिक पहुंच देने से इनकार करने और राजनयिक संबंधों पर विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के कारण भारत ने 8 मई 2017 को पाकिस्तान के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया।
- भारत ने पाकिस्तान पर विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने और "पर्याप्त सबूतों (shred of evidence)" के बिना जाधव को दोषी ठहराए जाने को लेकर "दोषपूर्ण सुनवाई" (farcical trial) करने का आरोप लगाया।

ICJ में भारत के तर्क:

कुलभूषण जाधव मामले में भारत द्वारा प्रस्तुत किये गए प्रमुख तर्क निम्नलिखित हैं:

- कुलभूषण जाधव को उचित कानूनी सहायता पाने तथा राजनयिक पहुंच का अधिकार प्रदान नहीं किया गया।
- जब तक ICJ में इस अपील पर सुनवाई जारी है तब तक जाधव को दिए गए मृत्युदंड का निष्पादन नहीं किया जा सकता है। अन्यथा, यह विएना कन्वेंशन का उल्लंघन होगा।
- जाधव का ईरान से अपहरण कर लिया गया था जहां वह भारतीय नौसेना से सेवानिवृत्त होने के बाद व्यापारिक गतिविधियों में शामिल था।

ICJ में पाकिस्तान के तर्क

ICJ द्वारा आहूत 15 मई की सुनवाई में, पाकिस्तान ने भारत के अनुरोध के साथ निम्नांकित तीन समस्याओं को रेखांकित करते हुए इस अपील को ख़ारिज करने की मांग की।

VISION IAS

- इस मामले में कोई "तात्कालिकता" (urgency) नहीं है, क्योंकि जाधव की फांसी की तिथि अभी तक तय नहीं की गयी है;
- भारत द्वारा मांगी जाने वाली अंतिम राहत, अर्थात जाधव की दोषसिद्धि का "व्युत्क्रमण (**reversal)**" अनुपलब्ध है; तथा
- यह मामला न्यायालय (ICJ) के क्षेत्राधिकार से परे है।
- इसके अतिरिक्त, पाकिस्तान ने तर्क दिया कि विएना कन्वेंशन के प्रावधान आतंकवादी गतिविधियों में शामिल किसी 'जासूस' पर लागू नहीं होते।

विश्लेषण

भारत द्वारा ICJ में अपील का तात्कालिक उद्देश्य प्राप्त कर लिया गया है। इसके तहत पाकिस्तान को वे सभी कदम उठाने के लिए निर्देशित किया गया है जिससे इस मामले की सुनवाई पूरी होने तक कुलभूषण जाधव की सजा स्थगित रहे।

- यह क्षेत्राधिकार, तात्कालिकता और पाकिस्तान द्वारा विएना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के मुख्य आरोपों के मुद्दों पर भारत के लिए एक पूर्ण जीत है। हालांकि, यह एक प्रारंभिक निर्णय है और सभी मुद्दे अंतिम चरण के निर्णय तक खुले हैं।
- एक तात्कालिक परिणाम के रूप में, पाकिस्तान अब जाधव को राजनयिक पहुंच देने के दायित्व के अधीन है।
- भारत को इस फैसले से नैतिक और कूटनीतिक लाभ उठाते हुए सिविलियन कोर्ट के समक्ष जाधव की बेगुनाही साबित करने और स्वतंत्र होने में जाधव की मदद करनी होगी।

द विएना कन्वेंशन ऑन कांसुलर रिलेशन 1963

यह एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जो स्वतंत्र देशों के मध्य कॉन्सुलर (दूतावास) संबंधों के लिए फ्रेमवर्क को परिभाषित करती है।

- किसी देश का राजदूत आम तौर पर दूसरे देश में दूतावास के माध्यम से कार्य करता है। इसके आमतौर पर दो कार्य होते हैं:
    1. मेजबान देश में अपने देशवासियों के हितों की रक्षा करना, और
    2. दोनों देशों के मध्य वाणिज्यिक और आर्थिक संबंधों को आगे बढ़ाना
- पाकिस्तान और भारत दोनों ने 1963 के विएना कन्वेंशन को स्वीकार किया है। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने भारतीय दूतावास को कुलभूषण जाधव से संपर्क करने से बार-बार रोका।

इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस

- यह संयुक्त राष्ट्र (UN) का प्रमुख न्यायिक अंग है। इसे संयुक्त राष्ट्र के चार्टर द्वारा जून 1945 में स्थापित किया गया।
- इसका प्रमुख कार्य अंतरराष्ट्रीय कानूनों के अनुसार, देशों द्वारा प्रस्तुत किये गये कानूनी विवादों और संयुक्त राष्ट्र के अधिकृत अंगों और विशेष एजेंसियों द्वारा निर्दिष्ट कानूनी सवालों पर सलाहकारी मत देना है।

1.3.2. भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह

(UN Military Observer Group in India and Pakistan)

संयुक्त राष्ट्र संघ के विशेष प्रतिनिधि जोस रामोस-होर्ता ने भारत से, भारत एवं पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र सैन्य पर्यवेक्षक समूह (UNMOGIP) को भारत और पाकिस्तान के मध्य कश्मीर विवाद को हल करने हेतु हस्तक्षेप करने की अनुमति देने का अनुरोध किया है।

पृष्ठभूमि:

- 1947 में भारत और पाकिस्तान के विभाजन के बाद जम्मू और कश्मीर स्वतंत्र हो गया। पाकिस्तान ने कश्मीर के महाराजा को सांप्रदायिक आधार पर पाकिस्तान में शामिल होने के लिए प्रेरित किया।
- बातचीत असफल होनेबातचीत के असफल होने के पश्चात पाकिस्तान ने 1948 में कश्मीर पर हमला कर दिया। पाकिस्तान से खतरे को देखते हुए कश्मीर के तत्कालीन महाराजा ने अपने क्षेत्र को भारत में शामिल करने का निर्णय लिया।
- पाकिस्तान द्वारा हमले के जवाब में भारत ने संयुक्त राष्ट्र की जनरल असेंबली को पाकिस्तान द्वारा अपनाये गये आक्रामक रुख के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए कहा था।
- उपरोक्त संबंध में UNGA ने भारत और पाकिस्तान (UNCIP) पर संयुक्त राष्ट्र आयोग को नियुक्त किया । कालान्तर में इसमें सैन्य सलाहकारों और सैन्य पर्यवेक्षकों के एक समूह को शामिल किया गया। आगे चलकर इसे भारत और पाकिस्तान में संयुक्त राष्ट्र के सैन्य पर्यवेक्षक समूह के रूप में जाना जाने लगा।

- UNCIP के सैन्य पर्यवेक्षक 1949 में एक अधिदेश (मैंडेट) के तहत यहाँ पहुंचे और
  - उन्होंने स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर अपनी जांच की।
  - उन्होंने जानकारी को इकट्ठा किया।
  - रिपोर्ट को स्पष्ट, निष्पक्ष और सही ढंग से तैयार किया।
- कराची समझौते के तहत, 1947 में भारत-पाक युद्ध के बाद दोनों पक्षों के स्थानीय कमांडरों की मदद से UNCIP को युद्ध विराम लाइन का पर्यवेक्षण करना था।
- UNMOGIP को केवल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के फैसले से समाप्त किया जा सकता है। उसका कार्य दिसंबर 1971 के संघर्ष विराम के सख्त पालन की निगरानी करना और संयुक्त राष्ट्र महासभा को रिपोर्ट करना है।
- भारत ने भारतीय भूभाग पर पर्यवेक्षकों की गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया है किन्तु UNMOGIP को आवास, परिवहन और अन्य सुविधाओं को देना जारी रखा है।
- भारत का मानना है कि कश्मीर का मुद्दा भारत का आंतरिक मामला है और यह बाहरी हस्तक्षेप नहीं चाहता है।
- भारत ने 2014 में UNMOGIP से कश्मीर में अपने कार्यों को समाप्त करने को कहा था तथा इस वर्ष की शुरुआत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने पुनः कहा कि UNMOGIP, कश्मीर की परिस्थितियों को सुलझाने की अधिकारिता नहीं रखता।
- भारत का पक्ष है कि, 1971 में सीज़फायर लाइन के लाइन ऑफ़ कण्ट्रोल में रूपांतरित होने तथा शिमला समझौते के परिणामस्वरूप, 1948 में स्थापित संयुक्त राष्ट्र के मिशन की अधिकारिता समाप्त हो चुकी है।
- हालाँकि पाकिस्तान अपने यहाँ स्थापित UNMOGIP का स्वागत करता रहा है और पाकिस्तान ने 2015 में आयोजित UNGA के 70 वें सत्र में घोषित किया था कि वह सौहार्दपूर्ण समाधान खोजने के लिए तैयार है।

आगे की राह

- कश्मीर पर भारत के दृढ़ रुख तथा भारत और पाकिस्तान के बीच मौजूदा तनाव को वार्ता के माध्यम से सुलझाया जा सकता है।
- संयुक्त राष्ट्र ने अपने बयान के माध्यम से स्पष्ट किया है कि कश्मीर मुद्दे पर उसकी कोई भूमिका नहीं है और इसका अधिदेश नियंत्रण रेखा तक ही सीमित है। इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र ने स्पष्ट किया है कि वह आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना नहीं चाहता है। इसलिए भारत को UNMOGIP के प्रति नरम रुख अपनाना चाहिए और बातचीत के माध्यम से समाधान खोजने का प्रयास करना चाहिए।
- विशेषज्ञों का मानना है कि एक निष्पक्ष अंतरराष्ट्रीय पर्यवेक्षक की उपस्थिति में दो सैन्य समूहों के बीच तनाव कम करने में मदद मिलेगी। ठीक उसी प्रकार जैसे संयुक्त राष्ट्र के पर्यवेक्षक समूह द्वारा तिमोर में समाधान खोजा गया था।
- UNMOGIP 1948 से दोनों देशों के बीच बदलते घटनाक्रमों पर नज़र रख रहा है अतः वह स्थिति के साथ भली भाँति परिचित है। इस प्रकार यह मुद्दों को हल करने में भी सक्षम है।
- कश्मीर में तनाव लोगों की अतृप्त आकांक्षाओं के कारण भी है, जो लोगों को विरोध के लिए हिंसक माध्यमों का सहारा लेने के लिए विवश करता है। सरकार लोगों को अपनी शिकायतों के लिए आवाज उठाने हेतु चैनल प्रदान करती है।
- भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का इच्छुक है। इस प्रकार UNMOGIP को सुविधाजनक बनाने से कश्मीर मुद्दे से निपटने और शांति स्थापित करने तथा सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य बनने की संभावना में वृद्धि होगी।

1.3.3. सिंधु जल संधि

(Indus Water Treaty (IWT)

भारत ने सिंधु जल संधि के तहत नदी जल के अपने हिस्से का पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु उपायों पर निर्णय करने के लिए, प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव के अधीन, एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स का गठन किया है।

स्थायी सिंधु जल आयोग

- यह सिंधु जल संधि के अनुच्छेद 8 के तहत स्थापित एक द्विपक्षीय आयोग है | यह संधि के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए द्विपक्षीय समीक्षा मंच पर प्रथम स्तर(टियर) के रूप में कार्य करने के लिए गठित किया गया है | जल के उपयोग पर डेटा के आदान-प्रदान तथा जल के प्रवाह, जल निकासी इत्यादि से संबंधित किसी प्रकार का कार्य इस आयोग का अधिकार क्षेत्र है|
- इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है |
- PWIC की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होती है |

सिंधु जल संधि के बारे में

19 सितंबर 1960 को भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर किए थे। यह संधि विश्व बैंक की मध्यस्थता में की गई थी।

- यह संधि इस बात की व्यवस्था करती है कि सिंधु नदी और इसकी सहायक नदियों का उपयोग किस प्रकार किया जाएगा।
- भारत ब्यास, रावी और सतलज को नियंत्रित करता है तथा सिंधु, चिनाब, और झेलम नदियाँ पाकिस्तान के नियंत्रणाधीन है।
- हालांकि, भारत को सिंचाई, विद्युत् उत्पादन और परिवहन के लिए सिन्धु नदी के 20% जल का उपयोग करने की अनुमति प्राप्त है।
- संधि के अंतर्गत स्थायी सिंधु आयोग द्वारा नदियों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र तैयार किया गया है।
- विवादों को सात सदस्यीय मध्यस्थ न्यायाधिकरण को भेजा जाता है जिसे "कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन" कहा जाता है।

पश्चिमी नदियों पर विवाद

- पाकिस्तान ने जम्मू-कश्मीर में किशनगंगा नदी पर बनने वाले रन ऑफ द रिवर परियोजना को लेकर विश्व बैंक के पास एक नई शिकायत दर्ज कराई है। इसके द्वारा चिनाब नदी पर बनने वाले रतले (Ratle) बांध के निर्माण पर भी विवाद उठाया गया है।पाकिस्तान ने अग्रलिखित पांच भारतीय जलविद्युत परियोजनाओं की डिजाइनों को लेकर चिंता व्यक्त की है: 1000 मेगावाट पाकल दुल, 850 मेगावाट रतले, 330 मेगावाट किशनगंगा, 120 मेगावाट मियार और 48 मेगावाट लोअर कालनई।
- भारत ने जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रतले जल विद्युत् परियोजनाओं के खिलाफ पाकिस्तान की शिकायत पर गौर करने के लिए मध्यस्थता न्यायालय स्थापित करने के विश्व बैंक के फैसले पर कड़ी आपत्ति दर्ज की है।
- इस बीच, विश्व बैंक ने सिंधु जल समझौते के तहत भारत और पाकिस्तान द्वारा अपनाए गए अलग अलग प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए दोनों देशों को अपने असहमति के मुद्दे को हल करने हेतु वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने का सुझाव दिया है।

सिंधु जल संधि की कमियां

- UNDP की रिपोर्ट 'डेवलपमेंट ऐडवोकेट पाकिस्तान' के अनुसार संधि निम्न समस्याओं को संबोधित करने में विफल रही है-
  - नदी जल प्रवाह की कमी के दौरान जल का विभाजन |
  - पाकिस्तान में चिनाब नदी पर जल के भंडारण का असर |
- अत्यधिक तकनीकी होने के कारण संधि की आलोचना की जाती है। यह अनेक व्याख्याओं और मतभेदों को बढ़ावा देती है |
- भारत और पाकिस्तान के बीच की राजनीतिक स्थिति संधि के कार्यान्वयन को प्रभावित करती है। जैसे भारत जल के भंडारण के लिए हर संभव अवसर का उपयोग करने का प्रयास करता है जबकि भारत के प्रति अपने संदेह के कारण पाकिस्तान सदैव ऐसे प्रयास को अवरुद्ध कर देता है|

आगे की राह

- वह राजनीतिक स्थितियां जो संधि को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रही हैं उन्हें **अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता** या **द्विपक्षीय संवाद** के माध्यम से हल किया जाना चाहिए |
- दोनों देशों की **राजनीतिक इच्छा** जल विवाद को हल करने के लिए महत्वपूर्ण है |
- संधि के तकनीकी पहलुओं को दोनों देशों के विशेषज्ञों को शामिल करते हुए **द्विपक्षीय बैठकों और वार्ताओ** द्वारा हल किया जाना चाहिए | इस प्रकार जटिल स्थितियों पर **सर्वसम्मत समाधान** तक पहुंचा जा सकता है।
- जल दोनों देशों के लिए महत्वपूर्ण है | वैश्विक तापन और **जलवायु परिवर्तन के कारण** तिब्बती पठार के ग्लेशियर पिघल रहे हैं। जो भविष्य में सिंधु नदी जल प्रणाली को प्रभावित करेगा | इसलिए दोनों देशों को **जल के अपव्यय को कम करने और सतत नदी विकास योजनाओं के विकास पर ध्यान देना चाहिए।**

VISION IAS

1.4. बांग्लादेश

(Bangladesh)

1.4.1. भारत-बांग्लादेश

(India-Bangladesh)

भारत के बांग्लादेश के साथ सभ्यता के स्तर पर तथा सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक संबंध हैं। एक साझा इतिहास व साझा विरासत, भाषाई एवं सांस्कृतिक संबंध, संगीत, साहित्य और कला दोनों देशों को एकजुट करते है ।

भारत के लिए बांग्लादेश का महत्व

बांग्लादेश का भू-राजनीतिक महत्व

- बांग्लादेश भारत की मुख्य भूमि और भारतीय संघ के पूर्वोत्तर राज्यों के बीच रणनीतिक रूप से एक महत्वपूर्ण देश है।
- ये सारे राज्य स्थलबद्ध हैं और बांग्लादेश के माध्यम से इन राज्यों की समुद्र से दूरी कम हो जाती है।

एक्ट-ईस्ट पॉलिसी की सफलता

- बांग्लादेश इस नीति का एक प्राकृतिक आधार है। यह दक्षिण-पूर्व एशिया और उसके आगे के देशों के साथ आर्थिक और राजनीतिक संबंधों के लिए एक 'सेतु' के रूप में कार्य कर सकता है।

पूर्वोत्तर का सामाजिक-आर्थिक विकास

- बांग्लादेश के साथ पारगमन समझौता उत्तर-पूर्व भारत के सामाजिक-आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा।

उत्तर-पूर्व में उग्रवाद के सम्बन्ध में

- एक मित्रवत बांग्लादेश यह सुनिश्चित कर सकता है कि उसकी भूमि से भारत में आतंकवादी या अलगाववादी गतिविधियाँ नहीं की जाएँगी।

चीन के प्रभाव को कम करने के लिए

- एक 'तटस्थ' बांग्लादेश इस क्षेत्र में आक्रामक चीन को प्रतिसंतुलित करने में भी महत्पूर्ण सिद्ध हो सकता है। इस क्षेत्र में बंगाल की खाड़ी के रणनीतिक *सी-लेन* भी शामिल हैं। यह चीन के वन बेल्ट वन रोड (OBOR) की रणनीति का सामना करने में भी मदद करेगा।

बांग्लादेश के साथ तनाव के मुख्य कारण

अवैध प्रवास: 1971 में बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम के बाद बांग्लादेश की स्थापना हुई । इसके फलस्वरूप, लाखों बांग्लादेशी आप्रवासियों (जिनमें से अधिकांश अवैध थे) ने भारत में प्रवेश किया है।

सीमा प्रबंधन: भारत-बांग्लादेश सीमा हथियारों, ड्रग्स और लोगों के अवैध व्यापार और तस्करी के लिए कुख्यात है।

चीन के साथ संबंध: बांग्लादेश चीन का उपयोग भारत के खिलाफ अपनी सौदेबाजी क्षमता बढ़ाने हेतु करता है।

जल-साझाकरण: भारत तथा बांग्लादेश सीमा के आर-पार बहने वाली 54 छोटी-बड़ी नदियों के जल को साझा करते हैं।

भारत-विरोधी समूह की उपस्थिति: हाल ही में,शेख हसीना सरकार द्वारा कड़ी कार्यवाही करने के बावजूद भी हरकत-अल-जिहाद-अल-इस्लामी (HUJI), प्रतिबंधित राजनीतिक संगठन जमात-ए- इस्लामी और HUJI-B जैसी भारत विरोधी शक्तियों की सीमा पर लगातार उपस्थिति रही हैं। इन संगठनों के संबंध अल कायदा से भी हैं।

1.4.2. जल बटवारे से संबंधी मुद्दें

(Water Sharing Disputes)

गंगा नदी विवाद

- 1996 में गंगा नदी जल बटवारे के विषय पर दोनों देशों के मध्य सहमति बनी। हालांकि विवाद का प्रमुख विषय हुगली नदी की जलापूर्ति बढ़ाने के लिए भारत द्वारा फरक्का बैराज का निर्माण और संचालन है।
- बांग्लादेश द्वारा आपत्ति व्यक्त की गयी है कि शुष्क मौसम में उसे उचित जलापूर्ति नहीं की जाती और मानसून के दौरान भारत द्वारा अधिक मात्रा में पानी छोड़ दिया जाता है जिससे इसके कुछ क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है।

तिपाईमुख जल विद्युत् परियोजना

VISION IAS

- बांग्लादेश द्वारा इसकी पूर्वी सीमा के पास, बराक नदी पर बनाये जा रहे तिपाईमुख जल विद्युत् परियोजना को रोकने की मांग की जा रही है।
- बांग्लादेश का कहना है कि बड़े बांध के निर्माण से नदी का मौसमी प्रवाह बाधित होने के साथ-साथ इस क्षेत्र की कृषि, मत्स्य पालन और पारिस्थितिकी पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
- भारत सरकार ने बांग्लादेश को आश्वासन दिया है कि तिपाईमुख जल विद्युत् परियोजना के सम्बन्ध में बांग्लादेश के हितों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करने वाला कोई एकपक्षीय निर्णय नहीं लिया जायेगा।

तीस्ता नदी जल साझाकरण मुद्दा

तीस्ता के बारे में

तीस्ता नदी सिक्किम में **पहुनरी (या तीस्ता कांगसे) ग्लेशियर** से निकलती है। पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्सों के मध्य से बहती हुई यह बांग्लादेश में प्रवेश करती है। आगे जाकर यह ब्रह्मपुत्र नदी (या बांग्लादेश में जमुना) में विलीन हो जाती है। तीस्ता नदी बांग्लादेश के धान उत्पादक ग्रेटर रंगपुर क्षेत्र में सिंचाई का प्रमुख स्रोत है।

- 1983 में, तीस्ता नदी के जल के बंटवारे पर एक तदर्थ व्यवस्था की गई, जिसके अनुसार बांग्लादेश को 36% और भारत को 39% जल मिलना था। शेष 25% जल के लिए कोई आवंटन तय नहीं हुआ था। लेकिन, यह अस्थायी समझौता कार्यान्वित नहीं किया जा सका।
- बांग्लादेश की मांग है कि 1996 की गंगा जल संधि की भांति ही तीस्ता के जल का भी न्यायसंगत वितरण हो।
- 2011 में भारत और बांग्लादेश ने एक व्यवस्था को अंतिम रूप दिया, जिसके अंतर्गत भारत के लिए 42.5% और बांग्लादेश के लिए 37.5% जल आवंटित किया गया था। नदी में न्यूनतम जल प्रवाह बनाए रखने के लिए शेष 20% जल का आवंटन नहीं किया गया था। लेकिन, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के विरोध के कारण इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं किया जा सका था।

तीस्ता समझौते का महत्व

तीस्ता पर समझौते की सफलता दोनों सरकारों के लिए एक राजनीतिक आवश्यकता माना जाता है।

- यह समझौता बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में, एक अतिरिक्त क्षेत्रीय शक्ति, चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए भारत (नई दिल्ली) को अधिक राजनीतिक लाभ उठाने में मदद करेगा। भारत इसे अत्यन्त आवश्यक मानता है।
- बांग्लादेश में ऐसी आम धारणा बन गई है कि भारत, बांग्लादेश को उसके हिस्से का जल नहीं देना चाहता और उनके देश के अधिकारों का हनन कर रहा है। इस कारण ने वहां भारत-विरोधी भावनाओं को हवा दी है। भारत पर क्षेत्रीय दादागीरी का आरोप लगाया जा रहा है।
- यह समझौता शेख हसीना की छवि एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत करेगा जो अपने देश के हितों की सुरक्षा करने में सक्षम हैं और जो भारत के हाथों का मोहरा नहीं हैं। इसलिए, यह समझौता बांग्लादेश के 2018 के आम चुनावों में सत्ता में उनके बने रहने के अवसरों को मजबूती देगा।
- भारत के विरुद्ध बांग्लादेश में बढ़ते रोष के कारण देश के कई प्रभावशाली वर्ग, जैसे बांग्लादेश नैशनलिस्ट पार्टी (BNP), नौकरशाही, सेना और सिविल सोसाइटी का एक बड़ा हिस्सा चीन के साथ मजबूत सम्बन्ध बनाने की मांग कर रहे हैं।
- BNP भारत के हितों के प्रतिकूल रहा है और उसका सहयोगी, जमात-ए-इस्लामी, भारत-विरोधी और मुखर आलोचक रहा है।

भारतीय पक्ष

भारतीय प्रधानमंत्री ने तीस्ता नदी जल बंटवारे पर समझौता संपन्न करने के सरकार के संकल्प को दोहराया है। हालांकि, केंद्र सरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री से विचार विमर्श के बिना किसी समझौते के लिए तैयार नहीं है।

1.4.3. बांग्लादेश की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

(Bangladesh's PM Visit to India)

बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने पिछले दिनों भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस यात्रा के दौरान भारत और बांग्लादेश ने विभिन्न क्षेत्रों में 22 समझौतों पर हस्ताक्षर किए जैसे- रक्षा, परमाणु ऊर्जा, साइबर सुरक्षा आदि।

समझौतों की सूची निम्नलिखित हैः

रक्षा संबंधी समझौते

भारत और बांग्लादेश द्वारा रक्षा सहयोग के क्षेत्र में एक *अम्ब्रेला अग्रीमेंट* पर हस्ताक्षर किये गये।

- यह बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ाएगा, जहां पर चीन व्यापक प्रभाव स्थापित कर चुका है।
- भारत और बांग्लादेश ने रक्षा सहयोग से जुड़े एक अम्ब्रेला एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए। यह बांग्लादेश के साथ सैन्य सहयोग को बढ़ावा देगा जहां पर चीन का पर्याप्त रूप से प्रभावशाली बन रहा है। बांग्लादेश के लगभग 80 प्रतिशत सैन्य उपकरण चीन से मंगाए जाते हैं, जिनमें पनडुब्बियों जैसे सामरिक खरीद भी शामिल हैं।
    - रक्षा सहयोग संरचना पर समझौता ज्ञापन।
    - 500 मिलियन डालर के रक्षा ऋण विस्तार के लिए समझौता ज्ञापन। इस समझौते के अंतर्गत बांग्लादेश को 500 मिलियन अमेरिकी डालर के मूल्य के भारतीय रक्षा उपकरण खरीदने की अनुमति मिल जाएगी। यह बांग्लादेश की चीन पर निर्भरता कम करने की योजना है।

अन्य समझौता ज्ञापन (Other MoUs)

- बाहरी क्षेत्र के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग।
- थर्ड लाइन ऑफ़ क्रेडिट (Third Line of Credit-LoC) का विस्तार।
    - भारत ने बांग्लादेश में विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 4.5 बिलियन डालर की रियायती ऋण की एक नई श्रृंखला की घोषणा की।
- साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग
- सीमा के पार सीमा हाट की स्थापना।
- द्विपक्षीय न्यायिक क्षेत्र सहयोग।
- खुलना-कोलकता मार्ग पर मोटर वाहन यात्री यातायात के नियमन के लिए समझौत

सिविल न्यूक्लियर एनर्जी पर समझौता

सिविल न्यूक्लियर एनर्जी समझौते की संरचना के अंतर्गत भारत द्वारा बांग्लादेश में परमाणु रिएक्टर स्थापित करना संभव होगा।

- **न्यूक्लियर एनर्जी** के शांतिपूर्ण उपयोग पर समझौता।
- परमाणु सुरक्षा और विकिरण संरक्षण के विनियमन में तकनीकी जानकारी और सहयोग के आदान-प्रदान के लिए समझौता।
- बांग्लादेश में परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजनाओं के संबंध में सहयोग पर अंतर-अभिकरण (अंतर-एजेंसी) समझौता।

सिलहट शहर के सतत विकास के लिए भारत कि वित्तीय सहायता

भारत और बांग्लादेश ने सिलहट शहर के सतत विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए। भारत इसके लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगा ।

- इस परियोजना के अंतर्गत, भारत एक पांच मंजिला स्कूल बिल्डिंग, एक छह मंजिला क्लीनर कॉलोनी इमारत के निर्माण; और कुछ विकास कार्यों के लिए 240 मिलियन टका की सहायता उपलब्ध करवाएगा।
- यह हस्ताक्षर बांग्लादेश के सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों में सतत विकास परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 2013 के एक MoU के बाद की कार्रवाई है।

1.5. अफगानिस्तान

(Afghanistan)

1.5.1. भारत-अफगानिस्तान

(India-Afghanistan)

ऐतिहासिक और सांस्कृतिक आधारों पर भारत और अफगानिस्तान के संबंध अत्यधिक मजबूत रहे हैं। प्राचीन काल से ही अफगानिस्तान और भारत के लोगों ने सांस्कृतिक मूल्यों और समानता पर आधारित शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति और व्यापार एवं वाणिज्य के माध्यम से एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किया है।

- सोवियत-अफगान युद्ध (1979-98) के दौरान, सोवियत समर्थित लोकतांत्रिक गणराज्य अफगानिस्तान को मान्यता देने वाला भारत एकमात्र दक्षिण एशियाई राष्ट्र था। भारत ने अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति नजीबुल्ला की सरकार को मानवीय

VISION IAS

सहायता भी प्रदान की। सोवियत सेना की वापसी के बाद, भारत ने नजीबुल्ला सरकार को मानवीय सहायता प्रदान करना जारी रखा।

- 1999 में, भारत तालिबान विरोधी गठबंधन के प्रमुख समर्थकों में से एक था।
- 2005 में, भारत द्वारा ही दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग (सार्क) संघ में अफगानिस्तान की सदस्यता को प्रस्तावित किया गया था।
- प्रधानमंत्री को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान आमिर अमानुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया गया।

संस्थागत और बुनियादी ढांचे के निर्माण में भारत का योगदान:

अफगानिस्तान में अवसंरचना, शिक्षा एवं कृषि से सम्बद्ध विविध विकास परियोजनाओं हेतु ऋण प्रदान करने वाला भारत छठां देश है।

- भारत ने अफगानिस्तान के संस्थागत और बुनियादी ढांचे के विकास में करीब 2 अरब डॉलर का योगदान दिया है।

अफगानिस्तान में भारत की अधिकांश विकास परियोजनाओं को सामान्यतः चार श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है:

  - बड़ी अवसंरचनात्मक परियोजनाएं;
  - मानवीय सहायता;
  - क्षमता निर्माण पहल; और
  - लघु विकास परियोजनाएं।
- कुछ प्रमुख परियोजनाएं निम्नलिखित हैं:
  - ईरान से माल और सेवाओं की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए ज़ारांज से डेलाराम तक 218 किलोमीटर लम्बी सड़क का निर्माण,
  - पुल-ए-खुमरी से काबुल तक 220 KVC DC ट्रांसमिशन लाइन का निर्माण और चिमताल में 220/110/20 केवी उप-स्टेशन,
  - हेरात प्रांत में अफगान-भारत मैत्री बांध (सलमा बांध) का निर्माण,
  - अफगान संसद का निर्माण।

रणनीतिक महत्व

- अफगानिस्तान,ऊर्जा समृद्ध मध्य एशिया के लिए एक प्रवेश द्वार है। अफगानिस्तान, दक्षिण एशिया एवं मध्य एशिया और दक्षिण एशिया एवं मध्य पूर्व के मध्य चौराहे पर स्थित है।
- अफगानिस्तान में विशाल पुनर्निर्माण परियोजनाएं, भारतीय कंपनियों के लिए अनेक अवसर प्रदान करती हैं।
- अफगानिस्तान में भी महत्वपूर्ण तेल एवं गैस भंडार और रेयर अर्थ मैटेरियल्स के समृद्ध स्रोत विद्यमान है।
- काबुल में एक स्थिर सरकार की स्थापना, दक्षिण एशिया के साथ-साथ जम्मू और कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों को कम करने के लिए आवश्यक है।फिर भी, नई दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य अफगान मामलों में केंद्रीय भूमिका प्राप्त करने से पाकिस्तान को रोकना है।
- अफगानिस्तान द्वारा रणनीतिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए सवर्प्रथम भारत को चुना गया, हालांकि अमेरिका और पाकिस्तान भी इस प्रकार का समझौते करने के लिए उत्सुक थे।
- भारत द्वारा 2011 में हस्ताक्षरित एक रणनीतिक साझेदारी समझौते के तहत "अफगान सुरक्षा बलों को प्रशिक्षण,हथियारबंद करने एवं क्षमता निर्माण" में सहायता करने का वचन दिया गया था।
- भारत द्वारा तीन Mi-25 लड़ाकू हेलिकॉप्टर अफगान वायु सेना (AAF) को हस्तांतरित किया जाना, भारत की ओर से नए सिरे से विचार की ओर संकेत करता है।
- इसने तापी पाइपलाइन परियोजना पर भी हस्ताक्षर किए हैं जो भारत को तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान और पाकिस्तान के माध्यम से प्राकृतिक गैस प्रदान करेगी।

भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार संबंधी आंकड़े

VISION IAS

- अप्रैल-दिसंबर 2016-17 के दौरान द्विपक्षीय व्यापार 590.1 मिलियन डॉलर था। इसमें अफगानिस्तान में भारत का निर्यात 377.2 मिलियन अमेरिकी डॉलर था। जबकि अफगानिस्तान से भारत को 212.9 मिलियन अमरीकी डॉलर का आयात किया गया। हालांकि, यह अभी भी संभावित क्षमता से बहुत कम है।
- भारत द्वारा अफगानिस्तान में निर्यात की जाने वाली प्रमुख वस्तुओं में वस्त्र, फार्मास्यूटिकल्स, तंबाकू, लोहा एवं इस्पात तथा विद्युत मशीनरी शामिल हैं, जबकि अफगानिस्तान से आयात की जाने वाली वस्तुओं में फल और नट्स, गम्स और रेजिन, कॉफी, चाय और मसाले शामिल हैं।
- प्रत्यक्ष भूमि पहुंच न होने के बावजूद, भारत अफगानिस्तान के निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है।

पाकिस्तान के माध्यम से पारगमन मार्ग का न होना

पाकिस्तान द्वारा पारगमन मार्ग की सुविधा प्रदान नहीं करने के कारण भारत को अफगानिस्तान में वस्तुओं के निर्यात हेतु ईरान सहित अन्य देशों पर निर्भर होना पड़ता है हालांकि इससे भारतीय निर्यातको को लगने वाले समय और लागत मे वृद्धि होती है।

- पाकिस्तान द्वारा अपनी सीमा से भू-मार्ग प्रदान करने से मना करना, व्यापार के समक्ष एक प्रमुख बाधा हैं।
- अफगानिस्तान और पाकिस्तान ने 2011 में अफ़ग़ानिस्तान-पाकिस्तान ट्रांजिट एंड ट्रेड एग्रीमेंट (APTTA) पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता दोनों देशों को एक-दूसरे की राष्ट्रीय सीमाओं तक समान पहुंच प्रदान करता है।
- वर्तमान में, पाकिस्तान द्वारा भारत के लिए सामान ले जाने वाले अफगान ट्रको को केवल वाघा चौकी तक जाने की अनुमति प्रदान की गई है। जबकि, इससे केवल एक किलोमीटर से भी कम की दूरी पर स्थित अटारी में भारतीय चौकियों तक इनको जाने की अनुमति नहीं है।
- भारत APTTA में शामिल होने का इच्छुक है। अफगानिस्तान ने भारत की सदस्यता का समर्थन भी किया है लेकिन पाकिस्तान ने अब तक इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया है।

हार्ट ऑफ़ एशिया के बारे में

- द हार्ट ऑफ़ एशिया-इस्तांबुल प्रक्रिया 2011 में शुरू की गयी थी। इसमें भाग लेने वाले देशों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अजरबैजान, चीन, भारत, ईरान, कजाखस्तान, किर्गिस्तान, रूस, सऊदी अरब, तजाकिस्तान, तुर्की, तुर्कमेनिस्तान और संयुक्त अरब अमीरात शामिल हैं।
- इसके 14 सदस्य देशों को, 16 अन्य देशों और 12 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से समर्थन प्राप्त है।
- यह मंच अफगानिस्तान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सुरक्षा, राजनीतिक और आर्थिक सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया था।

अन्य पहलें

भारत और अफगानिस्तान ने एक डेडिकेटेड एयर फ्रेट कॉरिडोर सर्विस का उद्घाटन किया।

- एयर फ्रेट कॉरिडोर के माध्यम से स्थापित कनेक्टिविटी, अफगानिस्तान (एक स्थलअवरुद्ध देश) को भारत के बाजारों तक बेहतर पहुंच सुनिश्चित कराने में सहायक होगी। इसके अतिरिक्त, इससे अफगान व्यापारियों को भारत के आर्थिक विकास और व्यापार नेटवर्क का लाभ उठाने में मदद मिलेगी।
- यह अफगानिस्तान के किसानों को, अपने शीघ्र नष्ट होने वाले उत्पादों के लिए भारतीय बाजारों तक त्वरित और प्रत्यक्ष पहुंच प्रदान करने में सहायक होगा।

चाबहार बंदरगाह

- भारत को अफगानिस्तान, ईरान और मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार संबंधों को बढ़ाने के लिए पाकिस्तान मार्ग को बाईपास करने हेतु ईरान में चाबहार बंदरगाह के विकास में तेज़ी लानी चाहिए
- इस संदर्भ में, मई 2016 में तेहरान में तीन देशों के नेताओं की उपस्थिति में एक त्रिपक्षीय परिवहन और पारगमन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। यह समझौता चाबहार के माध्यम से समुद्र तक पहुंच सुनिश्चित करेगा।
- **'व्यापार, वाणिज्य और निवेश पर भारत-अफगानिस्तान संयुक्त कार्य समूह'** की बैठक में पाकिस्तान के रास्ते भारत और अफगानिस्तान के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के लिए *यूनाइटेड नेशन्स TIR (International Road Transport) कन्वेंशन* का प्रयोग करने के तरीकों पर चर्चा की जाएगी।

VISION IAS

- भारत ने अमृतसर में **हार्ट ऑफ़ एशिया** के 6ठें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी की।
- इस घोषणा में युद्ध से तबाह देश को उसके राजनीतिक एवं आर्थिक परिवर्तन में मदद करने हेतु आतंकवाद की तत्काल समाप्ति का आह्वान किया।
- राज्य प्रायोजित आतंकवाद की पहचान एक प्रमुख चुनौती के रूप में की गयी और सदस्य देश आतंकवाद के सभी रूपों को समाप्त करने के लिए ठोस प्रयास करने पर सहमत हुए।

1.5.2. अफगानिस्तान पर वैश्विक सम्मेलन

(Global Conference on Afghanistan)

अफगानिस्तान में संघर्ष समाप्त करने और स्थायी शांति स्थापित करने के तरीके पर चर्चा करने के लिए रूस ने अफगानिस्तान पर शांति सम्मेलन की मेजबानी की।

- मास्को ने ईरान, पाकिस्तान, भारत, चीन और पांच मध्य एशियाई राज्यों को आमंत्रित किया। अमेरिका इस सम्मेलन का हिस्सा नहीं है।
- यह बीते पांच महीनों में अफगानिस्तान पर मास्को में आयोजित तीसरा सम्मेलन है।

अफगानिस्तान में रूस की भूमिका

- रूस की "बड़ी शक्ति" के दर्जे की अभिलाषा और आतंकवाद और मादक द्रव्यों पर उसकी बढ़ती चिंता ने उसे अफगान संघर्ष में पुनः शामिल होने के लिए विवश किया है।
- अब रूस का मानना है कि इस संघर्ष में तालिबान एक "वैध हितधारक" है, जिसे सम्मिलित किया जाना चाहिए और यह अफगानिस्तान में **इस्लामिक स्टेट / दाएश बलों** की तुलना में "छोटी बुराई"(lesser evil) है।
- मास्को ने अफगानिस्तान में दाएश के विरूद्ध प्रयासों का समन्वय करने के लिए तालिबान के साथ संबंध स्थापित किया है।
- भारत और अफगानिस्तान जो कि यह मानते हैं कि पाकिस्तान समस्या का हिस्सा है, और जिन्होंने मास्को सम्मेलन में अपनी चिंताएं भी प्रकट की, वहीं इसके विपरीत रूस और चीन का मानना है कि वह समाधान का हिस्सा है।
- रूसी नीति निर्माताओं ने निम्नलिखित चार सामरिक कारणों से तालिबान की ओर अपना हाथ बढ़ाया है।
    - पहला, तालिबान के साथ संबंध बनाए रखकर, रूस ने पश्चिम को याद दिलाया है कि वह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अफगानिस्तान एजेंडे के विचार-विमर्श में मास्को के हितों की उपेक्षा न करें।
    - दूसरे, तालिबान का समर्थन करके,रूस इस क्षेत्र में अमेरिकी हितों के लिए बाधाएं खड़ी करना चाहता है।
    - तीसरे, रूस अफगानिस्तान और मध्य पूर्व में इस्लामिक स्टेट (ISIS) से, विशेषकर अफगानिस्तान के उत्तर में मध्य एशिया और रूस में इसके विस्तार से खतरा महसूस करता है।
    - चौथे, अफगानिस्ताएन की अफ़ीम मास्को के लिए एक और बड़ी समस्या है। अफगानिस्तान विश्व के 90% अवैध अफीम की आपूर्ति करता है। अधिकांशत: इसका उत्पादन तालिबान द्वारा नियंत्रित क्षेत्र में होता है।

चीन की भूमिका

चीन पारंपरिक रूप से समझौतों के प्रति अनिच्छुक रहता है । यह समझौतों के स्थान पर व्यापार को प्राथमिकता देता है | पहले अफगान शांति प्रक्रिया में शामिल होकर तथा अब तेजी से पश्चिम एशिया पर ध्यान केंद्रित कर चीन ने देर से ही सही, किन्तु इस पारंपरिक व्यवहार से दूरी बना ली है|

- सीरिया के खिलाफ अमेरिका द्वारा प्रायोजित प्रतिबंधों पर वीटो करने के बाद पश्चिम एशिया में चीन और रूस दोनों सक्रिय हैं |
- चीन इस क्षेत्र में इजराइल, सऊदी अरब, ईरान जैसे विभिन्न प्रतिद्वंद्वियो तक पहुंचने और संबंधो को संतुलित करने का अत्यधिक प्रयास कर रहा है ।
- अफगान समाधान में चीन का हित न केवल सुरक्षा/आतंकवाद के दृष्टिकोण से है| बल्कि, OBOR की स्थिरता सुनिश्चित करके मध्य एशिया तक पहुंचने के लिए भी यह महत्वपूर्ण है |
- रूस, चीन का एक नया सहयोगी बनकर उभरा है । वह एक जूनियर पार्टनर बन कर भी पश्चिमी हितों को विफल करने के लिए चीन के साथ काम करने के लिए तैयार है |

अफगान शांति प्रक्रिया में भारत का रुख

भारत अफगानिस्तान का प्रमुख विकास साझेदार रहा है और युद्धग्रस्त देश के लिए अफगानिस्तान की अगुवाई वाली और अफगान स्वामित्व वाली शांति प्रक्रिया का समर्थन करता रहा है।

VISION IAS

- अफगानिस्तान में शांति, स्थिरता और विकास के लिए भारत इस क्षेत्र के देशों के बीच सहयोग का समर्थन करता है।
- भारत, अफगानिस्तान के संविधान के ढांचे के अंतर्गत उसके नेतृत्व और स्वामित्व में होने वाली राष्ट्रीय सुलह प्रक्रिया का समर्थन करता है।
- भारत ने सुलह-समझौते के प्रयासों में तालिबान को सम्मिलित करने के रूस, चीन और पाकिस्तान के प्रभुत्वपूर्ण दृष्टिकोण का विरोध करते हुए कड़ा रूख अख्तियार किया।
- रूस द्वारा तालिबान के समर्थन से अफगानिस्तान के भविष्य पर असंख्य प्रभाव होंगे। इससे काबुल में केंद्र सरकार कमजोर हो जाएगी, जिससे सीरिया जैसी स्थिति पैदा हो सकती है।

1.6. श्रीलंका

(Sri Lanka)

1.6.1. भारत-श्रीलंका

(India-Sri Lanka)

भारत श्रीलंका का निकटतम पड़ोसी है। श्रीलंका की सबसे महत्वपूर्ण अल्पसंख्यक आबादी के साथ भारत के नृजातीय संबंध भी हैं। इस द्वीपीय राष्ट्र की राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक चेतना एवं इसके वैश्विक दृष्टिकोण पर भारत का अत्यधिक प्रभाव है।

भारत-श्रीलंका के बीच विवादास्पद मुद्दे

- **मछुआरों का मुद्दा**: मछुआरों से संबंधित मुद्दे भारत-श्रीलंका संबंधों में हमेशा से **तनाव का एक प्रमुख कारण** रहे हैं।
- **सत्ता का हस्तांतरण:** भारत **"**संयुक्त श्रीलंका**"** का समर्थक रहा है किन्तु वह '13वें संशोधन का शीघ्र एवं पूर्ण कार्यान्वयन' चाहता है। इसमें तमिल बाहुल्य वाले उत्तरी एवं पूर्वी प्रांतों में सत्ता के हस्तांतरण का प्रावधान किया गया है।

सुलह प्रक्रिया एवं युद्ध अपराध

- युद्ध अपराधों पर संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग का संकल्प एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा है जिस पर दोनों देशों को आपसी समझ-बूझ विकसित करनी है।
- भारत ने आंतरिक रूप से विस्थापित व्यक्तियों (Internally Displaced Persons-IDP) के त्वरित पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन का समर्थन किया है।

चीन की ओर झुकाव

- श्रीलंका चीन की ***मैरीटाइम सिल्क रोड*** का भाग है। चीन **श्रीलंका में हंबनटोटा बंदरगाह** का आधुनिकीकरण भी कर रहा है।
- चीन अपनी ***मैरीटाइम सिल्क रोड*** **का संवर्धन करने के लिए भी अपना फोकस श्रीलंका पर केन्द्रित कर रहा** है।
- श्रीलंका ने **1.4 बिलियन डॉलर** की रुकी हुई ***कोलंबो पोर्ट सिटी*** परियोजना को भी अनुमति प्रदान करने का निर्णय किया है जिसमें चीन भी भागीदार है। चीन और श्रीलंका दोनों ने कोलंबो पोर्ट सिटी परियोजना को हिंद महासागर में ***इंटरनेशनल फाइनेंसियल आउटपोस्ट*** का रूप प्रदान करते हुए इसे पुनः परिभाषित करने का निर्णय लिया है।

1.6.2. मछुआरों का मुद्दा

(Fishermen Issue)

- भारत और श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक सागरीय क्षेत्र दोनों तरफ के तमिल मछुआरों के बीच एक विवाद का क्षेत्र बन गया है।
- श्रीलंका, भारतीय मछुआरों पर उसके समुद्री सीमा (territorial waters) में प्रवेश करने का आरोप लगाता रहता है। जबकि, वास्तविकता यह है कि वे अपने परंपरागत क्षेत्रों में केवल मछली पकड़ने का प्रयास कर रहे होते हैं। ऐसा विशेषकर **कच्चातीवू (Katchatheevu) नामक एक छोटे से द्वीप** (islet) के आस-पास होता है। इस द्वीप को 1974 में श्रीलंका को सौंप दिया गया था।
- तमिलनाडु के मछुआरों द्वारा कथित तौर पर श्रीलंका की समुद्री सीमा में मछली पकड़ने का मुद्दा निरंतर विवाद का कारण बना हुआ है। श्रीलंका के उत्तरी भाग के मछुआरों ने बार-बार यह आपत्ति उठायी है कि इससे उनके **शिकार में कमी** आ रही है। वो भारत से आने वाले ट्रॉलरों द्वारा **गंभीर पर्यावरणीय क्षति** को लेकर भी चिंता जताते रहते हैं।
- दोनों देश ***इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री लाइन*** **(IMBL)** द्वारा अलग किये गये हैं। प्रायः दोनों पक्षों के मछुआरे *बॉटम ट्रॉलिंग फिशिंग* के लिए एक-दूसरे की सीमा में प्रवेश कर जाते हैं। परिणामस्वरूप, अनेक गिरफ्तारियाँ होती हैं तथा कई मौकों पर फायरिंग भी होती है।

कच्चातिवु द्वीप

- इस मुद्दे को उलझाने वाले प्रमुख कारणों में से एक कच्चातिवु द्वीप है। भारत ने एक सशर्त समझौते के तहत 1974 में इस निर्जन द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था।
- 2009 में, श्रीलंका सरकार ने इस द्वीप पर एक कैथोलिक पूजास्थल की मौजूदगी के कारण इसे पवित्र भूमि के रूप में घोषित किया।

संघर्ष समाप्त करने हेतु आगे की राह

संधारणीय मत्स्यन और वैकल्पिक आजीविका

नौसेना और तटरक्षक बल की अतिरिक्त तैनाती इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। इसलिए इसमें अंतर्निहित कारणों को समझने की आवश्यकता है।

- भारत सरकार द्वारा भारतीय जल में मत्स्यन को संस्थागत करने की आवश्यकता है, ताकि आजीविका के वैकल्पिक साधन प्रदान किए जा सकें।
- भारतीय मछुआरों की मछली पकड़ने हेतु पाक की खाड़ी (Palk Bay) पर निर्भरता को कम करने के लिए सरकार को एक व्यापक योजना तैयार करनी चाहिए।
- समुद्री संसाधनों के संधारणीय दोहन के लिए समझौते की आवश्यकता है, जो तमिलनाडु से बॉटम ट्रालर्स (bottom trawlers) के उपयोग पर रोक लगाता हो। यह समझौता भारत और श्रीलंका को पाक की खाड़ी में किसी भी प्रकार की दुर्घटना से मुक्त मत्स्यन सुनिश्चित करने में सक्षम होगा।
- भारतीय मछुआरे पारंपरिक अधिकारों के आधार पर सीमा पार मत्स्यन को उचित बताते हैं। वे ट्रालिंग (trawling) बंद करने से पहले तीन वर्ष की फेज-आउट अवधि चाहते हैं।
- लेकिन जब तक वे गहरे समुद्र में मछली पकड़ने और अंतर्देशीय मत्स्यन विकल्प की खोज नहीं करते, भारतीय मछुआरों का अपने श्रीलंकाई समकक्षों के साथ-साथ श्रीलंकाई नौसेना के साथ संघर्ष जारी रहेगा।

संस्थागत तंत्र

- पिछले वर्ष, विवाद का समाधान करने में सहयोग हेतु दोनों देश मत्स्यन पर एक संयुक्त कार्य समूह (JWG) की स्थापना पर सहमत हुए।
- भारतीय तटरक्षक बल और श्रीलंका के बीच एक हॉटलाइन सर्विस, तीन महीने में एक बार JWG का आयोजन और मत्स्यन मंत्रियों की प्रत्येक 6 महीने में बैठक की व्यवस्था इस तंत्र के घटक हैं।
- अंतरराष्ट्रीय सीमा पर अतिक्रमण को रोकने के लिए भारतीय नौसेना या तटरक्षक बल को श्रीलंकाई नौसेना के साथ संयुक्त रूप से गश्ती और निगरानी गतिविधियों में शामिल होना चाहिए।

1.6.3 व्यापार और निवेश संबंध

(Trade and Investment Relation)

भारत, विश्व में श्रीलंका का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है जबकि SAARC में श्रीलंका, भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है | वर्ष 2015 में भारत से श्रीलंका को निर्यात 4268 मिलियन अमेरिकी डॉलर रहा जबकि श्रीलंका से भारत में 643 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया गया।

- **1998 के भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते** के बाद 2000 के दशक के मध्य से सेवाओं और निवेश में व्यापार को उदार बनाने के लिए व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) के लिए प्रयास किये गए।
- हालांकि श्रीलंका में विशेष रूप से, व्यापार समुदाय और चिकित्सा लॉबी जैसे हित समूहों के बढ़ते विरोध के कारण CEPA वार्ताएं लगभग एक दशक लम्बी चली ।
- घनिष्ठ द्विपक्षीय संबंधों को नयी गति प्रदान करने के लिए भारत **आर्थिक और तकनीकी सहयोग समझौते** (ETCA) नामक नये व्यापार समझौते पर जोर दे रहा है ।
- नई दिल्ली, श्रीलंका में सेवा क्षेत्र में प्रवेश करने के लिए इच्छुक है| किन्तु, वहां यह आशंका व्याप्त है कि मजबूत भारतीय कंपनियां स्थानीय व्यवसायों को समाप्त कर देंगी ।

VISION IAS

- श्रीलंका के विपक्ष ने भारत के साथ प्रस्तावित व्यापार समझौते की आलोचना की है क्योंकि उनके अनुसार यह **देश की अर्थव्यवस्था को "विदेशी बनाने"** का प्रयास है | श्रीलंका का विपक्ष मौजूदा FTA में कमियों को ETCA लागू करने से पहले हल किये जाने की मांग कर रहा है।

हाल के घटनाक्रम

भारत और श्रीलंका ने '**आर्थिक परियोजनाओं में सहयोग के लिए**' एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं जो निकट भविष्य में द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग के एजेंडे की रूपरेखा तैयार करेगा।

श्रीलंका और भारत दोनों ने "कार्य तथा सहयोग के क्षेत्र" में विभिन्न परियोजनाओं पर पारस्परिक समझौते किये हैं।

- भारत द्वारा प्राकृतिक गैस के उन्नत उपयोग में श्रीलंका की सहायता की जा रही है: तरलीकृत प्राकृतिक गैस (LNG) से संचालित 500 मेगावाट क्षमता वाले एक LNG पावर संयंत्र के साथ ही केरावलपितिया में LNG टर्मिनल / फ़्लोटिंग स्टोरेज रिगैसीफिकेशन यूनिट (FSRU) की भारत द्वारा स्थापना की गई है।
- सीलोन पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन और इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन द्वारा प्रस्तावित पेट्रोलियम रिफाइनरी में संयुक्त उद्यम हेतु व्यवर्यता अध्ययन किया जा रहा है।

अवसंरचनात्मक विकास

- त्रिंकोमाली में बंदरगाह,पेट्रोलियम रिफाइनरी और अन्य उद्योगों के विकास के लिए संयुक्त निवेश किया जा रहा है।
- श्रीलंका में विशेष स्थानों पर औद्योगिक क्षेत्र / विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भारत द्वारा सहयोग किया जा रहा है|
- भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त निवेश के माध्यम से डंबुला-त्रिंकोमाली सड़क को एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जा रहा है।
- श्रीलंका में रेलवे क्षेत्र को विकसित करने के लिए ट्रैक उन्नयन(Upgradation)और रोलिंग स्टॉक की नई परियोजनाओ में भारत शामिल है।
- कोलंबो बंदरगाह पर अधिकतर ट्रांसशिपमेंट भारत से संबंधित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कोलम्बो बंदरगाह पर कंटेनर टर्मिनल में निवेश करने के लिए भारतीय कंपनियों को प्रोत्साहित किया जा रहा है।

1.6.4. भारत-श्रीलंका: विश्लेषण

(India-Sri Lanka: Analysis)

भारत की श्रीलंका नीति **आर्थिक सहयोग और सुरक्षा संबंधी चिंताओं** पर केंद्रित है, और राजनीतिक विषयों पर बहुत कम केंद्रित है। संवर्धित आर्थिक और विकास संबंध पड़ोसी देशों के लिए स्वागत योग्य और महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उन्हें इस द्वीपीय राष्ट्र में पारंपरिक राजनीतिक चिंताओं पर मजबूत संलग्नता को नहीं छोड़ना चाहिए, जहां गृह युद्ध समाप्त होने के आठ वर्ष बाद भी उत्तर और पूर्व में बहुत सारे तमिल और मुस्लिम सामान्य जीवन की ओर वापसी नहीं कर पाए हैं।

संलग्नता बढ़ाने के लिए आगे की राह

- भारत को **युद्ध-जर्जर उत्तरी अर्थव्यवस्था में आजीविका के अवसर पैदा करने** की संभावना का पता लगाना चाहिए जहां इसके मुख्य चालक कृषि और मत्स्य पालन को संकट का सामना करना पड़ रहा है। **दोनों देशों के मछुआरों के बीच लंबे समय से चल रहा पाक जलडमरूमध्य पर संघर्ष** का समाधान इसके के केंद्र में है।

जहां चीनी उपस्थिति पर नई दिल्ली की चिंता सही हो सकती है, वहीं उसे **किसी भी इच्छुक साझीदार के साथ संलग्न होने के लिए देश की स्वायत्तता** का सम्मान करते हुए श्रीलंका को देखने के लिए चीनी चश्में का उपयोग करने से बचना चाहिए। जितना ही अधिक भारत श्रीलंका के साथ समान साझीदार के रूप में व्यवहार करेगा, उतना ही अधिक मजबूत संबंध बढ़ने की संभावना होगी।

1.7. नेपाल

(Nepal)

1.7.1. भारत-नेपाल

[India-Nepal]

दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक एवं भौगोलिक परिस्थितियों, आर्थिक सहयोग, सामाजिक-सांस्कृतिक सहयोग और लोगों के परस्पर संबंधों द्वारा निर्धारित होते हैं। निकटतम पड़ोसी देशों के रूप में भारत और नेपाल के मध्य घनिष्ठ मैत्रीपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध

VISION IAS

कायम हैं। इस सहयोग का चित्रण **छिद्रिल सीमाओं और लोगों की परस्पर रिश्तेदारी एवं संस्कृति के आधार पर सहयोगात्मक जुड़ाव** के रूप में किया जा सकता है।

भारत के लिए नेपाल का महत्व

- **रणनीतिक महत्व:** नेपाल, भारत और चीन के मध्य एक बफर राज्य है।
- **आंतरिक सुरक्षा:** भारत के साथ नेपाल एक लंबी खुली सीमा साझा करता है तथा नक्सलियों और नेपाल के माओवादियों के बीच कथित संबंध भी विद्यमान है।
- सीमावर्ती राज्यों, विशेषकर बिहार और उत्तर प्रदेश का **सामाजिक-आर्थिक विकास**।
- सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट **आतंकवादी गतिविधियों का सामना करने के लिए**: भारतीय सीमा के निकट नेपाल में अभी तक अनेक कट्टर आतंकवादियों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
- लगभग 30 लाख नेपाली (नेपाल की जनसंख्या का लगभग 10 प्रतिशत) भारत में कार्यरत हैं; इसमें लगभग 50,000-60,000 सैनिक भी शामिल हैं।

द्विपक्षीय संबंधों के समक्ष प्रमुख अवरोधक

- नेपाल द्वारा आरोप लगाया गया है कि भारत उसके आंतरिक राजनीतिक विषयों में हस्तक्षेप कर रहा है।

नेपाल-चीन संबंध:

- भारत, चीन के साथ नेपाल के बढ़ते निकट संबंधों को लेकर चिंतित है। चीन, नेपाल को यूरेशियाई परिवहन गलियारे के साथ जोड़ने की रूपरेखा तैयार कर रहा है। इस दिशा में चीन दक्षिण एशिया तक *सिल्क रोड इकोनोमिक बेल्ट* का विस्तार करने के लिए ठोस कदम उठा रहा है।
- चीन-नेपाल संबंधों का भारत के लिए राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ है।
- नेपाल ने चीन के साथ **पारगमन समझौते** पर हस्ताक्षर किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत पर नेपाल की अत्यधिक आर्थिक निर्भरता को कम करना है।
- वर्तमान में, नेपाल का तृतीय विश्व के देशों के साथ होने वाले व्यापार का 98 प्रतिशत भारत के साथ होता है । यह व्यापार कोलकाता बंदरगाह के ज़रिये किया जाता है।
- हाल ही में नेपाल और चीन द्वारा 10-दिवसीय संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया, जो भारत के अपने हिमालयी पड़ोसी देश पर प्रभाव में लगातार होने वाली कमी को प्रदर्शित करता है ।
- जब भी नेपाल के लोगों द्वारा कोई विवाद उत्पन्न किया जाता है और भारत उसका समर्थन करता है तब नेपाल 'चाइना कार्ड' का प्रयोग करता है और वह चीन के साथ अपनी निकटता बढ़ाने लगता है।

विश्लेषण

न केवल चीन संबंधी कारक बल्कि उसकी नृजातीय समस्याओं जैसे नेपालीयों और मधेशियों (तराई क्षेत्र के भारतीय मूल के नेपाली) की आपसी पहचान से संबंधित विवाद को लेकर नेपाल, भारत सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है।

- नेपाल द्वारा संविधान की घोषणा के बाद से ही भारत-नेपाल संबंधों में तनाव बढ़ गया है। भारत-नेपाल सीमा लगातार लगभग छह महीनों तक बंद रही जिसके कारण **नेपाल में भारत विरोधी भावना** उत्पन्न हो गई।
- नेपाल सरकार ने इसे भारत द्वारा अघोषित नाकेबंदी के रूप में प्रस्तुत किया । इसने व्यवस्थित रूप से **भारत विरोधी राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ाया** और साथ ही नेपाल ने चीन के साथ अपने संबंधों को प्रगाढ़ बनाने का भी प्रयास किया। ऐसी स्थिति में चीन का उपयोग एक वैकल्पिक आपूर्तिकर्ता के रूप में किया गया।
- पिछले दशक में, चीन ने मुख्य रूप से ऋण और अवसंरचना निर्माण संबंधी परियोजनाओं के माध्यम से दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप में अपना प्रभाव स्थापित किया है।
- दक्षिण एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव के प्रति, भारत अभी तक प्रभावी प्रतिक्रिया विकसित नहीं कर पाया है। भारत की अपने पड़ौसी देशों के साथ बढ़ती दूरी का चीन तत्परता और चतुराई के साथ लाभ उठा सकता है। अतः, भारत को अपने निकटतम पड़ौसी देशों के साथ संबंधों को समझदारी और संवेदनशीलता के साथ संचालित करना चाहिए और उन्हें विश्वास दिलाना चाहिए कि दोनों के हित परस्पर सम्बंधित हैं।

VISION IAS

"You are as strong as your foundation"

FOUNDATION COURSE
PRELIMS GS PAPER - 1

FOUNDATION COURSE
GS MAINS

Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination

Duration: **90 classes** *(approximately)*

- Includes comprehensive coverage of all the major topics for GS Prelims
- Includes All India Prelims (CSAT I and II Paper) Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material for prelims examination

Duration: **110 classes** *(approximately)*

- Includes comprehensive coverage of all the four papers for GS MAINS
- Includes All India GS Mains and Essay Test Series
- Our Comprehensive Current Affairs classes of MAINS 365 (Online Classes only)
- Access to LIVE as well as Recorded Classes on your personal online student platform
- Includes comprehensive, relevant & updated study material

NOTE - Students can watch LIVE video classes of our COURSE on their ONLINE PLATFORM at their homes. The students can ask their doubts & subject queries during the class through LIVE Chat Option. They can also note down their doubts & questions & convey to our classroom mentor at Delhi center and we will respond to the queries through phone/mail. Post processed videos are uploaded on student's online platform within 24-48 hours of the live class.

PHILOSOPHY/ दर्शनशास्त्र

by

ANOOP KUMAR SINGH

Classroom Features:

- ☑ Comprehensive, Intensive & Interactive Classroom Program
- ☑ Step by Step guidance to aspirants for understanding the concepts
- ☑ Develop Analytical, Logical & Rational Approach
- ☑ Effective Answer Writing
- ☑ Printed Notes
- ☑ Revision Classes
- ☑ All India Test Series Included

हिन्दी माध्यम में भी उपलब्ध

Answer Writing Program for Philosophy (QIP)

Overall Quality Improvement for Philosophy Optional

Daily Tests:

- ☑ Having Simple Questions (Easier than UPSC standard)
- ☑ Focus on Concept Building & Language
- ☑ Introduction-Conclusion and overall answer format
- ☑ Doubt clearing session after every class

Mini Test:

- ☑ After certain topics, mini tests based completely on UPSC pattern
- ☑ Copies will be evaluated within one week

Classes at Jaipur & Pune

GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

2. आसियान

(ASEAN)

2.1. भारत-आसियान

(India-Asean)

भारत-आसियान संबंधों का इतिहास एवं क्रमिक विकास

भारत ने वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन (NAM) की नीति का पालन किया एवं वह दक्षिण-पूर्व एशिया सहित अपने क्षेत्र में उपनिवेशवाद की समाप्ति का चैंपियन बन गया। लेकिन 1970 के दशक के दौरान सोवियत संघ के प्रति भारत का झुकाव अनुभव किया गया जिसके कारण दक्षिण-पूर्व एशिया भारत से दूर होता गया क्योंकि सोवियत संघ एवं दक्षिण-पूर्व एशिया दोनों भिन्न –भिन्न प्रकार की आर्थिक एवं राजनीतिक विचारधाराओं का पालन कर रहे थे।

- भारत ने अपनी नीतियों में शीत युद्ध युग से बड़ा परिवर्तन करते हुए, 1991 में आर्थिक उदारीकरण के शीघ्र बाद ही, चीन जैसे पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों के साथ आर्थिक और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ाने के लिए **"लुक ईस्ट नीति" (LEP)** को अपनाया। पिछले वर्षों में इस नीति द्वारा इस क्षेत्र में रणनीतिक और सुरक्षा पहलुओं पर घनिष्ठ संबंधों के निर्माण पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है।
- **आसियान-भारत मुक्त व्यापार समझौता (AIFTA),** आसियान के साथ भारत की संलग्नता के प्रमुख परिणामों में से एक रहा है। इसे गहन आर्थिक एकीकरण की ओर आवश्यक चरण के रूप में देखा गया था।
  - इसके प्रारंभिक ढांचे पर बाली, इंडोनेशिया में 8 अक्टूबर 2003 को हस्ताक्षर किए गए थे एवं 1 जनवरी 2010 से प्रवर्तित होने वाले अंतिम समझौते पर 13 अगस्त 2009 को हस्ताक्षर किए गए थे।
  - मुक्त व्यापार समझौते (FTA) ने भारत और आसियान देशों के बीच व्यापार शुल्क बाधाओं को कम कर दिया एवं सेवाओं के व्यापार एवं निवेश को सुगम बनाने के लिए विशेष प्रावधानों को सम्मिलित किया।
- भारत को आसियान क्षेत्रीय मंच में अपनी सदस्यता के बाद **1995 में पूर्ण आसियान वार्ता साझेदार की प्रस्थिति** प्रदान की गयी थी।। भारत-आसियान संबंधों ने शीघ्र ही राजनीतिक और साथ ही सुरक्षा क्षेत्रों में अपना सहयोग विस्तारित किया। भारत 2005 में पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (ईस्ट एशिया समिट: EAS) में भी सम्मिलित हो गया।
- आसियान 2012 से भारत का **रणनीतिक साझेदार** रहा है। भारत और आसियान के बीच 30 वार्ता तंत्र हैं जो नियमित रूप से बैठक करते हैं।
- नवम्बर 2014 में म्यांमार में आयोजित **12वें** आसियान-भारत शिखर सम्मेलन एवं 9वें पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में **'एक्ट ईस्ट नीति' (AEP)** की स्थापना के बाद आसियान एवं वृहत्तर एशिया-प्रशांत क्षेत्र के साथ भारत की संलग्नता ने और अधिक गति प्राप्त कर ली है।
- **AEP** के अंतर्गत भारत से न केवल क्षेत्र के साथ अपनी आर्थिक संलग्नता को सुदृढ़ करने की अपेक्षा है बल्कि यह **संभावित सुरक्षा सन्तुलनकर्ता के रूप में** उभरने के लिए भी उत्सुक है।
- **वाणिज्य, संस्कृति और कनेक्टिविटी** आसियान के साथ भारत की मजबूत संलग्नता के तीन स्तम्भ हैं।
- भौतिक, डिजिटल, अर्थव्यवस्था, संस्थागत और सांस्कृतिक इत्यादि सभी आयामों में **कनेक्टिविटी** को बढ़ाना देना आसियान के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी के मूल में रहा है।

भारत के लिए आसियान का महत्व:

- **आर्थिक रूप से**: भारत, आसियान का एक रणनीतिक साझेदार है। 1.8 बिलियन की कुल जनसंख्या एवं 3.8 ट्रिलियन डॉलर के संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के साथ आसियान और भारत दोनों मिलकर **विश्व का एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्षेत्र** निर्मित करते हैं।

भूराजनैतिक रूप से

- भारत, भूराजनैतिक रूप से एवं साथ ही साथ आसियान एवं अन्य क्षेत्रीय देशों के साथ अपनी नवीन मित्रता से लाभान्वित होने की अपेक्षा करता है।

VISION IAS

- भारत ने क्षेत्र में सक्रिय भूमिका निभाने की अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। **दक्षिण चीन सागर** में नौसंचालन की स्वतंत्रता बनाए रखने के महत्व का उल्लेख कर भारत ने चीन को एक दृढ़ संकेत दिया है।

समुद्री (maritime) महत्व: समुद्र के माध्यम से होने वाले अपने व्यापार को निर्बाध जारी रखने के लिए **दक्षिण चीन सागर में नौसंचालन की स्वतंत्रता** भारत के लिए आवश्यक है।

- समुद्री मार्ग "विश्व व्यापार की जीवन रेखायें" हैं। भारत नौसंचालन की स्वतंत्रता का समर्थन करता है, जो समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन (UNCLOS) पर आधारित हो।
- नौसंचालन की स्वतंत्रता, नशीले पदार्थों की तस्करी एवं साइबर अपराध इत्यादि के क्षेत्र में सहयोग को विस्तार देने के लिए आसियान महत्वपूर्ण है।
- **सुरक्षा से जुड़े पहलू:** भारत और आसियान विविध क्षेत्रों जैसे आतंकवाद, मानव और नशीले पदार्थों की तस्करी, साइबर अपराध एवं मलक्का जलडमरूमध्य में समुद्री डकैती इत्यादि जैसे गैर-पारंपरिक सुरक्षा खतरे पर संयुक्त रूप से काम कर रहे हैं।

कनेक्टिविटी से जुड़े पहलू:

- ASEAN-भारत कनेक्टिविटी, भारत के लिए रणनीतिक प्राथमिकता का विषय है। यही स्थिति आसियान देशों के लिए भी है।
- भारत ने भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और कालादान मल्टी मोडल परियोजना को लागू करने में काफी प्रगति की है। दूसरी तरफ, भारत और ASEAN के बीच समुद्री व हवाई संपर्क बढ़ाने तथा संपर्क गलियारों को आर्थिक गलियारों में बदलने से संबंधित मुद्दों पर बातचीत चल रही है।
- असीमित आर्थिक अवसर प्रदान करने वाले क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर स्थित भारत के अत्यधिक अविकसित पूर्वोत्तर राज्य, आर्थिक बदलाव के साक्षी बनेंगे।

ऊर्जा सुरक्षा

- विशेष रूप से म्यांमार, वियतनाम और मलेशिया जैसे आसियान देश भारत की ऊर्जा सुरक्षा में संभावित रूप से योगदान कर सकते हैं।
- दक्षिण चीन सागर क्षेत्र में तेल और प्राकृतिक गैस के भण्डार विद्यमान हैं।

आसियान के साथ व्यापारिक संबंध

- वर्ष 2015-16 में भारत और आसियान के बीच 65.04 अरब अमेरिकी डॉलर का व्यापार हुआ एवं यह विश्व के साथ भारत के व्यापार के 10.12% भाग का निर्माण करता है।
- जुलाई 2015 में आसियान-भारत निवेश एवं सेवा समझौता लागू होने के बाद, आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र का निर्माण होने से आसियान-भारत आर्थिक एकीकरण प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है।
- निवेश का प्रवाह दोनों ही दिशाओं में पर्याप्त स्तर पर है। वर्ष 2000 से भारत में निवेश के प्रवाह में आसियान का योगदान लगभग 12.5% है।
- 1 जुलाई 2015 को ASEAN-*इंडिया एग्रीमेंट्स ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट* के प्रभाव में आने के साथ ही आसियान-भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र भी पूर्ण हो गया।
- संतुलित क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) समझौते का संपन्न होना, इस क्षेत्र के साथ हमारे व्यापार और निवेश संबंधों को और भी आगे बढ़ाएगा।

पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन (EAS)

- पूर्व एशियाई शिखर सम्मेलन एशिया-प्रशांत क्षेत्र में प्रमुख नेताओं के नेतृत्व वाला अंतर्राष्ट्रीय मंच है। 2005 में अपनी स्थापना के बाद पूर्वी एशिया के रणनीतिक, भू-राजनीतिक और आर्थिक विकास में इसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- 10 आसियान सदस्य राष्ट्रों के अतिरिक्त पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन में भारत, चीन, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस सम्मिलित हैं।
- भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन का एक संस्थापक सदस्य होने के नाते पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन को सुदृढ़ करने एवं समकालीन चुनौतियों से निपटने हेतु इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है।

VISION IAS

पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित महत्वपूर्ण मुद्दे

पूर्व एशिया शिखर समलन (EAS) में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी द्वारा संबोधित दो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे थे: आतंकवाद का राज्य-नीति के उपकरण के रूप में प्रयोग करने वाले राष्ट्रों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा एवं दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख की रूपरेखा प्रस्तुत करना।

- प्रधानमंत्री मोदी ने टिप्पणी की कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में अधिकतर देश आर्थिक समृद्धि के लिए शांतिपूर्ण मार्ग का पालन कर रहे थे "किन्तु **भारत के पड़ोस में स्थित एक देश का प्रतिस्पर्धात्मक लाभ केवल आतंकवाद के उत्पादन और निर्यात में निहित है।**"
- दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत के सैद्धांतिक रुख के लिए उन्होंने कहा कि इस समुद्र से गुजरने वाले संचार पथ **"वैश्विक पण्य व्यापार की मुख्य धमनियों"** के समान रहे हैं।
- भारत विशेष रूप से UNCLOS में परिलक्षित कानून के सिद्धांतों पर आधारित नौसंचालन एवं क्षेत्र के ऊपर से वायुयान संचालन एवं अबाधित वाणिज्य की स्वतंत्रता का समर्थन करता है।

2.2. एक्ट ईस्ट पालिसी

(Act East Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

2014 में भारत द्वारा अपनी 'लुक ईस्ट पालिसी' को अपग्रेड करते हुए 'एक्ट ईस्ट पालिसी' को प्रारंभ किया गया। यह ASEAN और अन्य पूर्वी एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के साथ भारत के संबंधों को गहरा और मजबूत बनाने के लिए एक मंच के रूप में कार्य करेगी ।

" एक्ट ईस्ट पॉलिसी" का उद्देश्य एशिया-प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और बहुपक्षीय स्तरों पर सतत संलग्नता के माध्यम से, रणनीतिक संबंध विकसित करना और आर्थिक सहयोग **एवं** सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना है। जिससे अरुणाचल प्रदेश सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्यों की भारत के पड़ोसी देशों के साथ बेहतर कनेक्टिविटी स्थापित की जा सके। **भारत का उत्तर-पूर्वी क्षेत्र हमारी एक्ट ईस्ट पॉलिसी (AEP) में प्राथमिकता में रहा है।**

'एक्ट ईस्ट' क्या है?

- भारत की *एक्ट ईस्ट पॉलिसी* एशिया-प्रशांत क्षेत्र के विस्तारित पड़ोस (एक्सटेंडेड नेबरहुड) पर केंद्रित है।
- मूल रूप से एक आर्थिक पहल के रूप में प्रारंभ इस नीति ने राजनीतिक, सामरिक और सांस्कृतिक आयामों को भी विकसित कर लिया हैं जिसमें संवाद और सहयोग के लिए संस्थागत तंत्र की स्थापना भी शामिल है।
- भारत ने इंडोनेशिया, वियतनाम, मलेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य (ROK), ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर और *एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस* (ASEAN) के साथ अपने संबंधों के स्तर में वृद्धि करते हुए इन्हें रणनीतिक साझेदार बना लिया है। इसके साथ ही भारत द्वारा एशिया-प्रशांत क्षेत्र के सभी देशों के साथ घनिष्ठ संबंध भी स्थापित किए गए हैं।
- भारत, *बे ऑफ बंगाल इनिशियेटिव फॉर मल्टी-सेक्टरल टेक्निकल एंड इकॉनॉमिक कोओपरेशन* (BIMSTEC), एशिया सहयोग वार्ता (ACD), मेकांग गंगा को-ऑपरेशन (MGC) और हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे क्षेत्रीय मंचों में भी सक्रिय रूप से भाग लेता रहा है।
- कनेक्टिविटी परियोजनाएं, अंतरिक्ष के क्षेत्र में सहयोग, S&T और *पीपल-टू-पीपल एक्सचेंज* आदि क्षेत्रीय एकीकरण और समृद्धि को बढ़ावा देने वाले प्रमुख माध्यम सिद्ध हो सकते हैं।

'लुक ईस्ट' से 'एक्ट ईस्ट' की ओर

'लुक ईस्ट पालिसी' (LEP) से 'एक्ट ईस्ट पालिसी' (AEP) में परिवर्तन मात्र शाब्दिक स्तर पर ही नहीं है। 'एक्ट ईस्ट पालिसी' (AEP) 'लुक ईस्ट पालिसी' (LEP) की तुलना में एक व्यापक कदम है। इस नीति की विभिन्न महत्वपूर्ण विशेषताएं निम्नलिखित हैं:

- चीन के हस्तक्षेप में वृद्धि के परिणामस्वरूप तेजी से परिवर्तित होती भू-राजनीतिक वास्तविकताओं के अंतर्गत, 'एक्ट ईस्ट पालिसी'(AEP) ने आसियान के साथ भारत द्वारा की गई संधियों को अधिक वैधता प्रदान की है। शिथिल हो चुके संबंधों को पुन: **नई ऊर्जा प्राप्त हुई हैं।**

- भारत के अनुसार'एक्ट ईस्ट पालिसी' (AEP) की सफलता, **पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा और आर्थिक विकास** हेतु इसके योगदान द्वारा निर्धारित होगी। इसलिए इस दिशा में कई प्रयास किए जाते रहे हैं।
- आसियान-भारत संबंध वर्तमान में आर्थिक आयाम के अतिरिक्त **सुरक्षा, सामरिक, राजनैतिक, आतंकवाद प्रतिरोध, और रक्षा संबंधी पहलुओं** तक भी विस्तारित हो गये है। विशेष रूप से इस्लामिक स्टेट के बढ़ते प्रभाव का सामना करने और आतंकवाद पर अंकुश लगाने हेतु किए जाने वाले सहयोग ने प्राथमिकता ग्रहण कर ली है।
- आर्थिक प्रगति के संदर्भ में, ट्रांस-पॅसिफिक पार्टनरशिप अग्रीमेंट पर वार्ता समाप्त होने के कारण, भारत **रीजनल कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप (RCEP) अग्रीमेंट** पर वार्ता को पूर्ण करने के लिए उत्सुक है। 2016 में आसियान और भारत के बीच निवेश और सेवाओं के लिए मुक्त व्यापार समझौते के कार्यान्वयन से सभी सदस्य देशों के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
- इस नीति के माध्यम से भारत द्वारा अपने भौगोलिक कवरेज का विस्तार आसियान से बाहर जापान, ऑस्ट्रेलिया, प्रशांत महासागर के द्वीपीय देशों, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया जैसे देशों तक करने का प्रयास किया गया है। यह विस्तार "लुक ईस्ट नीति" (LEP) की तुलना में अधिक व्यापक है।
- भारत ने जापान के साथ अनेक समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। दोनों देश मिलकर कई परियोजनाओं जैसे हाई स्पीड रेलवे का निर्माण, दिल्ली-मुंबई औद्योगिक गलियारे पर सहयोग, मालाबार अभ्यास और रक्षा सहयोग में संयुक्त भागीदारी आदि में सहयोग कर रहे हैं।
- सरकार द्वारा ऑस्ट्रेलिया जैसे उन देशों के साथ भी संबंधों को फिर से जीवंत करने का प्रयास किया है, जिनके साथ संबंधो में हाल के वर्षों में पर्याप्त प्रगति नहीं हुई थी। 2014 में किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा 28 वर्षों में पहली बार ऑस्ट्रेलिया की तथा 33 वर्षों में पहली बार फिजी की यात्रा की गयी । 2014 में अभी तक के इतिहास में पहली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा मंगोलिया की यात्रा की गयी।
- दक्षिण चीन सागर के मामले में, भारत ने नौवहन की स्वतंत्रता, समुद्री सुरक्षा, अंतरराष्ट्रीय कानून और समुद्र के कानून पर संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन के अनुसार शीघ्र समाधान, आचार संहिता के विकास, एवं बातचीत और शांतिपूर्ण साधनों के माध्यम से विवाद के निपटान के विषय में अपनी सैद्धांतिक स्थिति को दृढ़तापूर्वक व्यक्त किया है।
- आतंकवाद का सामना करने में सहयोग, क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता के लिए सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मानदंडों एवं कानून के अनुसार समुद्री सुरक्षा का संवर्धन किया जा रहा है।

उठाए गए कदम

भारत द्वारा, इस क्षेत्र को आपस में जोड़ने हेतु अनेक पार-राष्ट्रीय परियोजनाओं को शुरू किया गया है, जैसे:

- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के तामु-कलेवा-कालेम्यो क्षेत्र में निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसके माध्यम से, इस क्षेत्र के साथ भारत के बहुआयामी संबंधों में एक नई गतिशीलता उत्पन्न होने की उम्मीद है।
- भारत द्वारा जकार्ता में आसियान के लिए एक भारतीय मिशन और नई दिल्ली में एक आसियान-भारत केंद्र की स्थापना की गई है।
- भारत तीन फंडों - 50 मिलियन डॉलर के आसियान-भारत सहयोग फंड; 5 मिलियन डॉलर के आसियान-भारत ग्रीन फंड; तथा आसियान-भारत विज्ञान और प्रौद्योगिकी फंड के माध्यम से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की क्षमता निर्माण परियोजनाओं में अपनी विशेषज्ञता साझा कर रहा है।
- भारत द्वारा वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर में *ट्रैकिंग एंड डाटा रिसेप्शन सेंटर* की स्थापना की गई है, जो आसियान देशों के लिए आपदा प्रबंधन और खनिज अन्वेषण संबंधी कार्यों में RESOURCESAT और OCEANSAT के माध्यम से सुदूर संवेदन डेटा उपलब्ध कराएगा।
- अगस्त 2015 में, 2016-20 की अवधि के लिए *आसियान-इंडिया प्लान ऑफ़ एक्शन* को अपनाया गया। इसके द्वारा राजनीतिक-सुरक्षा, आर्थिक और सामाजिक-सांस्कृतिक तीन स्तंभों के साथ-साथ ठोस पहल और सहयोग के क्षेत्रों की पहचान की जाएगी।
- 1 जुलाई 2015 से, भारत और सात आसियान देशों पर '*आसियान-इंडिया अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विस एंड इन्वेस्टमेंट*' लागू किया गया है।

VISION IAS

आगे की राह

- विनिर्माण के क्षेत्र में 'मेक इन इंडिया' **एक** महत्वपूर्ण अभियान के रूप में उभर रहा है। ऐसे में आसियान की अर्थव्यवस्थाओं के साथ साझेदारी में नई वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं का विकास करना दोनों पक्षों के लिए लाभकारी होगा।
- इसके साथ ही, पूर्व एशियाई आपूर्ति श्रृंखलाओं से निकटता एवं अन्य निवेशकों से बढ़ते प्रत्यक्ष विदेशी निवेशको देखते हुए भारत को इस क्षेत्र में अपनी स्थिति सुदृढ़ करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- आगामी वर्षों में भारत द्वारा इंडो पैसिफिक एशिया क्षेत्र की सुरक्षा और स्थिरता को कायम रखने की दिशा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने की अपेक्षा की जा सकती है जिसके लिए भारत को तैयार रहने की आवश्यकता है।

2.3. म्यांमार

(Myanmar)

2.3.1. भारत-म्यांमार

(India-Myanmar)

भारत और म्यांमार केवल भौगोलिक रूप से लम्बी स्थल सीमा एवं बंगाल की खाड़ी में समुद्री सीमा ही साझा नहीं करते बल्कि इनके बीच परंपरागत रूप से सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, नृजातीय तथा धार्मिक संबंधों जैसी अनेक समानताएँ भी मौजूद हैं।

भारत के लिए म्यांमार का महत्व

पूर्वोत्तर में उग्रवाद से निपटने के लिए

- पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा के सन्दर्भ में म्यांमार का विशेष महत्व है। बड़ी संख्या में सीमा-पार के नृजातीय समूहों एवं पूर्वोत्तर भारत के विद्रोहियों के सैन्य ठिकाने म्यांमार में हैं।
- 2015 में *नेशनल सोशलिस्ट काउन्सिल ऑफ़ नागालिम* (खापलांग) के एक सैन्य शिविर को निशाना बनाने के लिए भारतीय सैनिक कथित तौर पर म्यांमार के राज्यक्षेत्र में प्रवेश कर गए थे।
- म्यांमार ने अपना यह संकल्प दोहराया है कि वह अपने राज्यक्षेत्र का प्रयोग भारत के विरुद्ध नहीं होने देगा।

एक्ट ईस्ट पॉलिसी

- म्यांमार का महत्व इसकी भू-सामरिक स्थिति में निहित है। यह पूर्व, दक्षिण-पूर्व और दक्षिण एशिया के *ट्राई-जंक्शन* पर स्थित है।
- म्यांमार भारत के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ सीमा साझा करता है।
- भू-राजनीतिक सन्दर्भों में भारत म्यांमार को चीन के परिप्रेक्ष्य में एक बफर राज्य के रूप में देखता है।
- बांग्लादेश-चीन-भारत-म्यांमार आर्थिक गलियारे के लिए म्यांमार एक महत्वपूर्ण कड़ी है।

ऊर्जा सुरक्षा

- प्रचुर 'तेल और प्राकृतिक गैस' के भंडार के कारण म्यांमार भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है।
- ONGC विदेश एवं *गैस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड* (GAIL) जैसी तेल और गैस कंपनियां म्यांमार में तेल व गैस की खोज के लिए अधिक से अधिक ब्लॉक प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं।

व्यापार और निवेश के अवसर

- म्यांमार की अर्थव्यवस्था केंद्रीय रूप से योजनाबद्ध अधिसंरचना से एक बाजार-आधारित तंत्र में परिवर्तित हो रही है।
- म्यांमार बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करता है। बढ़ता हुआ उपभोग स्तर, इसका रणनीतिक स्थान तथा पहुँच(एक्सेस), प्राकृतिक संसाधनों (तेल, गैस, सागौन, तांबा और रत्नों) में समृद्धता, जैव विविधता और कम पारिश्रमिक में काम करने वाला मेहनती कार्यबल इसके लिए उत्तरदायी हैं। यह स्थितियाँ वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार, निवेश तथा परियोजना निर्यात (project exports) के लिए महत्वपूर्ण अवसर प्रदान

VISION IAS

करती है। ऐसी ही स्थिति CLMV (कंबोडिया, लाओस, म्यांमार और वियतनाम) के अन्य देशों में भी है।

- 22 भारतीय कंपनियों द्वारा 730.649 मिलियन अमेरिकी डॉलर के अनुमोदित निवेश के साथ भारत वर्तमान में म्यांमार का नौवां सबसे बड़ा निवेशक है।
- इंजीनियरिंग निर्यात बढ़ाने के लिए भारत के इंजीनियरिंग क्षेत्र की म्यांमार के बाजार पर नजर है।

पूर्वोत्तर का आर्थिक विकास

भारत की सुरक्षा, विकास, समृद्धि और प्रगति पूर्वोत्तर में हमारे निकटतम पड़ोसी म्यांमार की आंतरिक गतिशीलता से गहन रूप से सम्बद्ध हैं। ऐसा विशेष रूप से भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के सन्दर्भ में है।

क्षेत्रीय सहयोग

- **आसियान (ASEAN)**: म्यांमार एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ स्थलीय-सीमा साझा करता है।
- **बिम्सटेक (BIMSTEC)**: म्यांमार दिसंबर 1997 में बिम्सटेक का सदस्य बना। म्यांमार 'बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते' का हस्ताक्षरकर्ता है।
- **मेकांग गंगा सहयोग:** म्यांमार नवंबर 2000 में मेकांग गंगा सहयोग (MGC) की स्थापना के समय से ही इसका सदस्य है।
- **सार्क (SAARC)**: म्यांमार को अगस्त 2008 में सार्क में पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया था।

प्रमुख परियोजनाएँ

कलादान मल्टी-मोडाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट: *कलादान मल्टी मोडाल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट* एक ऐसी परियोजना है जो कोलकाता बंदरगाह को समुद्र द्वारा म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह से संबद्ध करेगी। इसके बाद यह सितवे बंदरगाह को कलादान नदी के नौगम्य मार्ग के माध्यम से म्यांमार स्थित लाशिहो से जोड़ेगी। तत्पश्चात लाशिहो से भारत स्थित मिजोरम को सड़क मार्ग से संबद्ध किया जाएगा।

भारत के लिए लाभ

- पूर्वात्तर से कोलकाता पत्तन तक *चिकन नेक* से होकर आने वाले वर्तमान मार्ग को भारी यातायात का सामना करना पड़ता है। यह परियोजना **कोलकाता से मिजोरम की दूरी को लगभग 1000 कि. मी. कम कर देगी**। माल के परिवहन में लगने वाले समय में इससे 3-4 दिन की कमी आएगी।
- पूर्वात्तर क्षेत्र के विकास के अतिरिक्त चीन के साथ किसी भी संघर्ष की स्थिति में भी यह मार्ग आवश्यक है। क्योंकि वर्तमान मार्ग अर्थात *चिकन नेक* को चीन द्वारा संघर्ष की स्थिति में बाधित किया जा सकता है।
- इस परियोजना से पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र तक पहुँच मिलेगी जिससे उनकी अर्थव्यवस्थाओं को बढ़ावा मिल सकता है।
- यह दक्षिण पूर्व एशिया के साथ भारत के व्यापार और परिवहन सम्पर्कों को मजबूत बनाएगी।
- यह न केवल भारत के आर्थिक, वाणिज्यिक और सामरिक हितों की पूर्ति करती है अपितु म्यांमार के विकास एवं भारत के साथ उसके आर्थिक एकीकरण में भी योगदान करती है।
- यह "एक्ट ईस्ट नीति" में सहायक होगी।

भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग

- भारत ने भारत-आसियान त्रिपक्षीय राजमार्ग को पूरा करने हेतु अपनी प्रतिबद्धता पुनः व्यक्त की है। यह भारत के मोरेह से म्यांमार स्थित मांडले होते हुए थाईलैंड के माइ सोत तक जाने वाला 3200 कि.मी. लंबा राजमार्ग होगा।
- भारतीय नौसेना **मौसम विज्ञान संबंधी सुविधाएँ को स्थापित करेगी एवं म्यांमार नौसेना को प्रशिक्षण प्रदान करेगी।**
- यह **एक्ट ईस्ट नीति के अंतर्गत रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा देने के** भारत के समग्र प्रयास के अनुरूप है। इससे आस-पास के क्षेत्र में चीन की बढ़ती उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करने में सहायता मिलेगी।
- भारत और म्यांमार दोनों ही पिछले कुछ वर्षों से समुद्री क्षेत्र पर फोकस करते हुए रक्षा सहयोग को मजबूत बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
- स्थल-सीमा के अतिरिक्त दोनों देश रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण **अंडमान सागर तथा बंगाल की खाड़ी** में लंबी समुद्री सीमा भी साझा करते हैं। यहाँ उनके द्वारा एक जैसी चुनौतियों का सामना किया जाता है। इनमें न सिर्फ बढ़ता चीनी प्रभाव अपितु अवैध मत्स्यन एवं तस्करी भी सम्मिलित हैं।
- भारत म्यांमार की नौसेना के क्षमता-निर्माण में भी सहायता कर सकता है। म्यांमार की नौसेना फिलहाल अपेक्षाकृत कम विकसित है किन्तु यह निरंतर विकास कर रही है।

VISION IAS

म्यांमार के साथ अधिक संलग्नता में मौजूद बाधाएँ

- कलादान (जो कोलकाता को म्यांमार स्थित सितवे बंदरगाह से संबद्ध करेगी) एवं भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग जैसी ***फ्लैगशिप* परियोजनाओं के पूरा होने में निरंतर विलम्ब हो रहा है**। इससे उत्पन्न व्यापक असंतोष के कारण दोनों के संबंधों में खटास आ रही है । इन परियोजनाओं की परिकल्पना एक दशक से भी अधिक समय पूर्व की गयी थी तथा इन्हें 2019 तक पूरा किया जाना था।
- हमारी सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं कृषि के क्षेत्र में हाल ही में समय पर पूरी की गई की परियोजनाओं के विषय में **पर्याप्त सार्वजनिक जागरूकता का अभाव** है। फ्लैगशिप परियोजनाओं के पूरा होने में तीव्रता लाने के लिए अधिकारियों को एक प्रभावी संचार रणनीति तथा एक नवीन प्रबंधन तंत्र विकसित करने की आवश्यकता है।
- लोगों के बीच व्यक्तिगत स्तर पर आदान-प्रदान(people-to-people exchanges) के महत्व पर एक आपसी सहमति है। इसके बावजूद, इसे सशक्त बनाने वाले साधनों के अभाव में इस दिशा में वास्तविक प्रगति नगण्य है।

2.3.2. रोहिंग्या मुद्दा

(Rohingya Issue)

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय के अनुसार, म्यांमार के सुरक्षा बलों ने बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुस्लिमों की हत्याएं एवं बलात्कार किया और उनके गांवों को जला दिया।

वर्तमान संकट का कारण

अक्तूबर 2016 से, म्यांमार की सेना द्वारा पश्चिमी राज्य के उत्तर में "*क्लीयरेंस आपरेशन्स*" उन विद्रोहियो को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा जिन पर पुलिस बॉर्डर पोस्ट्स पर घातक हमलों करने का आरोप है।

संकट से उभरी चुनौतियाँ

- बांग्लादेश पहुँचने वाले लगभग 69,000 रोहिंग्या शरणार्थियों ने सुरक्षा बलों पर बलात्कार, हत्या और यातनाओं का आरोप लगाया हैं।
- अनेक लोग जो हिंसा से बचने का प्रयास कर रहे थे, वे तस्करी नेटवर्क में फँस गए ।
- यदि इस संकट को वर्तमान में अनिश्चित स्थिति में छोड़ दिया जाता है तो इसके नियंत्रण से बाहर होने का खतरा है । साथ ही, यह पड़ोसी देशों को सुरक्षा एवं आर्थिक दृष्टिकोण से प्रभावित करेगा।
- पीड़ित रोहिंग्या मुसलमान आतंकवादियों द्वारा गुमराह किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स यह भी संकेत कर रही हैं कि इस समुदाय में कट्टरता बढ़ रही है।
- बांग्लादेश को डर है कि इस्लामी कट्टरपंथी, जो कट्टर रूप से रोहिंग्या मुसलमानों के समर्थक हैं, वे अपने राजनीतिक लाभों के लिए इस स्थिति का लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं।
- रोहिंग्या के कुछ वर्गों ने म्यांमार की सेना से युद्ध के लिए रखाईन क्षेत्र में सशस्त्र गुरिल्ला समूह बनाए हैं और वे सीमावर्ती पहाड़ी लोगो के साथ लामबंद हो रहे है।
- म्यांमार के लोकतंत्र की दिशा में बढ़ने के बावजूद, देश की सरकार द्वारा इस मुद्दे को हल करने से मना कर दिया गया है। आंग सान सू की ने भी बौद्ध बहुसंख्यक देश में मजबूत मुस्लिम विरोधी भावना को देखते हुए केवल राजनीतिक लाभ को चुना।

प्रवसन संकट से निपटने के लिए उठाये जा रहे कदम

- आंग सान सू की ने रखाइन राज्य में नृजातीय संघर्ष की समस्या को हल करने के लिए विकल्पों पर चर्चा करने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव कोफी अन्नान के नेतृत्व में नौ व्यक्तियों के एक आयोग की स्थापना की है।
- ह्यूमन राइट्स वॉच, अराकान प्रोजेक्ट, और दक्षिण-पूर्व एशिया आधारित फोर्टिफाई ग्रुप जैसे एडवोकेसी ग्रुप्स द्वारा प्रमुख अंतरराष्ट्रीय शक्तियों से म्यांमार की सरकार पर दबाव डालने के लिए अपील जारी है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य वैश्विक शक्तियों ने म्यांमार की केंद्र सरकार से जातीय अल्पसंख्यक समूहों की उत्पीड़न से रक्षा के लिए और अधिक प्रयास करने के लिए आग्रह किया है।

आगे की राह

- रोहिंग्या संकट वस्तुतः म्यांमार का **एक राजनीतिक मुद्दा** है। इसका अंतिम समाधान उन्हें नागरिकता प्रदान करना तथा पीढ़ियों से चले आ रहे उनके निवास स्थान पर उनको समान अधिकार सुनिश्चित करना ही है।

- जब तक म्यांमार में कोई स्थायी समाधान नहीं मिलता है। तब तक, यह सुनिश्चित करना बांग्लादेश सहित शरण देने वाले सभी देशों की जिम्मेदारी है कि रोहिंग्या समुदाय बुनियादी मानवाधिकारों तथा गरिमा के साथ जी सके।
- **चीन और भारत** म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। व्यापार तथा निवेश संबंधों के कारण इनके आर्थिक हित भी म्यांमार के साथ जुड़े हैं। इन्हें रोहिंग्या संकट के समाधान हेतु म्यांमार को समझाने के लिए रचनात्मक कूटनीति का उपयोग करना चाहिए।
- वर्तमान संकट को हल करने में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी अधिक अग्र-सक्रिय (proactive) भूमिका निभाने की आवश्यकता है। म्यांमार से आर्थिक हित न जुड़े होने के कारण **पश्चिमी जगत इस संकट का समाधान करने के लिए अधिक सक्रिय नहीं है। वह इसे म्यांमार की आंतरिक समस्या मानते है तथा उसी के अनुरूप व्यवहार करते हैं।**
- ASEAN को म्यांमार के नेताओं के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए।
- हाल ही में, ढाका ने शरणार्थियों को **बंगाल की खाड़ी में स्थित एक निर्जन द्वीप थेंगार चर** पर स्थानांतरित करने की योजना की घोषणा की है। यह मुख्य भूमि से लगभग 60 किमी दूर है। यह द्वीप लगभग 30,000 हेक्टेयर के आकार का है तथा मानसून के दौरान यहाँ प्रायः बाढ़ आ जाती है। इस योजना की मानव अधिकार समूहों के साथ ही संयुक्त राष्ट्र ने भी आलोचना की है।

रोहिंग्या के बारे में

- रोहिंग्या मुख्य रूप से म्यांमार के पश्चिमी राज्य रखाइन में रहने वाला एक नृजातीय अल्पसंख्यक मुस्लिम समूह है; ये सुन्नी इस्लाम की सूफी-प्रभावित परंपरा के अनुयायी हैं।
  - **म्यांमार 135 समुदायों का एक बहुसांस्कृतिक समाज है**।किन्तु, देश का **1982 का नागरिकता कानून** रोहिंग्याओं को "राष्ट्रीय प्रजाति (national race)" का दर्ज़ा नहीं देता है। यह कानून पूर्व सैन्य शासकों द्वारा लागू किया गया था।
  - राष्ट्रीय प्रजाति के रूप में पहचान प्राप्त करने के लिए म्यांमार के संविधान की शर्त यह है कि इनके पूर्वज 1823 से पहले इस देश में बसे हों। किन्तु, इन लोगों के पास इस संवैधानिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए आवश्यक दस्तावेज़ों का अभाव है।
  - संयुक्त राष्ट्र प्रायः **रोहिंग्याओं को विश्व में सर्वाधिक सताए हुए अल्पसंख्यकों में से एक** के रूप में वर्णित करता है।

2.4. भारत-सिंगापुर

(India-Singapore)

सिंगापुर गणराज्य के प्रधानमंत्री श्री ली सीन लूंग ने हाल ही में भारत का दौरा किया।

भारत के लिए सिंगापुर का महत्व

- भारत और सिंगापुर के बीच आर्थिक से लेकर रणनीतिक क्षेत्र तक व्यापक संबंध हैं।
- सिंगापुर पश्चिम बंगाल, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जैसे भारतीय राज्यों के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित करता रहा है। इसलिए आर्थिक भागीदारी बढ़ रही है।
- दोनों देश पर्यटन और कौशल विकास जैसे अन्य क्षेत्रों में संभावनाएं तलाश रहे हैं।
- सिंगापुर ने भारत-प्रशांत क्षेत्र में भारत द्वारा एक बड़ी भूमिका निभाए जाने का समर्थन किया है।
- आसियान क्षेत्र में परिदृश्य बदल रहा है। ऐसी स्थिति में, सिंगापुर का अभिमत और भी अधिक महत्वपूर्ण है और भारत-सिंगापुर की रणनीतिक साझेदारी और अधिक सुदृढ़ होने की संभावना है।

इस यात्रा के दौरान निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए :

- औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग (DIPP) और सिंगापुर के बौद्धिक संपदा कार्यालय के बीच औद्योगिक संपदा सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) और ITE एजुकेशन सर्विसेज, सिंगापुर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण के क्षेत्र में असम सरकार और ITE एजुकेशन सर्विसेज, सिंगापुर के बीच सहयोग पर समझौता ज्ञापन।
- द्विपक्षीय यात्रा के दौरान 'स्मार्ट सिटी ड्राइव " और "कौशल भारत कार्यक्रम" समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए क्योंकि सिंगापुर को दोनों क्षेत्रों में विशेषज्ञता हासिल है।

2.4.1. भारत-सिंगापुर: DTAA

(India-Singapore: DTAA)

भारत ने कर चोरी रोकने के लिए सिंगापुर के साथ द्विपक्षीय दोहरे कराधान से बचाव समझौते (डबल टैक्सेशन अवॉइडन्स एग्रीमेंट: DTAA) के संशोधन हेतु तीसरे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया।

प्रोटोकॉल के बारे में मुख्य बिंदु

- वर्तमान में भारत-सिंगापुर DTAA किसी कंपनी में शेयरों के पूंजीगत लाभ पर, निवास आधारित कराधान की व्यवस्था करता है। तीसरा प्रोटोकॉल किसी कंपनी में शेयरों के हस्तांतरण से होने वाले पूंजीगत लाभ पर स्रोत आधारित कराधान की व्यवस्था करने हेतु DTAA में संशोधन करता है। यह संशोधन अप्रैल 2017 से प्रभावी होगा।
- यह भारत को सिंगापुर से प्राप्त निवेश पर पूंजीगत लाभ कर (capital gains tax) की वसूली की अनुमति देगा।
- कर की दर अगले दो वर्षों के लिए प्रचलित भारतीय दर की आधी होगी और अप्रैल 2019 तक दरों को प्रचलित दर के बराबर कर दिया जाएगा।
- पहले 2 वर्षों के लिए, इस तरह के लाभ पर करों का बंटवारा भारत और सिंगापुर में बराबर किया जाएगा और तीसरे वर्ष के बाद से, इस तरह के सभी कर पूर्णतः भारत के हिस्से में आएंगे।

- DTAA दो या अधिक देशों के मध्य हस्ताक्षरित कर संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि इन देशों में कर दाता को एक ही आय के लिए दो बार कर न देना पड़े। DTAA उन मामलों में भी लागू होता है, जहां कोई कर दाता किसी देश में रहता तो है, किन्तु धनार्जन किसी अन्य देश में करता है।
- बड़ी संख्या में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) और विदेशी संस्थाओं द्वारा सिंगापुर के ज़रिए भारत में निवेश के पीछे DTAA एक प्रमुख कारण था।
- सिंगापुर, मॉरीशस और साइप्रस के साथ DTAA, निवेशकों को पूंजीगत लाभ पर पूरी छूट प्रदान करते हैं, क्योंकि समझौता करने वाले देशों में पूंजीगत लाभ पर कोई कर नहीं लगता है। इन समझौतों का दुरुपयोग काले धन की राउंड ट्रिपिंग के लिए किया गया।
- राजस्व हानि पर अंकुश लगाने और जानकारी के स्वत: आदान-प्रदान के माध्यम से काले धन की समस्या को रोकने के लिए भारत ने मॉरीशस और साइप्रस के साथ समझौतों को हाल ही में संशोधित किया तथा स्विट्ज़रलैंड के साथ संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किया।

प्रोटोकॉल का महत्व

- यह काले धन पर लगाम लगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
- यह संशोधन "राउंड ट्रिपिंग" के ज़रिए घरेलू काले धन की लॉड्रिंग (शोधन) के एक मार्ग को प्रभावी ढंग से बंद कर देता है। अधिकारियों/नियामकों को लम्बे समय से इस बात का संदेह था कि, अमीर भारतीय इन कर क्षेत्राधिकारों के ज़रिये धन ले जाने और वापस भारत लाने का कार्य कर रहे हैं।
- यह दोहरे **गैर-कराधान** को रोकने, राजस्व हानि को कम करने एवं सूचना के स्वतः आदान-प्रदान के ज़रिये काले धन की समस्या पर नियंत्रण के लिए भारत की संधि सम्बन्धी नीतियों के अनुरूप है।
- यह उपाय करदाताओं के अनुकूल है तथा मूल्य निर्धारण मामलों के हस्तांतरण में परस्पर संधि प्रक्रियाओं (Mutual Agreement Procedure: MAP) में प्रवेश प्रदान करने के न्यूनतम मानकों को पूरा करने हेतु **आधार क्षरण एवं लाभ स्थानान्तरण (Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) Action Plan) कार्य योजना** के तहत भारत की प्रतिबद्धताओं के अनुरूप है।

2.5. भारत-वियतनाम

(India-Vietnam)

वियतनाम की राष्ट्रीय असेंबली की प्रमुख **गुयेन थी किम न्गान** (Nguyen Thi Kim Ngan) ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

पृष्ठभूमि

- भारत-वियतनाम के बीच पारंपरिक रूप से करीबी और सौहार्दपूर्ण संबंध रहे हैं। दोनों विदेशी शासन से मुक्ति और स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय संघर्ष में अपनी ऐतिहासिक जड़ें साझा करते हैं।
- दक्षिण-पूर्व एशिया में वियतनाम, भारत का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय भागीदार है। भारत और वियतनाम ने UN तथा WTO के साथ ही ASEAN, *ईस्ट एशिया समिट*, *मेकांग गंगा कोऑपरेशन* व *एशिया यूरोप मीटिंग* (ASEM) जैसे क्षेत्रीय मंचों पर भी मज़बूत सहयोग किया है। वियतनाम के साथ संबंधों को *एक्ट ईस्ट पॉलिसी* के तहत भी महत्व दिया गया है।
- भारत अब वियतनाम के शीर्ष दस व्यापारिक भागीदारों में से एक है। 2014 में दोनों पक्षों ने भारत-वियतनाम सामरिक साझेदारी में आर्थिक सहयोग को एक रणनीतिक प्रेरक (strategic thrust) बनाने का फैसला किया।
- वियतनाम, भारत के साथ मजबूत संबंधों पर बल दे रहा है। दोनों देशों 2014 से दक्षिण चीन सागर में मिलकर तेल की खोज कर रहे हैं। इसके लिए भारत की सरकारी कंपनी ONGC की एक विदेशी सब्सिडियरी (सहायक कंपनी) और पेट्रो वियतनाम एक्सप्लोरेशन प्रोडक्शन कॉर्प ने तीन तेल ब्लॉकों की खोज के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।यह समझौता चीन के आपत्तियों के बावजूद किया गया।

समझौतों की सूची

नागरिक परमाणु सहयोग समझौता:

- वियतनाम 14वां देश है जिसके साथ भारत ने असैन्य परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किया हैं।
- दोनों देशों ने 1986 में इससे पहले असैन्य परमाणु क्षेत्र में प्रशिक्षण तक सीमित एक संधि पर हस्ताक्षर किए थे। हालांकि, नए समझौते का व्यापक आधार है और रिएक्टरों पर अनुसंधान को भी इसमें शामिल किया गया है।

भारत तथा वियतनाम के मध्य ट्रैफिक बढ़ाने तथा एयरलाइन ऑपरेशन, ग्राउंड हैंडलिंग प्रक्रिया और प्रबंधन के क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्यप्रणाली की साझेदारी के लिए एयर इंडिया और वियतजेट (Vietjet) के मध्य समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ।

- भारत की एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड (EESL) तथा वियतनाम इलेक्ट्रिसिटी (EVN) के मध्य ऊर्जा दक्षता के क्षेत्र में सम्मिलित रूप से कार्य करने हेतु एक साझेदारी विकसित करने के लिए एक अन्य समझौता ज्ञापन पर भी हस्ताक्षर किया गया।
- लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और न्गान (Ngan)के बीच संसदीय सहयोग समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।

सहयोग के अन्य क्षेत्र

- वियतनाम ने दक्षिणी चीन सागर में ऊर्जा अन्वेषण के लिए भारत को दिए गए आमंत्रण का विस्तार किया और भारत की बहुपक्षीय सदस्यता योजना को समर्थन प्रदान किया।
- एक क्षेत्रीय शक्ति के रूप में भारत के महत्व पर प्रकाश डालते हुए वियतनाम ने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ आर्थिक संबंधों को तेज करने का आग्रह नई दिल्ली से किया है।

रक्षा सहयोग:

- वियतनाम के साथ अपने बढ़ते रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने हेतु भारत इस दक्षिण-पूर्वी देश के सुखोई-30 लड़ाकू पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए सहमत हो गया।
- शांति स्थापना के साथ-साथ प्रतिनिधिमंडलों के आदान प्रदान के सम्बन्ध में भी एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।

2.6. भारत -इंडोनेशिया

(India-Indonesia)

इंडोनेशियाई राष्ट्रपति जोको विडोडो (Joko Widodo) ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। 2014 में सत्ता संभालने के बाद यह उनकी पहली यात्रा है।

यात्रा के परिणाम

दुनिया के सबसे अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले राष्ट्र भारत और इंडोनेशिया ने अपनी प्रतिरक्षा एवं समुद्री सुरक्षा संबंधों को विस्तार देने का निर्णय किया और साथ ही आतंकवाद से भी निपटने का संकल्प लिया।

- अवैध और अविनिमयित मत्स्यन से मुकाबला करने के विषय पर एक संयुक्त विज्ञप्ति।
- दोनों नेताओं ने एक संयुक्त बयान में आतंकवाद के सभी रूपों की निंदा करते हुए कहा कि आतंक के कृत्यों के लिए **"जीरो टॉलरेंस"** होनी चाहिए।

- **दक्षिण चीन सागर विवाद:** दोनों पक्षों ने शांतिपूर्ण तरीके से और सामुद्रिक विधि पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCLOS) सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून के सार्वभौमिक मान्यता प्राप्त सिद्धांतों के अनुरूप ही इस मुद्दे को हल करने का आह्वान किया।
- दोनों पक्षों ने संयुक्त राष्ट्र को और अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और कुशल बनाने के विचार के साथ संयुक्त राष्ट्र और सुरक्षा परिषद सहित उसके प्रमुख अंगों में सुधारों के लिए समर्थन को दोहराया।
- **रक्षा सहयोग:** दोनों पक्ष एग्रीमेंट ऑन डिफेन्स का उन्नयन, द्विपक्षीय रक्षा सहयोग समझौते (bilateral defence cooperation agreement) के रूप में में करने हेतु रक्षा मंत्रियों की वार्ता और संयुक्त रक्षा सहयोग समिति की बैठकों का आयोजन जल्दी करना चाहते थे।

भारत के लिए इंडोनेशिया का महत्व

- इंडोनेशिया 2005 से ही भारत का एक रणनीतिक साझेदार और आसियान में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक साझेदार (लगभग 16 अरब डॉलर दो तरफा व्यापार) होने के साथ-साथ बहिर्मुखी निवेश (लगभग 15 अरब डॉलर) का एक प्रमुख गंतव्य रहा है।
- इंडोनेशिया के साथ एक दृढ बहुआयामी संबंध भारत की 'एक्ट ईस्ट' नीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है।
- इंडोनेशिया इसके आकार, जनसंख्या, सामरिक समुद्री अवस्थिति और प्राकृतिक संसाधनों के साथ, एक अव्यक्त एशियाई शक्ति (latent Asian power) है।
- दोनों देशों ने तेल और गैस, अक्षय ऊर्जा, सूचना प्रौद्योगिकी और फार्मास्यूटिकल्स के क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए अपने व्यापार और निवेश संबंधों को भी पर्याप्त बढ़ावा देने का निर्णय लिया है।
- हिन्द महासागर और प्रशांत महासागर में विस्तृत इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा द्वीपसमूह है। यह संभवतः दक्षिणी हिंद महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ने वाली सभी जलसंधियों को नियंत्रित कर सकता है।
- भारत को ऐसे भागीदार ढूँढने चाहिए जो हिन्द-प्रशांत क्षेत्र में एक स्थिर भूमिका निभा सके, क्योंकि चीन दक्षिणी चीन सागर में अपनी नौसैनिक शक्ति एवं 'वन बेल्ट वन रोड' पहल द्वारा अपनी रणनीतिक तथा वाणिज्यिक पहुँच का प्रदर्शन कर रहा है।
- इंडोनेशिया और भारत, एशिया में, बहुसंख्यक समुदायों के साथ धार्मिक अल्पसंख्यकों के सहअस्तित्व के लिए एक पूरक मॉडल प्रस्तुत कर सकते हैं जो सहअस्तित्व की उनकी अपनी परंपराओं पर आधारित होगा।
- भारत, बाली से एक अधिक 'सरल' हिंदुत्व की सीख ले सकता है, जो जाति तथा पंथ आधारित विभाजनों से अपेक्षाकृत मुक्त है।

2.7. भारत-ताइवान

(India-Taiwan)

तीन सदस्यीय ताइवान संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने भारत का दौरा किया। ताइवान का **"ताइपे आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र"** द्वारा नई दिल्ली में प्रतिनिधित्व हुआ और ताइवान में **"भारत-ताइपे संगठन"** के द्वारा भारत का प्रतिनिधित्व हुआ।

द्विपक्षीय संबंधों का महत्व (Importance of bilateral relation)

भारत और ताइवान के बीच बृहद सहयोग नई दिल्ली और ताइपे को घरेलू स्तर पर इनके आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने और क्षेत्र में इनके रणनीतिक उद्देश्यों की मदद करने में महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।

A. आर्थिक सुरक्षा (Economic Security)

- भारत और ताइवान में पूरक आर्थिक संरचनाएं हैं। ताइवान हार्डवेयर विनिर्माण के लिए जाना जाता है जबकि भारत में एक स्थापित सॉफ्टवेयर उद्योग है।
- ताइवान लंबे समय से हाई-टेक हार्डवेयर विनिर्माण में दुनिया में अग्रणी रहा है और "मेक इन इंडिया", "डिजिटल इंडिया" और "स्मार्ट सिटी" अभियान में योगदान करने में सक्षम है।
- दोनों देशों के बीच व्यापार 2014 में 5.91 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया। किन्तु भारत के साथ ताइवान के व्यापार का हिस्सा इसके वैश्विक व्यापार का लगभग 1% है।

B. सामरिक हित (Strategic Interest)

ताइवान की नई दक्षिणी नीति (New Southbound Policy of Taiwan)

ताइवान की नई सरकार के तहत राष्ट्रपति साइ इंग **वेन** ने "न्यू साउथबाउंड पॉलिसी" आरम्भ की है जिसका लक्ष्य आसियान, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और भारत के साथ ताइवान के संबंधों को सक्रिय करना है।

- द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि के अलावा, यह पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में लोगों के संपर्क (people-to-people contact) के लिए भी लक्षित है।
- इस नीति के साथ भारत की **'एक्ट ईस्ट पॉलिसी'** पहले से मौजूद संबंधों को मजबूत करने का मौका प्रस्तुत करती है।

भारत और ताइवान समान मूल्यों का साझा करते हैं और दोनों देशों के बीच कोई गंभीर विवाद नहीं है। रणनीतिक सुरक्षा के मोर्चे पर, भारत और ताइवान दोनों में इस क्षेत्र में चीन की बढ़ती हठधर्मिता को लेकर चिंताएं हैं।

- ताइवान को चीन की सामरिक गहराई/चातुर्य की बेहतर समझ है क्योंकि इनके बीच घनिष्ठ भू-रणनीतिक निकटता और भाषाई और सांस्कृतिक संबंध हैं। ताइपे के साथ घनिष्ठ संबंध बीजिंग के रणनीतिक सोच को समझने में मदद करेगी।
- रणनीतिक रूप से, दोनों देशों को चीन से सुरक्षा सम्बन्धी खतरे हैं।
- भारत का चीन के साथ दीर्घकालिक क्षेत्रीय विवाद है। दूसरी ओर, विशेषज्ञों का मानना है कि यदि बीजिंग की **"वन चाइना पॉलिसी"** खतरे में आती है तो इसे मुख्य भूमि चीन (mainland China) से अलग होने का विचार मान कर यह ताइवान पर अधिकार करने के लिए सैन्य शक्ति का प्रयोग कर सकता है।
- इसके अतिरिक्त, ये चीन द्वारा दक्षिण चीन सागर को अपने विशेष क्षेत्र बनाने से रोकने का समान हित साझा करते हैं।
    - इसके माध्यम से, ताइवान भविष्य में एक स्वतंत्र राज्य के रूप में अपनी पहचान को और मजबूत कर सकता है और भारत दक्षिण चीन सागर में नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित कर सकता है, जिसके माध्यम से इसका 50 प्रतिशत तक व्यापार होता है।
    - भारत भविष्य में इस क्षेत्र में अपने तेल और गैस अन्वेषण गतिविधियों का विस्तार कर सकता है।
- ताइवान का मानना है कि इस क्षेत्र में भारत की उपस्थिति एक प्रकार का संतुलन प्रदान करेगी।

संबंधों के पूर्ण विकास में बाधा (Obstacle in full development of relations)

- **"वन चाइना पॉलिसी"** के कारण ताइवान के पास अभी भी भारत और अन्य महत्वपूर्ण देशों के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध नहीं हैं।
- दशकों से भारत **"वन चाइना पॉलिसी"** को मानता रहा है और ताइपे के साथ आधिकारिक स्तर के आदान-प्रदान पर प्रतिबंध लगाता है।

यात्रा पर चीनी प्रतिक्रिया (Chinese reaction to visit)

- चीन ताइवान को एक पृथक प्रांत समझता है, जिसे आवश्यक होने पर बल द्वारा पुनः स्वयं में मिलाया जा सकता है।
- चीन उन राजनयिक संबंधों के साथ-साथ ताइपे के राजनीतिक संपर्कों का विरोध करता है, जिनके साथ कूटनीतिक संबंध हैं।
- चीन ने एक ताइवानी संसदीय प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने के लिए भारत के विरुद्ध आपत्ति प्रकट की है और ताइवान से संबंधित मामलों में "विवेकपूर्ण ढंग से" व्यवहार करने के लिए कहा है।
- चीन यह कहता रहा है कि जिन देशों के साथ इसके कूटनीतिक संबंध हैं, उन्हें **'वन चाइना' नीति** का पालन करना चाहिए।

3. मध्य एशिया

(CENTRAL ASIA)

3.1. भारत-मध्य एशिया

(India-Central Asia)

भारत और मध्य एशिया के बीच लंबे समय से ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध रहे हैं। प्रसिद्ध *सिल्क रूट* (रेशम मार्ग) ने न केवल लोगों और व्यापार को जोड़ा बल्कि एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में विचारों, संस्कृति और विश्वासों के स्वतंत्र प्रवाह को भी सहज बनाया।

- मध्य एशियाई गणराज्य कजाखिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान 1990 के दशक में स्वतंत्र हुए।
- भारत इन पांच मध्य एशियाई देशों को मान्यता देने तथा उनके साथ राजनीतिक संबंध स्थापित करनेवाले पहले देशों में से एक था। अब भारत मध्य एशियाई देशों को "विस्तारित और रणनीतिक पड़ोस" (*एक्सटेंडेड एंड स्ट्रैटेजिक नेबरहुड)* का एक भाग मानता है।
- भारत ने 2012 में "*कनेक्ट सेंट्रल एशिया"* पॉलिसी की घोषणा की है। इसके साथ ही प्रत्येक वर्ष किसी एक गणराज्य में *"इंडिया-सेंट्रल एशिया डायलाग" का आयोजन ट्रैक II* स्तर पर करने की घोषणा की है।
- वर्तमान में पांच मध्य एशियाई गणराज्यों का भारत के साथ केवल 1.6 अरब डॉलर का व्यापार होता है। जबकि चीन से 50 अरब डॉलर का व्यापार होता है जो भारत की अपेक्षा काफी अधिक है। यही कारण है कि ये देश चीन के *सिल्क रोड इकनोमिक बेल्ट(SREB) पहल* के लिए महत्वपूर्ण हैं।
- मध्य एशिया में भारत के चार प्रमुख हित हैं: सुरक्षा, ऊर्जा, व्यापार और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग।

मध्य एशिया की महत्ता

ऊर्जा सुरक्षा

- मध्य एशिया के देश महत्वपूर्ण हाइड्रोकार्बन और खनिज संसाधनों से संपन्न हैं तथा भौगोलिक दृष्टि से भारत के निकट भी हैं।
- कजाखिस्तान, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा यहाँ विशाल गैस व तेल भंडार भी है।
- उज़बेकिस्तान भी गैस में समृद्ध है। यह किर्गिस्तान के समान ही सोने का एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय उत्पादक भी है।
- ताजिकिस्तान में तेल भंडार के अलावा विशाल जलविद्युत क्षमता है। इसके साथ ही तुर्कमेनिस्तान में विश्व का चौथा सबसे बड़ा गैस भंडार है।

सामरिक स्थिति

- भौगोलिक रूप से इन देशों की सामरिक स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये एशिया के विभिन्न क्षेत्रों तथा यूरोप और शेष एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में मौजूद हैं।
- भारत का एकमात्र विदेशी सैन्य हवाई अड्डा फारखोर (ताजिकिस्तान) में है। इसे IAF और ताजिक वायु सेना द्वारा संचालित किया जाता है।

व्यापार और निवेश की क्षमता

- मध्य एशिया के आर्थिक विकास के कारण वहां निर्माण गतिविधियों में अचानक से तेज़ी आयी है तथा IT, फार्मास्यूटिकल्स और पर्यटन जैसे क्षेत्रों का विकास हुआ है। ऐसा विशेष रूप से कजाखिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान में देखा गया है।
- भारत की इन क्षेत्रों में विशेषज्ञता है और इन क्षेत्रों में गहन सहयोग इन देशों के साथ व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देगा।
- इस क्षेत्र में भारतीय फार्मास्यूटिकल उत्पादों की बड़ी मांग है।

सुरक्षा: आतंकवाद, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी की चुनौती से निपटने के लिए मध्य एशिया सुरक्षा क्षेत्र में सहयोग कर सकता है।

- मध्य एशिया अफ़ीम उत्पादन के '*गोल्डन क्रेसेंट*' (ईरान-पाक-अफगान) का पड़ोसी है तथा यह आतंकवाद व अवैध शस्त्र व्यापार से भी पीड़ित रहा है। भारत के लिए भी अपनी पश्चिमी सीमा की ओर से इन समस्याओं का सामना करना कोई नयी बात नहीं है। इस संबंध में मध्य एशिया के साथ सामंजस्य और सहयोग से पूरे क्षेत्र को लाभ होगा।

VISION IAS

- **आतंकवाद और कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए:** कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों के उदय को रोकना। ये समूह, भारत की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं।
    - धार्मिक अतिवाद, रूढ़िवाद और आतंकवाद, मध्य एशियाई समाजों तथा क्षेत्रीय स्थिरता के लिए चुनौतियाँ खड़ी कर रहा है।
    - फरगना घाटी कट्टरपंथियों का एक हॉट स्पॉट बनी हुई है। मध्य एशियाई गणराज्यों को अफगानिस्तान से होने वाले अवैध ड्रग व्यापार से गंभीर संकट का सामना करना पड़ता है। मध्य एशिया में फ़ैली अस्थिरता भारत में भी प्रवेश कर सकती है।
- **अफगानिस्तान में स्थिरता :** अफगानिस्तान में सामान्य स्थिति स्थापित करने में मध्य एशियाई राष्ट्र और भारत प्रभावी भूमिका निभा सकते हैं।
- इन देशों में से दो देश - कजाखिस्तान और तुर्कमेनिस्तान - कैस्पियन समुद्र तट पर स्थित हैं। इनके कारण, अन्य ऊर्जा-संपन्न कैस्पियन राज्यों तक पहुँच बनने की सम्भावना भी जगती है।
- **क्षेत्रीय सहयोग**- चार मध्य एशियाई राष्ट्र SCO के सदस्य हैं।

चुनौतियाँ

- **स्थलबद्ध क्षेत्र-** मध्य एशियाई क्षेत्र स्थल-बद्ध है । इससे मध्य एशिया के साथ भारत के संबंधों में बाधा उत्पन्न होती है । अपर्याप्त *कनेक्टिविटी* (connectivity) भी भारत और मध्य एशिया के बीच क्षमता से कम व्यापार के लिए एक उत्तरदायी कारक है।
- भारत के लिए प्रमुख बाधा मध्य एशिया तक सीधी पहुँच न होना है।
- अफगानिस्तान में अस्थिरता रही है तथा भारत-पाकिस्तान संबंध अत्यधिक समस्याग्रस्त रहे हैं। इनके कारण भारत, मध्य एशिया के साथ संबंधो से होने वाले लाभ से वंचित रहा है ।
- **चीन की उपस्थिति**: मध्य एशिया, *सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट* (SREB) पहल का हिस्सा है ।

मध्य एशिया से संबंधों में नवीनतम प्रगति

पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं।

शंघाई सहयोग संगठन की सदस्यता: भारत SCO का पूर्ण सदस्य बन गया है ।

- इन देशों के नेताओं के बीच संपर्क में निरंतरता का अभाव रहा है। यह एक महत्वपूर्ण कारण रहा है कि भारत इस क्षेत्र के साथ साझेदारी की संभावनाओं का पूरा लाभ नहीं उठा पाया है।
- वार्षिक SCO सम्मेलन इन देशों के नेताओं के साथ मुलाकात का अवसर उपलब्ध कराएगा। इसके साथ ही यह द्विपक्षीय व क्षेत्रीय हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए मंच प्रदान करेगा ।

इंटरनेशनल नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर **(INSTC)**

- भारत, *इंटरनेशनल नार्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर* (INSTC) का संस्थापक सदस्य है। यह परिवहन और *लॉजिस्टिक्स* (logistics) अवसंरचना के निर्माण के लिए एक बहुराष्ट्रीय परियोजना है ।
- भारत ने दिसंबर 2016 में 7,200 किमी लम्बे INSTC पर *शिपिंग कार्गो* शुरू करने के लिए सहमति प्रदान की।

ईरान में चाबहार बंदरगाह

- भारत ने ईरान में चाबहार बंदरगाह विकसित करने की योजना बनाई है । इससे पश्चिमी तट पर स्थित जवाहरलाल नेहरू और कांडला बंदरगाहों के माध्यम से भारत स्थल-बद्ध अफगानिस्तान और ऊर्जा संपन्न मध्य एशिया तक पहुँच सकेगा ।
- इसके अलावा भारत ने अफगानिस्तान में ज़रांज से डेलाराम को जोड़ने वाली 218 किमी लम्बी सड़क का निर्माण किया है। यह सड़क ईरान की सीमा के निकट स्थित है।
- निर्मित हो जाने के बाद चाबहार बंदरगाह, अफगानिस्तान के माध्यम से मध्य एशिया के साथ व्यापार करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकता है।

अश्गाबाद समझौता

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत को अश्गाबाद समझौते को स्वीकार करने की मंजूरी प्रदान कर दी है। यह समझौता एक अंतर्राष्ट्रीय परिवहन और पारगमन गलियारे से सम्बंधित है। यह मध्य एशिया और फारस की खाड़ी के बीच माल परिवहन की सुविधा प्रदान करेगा।

तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI)

- यह एक अन्य महत्वपूर्ण प्रगति है। हालाँकि, यह पूरे क्षेत्र के साथ जुड़ी न होकर केवल एक मध्य एशियाई देश के साथ संबंधों तक सीमित है। तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान-भारत (TAPI) गैस पाइपलाइन के निर्माण की शुरुआत 13 दिसंबर 2015 को हुई।

VISION IAS

- इस 1800 किमी लंबी पाइपलाइन का निर्माण कार्य 2019 के अंत तक पूरा होने की संभावना है। पाइपलाइन के पूरा हो जाने पर भारत को प्रतिवर्ष 13 bcm गैस प्राप्त होने की उम्मीद है।

***यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन* (EEU)**

- भारत *यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन* के साथ एक मुक्त व्यापार समझौते (FTA) पर हस्ताक्षर करने का प्रयास कर रहा है। इसमें बेलारूस,कजाखिस्तान,रूस,अर्मेनिआ तथा किर्गिज़िस्तान शामिल हैं। इन देशों के साथ भारत का व्यापार लगभग 10 बिलियन डॉलर है।
- भारत भी ईरान के चाबहार बंदरगाह से मध्य एशियाई देशों तक के सिल्क रूट को पुनर्जीवित करने के प्रयास कर रहा है।

3.2. भारत और कजाखिस्तान

(India-Kazakhstan)

- भारत तथा कजाखिस्तान द्वारा प्राकृतिक यूरेनियम की दीर्घकालीन अवधि (2015-2019 के बीच) के लिए आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु एक नया समझौता किया गया है। इसके साथ ही व्यापक रक्षा सहयोग के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गये हैं। पूर्ण आर्थिक क्षमता हासिल करने हेतु कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए एक रेलवे सहयोग समझौता भी किया गया है।
- इस समझौते के बाद कजाखिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के अलावा भारत के लिए यूरेनियम का सबसे बड़ा स्रोत हो जाएगा।
- कजाखिस्तान, उन प्रारंभिक देशों में से एक था जिनके साथ भारत ने यूरेनियम खरीद अनुबंध के माध्यम से असैनिक परमाणु सहयोग शुरू किया।
- इसके साथ ही रक्षा संबंधों के MoU को अपग्रेड करना तथा रक्षा व सैन्य-तकनीकी सहयोग संबंधी समझौता द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के क्षेत्र में और अधिक संभावनाएँ उत्पन्न करेगा।

राजनीतिक सहयोग

- भारत, कजाखिस्तान की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले प्रथम देशों में से एक था। दोनों देशों में राजनयिक सम्बन्ध 1992 में स्थापित हुए।
- द्विपक्षीय व्यापार, आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, औद्योगिक और सांस्कृतिक सहयोग के विकास के लिए मुख्य संस्थागत व्यवस्था *इंडिया-कजाखिस्तान इंटर-गवर्न्मेन्टल कमीशन* (IGC) है। इसकी स्थापना 1993 में की गयी थी।
- 1992 में कजाखिस्तान के स्वतंत्र होने के पश्चात् दोनों देशों के मध्य विभिन्न उच्चस्तरीय यात्राओं का आयोजन हुआ है।
- हाल ही में, 2009 के गणतंत्र दिवस पर मुख्य अथिति के रूप में राष्ट्रपति नूर सुल्तान नज़रबायेव की यात्रा के दौरान 'सामरिक भागीदारी पर संयुक्त घोषणा पत्र' को स्वीकार किया गया था।
- कजाखिस्तान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता एवं शंघाई सहयोग संगठन (SCO) में उसकी पूर्ण सदस्यता का समर्थन किया है। भारत ने 2017-18 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सदस्यता हेतु कजाखिस्तान की उम्मीदवारी का समर्थन किया है।
- *काउंटर टेररिज्म,* व्यापार एवं आर्थिक सहयोग, सैन्य एवम् सैन्य-तकनीकी सहयोग, सूचना प्रौद्योगिकी, *हाइड्रोकार्बन* और *टेक्सटाइल्स* के क्षेत्रों में संयुक्त कार्यदल स्थापित किए गए हैं।

आर्थिक सहयोग

- कजाखिस्तान, मध्य एशिया में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है। अप्रैल-दिसंबर 2015 के दौरान दोनों देशों का द्विपक्षीय व्यापार 412.39 मिलियन अमरीकी डॉलर था।
- भारत के प्रधानमंत्री की कजाखिस्तान यात्रा के दौरान *चैंबर ऑफ़ इंटरनेशनल कॉमर्स* और FICCI द्वारा *जॉइंट बिज़नेस काउन्सिल* के गठन हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये गए।
- यूरेनियम समझौता तथा कैस्पियन सागर में *सतपायेव ऑयल ब्लॉक* में 25% हिस्सेदारी खरीदने पर *ओएनजीसी विदेश लिमिटेड* और '*काज़ मुनाई गज*'(KazMunaiGaz) के बीच हुआ समझौता प्रगति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम रहे हैं।

सांस्कृतिक सहयोग

- भारत और कजाखिस्तान बहु-नृजातीय, बहु-सांस्कृतिक तथा बहु-धार्मिक, धर्मनिरपेक्ष राज्य हैं।
- दोनों देशों के शैक्षणिक और सामरिक समुदायों के मध्य नियमित संपर्क होते रहते हैं। इसने भारत तथा कजाखिस्तान के बीच सहयोग को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

VISION IAS

आगे की राह

- कजाखिस्तान, मध्य एशिया में सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक है। इसने ऊर्जा सुरक्षा के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाने के लिए "एशियाई ऊर्जा रणनीति" का समर्थन किया है। इसमें ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण पर अधिक जोर दिया गया है।
- सरकार द्वारा *एक्सटेंडेड नेबरहुड* तक पहुँच बनाने से यह उम्मीद की जा रही है कि भारत की क्षेत्रीय भू-राजनीति स्थिति मजबूत होगी। इससे भारत की ऊर्जा संबंधी चिंताओं का समाधान होने की भी उम्मीदें की जा रही हैं।

3.3. शंघाई सहयोग संगठन (SCO)

(Shanghai Cooperation Organisation)

8-9 जून, 2017 को शंघाई सहयोग संगठन (SCO) के 17वें शिखर सम्मेलन का आयोजन अस्ताना, कजाकिस्तान में किया गया।।

- इस सम्मेलन में भारत तथा पाकिस्तान को संगठन के पूर्णकालिक सदस्य देश के रूप में दर्जा प्रदान किया गया।
- उल्लेखनीय है कि रूस के उफा में, वर्ष 2015 में हुए सम्मेलन में औपचारिक तौर पर एक प्रस्ताव पारित कर भारत और पाकिस्तान को संगठन के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी।

SCO के लिए भारत की सदस्यता का महत्व

चीन के वर्चस्व वाले SCO में भारत का प्रवेश एक अति महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा जा रहा है। भारत के प्रवेश से इस संगठन को अखिल एशियाई स्वरूप प्रदान करने तथा क्षेत्रीय भू-राजनीति एवं व्यापार सम्बंधित वार्ताओं तथा गतिविधियों में और अधिक तीव्र विकास की आशा व्यक्त की गई है।

- इस विस्तार के साथ, SCO अब विश्व की कुल जनसंख्या का 40% और कुल वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 20% भाग का प्रतिनिधित्व करेगा।
- दक्षिण एशिया में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में भारत, मध्य एशियाई देशों के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
- SCO में भारत के शामिल होने से संगठन की विकासात्मक क्षमता में वृद्धि के साथ-साथ विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मामलों, विशेष रूप से सुरक्षा, भू-राजनीति और आर्थिक मामलों में संगठन के प्रभाव में वृद्धि होगी।
- विशेषज्ञों का मत है कि भारत के शामिल होने से SCO पर बीजिंग के अतिव्यापी प्रभाव में कमी आएगी।

भारत के लिए SCO की सदस्यता का महत्व

SCO की पूर्णकालिक सदस्यता प्राप्त करने से मध्य एशिया में भारत की स्थिति मजबूत होगी। इसके माध्यम से इस क्षेत्र के एकीकरण, कनेक्टिविटी एवं स्थिरता में वृद्धि की भारत के उद्देश्य की पूर्ति में भी सहायता मिलेगी ।

- **रक्षा सहयोग:** SCO सदस्य के रूप में भारत को आतंकवाद से निपटने और इस क्षेत्र में सुरक्षा और रक्षा से संबंधित मुद्दों पर एक ठोस कार्रवाई करने के लिए दबाव बनाने में मदद मिलेगी।
- **ऊर्जा सुरक्षा:** SCO के विभिन्न देशों में तेल तथा प्राकृतिक गैस के व्यापक भंडार विद्यमान हैं। अतः पूर्णकालिक सदस्यता के माध्यम से मध्य एशिया की प्रमुख गैस और तेल अन्वेषण परियोजनाओं तक भारत की पहुंच सुनिश्चित करना संभव होगा ।
- **आतंकवाद विरोधी संघर्ष:** आतंकवाद के विरुद्ध भारत के संघर्ष में SCO और उसके 'रीजनल एंटी-टेररिज्म स्ट्रक्चर' (RATS) का सहयोग अत्यधिक महत्वपूर्ण सिद्ध होगा।
- **भारत-पाकिस्तान सम्बन्ध**

SCO की सदस्यता भारत और पाकिस्तान को

- क्षेत्रीय सहयोग के विकास करने
- आतंकवाद विरोधी संघर्ष में परस्पर सहयोग को बढ़ावा देने तथा मतभेदों को हल करने के लिए

एक मंच प्रदान करने में सहायक हो सकता है।

हालांकि कई लोग मानते हैं कि इसका अधिदेश, संरचना तथा वर्तमान परिदृश्य, भारत के लिए SCO के महत्व को सीमित करता है :

- SAARC के बाद SCO दूसरा ऐसा क्षेत्रीय समूह होगा जिसमें भारत और पाकिस्तान दोनों शामिल हों। इससे SCO की प्रभावशीलता सीमित हो सकती है जैसा कि SAARC के मामले में देखा गया है।

- आतंकवाद के मुद्दे पर चीन का पाकिस्तान के समान ही भारत से अलग दृष्टिकोण है। इसलिए संभव है कि SCO की सदस्यता इस संदर्भ में भारत की चिंता को हल करने में उतनी सहायक न हो सके।
- भारत कनेक्टिविटी से सम्बंधित चीन के महत्वाकांक्षी '*वन बेल्ट वन रोड' प्रोजेक्ट* में शामिल नहीं हुआ है। इसके साथ ही, *चाइना-पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर* (CPEC) को लेकर भी भारत की आपत्तियाँ हैं। मध्य एशियाई देश तथा रूस चीन के *कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट* के पक्ष में हैं। पूरी संभावनाएँ हैं कि चीन, SCO को अपनी विशाल *कनेक्टिविटी* तथा बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ावा देने के एक साधन के रूप में इस्तेमाल करे। इस प्रकार, वह भारत पर अधिक कूटनीतिक दबाव डालने का प्रयास करेगा।
- रूस और चीन का SCO के सन्दर्भ में साझा दृष्टिकोण अपने में एक 'नयी व्यवस्था (New Order)' की ओर संकेत करता है। इसका स्पष्ट रूप से पश्चिमी जगत को लक्षित करता है। परिणामस्वरूप, SCO को प्रायः "*एंटी-नाटो*" कहा जाता है अर्थात माना जाता है कि इसका उद्देश्य अमेरिका और यूरोप की शक्ति को संतुलित करना है। अतः यह अमेरिका के साथ भारत के घनिष्ट सैन्य संबंधों से सामंजस्य स्थापित करने के दृष्टिकोण से बेमेल सा प्रतीत हो रहा है।

यह संभव है वर्तमान परिस्थितियों के संदर्भ में SCO की पूर्ण सदस्यता के लाभ सीमित हों। तथापि इसके दीर्घकालिक लाभ को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता। यही कारण है कि भारत लम्बे समय से यह सदस्यता प्राप्त करना चाहता था। चतुराईपूर्ण कूटनीति और दृढ़ कार्रवाई के माध्यम से भारत इन सीमाओं का मुकाबला कर सकता है तथा सदस्यता को एक अवसर के रूप में परिवर्तित कर सकता है। इस अर्थ में, SCO भारत को उसके प्रभाव का विस्तार करने के लिए एक और माध्यम उपलब्ध कराता है।

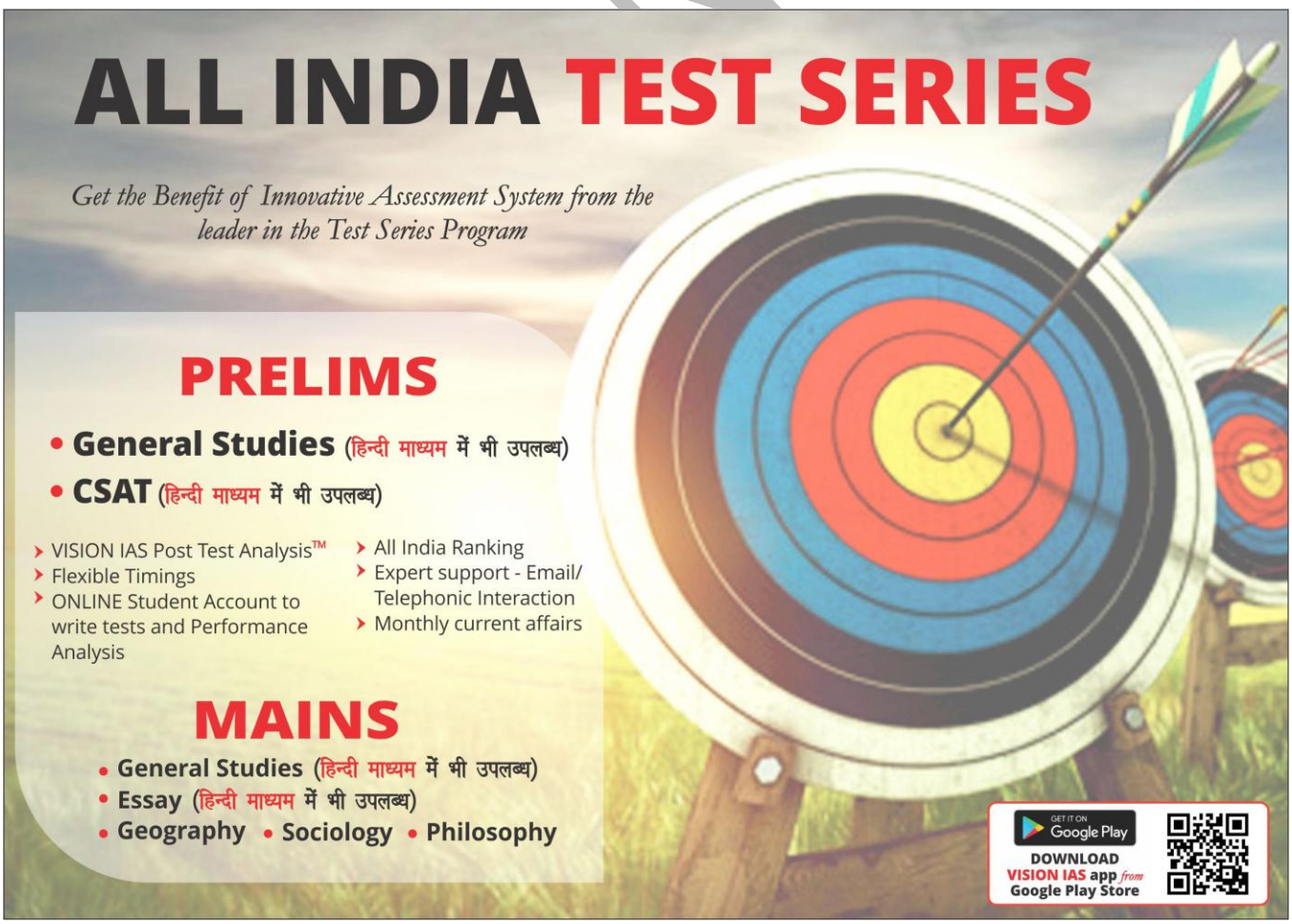

4. पश्चिमी एशिया/ मध्य पूर्व

(WEST ASIA / MIDDLE EAST)

4.1 भारत-पश्चिम एशिया

(India West Asia)

भारत के पश्चिम एशियाई देशों के साथ आर्थिक, राजनीतिक, सुरक्षा और सामरिक क्षेत्रों में हित जुड़े हुए हैं।

भारत के लिए पश्चिम एशिया का महत्व

भारत इस क्षेत्र से अधिकांश ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। पश्चिम एशिया से संबंधों में व्यापार तथा भारतीय समुदाय की सुरक्षा जैसे मुद्दे शामिल हैं।

- **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का 70 प्रतिशत पश्चिम एशिया से आयात करता है। यदि भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार 8% या इससे अधिक बढ़ती है तो यह निर्भरता और बढ़ जाएगी।

भारतीय समुदाय की सुरक्षा:

- भारत **पश्चिम एशिया से सबसे अधिक विदेशी धन प्रेषण(foreign remittances)** प्राप्त करता है।
- पश्चिम एशिया में 11 लाख भारतीय काम करते हैं। इसलिए इस क्षेत्र में स्थिरता भारत के मुख्य एजेंडे में शामिल है।
- **कट्टरपंथ का मुकाबला करने के लिए:** भारत में कट्टरपंथ का सामना करने के लिए आपसी सहयोग आवश्यक है।
- **मध्य एशिया जाने का मार्ग:** पश्चिम एशिया उर्जा संसाधनों में समृद्ध किन्तु स्थलबद्ध मध्य एशिया तक पहुँचने का मार्ग उपलब्ध कराता है।
- **भू-सामरिक महत्व:** अरब सागर और पश्चिम एशिया में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए इस क्षेत्र का सामरिक महत्व है। चीन OBOR पहल के माध्यम से लगातार पश्चिम एशिया की ओर सड़क बना रहा है।

पश्चिम एशिया में चुनौतियां:

राजनैतिक अस्थिरता

दिसंबर 2010 में *अरब स्प्रिंग* के प्रारंभ होने के बाद से पश्चिमी एशिया की सुरक्षा स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है।

- सीरिया, इराक और यमन में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति बद से बदतर हो गई है। क्षेत्रीय शक्तियाँ सांप्रदायिक आधार पर छद्म युद्ध में लगी हुई हैं। वे जिन गुटों का समर्थन कर रही हैं उन्हें भारी मात्रा में धन और हथियार उपलब्ध करा रहे हैं।
- पश्चिम एशिया में आंतरिक संघर्षों से निपटने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस जैसे वाह्य-क्षेत्रीय शक्तियों की भागीदारी ने संघर्ष को और भी बढ़ा दिया है।
- GCC-ईरान प्रतिद्वंद्विता, शिया-सुन्नी संघर्ष, क्षेत्र में बढ़ता वाह्य हस्तक्षेप, धार्मिक कट्टरतावाद में वृद्धि के भय आदि ने पश्चिम एशिया में अस्थिरता को बढ़ावा दिया है।
- **आतंकवाद:** इस क्षेत्र में बढ़ता हुआ आतंकवाद, सबसे बड़े सुरक्षा खतरे के रूप में उभरा है। *इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया* (ISIS) का उदय सबसे ज्यादा परेशान करने वाली प्रवृत्ति है।
- **सऊदी-ईरान प्रतिद्वंद्विता:** इससे पश्चिम एशिया में अस्थिरता आ रही है तथा पश्चिम एशियाई भू-राजनीति प्रभावित हो रही है।
- **पाकिस्तान की भूमिका :** पाकिस्तान कई पश्चिम एशियाई देशों और विशेष रूप से GCC का घनिष्ट सहयोगी है।
- **शिया-सुन्नी** टकराव से भारत की आंतरिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है।
- **इजरायल** के साथ भारत का घनिष्ठ सम्बन्ध होना पश्चिमी एशिया से भारत के संबंधों में कड़वाहट ला सकता है।
- ईरान के साथ भारत के घनिष्ठ संबंधों पर सऊदी अरब नाराज़ हो सकता है। भारत को पश्चिम एशिया की तीनों क्षेत्रीय शक्तियों- ईरान, इजरायल और सऊदी अरब के साथ अपने सम्बन्धों को संतुलित करके चलना होगा।

भारत की "लुक वेस्ट " नीति

दशकों तक भारत की पश्चिमी एशिया में **एक निष्क्रिय भूमिका** थी - भारत के इस क्षेत्र के अधिकांश देशों के साथ अच्छे संबंध का रहे हैं। शीत युद्ध के दौरान, भारत ने क्षेत्रीय भू-राजनीति में प्रतिद्वंद्वी शक्तियों सऊदी अरब और ईरान दोनों के साथ निकट आर्थिक सहयोग बनाए रखा। उत्तर-सोवियत युग में भारत ने पश्चिम एशिया की तीन महत्वपूर्ण शक्तियों - सऊदी अरब, ईरान और इज़राइल के मध्य संतुलन स्थापित करने के लिए अपनी द्विपक्षीय विदेश नीति को त्रिपक्षीय विदेश नीति में रूपांतरित कर दिया। भारत ने 2005 में *लुक वेस्ट* नीति को अपनाया।

VISION IAS

नीति की मुख्य विशेषताएँ इस प्रकार हैं-

- **धर्म-निरपेक्ष और गुट-निरपेक्ष नीति**: इस क्षेत्र के प्रति भारत की नीति गुट-निरपेक्षता पर आधारित होगी। यह गुट-निरपेक्षता इस क्षेत्र के धार्मिक (मुस्लिम और यहूदियों) और सांप्रदायिक (शिया-सुन्नी) विवादों के सन्दर्भ में होगी।
- **विभिन्न स्तरों पर कूटनीति:** घनिष्ट *गवर्नमेंट-टू-गवर्नमेंट* (G2G) सम्बन्ध स्थापित करने की कूटनीतिक प्रतिबद्धता बेहतर *बिजनेस-टू-बिजनेस* (B2B) और *पीपुल-टू-पीपुल* (P2P) संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करती है।
- **भारत का गैर-आदर्शवादी नीति की दिशा में कदम बढ़ाना** : मध्य पूर्व में बड़े बदलावों के पश्चात भारत अपनी मध्य पूर्व की नीति में परिवर्तन करने के लिए विवश हो गया। भारत की नीति पारंपरिक रूप से अरब समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और सोवियत मित्रता जैसे आयामों पर आधारित रही है। भारत को न केवल अमेरिका वर्चस्व के साथ अपनी नीति का निर्धारण करना पड़ा बल्कि क्षेत्र में बढ़ते रूढ़िवाद का सामना भी करना पड़ा। व्यावहारिक रूप से इसका मतलब था कि एक ऐसी नीति तैयार की गई जो राजनीतिक पूर्वमान्यताओ की बजाय आर्थिक हितों पर आधारित थी।
- **सामुद्रिक कूटनीति पर मुख्य जोर**: पश्चिम एशिया के चारों ओर के समुद्री क्षेत्र उर्जा और आर्थिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत के लिए विशेष महत्व है। अतः "*लुक वेस्ट*" नीति में इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।

पश्चिम एशियाई रणनीतिक सोच में बदलाव

पश्चिम एशियाई रणनीतिक सोच के इस मौलिक बदलाव में कई कारकों ने योगदान दिया है।

- पहला यह कि **वैश्विक ऊर्जा बाजार की संरचना में बदलाव** आ रहा है। अब पश्चिम एशियाई तेल और गैस *ट्रांस-अटलांटिक* बाजारों की बजाय दक्षिण और पूर्वी एशियाई बाज़ारों की ओर अधिक जा रहा है।
- दूसरा, **पश्चिम एशिया अब इस क्षेत्र में सुरक्षा गारंटी प्रदान करने के लिए भारत और अन्य एशियाई शक्तियों की तलाश कर रहा है।** ऐसा आंशिक रूप से व्यापार के प्रवाह में आये इस परिवर्तन के परिणामस्वरूप तथा आंशिक रूप से ट्रांस-अटलांटिक अर्थव्यवस्थाओं में उत्पन्न वित्तीय तनावों के कारण हुआ है। कई GCC राज्यों ने भारत के साथ रक्षा सहयोग समझौतों का स्वागत किया है।
- तीसरा,अरब स्प्रिंग के उदय तथा मिस्र और इराक में अस्थिरता को देखते हुए **खाड़ी देश भारत और चीन को** कई पश्चिमी राष्ट्रों की तुलना में अधिक **विश्वसनीय साझेदार** मानने लगे हैं।
- चौथा, पश्चिम एशिया के राष्ट्र इस क्षेत्र में कट्टरपंथी और उग्रवादी राजनीतिक ताकतों के बढ़ते प्रसार के कारण दबाव में हैं। अब इस क्षेत्र के अधिकांश देश क्षेत्रीय सुरक्षा के संदर्भ में **भारत के क्षेत्रीय स्थिरता हासिल करने और उसे सुरक्षित बनाये रखने के सिद्धांत** को अपना रहे हैं।

4.2 चीन की पश्चिम एशिया नीति

(China West Asia Policy)

पिछले कुछ सालों में चीन ने पश्चिम एशिया के देशों के साथ मजबूत आर्थिक संबंध बनाये हैं।हालाँकि, चीन इस क्षेत्र के विभिन्न संकटों और विवादों से दूर रहा है।

चीन ने तीन सिद्धांतों के आधार पर पश्चिम एशियाई देशों के साथ संबंध बनाये हैं। इन सिद्धान्तों के अंतर्गत **सुरक्षित ऊर्जा आपूर्ति, तैयार वस्तुओं के बाजारों का विस्तार करना तथा निवेश के अवसर ढूढना** शामिल है। अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दिए बिना चीन ने इस क्षेत्र में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करायी है।

- यह सऊदी अरब से तेल के शीर्ष खरीददारों में से एक है और इजरायल का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है। ईरान पर लगाये जाने वाले प्रतिबंधों के दौरान भी बीजिंग एक भरोसेमंद सहयोगी बना रहा है।
- चीन की वन बेल्ट, वन रोड पहल के पश्चात चीन के पश्चिम एशिया के साथ आर्थिक संबंधों का महत्व बढ़ गया है।
- सिल्क रोड पुनरुद्धार योजना को पूर्ण करने की दिशा में पश्चिमी एशिया की प्रमुख भूमिका है। इसे चीन अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत बनाए रखने का महत्वपूर्ण माध्यम मानता है।

राजनीतिक संबंध

- पिछले कुछ समय से चीन ने इस क्षेत्र के देशों के साथ अपने संबंधों को आर्थिक क्षेत्र से परे विस्तार करने में रुचि दिखाई है।
- ईरान के साथ इसका संबंध पहले ही रणनीतिक आयाम हासिल कर चुका है।
- यह सिविल वार से ग्रस्त सीरिया में बशर अल असद शासन के समर्थकों में से एक है।

- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, चीन ने रूस के साथ सीरिया पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् द्वारा यू.एस. समर्थित संकल्पों पर वीटो का इस्तेमाल किया। इसके अतिरिक्त चीन ने प्रतिद्वंद्वी गुटों के बीच शांति स्थापित करवाने का भी प्रयास किया।
- चीन और रूस, सीरिया में "सत्ता परिवर्तन" को रोकने वाले सक्रिय सहयोगी रहे हैं। इन प्रयासों को ईरान द्वारा भी समर्थन प्रदान किया गया है।
- चीन ने फिलिस्तीन को एक राज्य के रूप में मान्यता दी है और फिलिस्तीनियों के लिए समर्थन की पेशकश की है।
- चीन ने शांति स्थापित करने के लिए सऊदी अरब और इजरायल से मिलकर काम करने के लिए आग्रह किया है।

इन सभी तथ्यों से यह स्पष्ट होता है कि चीन तेजी से बढ़ती वैश्विक शक्ति तथा प्रतिष्ठा के अनुरूप पश्चिम एशिया से संबंधित मामलों में ना उलझने की अपनी रणनीतिक अनिच्छा का त्याग करने के लिए तथा **एक ग्रेजुअलिस्ट प्रो एक्टिव नीति** को अपनाने के लिए तैयार है। बीजिंग में आम सहमति निर्मित होती जा रही है कि चीन के एक महत्वपूर्ण शक्ति बनने की अवधि में अपनाई गयी **निष्क्रिय(passive) विदेश नीति** को अपग्रेड करने की आवश्यकता है तथा महत्वपूर्ण वैश्विक शक्ति के रूप में विदेश नीति के निर्माण तथा क्रियान्वयन में प्रो एक्टिव दृष्टिकोण अपनाना चाहिए।

चीन-ईरान

- चीन के महत्वपूर्ण शक्ति बनने की प्रक्रिया में ईरान का महत्वपूर्ण स्थान है। पश्चिम एशिया और मध्य एशिया को जोड़ने वाली इसकी सामरिक अवस्थिति **राष्ट्रपति शी की वन बेल्ट,वन रोड पहल** की कुंजी है। ऊर्जा और बुनियादी ढांचे के विकास के क्षेत्र में ईरान, चीनी कंपनियों हेतु निवेश का अत्यधिक अवसर प्रदान करता है।
- चीन के दृष्टिकोण से, ईरान इस क्षेत्र के सबसे स्थिर देशों में से एक है। और यह पश्चिमी एशिया का एकमात्र बड़ा देश है जहां **अमेरिका का व्यावहारिक रूप से कोई प्रभाव नहीं है**। तेहरान को पश्चिम एशिया का प्रवेश मार्ग मानना चीन के लिए स्वाभाविक है।
- ईरान के अलगाव युग के दौरान, चीन ने दोहरा दृष्टिकोण अपनाया। चीन ने तेहरान के साथ आर्थिक और सुरक्षा सहयोग का तो विस्तार किया। किन्तु, ईरान के परमाणु कार्यक्रम के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का समर्थन भी किया।
- ऐसे समय में जब ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय वार्ताएं चल रही थीं, चीन का ईरान के साथ सुरक्षा संबंध और भी अधिक सशक्त हुआ।
- चीन ने बार-बार पश्चिमी शक्तियों द्वारा तेहरान के सहयोगी, सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद को निष्काषित करने के तैयार किए गए संकल्पों के विरूद्ध वीटो का प्रयोग किया।
- परमाणु समझौते के पश्चात तथा प्रतिबंधों को समाप्त कर दिए जाने के बाद चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ईरान की यात्रा करने वाले पहले विश्व नेता थे।
- दोनों देश खुफिया सूचनाओं को साझा करने ,आतंकवाद विरोधी उपायों, सैन्य आदान-प्रदान और समन्वय के माध्यम से सुरक्षा सहयोग बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। बीजिंग, **शंघाई सहयोग संगठन में ईरान की पूर्ण सदस्यता का भी समर्थन करेगा।**

चीन-सऊदी अरब

- 2015 में, सऊदी अरब चीन के लिए तेल का सबसे बड़ा स्रोत था। बीजिंग ने रियाद को इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और डीएफ - 21 बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली भी बेची है।
- दोनों देशो के बीच कई समझौतों तथा लगभग 65 अरब डॉलर के लेटर ऑफ़ इंटेंट पर हस्ताक्षर किये गए हैं। ये समझौते मुख्यतः ऊर्जा और बुनियादी ढांचे पर केन्द्रित होने के साथ ही निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष और अन्य क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- रियाद के साथ करीबी रिश्तों ने सऊदी अरब के पारंपरिक प्रतिद्वंदी ईरान के साथ चीन के मजबूत संबंधों पर प्रभाव नहीं डाला है। यह संकेत इस क्षेत्र में बीज़िंग के नॉन जीरो- सम दृष्टिकोण को उजागर करता है।

चीन-इजरायल संबंध

इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दोनों देशों के बीच एक **"इनोवेटिव कॉम्प्रेहेंसिव पार्टनरशिप"** की घोषणा की।

- इस 'साझेदारी' में चीन की रूचि उच्च तकनीकी और अन्य उन्नत क्षेत्रों में इजरायल की विशेषज्ञता से अधिकतम लाभ उठाने में है ।
- यह 'मेड इन चाइना-2025' रणनीति के अंतर्गत इंटरनेट, बिग डेटा और रोबोटिक्स जैसी तकनीकों का लाभ उठाकर चीन के विनिर्माण क्षेत्र को उन्नत स्तर वाले क्षेत्र में रूपांतरित करने के उद्देश्य से पूरी तरह संगत है ।

- चीन के साथ किसी भी राष्ट्र के संबंधों के स्तर का परीक्षण करने के लिए एक कसौटी के रूप में स्थापित होती जा रही बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में इज़राइल के भाग लेने की उम्मीद की जा रही है।

4.3. हाल में हुई यात्राएँ

(Recent Visits)

- कतर के प्रधानमंत्री **शेख अब्दुल्ला बिन नासिर बिन खलीफा अल-थनी** ने भारत की आधिकारिक यात्रा की। इस दौरान वीज़ा रहित यात्रा, साइबर अपराधों से निपटने के सम्बन्ध में तथा पोत प्रबंधन आदि से जुड़े कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
  - 2015-16 में भारत के LNG आयात में 66% योगदान के साथ कतर भारत के लिए सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
  - **भारतीय समुदाय की सुरक्षा और कल्याण**: कतर में भारतीय सबसे बड़े प्रवासी समुदाय हैं। 630,000 से भी अधिक प्रवासी भारतीय क़तर में रह रहे हैं।
- अबू धाबी के युवराज (क्राउन प्रिंस) और सशस्त्र बलों के उप सर्वोच्च कमांडर मोहम्मद बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान इस वर्ष गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। भारत और UAE ने व्यापक रणनीतिक साझेदारी, रक्षा उद्योग में सहयोग, SMEs आदि में सहयोग से सम्बंधित विभिन्न समझौतों पर हस्ताक्षर किए।
  - संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates:UAE) भारत की ऊर्जा सुरक्षा में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। यह 2015-16 में कच्चे तेल का पांचवां सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता था।
  - पिछले वर्ष UAE 50 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ खाड़ी क्षेत्र में भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार रहा। स्मार्ट शहरों से रियल एस्टेट तक कई क्षेत्रों में इसने 4 बिलियन डॉलर का निवेश किया।
- फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने हाल ही में भारत का दौरा किया। भारत और फिलिस्तीन ने कृषि सहयोग, स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग आदि से जुड़े विभिन्न समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए।
  - 1947 में, भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में फिलिस्तीन के विभाजन के खिलाफ मतदान किया था।
  - 1974 में फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में फिलीस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) को स्वीकारने वाला भारत पहला गैर-अरब राज्य था। भारत 1988 में फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देने वाले प्रारंभिक देशों में से एक था।
  - 1996 में, भारत ने गाज़ा में फिलिस्तीन अथॉरिटी के लिए अपना प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित किया, जिसे बाद में 2003 में रामल्लाह में स्थानांतरित कर दिया गया।
- तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एरदोगन ने भारत की राजकीय यात्रा की। तुर्की के राष्ट्रपति के रूप में यह एरदोगन की पहली यात्रा थी। दोनों देश द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान के 6.5 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर 2020 तक 10 बिलियन डॉलर करने के लिए सहमत हो गए हैं। दोनों पक्ष सूचना प्रौद्योगिकी, औषध (फार्मास्यूटिकल्स), स्वास्थ्य और पर्यटन के क्षेत्रों में सहयोग पर भी सहमत हुए हैं।
  - चूंकि तुर्की मध्य पूर्व में अस्थिर पड़ोसियों का सामना करता है, इसलिए एरदोगन की इच्छा भारत जैसे नए साथी खोजने की है जो तुर्की की आर्थिक संभावनाओं को बढ़ावा दे सकें एवं इसकी विदेश नीति को अधिकाधिक गहराई प्रदान करें।
  - भारत के लिए, तुर्की एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय देश है जिसे भारत की मध्यपूर्व नीति के वर्तमान पुनर्लेखन में सकारात्मक रूप से शामिल किया जाना चाहिए ।
  - भारत को उम्मीद है कि निरंतर संपर्क संबंध को इस प्रकार बनेंगे जो साझा चिंताओं को प्रतिबिम्बित करेंगे और साथ ही पाकिस्तान के साथ संबंधों से प्रभावित नहीं होंगे , जैसा भारत संयुक्त अरब अमीरात एवं सऊदी अरब के मामले में करने में सफल रहा है।
- इजरायली राष्ट्रपति, रुवेन रिवलिन, छह दिन की यात्रा पर भारत आए। इस दौरान साइबर सुरक्षा, नागरिक उड्डयन तथा नवीकरणीय ऊर्जा आदि क्षेत्रों में कई समझौतों पर हस्ताक्षर किये गए।
  - इजराइल **सुरक्षा और रक्षा** के क्षेत्र में भारत के एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में उभरा है।
  - कृषि में भारत को विशेष रूप से हरियाणा और महाराष्ट्र में बागवानी मशीनीकरण, संरक्षित खेती, फलोद्यान और वितान(CANOPY) प्रबंधन, नर्सरी प्रबंधन, सूक्ष्म सिंचाई और कटाई के बाद फसल प्रबंधन के क्षेत्र में इजरायली विशेषज्ञता और प्रौद्योगिकी से लाभ हुआ है। इजरायली ड्रिप सिंचाई प्रौद्योगिकियां और उत्पाद अब व्यापक रूप से भारत में प्रयोग किये जाते हैं।

VISION IAS

- दोनों देशों के बीच राजनीतिक संबंध मैत्रीपूर्ण हैं और हाल के वर्षों में, संबंधों का विस्तार विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा और आतंरिक सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में हुआ है।
- 1992-2011 के मध्य दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार मजबूत हुआ है। यह 4.5 बिलियन डॉलर के आसपास स्थिर है।
- इजराइल के लिए भारत से प्रमुख निर्यातों में कीमती पत्थर और धातुयें, रासायनिक उत्पाद, कपड़ा और वस्त्र सामग्री, पौधे एवं सब्जी उत्पाद और खनिज उत्पाद शामिल हैं। इजराइल से भारत के प्रमुख आयातों में कीमती पत्थर और धातुयें, रसायन (मुख्य रूप से पोटाश) और खनिज उत्पाद, आधार धातुयें(base metals) और मशीनरी और परिवहन उपकरण शामिल हैं।

4.4 सीरिया के लिए रूस-तुर्की शांति पहल

(Russian-Turkish Peace Initiative for Syria)

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने सीरिया के लिए रूसी-तुर्की शांति पहल के समर्थन में एक प्रस्ताव को सर्वसम्मति से स्वीकृत किया। इस प्रस्ताव में संघर्ष विराम तथा जनवरी 2017 में कजाखस्तान में वार्ता भी शामिल है।

- इस प्रस्ताव का उद्देश्य सीरिया सरकार के समर्थक रूस और ईरान तथा विद्रोही समूहों के समर्थक तुर्की के मध्य नए सिरे से वार्ता के लिए मार्ग प्रशस्त करना है।
- स्वीकृत प्रस्ताव में, सम्पूर्ण सीरिया में मानवीय सहायता की "तेज, सुरक्षित और निर्बाध" पहुँच सुनिश्चित किए जाने की भी बात की गई है।
- मानव अधिकारों के लिए ब्रिटेन स्थित सीरियन ऑब्जर्वेटरी के अनुसार, 2016 में, इस संघर्ष में लगभग 50000 लोगों की मृत्यु हुई।

पृष्ठभूमि

सीरिया में अशांति मध्य पूर्व में क्रांतियों की एक श्रृंखला के साथ ही आरम्भ हुई, जिसे अरब स्प्रिंग कहा जाता है। इसकी शुरुआत सीरियाई शहर दारा से हुई जहां कुछ किशोरों को विद्यालय भवन पर सरकार-विरोधी ग्रैफिटी (भित्ति-चित्र) बनाने के लिए प्रताड़ित किया गया। इस घटना के बाद 2011 में सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन प्रारम्भ हुआ जो आगे चलकर हिंसक विद्रोह में बदल गया। यह अब कई अन्य देशों में भी पहुँच गया है। अन्य घटनाएँ जिन्होंने संकट को बढ़ाया है, वे हैं:

- सरकार का अपने ही नागरिकों के विरुद्ध **गृह युद्ध** में संलग्न होना। इस दौरान देखा गया कि सरकार ने ***नर्व एजेंट सारिन*** **(Sarin)** का भी इस्तेमाल किया।
- असद के अल्पसंख्यक शिया अलावी संप्रदाय द्वारा ईरान के शिया लड़ाको और लेबनान के हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के साथ मिलकर सुन्नी विद्रोही समूहों के विरूद्ध **धार्मिक युद्ध** छेड़ना।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके सहयोगियों के विरुद्ध रूस और ईरान का **छद्म युद्ध** (proxy war) में शामिल होना।
- **ईराक़ में बढ़ते चरमपंथ तथा अस्थिरता के कारण ISIS** को मज़बूत होने में मदद हासिल हुई है।
- **2012 की जिनेवा कम्युनिक (Communique) की विफलता:** यह एक **संक्रमणकालीन शासी निकाय (transitional governing body)** की परिकल्पना करता है। इसके अनुसार, इस निकाय का गठन आपसी सहमति के आधार पर किया जाना चाहिए तथा इसमें पूर्ण कार्यकारी शक्तियाँ निहित होनी चाहिए।
- युद्धरत दलों द्वारा जरूरत मंद नागरिकों तक **मानवीय सहायता न पहुँचने देना।**

शांति पहल की संभावनाएँ

सीरियाई संकट के राजनयिक समाधान पर चर्चा हेतु रूस, तुर्की और ईरान का एक साथ आगे आना एक स्वागत योग्य कदम है।

- वाशिंगटन को इस शांति पहल से अलग रखा गया है।
- रूस और ईरान, सीरिया में शासन पर प्रत्यक्ष रूप से लाभ उठाने की स्थिति में हैं जबकि तुर्की अभी भी कई विद्रोही समूहों की मदद कर रहा है। धन और हथियारों के अतिरिक्त, विद्रोहियों को दूसरे पक्ष से किसी भी तरह का संवाद स्थापित करने के लिए भी तुर्की की आवश्यकता है।
- तुर्की का इस वार्ता में आने के पीछे कुछ कारण हैं:
  - राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एरडोगन को यह एहसास हुआ है कि उनकी सीरियाई सरकार विरोधी नीति का विपरीत प्रभाव पड़ा है।
  - तुर्की, इस्लामिक स्टेट के ज़ेहादियों तथा कुर्द उग्रवादियों दोनों से, गंभीर सुरक्षा चुनौतियों का सामना कर रहा है।

- यदि सीरिया में युद्ध की स्थिति बनी रहती है तथा अस्थिरता के चलते नए विद्रोही समूहों का गठन होता है तो तुर्की की सुरक्षा संबंधी चिंताएँ और अधिक बढ़ जाएगी। इसके साथ ही सीरिया के पक्ष में कुर्दों की ताकत में भी वृद्धि हो सकती है।

4.5. क़तर राजनयिक संकट

(Qatar Diplomatic Crisis)

क़तर पर आतंकवाद का समर्थन करने का आरोप लगाते हुए सऊदी अरब, मिस्र, UAE, यमन, लीबिया, बहरीन तथा मालदीव ने क़तर के साथ अपने राजनयिक सम्बन्ध तोड़ दिए।

वर्तमान संकट का कारण

आतंकवाद का मुद्दा- सऊदी अरब ने क़तर पर अल-कायदा और *इस्लामिक स्टेट* जैसे आतंकवादी समूहों की सहायता करने और **पड़ोसी खाड़ी देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का आरोप** लगाया है।

- क़तर ने मिस्र में होस्नी मुबारक शासन के पतन (2011 में) के बाद **मुस्लिम ब्रदरहुड** के उदय का स्वागत किया। इसके बाद इन देशों के मतभेद खुलकर सामने आ गए।
- सऊदी अरब ने क़तर पर **बहरीन** में तथा अपने शिया बाहुल्य **पूर्वी क़ातिफ** क्षेत्र में अशांति फ़ैलाने वाले मिलिटैंट्स का सहयोग करने का आरोप भी लगाया है।

तेहरान के साथ सम्बन्ध: विवाद का अन्य प्रमुख मुद्दा क़तर के ईरान के साथ संबंध हैं। क़तर, ईरान के साथ विश्व का सबसे बड़ा गैस क्षेत्र साझा करता है।

- वर्तमान समय में सऊदी अरब, तेहरान के प्रभाव का सामना करने के लिए सुन्नी राष्ट्रों का सहयोग प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है। ऐसे में **क़तर के तेहरान के साथ सम्बन्ध** सऊदी अरब के लिए चिन्ता का विषय हैं।

क़तर की प्रतिक्रिया

क़तर ने सऊदी अरब द्वारा जारी **"नॉन नेगोशिएबल "** माँगों की सूची को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि वह किसी भी ऐसे प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा जो **उसकी संप्रभुता के विरुद्ध हो या अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन** करता हो। इसके साथ ही क़तर इस मुद्दे का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी करना चाहता है।

वर्तमान संकट का प्रभाव

अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर क़तर को अलग-थलग करने के सऊदी अरब के प्रयास के **दूरगामी आर्थिक एवं राजनीतिक प्रभाव** हो सकते हैं।

- **इस्लामिक स्टेट के खिलाफ संघर्ष:**
  - कतर, खाड़ी क्षेत्र में **एक इकोनोमिक *पॉवर हाउस*** के रूप में स्थापित है। यहाँ अमेरिकी सेना की केंद्रीय कमान का फॉरवर्ड हेडक्वार्टर भी स्थित है। इसके अतिरिक्त **इराक और सीरिया में इस्लामिक स्टेट के विरुद्ध अमेरिका के नेतृत्व में जारी संघर्ष का वायु सेना कमान** भी क़तर में ही स्थित है।
  - अतः क़तर को अलग-थलग करने के किसी भी दीर्घकालिक प्रयास के न केवल आर्थिक परिणाम होंगे बल्कि यह IS के विरुद्ध जारी युद्ध को भी अधिक जटिल बना देगा।
- क़तर के विरुद्ध प्रतिबंधों के बाद से तेल की कीमतों में वृद्धि हुई है। क़तर लिक्वीफाइड नेचुरल गैस (LNG) का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता और कंडेनसेट (निम्न घनत्व युक्त तरल ईंधन) एवं प्राकृतिक गैस के अन्य उत्पादों का एक प्रमुख विक्रेता है।
- क़तर, 2.7 मिलियन की अपनी आबादी की बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्थल और समुद्री मार्गों से होने वाले आयात पर निर्भर है। क़तर का लगभग 40% खाद्यान्न आयात सऊदी अरब की स्थल सीमा के माध्यम से होता था। इसलिए क़तर को **भोजन की कमी का सामना करना पड़ सकता है**।
- संकट की शुरुआत के बाद क़तर के शेयर बाजार में 10% की गिरावट अथवा लगभग 15 बिलियन डॉलर (£12bn) का नुकसान हुआ। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी **मूडीज ने क़तर की रेटिंग स्टेबल से घटा कर निगेटिव कर दी है**।
- यह संकट **ईरान के साथ एक बड़े संघर्ष** का पूर्व-संकेत साबित हो सकता है। यह विश्व के लिए चिंता की स्थिति है। भारत के लिए यह विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि भारत कनेक्टिविटी के निर्माण और तेल भंडारों की उपलब्धता सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्धता के साथ काम कर रहा है।

क़तर के पड़ोसी देश क्या चाहते हैं?

प्रतिबंधों को समाप्त करने के बदले में क़तर के पड़ोसी देशों ने क़तर के समक्ष 22 जून को 13 सूत्री माँगों की सूची रखी जिसमें क़तर के लिए निम्नलिखित शर्तों को शामिल किया गया :

- क़तर, ईरान के साथ राजनयिक संबंध समाप्त करे एवं ईरान के राजनयिक मिशनों को बंद करे।

- सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मिस्र, बहरीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों द्वारा आतंकवादियों के रूप में घोषित व्यक्तियों या संगठनों के वित्त पोषण पर क़तर रोक लगाए।
- **अल जजीरा व क़तर द्वारा वित्त पोषित अन्य न्यूज़ आउटलेट्स को बंद किये जाएं।**
- **तुर्की के सैन्य अड्डे को बंद करे** और क़तर की सीमा में संचालित संयुक्त सैन्य सहयोग को रोके।
- अन्य संप्रभु देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करना बंद करे।
- क़तर अपनी नीतियों के कारण हुई जन-हानि की क्षतिपूर्ति करे।
- **अन्य अरब देशों के साथ सैन्य, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से सहयोग करे।**

भारत पर प्रभाव

खाड़ी क्षेत्र में शांति और स्थिरता की स्थापना से भारत के महत्वपूर्ण हित जुड़े हुए हैं। भारत ने इस क्षेत्र के देशों से क़तर संकट का रचनात्मक संवाद और वैश्विक रूप से स्वीकृत पारस्परिक सम्मान के सिद्धांतों के माध्यम से हल करने की अपील की है ।

प्रवासी समुदाय

- इस क्षेत्र में लगभग 8 मिलियन भारतीय निवास करते हैं। क़तर में रहने वाले प्रवासियों में सबसे अधिक संख्या भारतीयों की है। यही स्थिति दूसरे खेमे के दो प्रमुख देशों सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात में भी है।
- क़तर की आर्थिक घेरेबंदी क़तर के अन्य समुदायों के साथ-साथ वहां रह रहे भारतीय समुदाय को भी प्रभावित कर सकती है।

प्रेषित धन (Remittances)

- इस क्षेत्र में रहने वाला भारतीय प्रवासी प्रति वर्ष लगभग 40 बिलियन डॉलर की राशि भारत प्रेषित करता है। यह धन भारत के चालू खाते के घाटे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करता है।
- पश्चिम एशिया भारतीय इंजीनियरिंग उत्पादों के निर्यात के प्रमुख स्थलों में से एक है। यहाँ भारत के कुल इंजीनियरिंग निर्यात का 13% निर्यात होता है।

ऊर्जा सुरक्षा

- नई दिल्ली क़तर की LNG का जापान के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीददार है। भारतीय कंपनी Petronet LNG एक दीर्घकालिक सौदे के तहत प्रत्येक वर्ष दोहा से 8.5 मिलियन टन LNG आयात करती है।
- मध्य-पूर्वी देशों से भारत को होने वाले कुल आयात में तेल का हिस्सा 65 प्रतिशत था।

4.6. तुर्की का जनमत संग्रह

(Turkey Referendum)

तुर्की के संविधान में प्रस्तावित संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए या नहीं इस पर अप्रैल में तुर्की में संवैधानिक जनमत संग्रह कराया गया।

- तुर्की के राष्ट्रपति की शक्तियों में वृद्धि करने वाला प्रारूप संविधान मात्र **51%** से कुछ अधिक मतों के कम अंतर से स्वीकृत हुआ।

संविधान में किए गए महत्वपूर्ण परिवर्तन

जनमत संग्रह से पहले संविधान	जनमत संग्रह के बाद संविधान
• संसदीय शासन प्रणाली	• अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली
• राष्ट्रपति के पास प्रतीकात्मक शक्तियां हैं।प्रधान मंत्री और सरकार सक्रिय निर्वाहक//निष्पादक हैं	• गणराज्य का राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख होगा। कार्यकारी शक्ति का उपयोग राष्ट्रपति द्वारा किया जाएगा। वह उपराष्ट्रपतियों और मंत्रियों को नियुक्त और पदमुक्त करेगा।
• राष्ट्रपति किसी भी राजनीतिक दल से सम्बद्ध नहीं होता है और किसी भी पार्टी का नेता नहीं हो सकता है	• राष्ट्रपति राजनीतिक दल का सदस्य हो सकता है
• तुर्की की ग्रैंड नेशनल असेंबली के चुनाव हर चार साल पर आयोजित किए जाते हैं।	• नेशनल असेंबली और राष्ट्रपति पद के चुनाव हर पांच साल पर और एक साथ आयोजित किए जाएंगे।

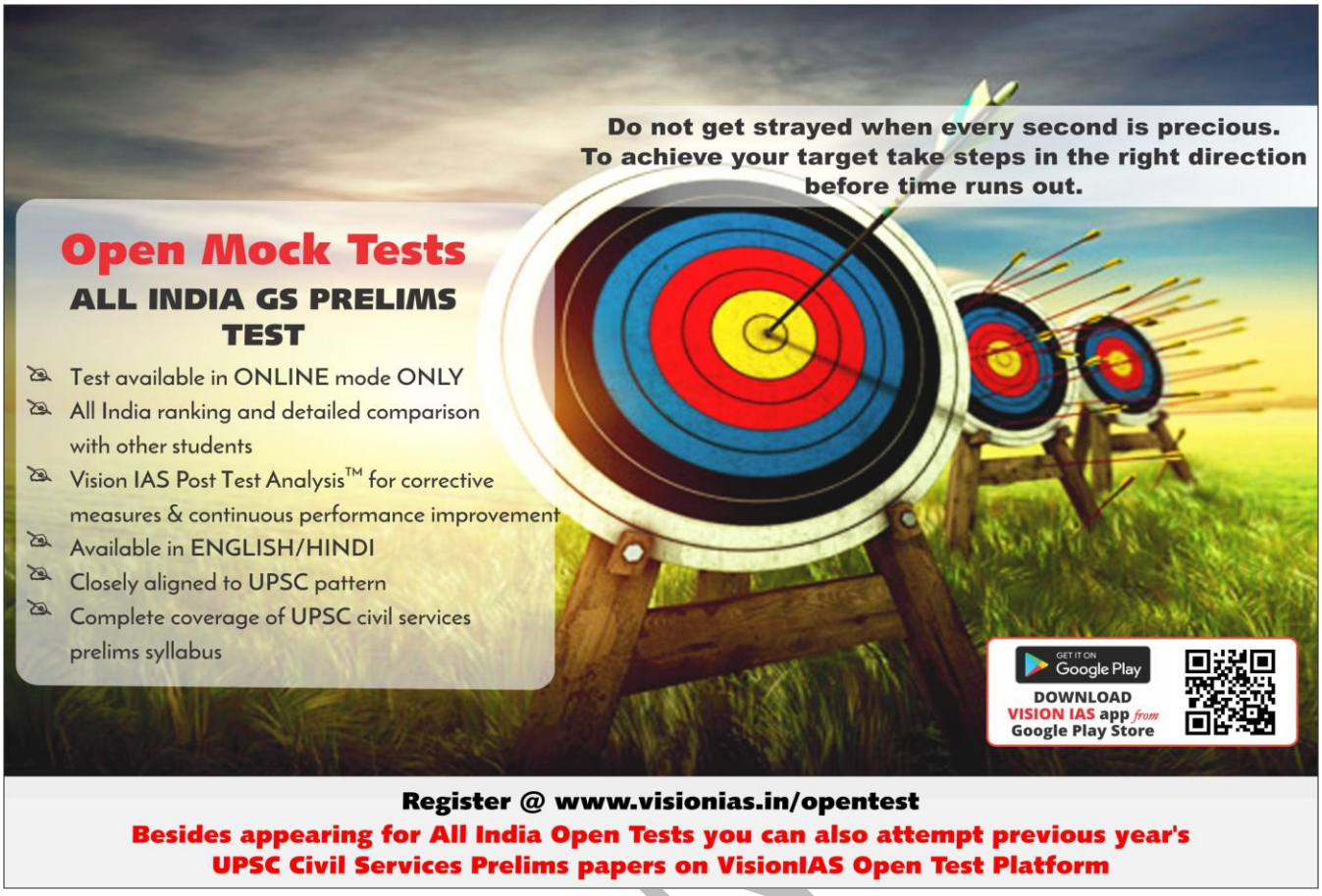
Do not get strayed when every second is precious.
To achieve your target take steps in the right direction before time runs out.
Open Mock Tests
ALL INDIA GS PRELIMS TEST
Test available in ONLINE mode ONLY
All India ranking and detailed comparison with other students
Vision IAS Post Test Analysis™ for corrective measures & continuous performance improvement
Available in ENGLISH/HINDI
Closely aligned to UPSC pattern
Complete coverage of UPSC civil services prelims syllabus
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store
Register @ www.visionias.in/opentest
Besides appearing for All India Open Tests you can also attempt previous year's UPSC Civil Services Prelims papers on VisionIAS Open Test Platform

"The Secret To Getting Ahead Is Getting Started"
ALTERNATIVE CLASSROOM PROGRAM for
GS PRELIMS & MAINS 2019 & 2020
Regular Batch
21 Sept 9 AM
25 Oct 5 PM
Weekend Batch
23 Sept 9 AM
Approach is to build fundamental concepts and analytical ability in students to enable them to answer questions of Preliminary as well as Mains examination
Includes comprehensive coverage of all the topics for all the four papers of G.S. Mains , GS Prelims & Essay
Includes comprehensive, relevant & updated study material
LIVE / ONLINE CLASSES AVAILABLE
Access to recorded classroom videos at personal student platform
Includes All India G.S. Mains, Prelim, CSAT & Essay Test Series of 2018, 2019, 2020
Our Comprehensive Current Affairs classes of PT 365 and Mains 365 of year 2018, 2019, 2020 (Online Classes only)
GET IT ON Google Play
DOWNLOAD VISION IAS app from Google Play Store

5. अफ्रीका

(AFRICA)

5.1. भारत-अफ्रीका

(India-Africa)

भारत, अफ्रीकी देशों के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक भागीदार के रूप में उभर रहा है । अफ्रीका के साथ इसके संबंधों को दक्षिण-दक्षिण सहयोग, *पीपल टू पीपल लिंकेज* विकास की समान चुनौतियों के सिद्धांतों के आधार पर एक मजबूत, साझा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के रूप में देखा जा सकता है।

वास्तव में, भारत और अफ्रीका के मध्य सदियों पुराने संबंध रहे है। ये सम्बन्ध विशेषकर पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीकी देशों के साथ, उपनिवेशवाद-विरोधी एवं रंगभेद-विरोधी संघर्ष और दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद संघर्षों के दौरान भारत के निरंतर समर्थन द्वारा अधिक मजबूत हुए है। अफ्रीका द्वारा स्वतंत्रता के राजनीतिक संघर्ष में औपचारिक जीत के बाद भारत-अफ्रीका संबंधों में आर्थिक कारक महत्वपूर्ण हो गए।

अफ्रीका का महत्त्व

भारत के अनेक महत्वपूर्ण राजनीतिक, रणनीतिक, आर्थिक और सामुद्रिक हित अफ्रीका के साथ जुड़े हुए है।

संसाधन सम्पन्न क्षेत्र

अफ्रीका एक प्राकृतिक संसाधन संपन्न, अविकसित से विकासशील के रूप में परिवर्तित होती अर्थव्यवस्थाओं एवं अनेक नव उदित लोकतन्त्रों का क्षेत्र है ।

वैश्विक संस्थानों में सुधार

इस महाद्वीप के सभी 54 देशों के साथ सहयोगात्मक संबंध संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् के स्थायी सदस्य बनने की भारतीय महत्वकांक्षा के लिए अनिवार्य है।

निजी क्षेत्र के लिए निवेश के अवसर

- भारत की अनेक बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा यहाँ कई रणनीतिक क्षेत्रों जैसे - कृषि व्यवसाय, फार्मास्यूटिकल्स, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (ICT) और ऊर्जा में पहले ही निवेश किया जा चुका हैं।
- अफ्रीका भारतीय वस्तुओं और सेवाओं के लिए एक महत्वपूर्ण बाजार के रूप में उभरा है। साथ ही, यह भारत की बढ़ती अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों की आवश्यकता की पूर्ति का एक महत्वपूर्ण स्रोत है।
- भारत, इस महाद्वीप में डिजिटल क्षेत्र के विकास संबंधी व्यापक संभावनाओं की पूर्ति के लिए भी महत्वपूर्ण योगदान कर सकता है।

हितों का परस्पर जुड़ाव

- दोनों पक्षों के मध्य विश्व व्यापार संगठन (WTO) तथा बहुपक्षीय व्यापार प्रणालियों के संबंधित विषयों पर सहमति बनी है। बाली में 2013 में सम्पन्न मंत्रिस्तरीय बैठक में भी, अफ्रीका और भारत द्वारा एक साथ विश्व व्यापार संगठन के विरुद्ध किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्यों हेतु स्थायी रूप से समाधान प्रदान करने और अपनाए जाने तक एक अंतरिम तंत्र की मांग की गयी है।
- **आतंकवाद को समाप्त करने हेतु सहयोग:** भारत ने 54 अफ्रीकी देशों के साथ खुफिया सूचनाओं के आदान-प्रदान एवं प्रशिक्षण के माध्यम से सहयोग का प्रभावशाली रूप से समर्थन किया है ।
- भारत और अफ्रीका के मध्य जलवायु परिवर्तन पर सहयोग। दोनों देशों का "ग्लोबल वार्मिंग" में योगदान बहुत कम रहा है ।
- सुरक्षा परिषद में सुधार के लिए हितों का अभिसरण (कन्वर्जेन्स) किया है। सुरक्षा परिषद के सुधारों हेतु दोनों पक्षों को "एक आवाज़" में बोलना आवश्यक है।
- *पीस कीपिंग ऑपरेशन* : भारत, संयुक्त राष्ट्र के *पीस कीपिंग* और अफ्रीका में अन्य अभियानों के लिए सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। 1960 के बाद से कुल 22 अभियानों में से 17 में 30000 कार्यकर्ता इस क्षेत्र में कार्यरत रहे है।
- भारत लोकतांत्रिक विकास के लिए एक उपयोगी मॉडल उपलब्ध कराता है। वास्तव में विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में भारत, अफ्रीकी सरकारों के अनुरोध पर अपने लोकतांत्रिक अनुभव को साझा करने के सम्बन्ध में सकारात्मक प्रतिक्रिया दे रहा है । यह विधि के शासन को मजबूती प्रदान करने हेतु इलेक्ट्रॉनिक मतदान प्रणाली, संसदीय प्रक्रियाओं, संघीय प्रशासन और स्वतंत्र न्यायिक प्रणाली पर प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है

VISION IAS

भारत और अफ्रीका के मध्य संबंध

- **आर्थिक**: अफ्रीका, भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक भागीदार है। पिछले 15 वर्षों में, अफ्रीका और भारत के मध्य व्यापार में कई गुना वृद्धि हुई है। यह गत पांच वर्षों में दोगुना होकर, 2014-15 में लगभग 72 अरब डॉलर के स्तर तक पहुंच गया है।
- पिछले 26 वर्षों में, 54 अरब डॉलर के निवेश के साथ, इस महाद्वीप में निवेश करने वाला भारत पांचवां सबसे बड़ा देश है।
- **पीपल टू पीपल कांटेक्ट**: दोनों देशों के मध्य पीपल टू पीपल कांटैक्ट में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बड़ी संख्या में अफ्रीकी उद्यमियों, चिकित्सा पर्यटकों, प्रशिक्षुओं और छात्रों ने भारत का और अनेक भारतीय विशेषज्ञों और उद्यमियों ने अफ्रीका का रूख किया है।
- **बिज़नेस टू बिज़नेस संबंध**; भारत और कई अफ्रीकी देशों के मध्य बिज़नेस टू बिज़नेस संबंधों के महत्व में भी वृद्धि हुयी है और यह सम्बन्ध सरकारों की परस्पर गतिविधियों के संचालन में भी विशेष भूमिका निभा रहे हैं ।
- अफ्रीका में एचआईवी / एड्स के इलाज़ के लिए अपेक्षाकृत सस्ती कीमतों के कारण भारतीय जेनेरिक दवाओं का भारी मात्रा में प्रयोग किया जाता है।

हाल ही में मंत्रिमंडल द्वारा, भारत और अफ्रीकन एशियन रूरल डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन (AARDO) के मध्य 2015 से 2017 के लिए हुए एक त्रिवर्षीय समझौते को मंजूरी दी गई। भारत में विभिन्न संस्थानों में इस त्रिवर्षीय अवधि के दौरान प्रत्येक वर्ष, ग्रामीण विकास के क्षेत्र में क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किये जायेंगें।

भारत द्वारा अफ्रीका को दी जाने वाली विदेशी सहायता

- 2006 में, भारत द्वारा 125 मिलियन डॉलर के पैन-अफ्रीकी ई-नेटवर्क, महाद्वीप की सबसे बड़ी दूरस्थ -शिक्षा और टेलीमेडिसिन पहल, के निर्माण के साथ अफ्रीका में अपने फ्लैगशिप ऐड इनिशिएटिव/बहुपक्षीय सहायिकी कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया। इस नेटवर्क के माध्यम से 47 अफ्रीकी देशों को उपग्रह और फाइबर ऑप्टिक लिंक के माध्यम से भारत के स्कूलों और अस्पतालों के साथ जोड़ा जायेगा।
- अफ्रीका में संचालित तकनीकी सहायता कार्यक्रमों में भारतीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग (ITEC) कार्यक्रम तथा स्पेशल कामनवेल्थ अफ्रीकन असिस्टेंस प्रोग्राम फॉर अफ्रीका (SCAAP) विशेष रूप से प्रमुख हैं। ITEC और SCAAP के तहत, 1,000 से अधिक अफ्रीकी विशेषज्ञों को भारत में प्रति वर्ष कई तकनीकी क्षेत्रों में अल्पकालिक प्रशिक्षण दिया जाता है - लोक प्रशासन, कृषि अनुसंधान और कंप्यूटर साक्षरता आदि के क्षेत्र में।
- भारत ने आर्थिक सहयोग को मजबूत करने के लिए 10 अरब डॉलर की एक नयी लाइन ऑफ़ क्रेडिट की पेशकश की है।
- इसके अतिरिक्त, भारत 600 मिलियन डॉलर की अनुदान सहायता प्रदान करेगा जिसमें भारत-अफ्रीका विकास निधि और भारत-अफ्रीका स्वास्थ्य निधि के लिए क्रमशः 100 मिलियन डॉलर और 10 मिलियन डॉलर भी शामिल होंगे। भारत ने अफ्रीकी छात्रों को भारत में शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्रदान करने के लिए 50,000 छात्रवृत्तियों की घोषणा भी की है।
- भारत के एक्ज़िम बैंक द्वारा 44 देशों के लिए, लगभग 8 अरब डॉलर की कुल राशि की, 152 लाइन्स ऑफ़ क्रेडिट का विस्तार किया गया है।
- अफ्रीका, भारत द्वारा संचालित अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA) के लिए महत्वपूर्ण महाद्वीप है। ISA के 24 सदस्यों में 12 से अधिक सदस्य अफ्रीका से हैं जहाँ सौर ऊर्जा की विशाल क्षमता मौजूद है।

अफ्रीका में भारत के समक्ष चुनौतियां

- राजनीतिक अस्थिरता: कई अफ्रीकी राष्ट्रों में व्याप्त राजनीतिक अस्थिरता भारत द्वारा किये गए दीर्घकालिक निवेश के अवसरों को प्रभावित कर सकती है।
- अफ्रीका में आतंकवादः हाल के वर्षों में, अफ्रीका में अल-कायदा और ISIS से संबद्ध चरमपंथियों के आतंकवादी हमलों में असाधारण वृद्धि हुई है।
- भारत में अफ्रीकी नागरिक: भारत को अफ्रीकी नागरिकों के मुक्त आगमन के लिए प्रयास किये जाने चाहिए I पिछले कुछ कुछ महीनों में, भारत में रहने वाले अफ्रीकी लोगों पर हमले की घटनाओं में वृद्धि हुई हैं। इन हमलों ने अफ्रीका में भारत की एक नकारात्मक छवि उत्पन्न की है जिससे महाद्वीप के साथ शताब्दी पुराने संबंधों पर प्रभाव पड़ सकता है।

महाद्वीप में चीन की मजबूत उपस्थिति:

अफ्रीका के साथ मजबूत संबंध बनाने के लिए भारत और चीन एक-दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं।

VISION IAS

AARDO बारे में

- AARDO, 1962 में स्थापित एक स्वायत्त, अंतर-सरकारी संगठन है, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- AARDO में वर्तमान में अफ्रीकी-एशियाई क्षेत्र के 31 देश हैं।
- भारत, इस संगठन के संस्थापक सदस्यों में से एक है और सदस्यों के बीच सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।

5.2 अफ्रीका में चीन Vs भारत

(China Vs India In Africa)

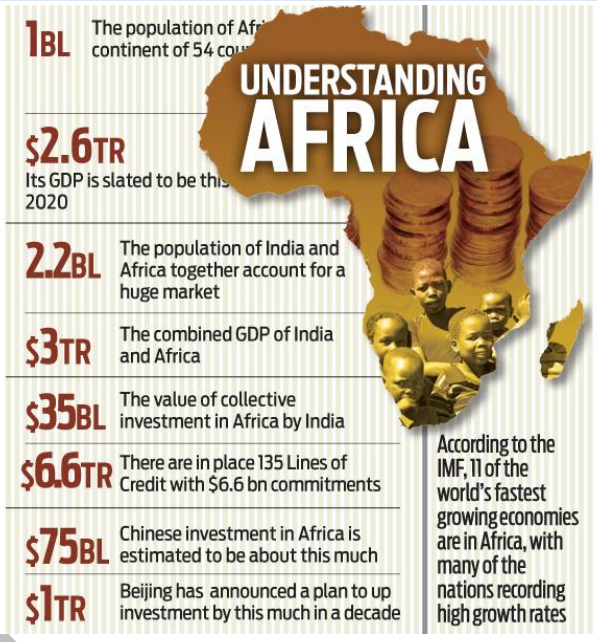

- प्राकृतिक संसाधनों, जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक विकास के कारण अफ्रीकी महाद्वीप, वैश्विक आकर्षण और प्रतिस्पर्धा का अगला थियेटर बनता जा रहा है।
- इस अवसर का फायदा उठाने के लिए चीन सहित विभिन्न देशों ने अफ्रीकी महाद्वीप में भारी निवेश किया है।
- यहाँ बढ़ती **चीनी-भारतीय संलग्नता** आर्थिक रूप से लाभकारी रही है। इससे बड़े पैमाने पर निवेश और विकास को प्रोत्साहन मिला है। साथ ही, अफ्रीकी नेताओं ने क्षेत्र में बढ़ती प्रतिस्पर्धा का स्वागत किया है।
- नए बाजारों, कृषि भूमि और प्राकृतिक संसाधनों तक पहुँच के लिए भारत और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा बढ़ रही है।
- चीन के आक्रामक आर्थिक दृष्टिकोण ने अफ्रीका में किसी अन्य देश की तुलना में अधिक प्रभाव स्थापित किया है। इस क्षेत्र में भारत की बढ़ती भागीदारी से चीन का प्रभुत्व धीरे-धीरे बाधित हो रहा है।
- भारत ने अपने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर बल देने की रणनीति पर ध्यान केंद्रित किया है ताकि ज़िम्बाब्वे, इथियोपिया और सूडान जैसे संसाधन संपन्न देशों के साथ व्यापारिक संबंधों के विकास में वृद्धि हो सके।
- **सूडान जैसे** देशों में भारत की *सॉफ्ट पावर स्ट्रैटेजी* की सफलता स्पष्ट हो गई है। यहाँ भारतीय कंपनियां स्थानीय तेल और प्राकृतिक गैस उद्योग पर पूर्ण नियंत्रण हासिल कर चुके हैं।
- ऐसी ही कुछ परिस्थिति जिम्बाब्वे में भी बन रही है। यहाँ भारत के निजी और सरकारी स्वामित्व वाले उद्यम ऊर्जा तथा संसाधन क्षेत्र में चीन के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं।
- भारत के **एस्सार ग्रुप** ने जिम्बाब्वे के स्टील निर्माता **ज़ीको स्टील** का 4 अरब डॉलर में अधिग्रहण किया है। ज़िम्बाब्वे सरकार ने हाल के दशकों में जिम्बाब्वे के सबसे बड़े प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सौदे के रूप में इसका स्वागत किया है।
- अफ्रीकी राष्ट्र तेजी से महसूस कर रहे हैं कि यद्यपि चीनी निवेश आकर्षक हैं किन्तु इनसे जुड़ी कुछ चिंताएँ भी हैं, जैसे:
    - चीनी कंपनियाँ, स्थानीय कामगारों की जगह चीनी कामगारों को काम दे रही हैं।
    - यह भी देखा गया है कि इन कंपनियों द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जाता है।
    - चीनी ऋण इस सख्त शर्त के साथ दिए जाते हैं कि ऋण प्राप्तकर्ता केवल चीनी तकनीकी का ही उपयोग करेंगे।
    - इन चिंताओं को मुख्य रूप से *सिविल सोसाइटी* द्वारा जताया गया है। हालांकि, कई सरकारों ने भी चीन के विकल्प की तलाश शुरू कर दी है।

भारत को इस अवसर का लाभ उठाने की आवश्यकता है। भारत के अफ्रीका से ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, भारतीय कम्पनियाँ स्थानीय श्रमिकों को रोजगार दे रही हैं तथा कौशल को भी बढ़ावा दे रही हैं। इनकी वजह से भारत को पहले ही अफ्रीकी लोगों का सद्भाव प्राप्त है।

5.3. भारत-पूर्व अफ्रीका

(India-East Africa)

पूर्व अफ्रीकी देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए उपराष्ट्रपति ने रवांडा और युगांडा की आधिकारिक यात्रा की। यह रवांडा की पहली उच्च स्तरीय यात्रा और 1997 के बाद भारत से युगांडा की पहली उच्च स्तरीय यात्रा थी।

भारत-रवांडा

- भारत और रवांडा ने दोनों देशों के बीच सीधी उड़ानों को सक्षम बनाने वाला द्विपक्षीय वायुसेवा समझौता किया है।
- अन्य दो समझौता ज्ञापन (MoUs) रवांडा में एक उद्यमी विकास केंद्र की स्थापना और राजनयिक एवं आधिकारिक पासपोर्टों के प्रवेश के लिए वीजा छूट से संबंधित है।

उपराष्ट्रपति की यात्रा की मुख्य विशेषताएं

- विज्ञान और प्रौद्योगिकी की एक प्रमुख पहल के रूप में उपराष्ट्रपति ने **भारत-रवांडा नवाचार विकास कार्यक्रम** का शुभारंभ किया।
- उपराष्ट्रपति ने **रवांडा में एक रेजिडेंट भारतीय मिशन** को खोलने के भारत के निर्णय को इस बात पर प्रकाश डालते हुए दोहराया कि यह सामरिक साझेदारी को आगे बढ़ाएगा।
- रवांडा में भारतीय समुदाय के लगभग 3,000 लोग हैं।
- उपराष्ट्रपति ने किगाली नरसंहार संग्रहालय में **1994 के नरसंहार** के शिकार लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित की।

रवांडा के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

रवांडा के राष्ट्रपति, श्री पॉल कागामे भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए।

यात्रा की उपलब्धियां -

- भारत और रवांडा के मध्य सामरिक साझेदारी की घोषणा;
- रवांडा गणराज्य द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबन्धन के फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर;
- रवांडा पुलिस और गुजरात फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय के बीच MoU पर सहमति;
- दवाओं के लिये 2 मिलियन US$ का अनुदान तथा चिकित्सा उपकरणों की खरीद के लिए 1 मिलियन US$ का अनुदान दिया गया;
- भारत सरकार द्वारा सड़क परियोजना के लिए 81 मिलियन US$ की लाइन ऑफ क्रेडिट की सहायता।

भारत-युगांडा

दोनों पक्ष व्यावसायिक प्रशिक्षण, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी और परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग करने पर सहमत हुए।

- सद्भावना प्रदर्शन के रूप में उपराष्ट्रपति ने युगांडा को 2 मिलियन अमरीकी डॉलर की दवाएं और 1 मिलियन डॉलर के चिकित्सकीय उपकरण भेंट किए।
- भारत युगांडा में कुछ विकास परियोजनाओं की सहायता करता है, जिसमें राष्ट्रीय रेफरल अस्पताल में **टेली-मेडिकल सेंटर** शामिल है जो कि भारत के 11 अस्पतालों से जुड़ा है।
- भारत युगांडा के सबसे बड़े व्यापारिक भागीदारों में से एक है। दोनों के मध्य अनुमानित द्विपक्षीय व्यापार लगभग 615 मिलियन अमरीकी डॉलर का है।
- वर्तमान में, युगांडा में 30,000 लोगों का सशक्त भारतीय समुदाय है, जिसने देश की अर्थव्यवस्था में उल्लेखनीय निवेश किया है।

भारत-केन्या

केन्या गणराज्य के राष्ट्रपति श्री उहुरू केन्याटा ने भारत का राजकीय दौरा किया।

यात्रा के मुख्य बिंदु

- भारत ने केन्या में कृषि यंत्रीकरण हेतु 100 मिलियन डॉलर के लाइन ऑफ़ क्रेडिट की घोषणा की।
- श्री केन्याटा ने भारत को **COMESA (पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के लिए साझा बाजार)** में अधिक गहराई से संलग्न होने हेतु आमंत्रित किया।
- भारत ने **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन** के फ्रेमवर्क समझौते में शामिल होने के लिए केन्या को आमंत्रित किया।
- भारत ने LED स्मार्ट स्ट्रीट लाइटिंग और घरेलू उपयोग के लिए LED बल्ब के क्षेत्र में अपनी विशेषज्ञ सहायता की पेशकश की।

रक्षा सहयोग

- समुद्री निगरानी, सुरक्षा, वाइट शिपिंग (white shipping) जानकारी साझा करने और संयुक्त जल सर्वेक्षण के क्षेत्र में।
- भारत ने **एयरो-इंडिया** और **DEFEXPO** की तरह की प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए केन्या को आमंत्रित किया है।
- हिन्द महासागर के तटवर्ती राज्यों के सदस्य के रूप में, दोनों पक्षों ने दोनों देशों के बीच सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मजबूत करने के महत्व पर बल दिया।

VISION IAS

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार

- केन्या ने प्रस्तावित विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अफ्रीका के लिए दावा पेश किया है, साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र सुधार के लिए भारत के अभियान का समर्थन भी करता है।

केन्या और पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC) में निवेश एवं व्यापार क्षमता

- यदि कंपनियाँ एक प्रतिस्पर्धी बाजार में सक्रिय होने के लिए तैयार होती हैं तो द्विपक्षीय व्यापार, जिसका मूल्य वर्ष 2014-15 में 4.23 बिलियन डॉलर था, में तेजी से विकास करने की क्षमता है।
- केन्या में ऊर्जा, दवा उद्योग(फार्मास्युटीकल), वस्त्र, कृषि और वित्तीय सेवाओं जैसे विविध क्षेत्रों में अवसर विद्यमान हैं।
- भारत सरकार और इंडिया इंक को एक व्यापार और औद्योगिक सहयोग की रणनीति का निर्माण करने के साथ EAC से मौजूदा सम्बन्ध को उन्नत करने की आवश्यकता है।

पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC)

- पूर्वी अफ्रीकी समुदाय (EAC), जिसमें केन्या, तंजानिया, युगांडा, रवांडा, बुरुंडी और दक्षिण सूडान शामिल हैं, अफ्रीका के क्षेत्रीय आर्थिक समुदायों में सबसे सफल समुदायों में से एक के रूप में उभरा है।
- एक सीमा शुल्क संघ की स्थापना करने के बाद, इसका उद्देश्य एक एकल बाजार का निर्माण तथा एक मौद्रिक संघ की स्थापना करना है।
- EAC 168 मिलियन उपभोक्ताओं का बाजार है और इसका संयुक्त सकल घरेलू उत्पाद 161 बिलियन डॉलर का है।

5.4. अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की दूसरी वार्षिक बैठक

[2nd Annual Meeting of African Development Bank (AFDB)-2017]

हाल ही में अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की 52वीं वार्षिक बैठक गांधीनगर, गुजरात में संपन्न हुई।

बैठक के बारे में

- यह पहली बार था, जब **AFDB** की वार्षिक बैठक का आयोजन भारत में किया गया।
- अफ्रीका में कृषि के महत्व तथा इस बैंक के विकास कार्यों को दर्शाते हुए, वर्ष 2017 की इस वार्षिक बैठक की थीम **"ट्रांसफॉर्मिंग एग्रीकल्चर फॉर वेल्थ क्रिएशन इन अफ्रीका"** थी।

AfDB के बारे में

- **AfDB** या बैंक अफ्रिकेन डी डेवलपमेंट (Banque Africaine de Developpment-BAD) एक **मल्टीलेटरल डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन (बहुपक्षीय विकास वित्त संस्था)** है।
- इसकी स्थापना वर्ष 1964 में हुई थी तथा इसमें तीन संस्थाएं शामिल हैं: अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक, अफ्रीकन डेवलपमेंट फण्ड और नाइजीरिया ट्रस्ट फंड।
- इसका लक्ष्य गरीबी से मुकाबला करना है, साथ ही इस क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास में योगदान देने वाली परियोजनाओं और कार्यक्रमों में सार्वजनिक और निजी पूंजी निवेश को बढ़ावा देते हुए महाद्वीप में निवास करने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार करना है।
- गांधीनगर में आयोजित की गई बैठक अफ्रीका से बाहर आयोजित की जाने वाली AfDB की वार्षिक बैठको में चौथी बैठक है। AfDB की अगली बैठक का आयोजन वर्ष 2018 में दक्षिण कोरिया के बुसान में किया जाएगा।
- भारत वर्ष 1983 में **AfDB** में शामिल हुआ। भारत इस बैंक का एक गैर-क्षेत्रीय सदस्य है।

भारत के लिए बैठक का महत्व

- इस बैठक को वर्ष 2015 में नई दिल्ली में आयोजित **भारत-अफ्रीका शिखर सम्मेलन** का स्वाभाविक परिणाम माना जा रहा है।
- चूंकि भारत ने चीन के बेल्ट और रोड पहल में हिस्सा लेने से मना कर दिया है। अतः चीन से इस क्षेत्र में प्रतिद्वंदिता बनाए रखने के लिए तथा भारत एवं भारत से भारत से बाहर इसके आर्थिक एवं अन्य प्रकार के हितों एवं भूगोल को देखते हुए विभिन्न प्रकार की कनेक्टिविटी, बुनियादी ढाँचे और विकास संबंधी परियोजनाओं के प्रति भारत सरकार के दृष्टिकोण को समझने के संदर्भ में इस बैठक के महत्व को समझा जा सकता है।

5.5. एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर

(Asia-Africa Growth Corridor)

भारत तथा जापान दोनों देशों के सरकारों ने प्रस्तावित एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के लिए विज़न दस्तावेज का अनावरण किया हैं।

एशिया-अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर(AAGC) क्या है?

AAGC प्राचीन समुद्र मार्गों को फिर से खोजते हुए भारत और दक्षिण-एशिया तथा दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के साथ अफ्रीकी महाद्वीप को जोड़ने वाले नए समुद्री मार्गों के द्वारा **"मुक्त और खुला भारत-प्रशांत क्षेत्र"** बनाने का प्रयास है।

- परियोजना के अंशधारकों को उम्मीद है कि समुंद्री गलियारा, स्थल गलियारे की तुलना में "**कम लागत**" वाला और **"कम कार्बन फुटप्रिंट (less carbon footprint)"** वाला होगा।
- परियोजना में जापान **अत्याधुनिक तकनीक** और गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना के निर्माण में अपना योगदान देगा जबकि भारत, **अफ्रीका में काम करने की अपनी विशेषज्ञता** उपलब्ध कराएगा |
- AAGC के मार्गदर्शक सिद्धांतों में संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता को बनाये रखते हुए **स्थिरता सुनिश्चित** करना एवं साथ ही, **उत्तरदायित्वपूर्ण ऋण वित्तपोषण की प्रथाओं** के उपयोग के माध्यम से क्षेत्रीय आर्थिक संपर्क को बढ़ावा देना है|
- इसके तहत निम्न भौगोलिक क्षेत्रों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा:अफ्रीका,भारत तथा दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया, पूर्वी एशिया और ओशिनिया।

चार महत्वपूर्ण तत्व

यह **"सतत और अभिनव विकास"** के लिए भारत और अफ्रीका के बीच करीबी संबंधो की परिकल्पना करता है। इसमें निम्न चार स्तंभों पर बल दिया जायेगा -

- स्वास्थ्य,कृषि, विनिर्माण और आपदा प्रबंधन में विकास और सहयोग की परियोजनाएं
- गुणवत्तायुक्त अवसंरचना का निर्माण और *कनेक्टिंग* संस्थानों का निर्माण
- क्षमताएं और कौशल विकसित करना
- लोगों के बीच भागीदारी को बढ़ाना

अधिक समावेशन

AAGC को भारत और जापान द्वारा चीन के बेल्ट एंड रोड पहल के जबाव के रूप में देखा जा रहा है | चीन के वन बेल्ट वन रोड (OBOR) परियोजना के विपरीत एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर को **अधिक खुला और समावेशी कार्यक्रम** माना जा रहा है जो **अधिक परामर्शों** पर आधारित होगा और व्यापार और आर्थिक संबंधों के **बजाय लोगों को केंद्र में रखेगा** |

- चीन अवसंरचना और चेकबुक कूटनीति पर ध्यान केंद्रित करता है जबकि भारत, **अफ्रीका के मानव संसाधनों के विकास** पर केंद्रित सहयोग परियोजनाओं और कार्यक्रमों के व्यापक स्पेक्ट्रम को बढ़ावा देता है।
- चीन की अकेले चलने की नीति है जबकि भारत, अफ्रीका की प्राथमिकताओं के अनुसार उसकी सहायता करने के लिए **अन्य इच्छुक देशों के साथ काम करने** के लिए तैयार है।
- OBOR एक स्थल गलियारे के विकास पर जोर देता है। वहीँ दूसरी ओर, AAGC अनिवार्य रूप से भारत तथा दक्षिण-पूर्व एशिया और ओशिनिया के अन्य देशों के साथ अफ्रीका को जोड़ने वाला समुंद्री गलियारा होगा।

विश्लेषण

अफ्रीका में क्षमता निर्माण में भारत के विकास सहयोग का लंबा इतिहास रहा है | पैन अफ्रीकी ई-नेटवर्क जैसे कई अनूठे कार्यक्रमों के माध्यम से भारत ने सामाजिक क्षेत्र के विकास में योगदान दिया है।

- चीन, अफ्रीका में तेजी से अपनी उपस्थिति का विस्तार कर रहा है। ऐसी स्थिति में, भारत और जापान के पास ज्यादा समय नही है। जब तक परिणाम अल्पावधि में दिखाई नहीं दे ,उनके संयुक्त दृष्टिकोण की विश्वसनीयता के बारे में प्रश्न उत्पन्न हो सकते हैं।
- उनकी विकास परियोजनाओं के दायरे में विस्तार की तत्काल आवश्यकता है। साथ ही, उनके बीच तालमेल बनाने तथा अन्य इच्छुक भागीदारों के साथ सक्रिय रूप से संलग्न रहने की जरूरत है जिससे AAGC को व्यावहारिक वास्तविकता में बदला जा सके।

VISION IAS

6. यूरोपीय संघ

(EUROPEAN UNION (EU)

6.1.भारत-EU

(INDIA-EU)

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में रणनीतिक साझेदारी के लिए, यूरोपीय संघ द्वारा चुने गए 10 देशों में एक भारत है। विश्व में सर्वाधिक आबादी वाला लोकतंत्र होने के कारण भारत एक उपयुक्त विकल्प है। 1994 में EU-भारत सहयोग समझौता हुआ था। यह समझौता यूरोपीय संघ और भारत के सम्बन्धों में राजनीतिक, आर्थिक और क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए क़ानूनी ढांचा प्रदान करता है।

- यूरोपीय संघ, भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
- 2014-15 में भारत और यूरोपीय संघ के बीच वस्तुओं का द्विपक्षीय व्यापार 98.5 अरब डॉलर का था तथा भारत ने अप्रैल 2012 और मई 2015 के बीच यूरोपीय संघ से 24.91 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) इक्विटी अंतर्वाह (equity inflows)प्राप्त किया।
- दोनों देशों के बीच व्यापार,लंबे समय से लंबित मुक्त व्यापार समझौता, जिसे आधिकारिक रूप से व्यापक व्यापार और निवेश समझौते (BTIA) के रूप में जाना जाता है, को शीघ्र लागू करके बढाया जा सकता है।

व्यापक-आधारित व्यापार और निवेश समझौता (BTIA) में गतिरोध

भारत और यूरोपीय संघ अभी तक किसी भी प्रकार के द्विपक्षीय मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप नहीं दे पाए हैं जबकि इस सम्बन्ध में बातचीत आज से एक दशक पूर्व 2007 में ही आरम्भ हो गयी थी।

BTIA वार्ताएं दोनों पक्षों के बीच बढ़ते मतभेदों के कारण लंबित हैं। क्योंकि दोनों देश व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात के लिए अधिक से अधिक बाज़ार पहुँच की मांग कर रहे हैं।

यूरोपीय संघ की मुख्य मांगें

- ऑटोमोबाइल, शराब और स्प्रिट सहित कई क्षेत्रों में टैरिफ को कम करने या हटाने पर यूरोपीय संघ ज़्यादा ज़ोर दे रहा है
- यूरोपीय संघ के 10 फीसदी के मुकाबले भारत में कार आयात शुल्क 60 और 120 फीसदी के बीच है।
- यूरोपीय संघ यह चाहता है कि भारत कड़े IP संरक्षण मानकों को अपनाए, भले ही यह WTO के निर्दिष्ट मानकों से परे ही क्यों न हो।

मॉडल बाइलेटरल इन्वेस्टमेंट पैक्ट्स

- भारत ने यूरोपीय संघ के देशों सहित कुल 50 से अधिक देशों के लिए पूर्व में लागू किए गए पुराने BITs को समाप्त कर दिया है तथा इन देशों को नए मॉडल के आधार पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा है। इन देशों के साथ पिछले BIT की अवधि 1 अप्रैल, 2017 को समाप्त हो गई है।
- यूरोपीय संघ ने पुराने BIT की समयसीमा में 6 महीने की वृद्धि करने के लिए लिए भारत पर दबाव डालते हुए कहा है कि संधि के अभाव में व्यापार संबंधों और FTA वार्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।
- मॉडल BIT में सबसे विवादास्पद मुद्दा निवेशक-राज्य विवाद निपटारा तंत्र रहा है क्योंकि इसके तहत कंपनियों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्राप्त करने की अनुमति तभी मिलती है जब सभी घरेलू विकल्प समाप्त हो जाते हैं।
- BIT के दायरे से कराधान को हटाने के लिए भी विदेशी भागीदारों द्वारा आलोचना की गई है।
- वोडाफोन और केयर्न जैसी प्रमुख यूरोपीय कंपनियां भारत द्वारा पूर्वव्यापी कर (retrospective taxes) लगाने कारण मुश्किलों का सामना कर रही हैं। इनके अनुभवों को देखते हुए यूरोपीय संघ भारत में अपने निवेश के संरक्षण को लेकर भी गंभीर रूप से चिंतित है।

भारत की मुख्य मांगें

- भारत की मुख्य मांग डाटा सुरक्षा दर्जा प्रदान किए जाने (यह यूरोपीय संघ की कंपनियों के साथ अधिक व्यापार करने हेतु भारत की सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अति महत्वपूर्ण है), कुशल पेशेवरों की आसान अस्थायी आवाजाही और कॉर्पोरेट जगत की निर्बाध आपसी आवाजाही को संभव बनाने की है।

VISION IAS

- यूरोपीय संघ को अपनी गैर-टैरिफ बाधाओं को दूर करना चाहिए, जो बेहतर सुरक्षा या गुणवत्ता की बजाय मुख्य रूप से स्थानीय कंपनियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए बनाए गए हैं।
- भारत ने यूरोपीय संघ में कृषि बाज़ार पहुँच की मांग, सैनिटरी एवं फाइटोसैनेटरी (पौधों और जानवरों से संबंधित मानदंड) प्रावधानों तथा व्यापार संबंधी तकनीकी बाधाओं को नियमबद्ध करने की मांग की है।

6.2. भारत-फ्रांस

(India-France)

प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस की आधिकारिक यात्रा की। यह भारतीय प्रधानमंत्री और नवनिर्वाचित फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमॅन्यूएल मैक्रॉन के बीच पहली सीधी बैठक थी।

यात्रा की मुख्य विशेषताएं

दोनों नेताओं ने रणनीतिक संबंधों को बढ़ाने, आतंकवाद का मुकाबला करने और जलवायु परिवर्तन आदि मुद्दों पर चर्चा की।

- भारत और फ्रांस **आतंकवाद और अतिवाद की चुनौती से निपटने** के लिए सहयोग को और बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं।
- भारत और फ्रांस, **जलवायु परिवर्तन की दिशा में मील के पत्थर, पेरिस जलवायु समझौते के कार्यान्वयन** के लिए काम करने के लिए सहमत हुए है।
- प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रपति मैक्रॉन की ***इंटरनेशनल सोलर अलायंस*** *(International Solar Alliance)* के प्रति सकारात्मक सोच की भी सराहना की।

भारत-फ्रांस सम्बन्ध

व्यापार और निवेश

- फ्रांस, भारत का 9 वां सबसे बड़ा निवेश भागीदार देश है।
- फ्रांस रक्षा, अंतरिक्ष, परमाणु एवं नवीकरणीय ऊर्जा, शहरी विकास और रेलवे जैसे क्षेत्रों में भारत की विकास पहलों में भी एक महत्वपूर्ण भागीदार है।

रणनीतिक साझेदारी

- 1998 में, फ्रांस **पहला देश** था जिसके साथ भारत ने **रणनीतिक साझेदारी** की स्थापना की थी। तब से 30 से अधिक देशों के साथ इस प्रकार की रणनीतिक साझेदारी की जा चुकी है।
- यह विशेष संबंध हमेशा तीन महत्वपूर्ण क्षेत्रों **परमाणु, अंतरिक्ष और रक्षा** पर केंद्रित रहा है।

परमाणु सहयोग

- 1974 में भारत के शांतिपूर्ण परमाणु परीक्षण के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा ने भारत के साथ अपने परमाणु कार्यक्रम समाप्त कर दिए। लेकिन **फ्रांस ने भारत के तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए ईंधन आपूर्ति करना जारी रखा।**
- इसी तरह, संयुक्त राज्य अमेरिका और अन्य देशों ने मई, **1998 में परमाणु परीक्षणों** के बाद भारत पर प्रतिबंध लगा दिए, **परन्तु फ्रांस ने ऐसा कुछ नहीं किया।** वास्तव में, तात्कालिक फ्रांसीसी राष्ट्रपति जैक्स शिराक ने सार्वजनिक रूप से भारत का समर्थन और अमेरिकी प्रतिबंधों का विरोध किया।
- परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) द्वारा भारत के साथ असैनिक परमाणु व्यापार करने की अनुमति देने के बाद फ्रांस भारत के साथ असैनिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला देश था।
- फ्रांस ने भारत में 16600 मेगावॉट के छह EPR (परमाणु रिएक्टरों) का निर्माण करने का निर्णय लिया है।

रक्षा सहयोग

- फ्रांस पहला देश था जिसके साथ भारत ने **1998 के परमाणु परीक्षणों के बाद 'वरुण' नामक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास** का आयोजन किया था।
- इसी तरह, इंडियन एयर फ़ोर्स (IAF) का 2003 में प्रथम द्विपक्षीय युद्धाभ्यास **'गरुड़ I'** किसी विदेशी राष्ट्र (फ्रेंच एयर फ़ोर्स) के साथ किया गया पहला अभ्यास था।

अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में सहयोग

- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग 60 साल पहले शुरू हुआ था। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग 60 वर्ष पूर्व, फ्रांस द्वारा भारत को ***सेंटएअर साउंडिंग रॉकेट्स (Centaure sounding rockets)*** के घरेलू उत्पादन के लिए तकनीक प्रदान करने के साथ प्रारंभ हुआ।

VISION IAS

- 1970 के दशक में फ्रांसीसी उपग्रह *सिम्फोनी (**Symphonie**)* का उपयोग करके पहला भारतीय *सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट Satellite Telecommunication Experimental Project (STEP)* शुरू किया गया था जिसके बाद *"एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट" (एप्पल) "Ariane Passenger Payload Experiment" (APPLE)* का प्रक्षेपण किया गया।
- वास्तव में, **बड़े भारतीय उपग्रहों, विशेष रूप से INSAT और GSAT श्रंखला के उपग्रहों का प्रक्षेपण करने के लिए एरियन स्पेस पसंदीदा एजेंसी थी।**
- ***EADS एस्ट्रियम (EADS Astrium)*** जैसे फ्रांसीसी संगठनों और ***भारतीय वाणिज्यिक कंपनी एंट्रिक्स (Indian commercial arm Antrix)*** ने एक साथ मिलकर पश्चिम में *पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल (Polar Satellite Launch Vehicle)* सम्बन्धी क्षमताओं का वाणिज्यीकरण करने की दिशा में कार्य किया जो दोनों देशों के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ।

6.3. भारत और जर्मनी

(India and Germany)

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जर्मनी की आधिकारिक यात्रा की। द्विपक्षीय रणनीतिक संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री और सुश्री एंजेला मर्केल द्वारा अंतर-सरकारी परामर्श **(IGC)** के चौथे दौर की वार्ता संपन्न की गयी ।

हस्ताक्षर किए गए समझौतों में 9 जॉइंट इंटेंट ऑफ़ डिक्लेरेशन (JDI) की घोषण और तीन समझौता ज्ञापन (MOU) शामिल हैं:

- डिजिटलीकरण, सशक्तिकरण और आर्थिक प्रभाव के क्षेत्र में
- इंडो-जर्मन सेंटर फॉर सस्टेनेबिलिटी की स्थापना के लिए
- साइबर नीति पर सहयोग के लिए
- भारत से कॉर्पोरेट और जूनियर एग्जीक्यूटिव को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान करने के क्षेत्र में सहयोग जारी रखने के लिए
- वित्त मंत्रालय और BMZ (आर्थिक सहयोग एवं विकास के लिए संघीय मंत्रालय) के बीच भारत-जर्मन विकास सहयोग पर
- मशीन टूल्स के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण और कौशल विकास में सहयोग करने पर
- विदेश मंत्रालय और जर्मन विदेश कार्यालय के बीच विदेश सेवा संस्थानों के बीच सहयोग के संबंध में
- रेल सुरक्षा में सहयोग बढ़ाने पर
- सतत शहरी विकास के लिए सहयोग पर
- भारतीय कौशल विकास अधिकारी और क्लस्टर प्रबंधकों के प्रशिक्षण के सहयोग से संबंधित समझौता।
- स्वास्थ्य क्षेत्र में सहयोग पर समझौता
- AYUSH और BMG (स्वास्थ्य से संबंधित संघीय मंत्रालय) के बीच वैकल्पिक चिकित्सा में सहयोग।

<u>पृष्ठभूमि</u>

- **<u>NSG सदस्यता:</u>** <u>जर्मनी ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (NSG) में भारत की सदस्यता का समर्थन किया है।</u>

<u>UNSC सुधार:</u>

- दोनों नेताओं ने G-4 और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में "टेक्स्ट-बेस्ड" सुधारों पर चल रही अंतर-सरकारी वार्ता (IGN) पर अन्य सुधार समर्थक देशों और समूहों के प्रभावशाली प्रयासों की सराहना की है।
- दोनों देशों ने परिष्कृत और विस्तारित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए एक दूसरे की उम्मीदवारी को पूर्ण समर्थन देने की बात दोहराई।

रणनीतिक सहयोग:

- अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा, वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास के लिए मौजूदा और उभरती हुई चुनौतियों का समाधान करने हेतु भारत और जर्मनी ने G-20, संयुक्त राष्ट्र और अन्य बहुपक्षीय मंचों पर द्विपक्षीय और अन्य सहयोगियों के साथ आपसी समन्वय बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की।

आतंकवाद

- भारत और जर्मनी ने किसी भी देश द्वारा आतंकवाद को प्रोत्साहित किये जाने, सहायता और वित्त उपलब्ध कराए जाने के कारण उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सामना करने का संकल्प भी व्यक्त किया है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक कन्वेंशन को जल्द से जल्द अपनाने का आवाहन किया है।

भारत के लिए जर्मनी का महत्व

3.5 ट्रिलियन डॉलर के साथ जर्मनी विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा यूरोपीय संघ के बजट में लगभग 20% का योगदान करता है।

- जर्मनी, यूरोपीय संघ में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार है तथा साथ ही भारत- यूरोपीय संघ के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर होने वाली चर्चा में महत्वपूर्ण मध्यस्त भी है।
- वर्तमान में जर्मनी भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करने वाले अग्रणी देशों में से एक है। भारत में लगभग 1,800 जर्मन कंपनियाँ व्यवसाय कर रही हैं।
- भारत और जर्मनी वर्ष 2000 से ही रणनीतिक साझेदार रहे हैं।
- जर्मनी और भारत ,अफ्रीका और हिंद महासागर क्षेत्र **(IOR)** में कनेक्टिविटी और विकास से संबंधित संयुक्त परियोजनाओं की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं। दोनों देश चीन के 'बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव' से संबंधित सभी सामान्य पहलुओं पर चर्चा कर रहे हैं।
- भारत के पास अक्षय ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित महत्वाकांक्षी योजनाएँ है। अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत और जर्मनी के लिए उज्ज्वल भविष्य की संभावनाएं विद्यमान हैं।

6.4. भारत-ब्रिटेन

(India-UK)

- ब्रिटेन की प्रधानमंत्री 'थेरेसा मे' ने व्यापार के लिए **नियमित तौर पर ब्रिटेन आने वाले भारतीयों के लिए एक पंजीकृत यात्रा योजना** की पेशकश की।
- ब्रिटेन "कार्य और अध्ययन मार्गों" से आव्रजन को सीमित करने की भी योजना बना रहा है जिसका प्रभाव ब्रिटिश कंपनियों द्वारा काम पर रखे जाने वाले भारतीयों पर पड़ेगा।

यात्रा योजना के बारे में

- इस योजना के तहत, अक्सर ब्रिटेन का दौरा करने वाले और दोनों देशों के विकास के लिए योगदान देने वाले भारतीय नागरिकों के लिए कम फॉर्म भरे जाने, EU-EEA (यूरोपियन यूनियन- यूरोपियन इकॉनोमिक एरिया) पासपोर्ट नियंत्रण तक पहुँच, हवाई अड्डों में सुगम आवाजाही सहित 'काफी आसान' प्रवेश प्रक्रिया होगी।
- इससे व्यापार और दोनों देशों में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देशों के बीच संबंध मजबूत होंगे।

आव्रजन योजना के बारे में

प्रस्ताव के अनुसार

- आव्रजन प्रणाली की पुनर्समीक्षा की जाएगी कि क्या यह ब्रिटिश श्रमिकों में निवेश करने के लिए व्यवसायों को उपयुक्त प्रोत्साहन प्रदान करती है।
- दिसंबर 2016 से, किसी मकान मालिक द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को जिसे ब्रिटेन में रहने का अधिकार नहीं है, अपनी संपत्ति किराये पर देना आपराधिक कृत्य होगा जिसके लिए मकान मालिक को जेल की सजा हो सकती है।
- टैक्सी ड्राइव करने के लिए लाइसेंस पाने के इच्छुक लोगों के लिए आप्रवासन की जाँच, एक अनिवार्य आवश्यकता होगी।
- 2017 से, बैंकों को यह सुनिश्चित करने के लिए कि वे अवैध प्रवासियों के लिए आवश्यक बैंकिंग सेवाएं प्रदान नहीं कर रहे हैं, नियमित जांच करनी होगी।

आव्रजन योजना के भावी प्रभाव

- कठोर आव्रजन "ब्रिटेन के श्रम बाजार में अंतराल को सुनिश्चित करेगा।
- यह कार्रवाई ब्रिटेन में अध्ययन करने की योजना बना रहे भारत के छात्रों को प्रभावित करेगी; पहले से ही, वर्तमान में उनकी संख्या पूर्व समय की तुलना में सबसे निचले स्तर पर है।

EU-EEA के बारे में

- यूरोपीय संघ (EU) 28 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संघ है। यह एक आंतरिक (या एकल) बाजार संचालित करता है जो सदस्य देशों के बीच वस्तुओं, पूंजी, सेवाओं और लोगों की मुक्त आवाजाही की अनुमति देता है।
- EEA में EU के देश तथा आइसलैंड, लिंचेस्टीन और नॉर्वे शामिल हैं। यह उन्हें EU के एकल बाजार का हिस्सा बनने की अनुमति देता है।

VISION IAS

- स्विट्जरलैंड न तो EU का सदस्य है और न ही EEA का, लेकिन यह एकल बाजार का हिस्सा है। इसका अर्थ है कि स्विस नागरिकों को अन्य EEA नागरिकों के समान ब्रिटेन में रहने और काम करने का अधिकार है।

ब्रिटेन की वर्तमान आव्रजन स्कीम

- यूनाइटेड किंगडम विश्व में सबसे कठोर आव्रजन नीतियों वाले क्षेत्रों/देशों में से एक है।
- मोटे तौर पर, आप्रवासियों के लिए ब्रिटेन वीजा कानूनों को टियर-1 और टियर-2 स्तरीय प्रणाली में वर्गीकृत किया गया है।

टियर 1 उन अत्यधिक सम्मानित प्रवासियों से संबंधित है जो वास्तव में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था में योगदान कर सकते हैं।

- प्रवासी प्रोफाइल के प्वाइंट आधारित आंकलन के आधार पर पात्रता का मूल्यांकन किया जाता है।
- इस प्वाइंट आंकलन में 95 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है और यदि प्रवासी योग्य वीजा वर्ग (क्वालीफाईड वीजा क्लास) के तहत आवेदन कर रहा है तो 100 अंक प्राप्त करना अनिवार्य है।

टीयर 2 में विभिन्न वर्गों के तहत प्रशिक्षित श्रमिक सम्मिलित हैं।

6.4.1. चागोस द्वीपसमूह विवाद

(Chagos Archipelago Dispute)

ब्रिटिश विदेश सचिव ने अमेरिकी सैन्य अड्डे डिएगो गार्सिया, और हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीपसमूह के भविष्य पर ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरीशस के बीच मौजूदा तनाव को दूर करने में भारत की सहायता की मांग की है।

चागोस द्वीपसमूह के बारे में

- चागोस द्वीपसमूह - ब्रिटेन द्वारा इसे ब्रिटिश हिंद महासागरीय क्षेत्र के रूप में संदर्भित किया जाता है, लेकिन इसे इस रूप में मॉरिशस द्वारा मान्यता प्रदान नहीं की जाती। यहाँ **अमेरिकी मिलिट्री बेस डिएगो गार्सिया** भी स्थित है।
- 1960 और 1970 के दशक में, निवासियों को इन द्वीपों से हटा दिया गया था।
- मॉरिशस ने बार बार कहा है कि चागोस द्वीपसमूह इसके क्षेत्र का भाग है और ब्रिटेन का दावा आजादी से पहले औपनिवेशिक प्रदेशों के विच्छेदन (dismemberment) पर प्रतिबंध लगाने के संयुक्त राष्ट्र के संकल्पों का उल्लंघन है।
- 2015 में, **स्थाई मध्यस्थता न्यायालय (Permanent Court of Arbitration)** ने सर्वसम्मति से घोषणा की कि अप्रैल 2010 में ब्रिटेन द्वारा चागोस द्वीपसमूह के चारों ओर समुद्री संरक्षित क्षेत्र (marine protected area: MPA) घोषित किया जाना इस अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है।
- ब्रिटिश मानते हैं कि डिएगो गार्सिया का भविष्य सुनिश्चित करना इस क्षेत्र में **भारत के सुरक्षा हितों के लिए भी ठीक होगा।**

भारत की स्थिति

- भारत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि इस विषय पर हमारी दीर्घकालिक और सैद्धांतिक स्थिति रही है। भारत ने सुझाव दिया है कि इस सम्बन्ध में **एक सौहार्दपूर्ण समाधान तक पहुँचने के लिए ब्रिटेन और मारीशस को द्विपक्षीय वार्ताएं करनी चाहिए।**
- ब्रिटेन का दृष्टिकोण भारतीय पक्ष द्वारा **एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा रहा है, जो इस क्षेत्र के सुरक्षा मामलों में भारत के साथ साझेदारी हेतु ब्रिटेन की उत्सुकता की ओर संकेत करता है।**

6.5. अन्य यात्राएँ

(Other Visits)

यूक्रेन: यूक्रेन के उप प्रधानमंत्री श्री स्टेपन कुबीव (Stepan Kubiv) ने भारत का दौरा किया।

- यूक्रेन ने क्रीमिया प्रायद्वीप पर रूस के दावे का समर्थन नहीं करने के लिए भारत की सराहना करते हुए भारतीय सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण की योजना में सहयोग की इच्छा प्रकट की।
- यूक्रेन से दौरा महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे पूर्व पिछली बड़ी यात्रा दिल्ली में 2012 में राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच द्वारा की गई थी।

पोलैंड :

- उपराष्ट्रपति ने पोलैंड की आधिकारिक यात्रा की।
- भारत और पोलैंड ने कृषि क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी के आदान-प्रदान के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
- पोलैंड ने परमाणु आपूतिकर्ता समूह (NSG) की सदस्यता एवं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट हेतु भारत को अपना समर्थन प्रदान करने का आश्वासन दिया।
- पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा आर्थिक साझेदार है। पिछले एक वर्ष में द्विपक्षीय व्यापार 25% बढ़ गया है।
- पोलैंड में भारतीय निवेश 3 बिलियन यू.एस. डॉलर है एवं भारत में पोलैंड का निवेश 600 मिलियन यू.एस. डॉलर है।
- पोलैंड ने मिसाइल टेक्नोलॉजी कन्ट्रोल रिजीम (MTCR) हेतु भारत की सदस्यता का समर्थन किया था।
- भारत के संदर्भ में इसके राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, विशेष रूप से खाद्य प्रसंस्करण, कोयला खनन, हरित एवं नवीकरणीय ऊर्जा के साथ-साथ शिक्षा के क्षेत्र में, कई पोलिश प्रौद्योगिकियां अत्यिधक प्रासंगिक हैं।

पुर्तगाल: पुर्तगाल के प्रधानमंत्री एंटोनियो कोस्टा ने बेंगलुरु में मुख्य अतिथि के रूप में 14 वें प्रवासी भारतीय दिवस में भाग लिया।

- भारत और पुर्तगाल ने व्यापक क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने के लिए सात समझौतों पर हस्ताक्षर किए। ये समझौते नवीकरणीय उर्जा ,स्टार्ट अप ,कृषि -व्यापार तथा सूचना-प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों से संबंधित हैं।
- आतंकवाद का मुकाबला करने में संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं ने **1267 संयुक्त राष्ट्र प्रतिबंध समिति** द्वारा प्रगणित उपायों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का आह्वान किया।
- संयुक्त वक्तव्य में दोनों पक्षों ने **'शून्य सहिष्णुता' की भावना** के साथ आतंकवाद का मुकाबला करने में सहयोग को मजबूत करने हेतु यह रेखांकित किया कि राष्ट्रों को 'गैर-राज्य तत्वों' सहित किसी भी आधार पर किसी भी आतंकी इकाई का समर्थन नहीं करना चाहिए।

साइप्रस: साइप्रस गणराज्य के राष्ट्रपति, निकोस अनास्तासीड्स ने 25-29 अप्रैल, 2017 के बीच भारत की आधिकारिक यात्रा की। भारत एवं साइप्रस ने वायु सेवाओं, मर्चेंट शिपिंग, कृषि समेत चार समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

- साइप्रस संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य के रूप में भारत के प्रवेश का भी समर्थन करता है।
- साइप्रस यूरोपीय संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते (FTA) को सुविधाजनक (facilitate) बनाने में भारत की सहायता भी करना चाहता है।
- 8.5 बिलियन डॉलर से अधिक के FDI के साथ साइप्रस भारत के लिए आठवां सबसे बड़ा निवेशक है। हालांकि, इसे निवेशों को मार्ग प्रदान करने के लिए टैक्स हेवन के रूप में माना जाता था और भारत ने इसे गैर-सहयोगी देश के रूप में ब्लैकलिस्ट किया था।
- भारत और साइप्रस ने नवंबर, 2016 में दोहरे कराधान के परिहार और राजकोषीय अपवंचन की रोकथाम के लिए संशोधित संधि पर हस्ताक्षर किए थे।
- तब से, भारत ने साइप्रस के संबंध में अधिसूचित क्षेत्राधिकार क्षेत्र (notified jurisdictional area) या ब्लैकलिस्ट के टैग को भी हटा दिया है।

स्पेन: हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने स्पेन की यात्रा की। यह लगभग तीस वर्षों में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली स्पेन यात्रा थी।

- स्पेन, यूरोपीय संघ में भारत का सातवाँ सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है। 2016 में भारत एवं स्पेन के मध्य द्विपक्षीय व्यापार करीब 5.27 अरब डॉलर का रहा।
- स्पेन भारत में निवेश करने वाला 12वाँ सबसे बड़ा निवेशक है।

VISION IAS

7. अमेरिका

(USA)

7.1. प्रधानमंत्री मोदी की अमेरिका यात्रा

(PM Modi Visit to USA)

प्रधानमंत्री मोदी द्वारा अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की गई। यह प्रधानमंत्री मोदी की इस कार्यकाल के दौरान चौथी अमेरिकी यात्रा तथा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ पहली प्रत्यक्ष आधिकारिक बैठक थी।

भारत-अमेरिकी द्विपक्षीय संबंध 'ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप' के स्तर तक विकसित हो चुके हैं। इन संबंधों का आधार साझे मूल्य तथा द्विपक्षीय महत्व के मुद्दों से संबंधित **हितों** में बढ़ता हुआ अभिसरण (कनवर्जेंस) है।

यात्रा के मुख्य बिंदु

भारत और अमेरिका द्वारा जारी संयुक्त वक्तव्य न केवल द्विपक्षीय बल्कि वैश्विक मुद्दों पर भी भारत के साथ सक्रिय सहयोग के लिए ट्रंप प्रशासन की उत्सुकता को प्रदर्शित करता है।

रक्षा सहयोग

- अमेरिका ने भारत में **22 मानवरहित गार्जियन ड्रोन (guardian drones)** की बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस समझौते को ***"गेम चेंजर"*** के रूप में भी वर्णित किया जा रहा है। 2-3 अरब डॉलर के अनुमानित मूल्य के इस समझौते को *स्टेट डिपार्टमेंट* द्वारा मंजूरी प्रदान कर दी गई है।

समुद्री सुरक्षा और सूचनाओं का साझाकरण

- दोनों नेताओं ने "*व्हाइट शिपिंग*" से सम्बंधित सूचना साझाकरण व्यवस्था के कार्यान्वयन पर अपनी सहमती दी। यह समझौता देशों को *मेरीटाइम ट्रैफिक* और *डोमेन अवेयरनेस* से सम्बंधित सूचनाओं को साझा करने की अनुमति प्रदान करता है।
- आगामी मालाबार नौसैनिक अभ्यास के महत्व को ध्यान में रखते हुए नेताओं ने साझा समुद्री उद्देश्यों पर अपने **कार्यकलापों को विस्तारित करने और नए अभ्यासों की संभावनाओं का पता लगाने के लिए सहमति व्यक्त की।**

आतंकवाद तथा पाकिस्तान

- दोनों देशों की ओर से जारी संयुक्त बयान में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को रोकने के लिए पाकिस्तान पर दबाव बनाने की रणनीति पर सहमति व्यक्त की गई।
- 26/11 मुंबई, पठानकोट एवं पाकिस्तान-आधारित समूहों द्वारा अन्य सीमा पार आतंकवादी हमलों के आरोपी व्यक्तियों पर शीघ्रता से कार्यवाही करने के लिए
- *यू. एस स्टेट डिपार्टमेंट* द्वारा हिज्ब-उल-मुजाहिदीन के नेता सैयद सलाहुद्दीन को एक वैश्विक आतंकवादी के रूप में घोषित करने के लिए कदम उठाया गया। भारत द्वारा इस कदम का स्वागत किया गया।
- अमेरिका द्वारा ***यू एन कॉम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म*** के लिए की गई भारतीय पहल का भी स्वागत किया गया है।

जलवायु परिवर्तन

- जलवायु परिवर्तन, नरेंद्र मोदी तथा बराक ओबामा की वार्ता का प्रमुख मुद्दा था लेकिन यह ट्रंप के साथ जारी किए गए सयुंक्त वक्तव्य में प्रमुखता प्राप्त नहीं कर सका।
- अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पेरिस जलवायु समझौते से अलग होने की घोषणा की गई तथा इसके लिए उन्होंने भारत और चीन को दोषी ठहराया है।
- अमेरिका द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के साथ-साथ परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह, वासेनार व्यवस्था और ऑस्ट्रेलिया समूह में भी भारत की सदस्यता का समर्थन किया गया।

उत्तर कोरिया

- उत्तर कोरिया का मुद्दा, वर्तमान में भारत-अमेरिका सहयोग के एक प्रमुख घटक के रूप में विकसित हुआ है। इस संदर्भ में चीन और पाकिस्तान को कथित रूप से दोषी ठहराया गया है।
- दोनों नेताओं ने उत्तर कोरिया की "लगातार उकसावे के कृत्यों" की निंदा की।

भारत के लिए यूएस की तरल प्राकृतिक गैस

- विदेश सचिव द्वारा बताया गया कि आगामी वर्ष से भारत में अमेरिका से तरल प्राकृतिक गैस का आयात किया जायेगा।

VISION IAS

अफगानिस्तान पर

- डोनाल्ड ट्रंप द्वारा अफगानिस्तान में लोकतंत्र, स्थिरता, समृद्धि और सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए "भारतीय योगदान" का स्वागत किया गया।
- अफगानिस्तान के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारी के महत्व को स्वीकार करते हुए दोनों नेताओं ने अफगानिस्तान के साथ परामर्श और सहयोग जारी रखने के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जाहिर की।

चीन पर

- सयुंक्त वक्तव्य में भारत और अमेरिका को भारत-प्रशांत क्षेत्र में दो "लोकतांत्रिक दिग्गजों" के रूप में मान्यता दी गई है। यह मान्यता इस क्षेत्र में गैर-लोकतांत्रिक शक्तियों (चीन) के खिलाफ लोकतांत्रिक देशों के गठबंधन के निर्माण के लिए एक स्पष्ट संकेत है।
- **दक्षिण चीन सागर:** संयुक्त वक्तव्य में "सम्पूर्ण क्षेत्र में नेविगेशन, विमानन और वाणिज्य की स्वतंत्रता के सम्मान के महत्व को स्वीकार किया गया है" इस सहयोगात्मक भाषा के माध्यम से राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा चीन के साथ किये गये समझौतों के महत्व को भी दर्शाया गया।

आर्थिक मुद्दों पर

- **"मुक्त और निष्पक्ष व्यापार में वृद्धि "** नामक एक संपूर्ण खंड को इस वक्तव्य में शामिल किया जाना **ट्रंप प्रशासन की द्विपक्षीय व्यापार से सम्बंधित चिंताओं** को प्रदर्शित करता है। उदाहरण के लिए, **"व्यापार घाटे को संतुलित करने", "नवाचार की सुरक्षा" और उन क्षेत्रों में "बाजार पहुँच में वृद्धि "** जहां अमेरिकी उद्योग भारतीय नीति के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं।
- राष्ट्रपति ट्रंप की पुत्री इस वर्ष के अंत में होने वाले **ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन (GES)** में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगी। वैश्विक उद्यमियों और नवप्रवर्तनकों को एक मंच पर लाने के लिए GES पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की विदेश नीति की एक महत्वपूर्ण पहल है। **अगले ग्लोबल उद्यमिता शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत** द्वारा की जाएगी।

निष्कर्ष

इस संयुक्त वक्तव्य में,

- उत्तर कोरिया, पश्चिम एशिया और अफगानिस्तान का उल्लेख करते हुए, दोनों देशों के मध्य **"बढ़ते हुए स्ट्रेटेजिक कन्वर्जेन्स"** और अन्य वैश्विक मामलों पर एक साझा दृष्टिकोण अपनाने पर सहमति का निर्माण हुआ।
- पाकिस्तानी सीमा से होने वाली भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान द्वारा रोकने तथा चीन द्वारा अपनी सीमा पर संचालित रोड निर्माण एवं अन्य परियोजनाओं के सन्दर्भ में भारतीय संप्रभुता से सम्बंधित चिंताओं को भी ध्यान में रखने की अपील की गई ।
- हालाँकि दोनों देश अनेक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर एकमत हैं। फिर भी अभी कई द्विपक्षीय विषयों पर मतभेद बने हुए हैं।

मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन (MCC) : MCC एक अमेरिकी एजेंसी है जो पात्र देशों को सतत आर्थिक विकास के माध्यम से गरीबी कम करने के लिए देश के नेतृत्व के अंतर्गत समाधान का वित्तीयन करने हेतु अनुदान प्रदान करती है।
विकास साझेदारी प्रशासन (Development Partnership Administration: DPA)**:** DPA भागीदार देशों के साथ भारत के विकास सहयोग कार्यक्रमों का कार्यान्वयन देखती है।

7.2. रक्षा सम्बन्ध

(Defence Relations)

'मेजर डिफेंस पार्टनर' (बड़े रक्षा साझेदार) के रूप में भारत का दर्जा स्वीकार करते हुए US ने अपने निर्यात नियंत्रण कानूनों (Export control laws) में बदलाव किए हैं, जो प्रौद्योगिकियों और हथियारों के सहज हस्तांतरण के जरिए भारत को लाभ पहुंचाएगा।

महत्व (Significance)

- यह "भारत के साथ रक्षा व्यापार और प्रौद्योगिकी साझा करने की सुविधा के लिए की गयी प्रगति को संस्थागत बनाता है, जो कि US के करीबी सहयोगियों और भागीदारों के समान है।
- नया नियम उन भारतीय कंपनियों के लिए “अनुमोदन की परिकल्पना करता है” जो वाणिज्य विभाग द्वारा सामूहिक विनाश के हथियार संबंधी वस्तुओं को छोड़कर नियंत्रित सैन्य वस्तुएं (controlled military items) आयात करना चाहते हैं।

- इसका अर्थ यह है कि केवल दुर्लभतम परिस्थितियों में ही भारत को लाइसेंस जारी नहीं किया जाएगा।
- नया नियम कानून में भी संशोधन करता है ताकि एक वैलिडेटेड एंड यूज़र (Validated End User: VEU) बनने के बाद कंपनियों को लाइसेंस की आवश्यकता न हो।
- दोनों पक्षों ने हाल के वर्षों में रक्षा संबंधों में प्रगति की समीक्षा की, और हथियार प्रणालियों एवं प्लेटफार्म के सह-विकास और सह-उत्पादन हेतु अवसरों को बढाने के उद्देश्य से शुरू की गयी रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डिफेन्स टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव: DTTI) के तहत की गयी प्रगति का स्वागत किया।
- विगत दो वर्षों में, कुछ प्रमुख समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए:
    - 2015 में रक्षा फ्रेमवर्क समझौता जो रक्षा प्रतिष्ठानों के बीच सहयोग के लिए एक रूपरेखा प्रस्तुत करता है
    - लोजिस्टिक्स सपोर्ट समझौता - लोजिस्टिक्स आदान-प्रदान से सम्बंधित समझौता ज्ञापन (LEMOA)।
    - LEMOA अमेरिका द्वारा अपने रक्षा साझेदारों के साथ किये जाने वाले चार 'मूलभूत समझौतों' में से एक है। LEMOA समझौते के परिणामस्वरूप अब भारत इन चार में से दो समझौतों का हस्ताक्षरकर्ता बन गया है। इससे पूर्व 2002 में 'द जनरल सिक्योरिटी ऑफ़ मिलिट्री इनफार्मेशन एग्रीमेंट (GSOMIA) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
    - शेष बचे दो लंबित समझौतों में 'कम्युनिकेशन एंड इनफार्मेशन सिक्योरिटी मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट (CISMOA)' तथा 'बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट (BECA) फॉर जिओस्पैशियल इंटेलिजेंस' शामिल हैं। इन समझौतों पर चर्चा करने के लिए कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई है।

7.3. भारत-अमेरिकी वीजा विवाद

(India-US Visa Dispute)

- मार्च 2016 में भारत, अमेरिका द्वारा L-1 तथा H-1B वीज़ा श्रेणियों के कुछ आवेदकों पर बढ़ी हुई फीस थोपने के कदम के विरुद्ध उसे, WTO की विवाद निपटान इकाई (dispute settlement body) में ले गया।
- भारत ने कहा है कि यह कदम भारतीय IT पेशेवरों को प्रभावित करेगा।
- भारत ने आरोप लगाया है कि अमेरिका वस्तुतः जनरल अग्रीमेंट ऑन ट्रेड इन सर्विसेज (GATS) के साथ-साथ नेचुरल पर्सन्स सप्लाइंग सर्विसेज (सेवा आपूर्ति करने वाले प्राकृतिक व्यक्ति) के आवागमन से सम्बंधित GATS के प्रावधानों के तहत अपने दायित्वों का उल्लंघन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि इनमें यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह (अमेरिका) अमेरिकी अथवा गैर-अमरीकी सेवा प्रदाताओं के खिलाफ या उनके मध्य कोई भेदभाव करेगा।

कांग्रेसनल रिसर्च सर्विस (CRS) की रिपोर्ट

- कांग्रेस की एक रिपोर्ट ने अमेरिकी कानून निर्माताओं को चेतावनी दी है कि, यदि भारत और अमेरिका के बीच वीजा विवाद औपचारिक निपटान के चरण में जाता है, तो संभवतः यह अमेरिका के खिलाफ विश्व व्यापार संगठन द्वारा अधिकृत व्यापारिक जवाबी कार्रवाई में परिणत हो सकता है।
- CRS ने कहा कि भारत का दावा यह है कि, 2010 और 2015 की शुल्क वृद्धि, GATS के अंतर्गत "इष्टतम राष्ट्र (MFN) के प्रावधान" का अनुपालन नहीं करती है।
- अपने विश्लेषण में, CRS ने उल्लेख किया कि आवेदन फीस में 2010 एवं 2015 के आदेशानुसार की गयी वृद्धि "निस्संदेह संरक्षणवादी" है, क्योंकि यह वीजा आवेदक के प्रसंस्करण में सरकार की लागत से "अधिक हो सकती है "।
- कांग्रेस के कुछ सदस्यों की दृष्टि में यह विदेशी कामगार वीज़ा का दुरुपयोग करने वाले कुछ नियोक्ताओं को लक्षित करने वाला एक दंडात्मक उपाय भी हो सकता है।

H1-B वीजा क्या है?

H1-B वीज़ा एक निश्चित अवधि के लिए व्यवसाय के विभिन्न विशेषीकृत क्षेत्रों हेतु अन्य देशों के कुशल कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए अमेरिका द्वारा प्रदान किया गया गैर-आप्रवासी वीजा है।

- अमेरिका प्रत्येक वर्ष 85,000 H1-B वीजा जारी करता है, इस वीजा हेतु आवेदन करने वाले आवेदकों का बड़ा हिस्सा भारतीय लोगों है।

- H1-B वीजा के सबसे बड़े लाभार्थी भारतीय हैं, तत्पश्चात चीनी। 2014 में, स्वीकृत कुल H1-B याचिकाओं में से 70% संख्या भारतीयों की थी।
- कम्प्यूटर व्यवसायों में कर्मचारियों के लिए जारी H1-B वीजा लगभग 86% भारतीय कर्मचारियों को दिए जाते हैं।

H1-बी वीजा प्रोग्राम बिल क्या है?

- यदि इन कंपनियों द्वारा नियुक्त 50 से अधिक लोग या उनके कर्मचारियों के 50 प्रतिशत से अधिक कर्मचारी H1-B और L-1 वीजा धारक हैं, तो यह बिल कंपनियों पर उससे अधिक H1-B कर्मचारियों को नियुक्त करने पर प्रतिबंध लगाता है।
- यह बिल कंपनियों को अमेरिकी कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए प्रोत्साहित करता है।
- यह H1-B और L-1 वीजा धारकों द्वारा अमेरिकी कर्मचारियों को प्रतिस्थापित करने पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाता है।
- H1-B वीजा के 20% को छोटे और स्टार्ट-अप नियोक्ताओं के लिए निर्धारित करना।
- धोखाधड़ी या दुरुपयोग को कम करने के लिए श्रम विभाग द्वारा सख्त ऑडिट और परीक्षण करना।
- H1-B बी वीजा धारकों के पति/पत्नी को अमेरिका में काम करने से निषिद्ध करना।
- कम्प्यूटराइज़्ड लॉटरी सिस्टम की बजाय H1-B वीजा के लिए अमेरिका में शिक्षित छात्रों को प्राथमिकता देना।
- आउटसोर्सिंग कंपनियों पर कड़ी कार्यवाही करना जो विदेशी कर्मचारियों का अस्थायी प्रशिक्षण करती हैं तथा उन्हें उसी कार्य को करने के लिए उनके देश वापस भेज देती हैं।
- यह बिल H-1B वीज़ा धारकों के न्यूनतम वेतन को प्रतिवर्ष 1,30,000 डॉलर तक बढ़ाने की मांग करता है।
- वर्तमान में कंपनियों को व्यापक कागजी कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं हैं यदि संभावित H-1B कर्मचारी के पास स्नातकोत्तर (मास्टर डिग्री) के समकक्ष या उच्चतर डिग्री है और उसे प्रतिवर्ष कम से कम 60,000 डॉलर वेतन दिया जाता है। बिल का उद्देश्य मास्टर डिग्री सम्बन्धी इस छूट को समाप्त करना है (चूंकि "यह (मास्टर डिग्री) विदेशी कर्मचारियों द्वारा आसानी से प्राप्त कर ली जाती है")।

यह भारत को कैसे प्रभावित करता है?

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि भारत की आईटी कम्पनियां ऐसे वीजा की प्रमुख लाभार्थी हैं, यह कदम उनकी लागत और कमाई को अत्यधिक प्रभावित करेगा।

- इंफोसिस, विप्रो, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी भारतीय आउटसोर्सिंग फर्में बुरी तरह प्रभावित होंगी।
- वीजा नीति में परिवर्तनों से उच्च-स्तरीय डिग्री प्राप्त करने हेतु अमेरिका जाने वाले भारतीय विद्यार्थी तथा ऑफ-साईट प्रोजेक्ट पर अपने कर्मचारियों को अमेरिका भेजने वाली तकनीकी कंपनियां सबसे अधिक प्रभावित होंगी।
- वीजा प्रतिबंधों के अतिरिक्त, अमेरिका ने हाल ही में H1-B और L-1 वीजा की कुछ श्रेणियों के लिए वीजा शुल्क बढ़ाया था।

अमेरिकी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- भारतीय आईटी उद्योग का मानना है कि यह बिल समस्या के मूल कारण का समाधान नहीं करता है - यू.एस. में STEM स्किल (अर्थात् साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ्स के क्षेत्र से सम्बंधित लोगों की कमी) की कमी।
- इसी प्रकार, यदि कौशल-आधारित मानदंड के साथ ही वेतन-स्तर के प्रतिबंधों का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो कई अमेरिकी फ़र्मों को योग्य अमेरिकी व्यक्तियों को मध्य स्तर की नौकरियों पर नियोजित करने की समस्या का सामना करना पड़ेगा ।
- यदि इस समूह के भीतर आईटी कंपनियां, विभिन्न नए प्रतिबंधों से प्रभावित होती हैं तो संभवतः वे अपना संचालन अमेरिका से पूर्णतया बाहर भारत में करना पसंद करेंगी। प्रतिकूल रूप में, इसके परिणामस्वरूप अमेरिकी कर्मचारियों को उनकी नौकरी गंवानी पड़ सकती है।

7.4. अन्य महत्वपूर्ण निर्णय

(Other Important Decisions)

डोनाल्ड जे. ट्रम्प ने अमेरिका के 45 वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उन्होंने कई कार्यकारी आदेश जारी किए जिनके प्रमुख वैश्विक प्रभाव होंगे। उनके प्रमुख कार्यकारी आदेशों की सूची निम्न है:

7.4.1. ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप (TPP) व्यापार समझौता

(Trans-Pacific Partnership (TPP) Trade Deal)

अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर कर औपचारिक रूप से अमेरिका को TPP व्यापार समझौते से अलग कर लिया है। अब अमेरिका TPP के अन्य हस्ताक्षरकर्ताओं के साथ अमेरिका के लिए अधिक अनुकूल शर्तों की खोज करने हेतु द्विपक्षीय समझौतों की दिशा में आगे बढ़ेगा।

प्रभाव

- TPP से निकासी एक अधिक संरक्षणवादी दुनिया की ओर आगे बढ़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा।
- एशिया-प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका की निकासी के सम्बन्ध में अलग-अलग प्रतिक्रियाएं दी गई हैं- जिनमें RCEP पर ध्यान केन्द्रित करने से लेकर नए सदस्य के रूप में चीन को शामिल करने के साथ TPP को पुनर्जीवित करने का विचार सम्मिलित है।
- चीन दो क्षेत्रीय व्यापार प्रस्तावों को उत्प्रेरित करने की उम्मीद कर रहा है- क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक भागीदारी (RCEP) और एशिया-प्रशांत क्षेत्र मुक्त व्यापार समझौता (FTAAP)।
- हालांकि यह सीधे भारत को प्रभावित नहीं करेगा, परंतु RCEP जैसे व्यापार समझौते, जिनमें भारत की वार्ताओं का दौर जारी है, पर इसका असर हो सकता है।

- TPP समझौते के विषय में पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा प्रशासन द्वारा वार्ताएँ की गई थीं, लेकिन इसे अमेरिकी कांग्रेस ने कभी मंजूरी नहीं दी।
- यह ओबामा प्रशासन द्वारा चीन का मुकाबला करने के लिए एशिया-प्रशांत क्षेत्र हेतु "धुरी (pivot)" का मुख्य आर्थिक स्तंभ था।
- इस पर हस्ताक्षर करने वालों में ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर, अमेरिका और ब्रुनेई हैं। वे एक साथ दुनिया की अर्थव्यवस्था के 40 प्रतिशत भाग का प्रतिनिधित्व करते हैं।

7.4.2. शरणार्थियों और आगंतुकों पर प्रतिबन्ध

(Bar on Refugees and Visitors)

- राष्ट्रपति ने घोषणा की है कि उनके प्रशासन ने सात देशों: ईरान, इराक, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन से आने वाले यात्रियों पर कार्यकारी आदेश के माध्यम से 90 दिनों तक के लिए प्रतिबंध लगा दिया है। इस कदम से पाकिस्तान, सऊदी अरब आदि जैसे अमेरिका के सहयोगी देश प्रभावित नहीं होंगे।
- यह अस्थायी रूप से कुछ देशों से प्रवासियों के आगमन को रोकना है, जब तक व्यापक पुनरीक्षण के लिए और अधिक विस्तृत प्रक्रियाएँ नहीं लागू होतीं।
- इसने सीरिया से आने वाले शरणार्थियों के लिए अमेरिका में शरण प्राप्त करने के कार्यक्रम को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया, और 120 दिनों के लिए अमेरिका में सभी शरणार्थियों के प्रवेश को निलंबित कर दिया है।
- इस कदम के पीछे का कारण यह सुनिश्चित करना है कि वे शरणार्थी जिन्हें प्रवेश के लिए मंजूरी दी गई है, वे संयुक्त राज्य अमेरिका के कल्याण और सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है।
- 2017 में शरणार्थी कार्यक्रम के तहत प्रवेश की अनुमति प्राप्त करने वाले व्यक्तियों की संख्या को पूर्व में 1,10,000 से कम कर 50,000 कर दिया गया है।

प्रभाव

- यह अमेरिका की प्रवासियों के एक '*मेल्टिंग पॉट*' होने, दुनिया भर के तीव्रबुद्धि मस्तिष्कों के लिए प्रकाशपुंज होने, और सत्तावादी निरंकुशता के विरुद्ध एक मानवीय शक्ति होने की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है।
- यह कदम दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी संकट से निपटने के लिए जिम्मेदारी साझा करने से इंकार करना भी इंगित करता है।
- इस आदेश के संभवतः व्यापक आर्थिक प्रभाव होंगे।
- सिलिकॉन वैली के शीर्ष अधिकारियों ने इसकी आलोचना की है। उन्हें डर है कि यह अमेरिका में प्रतिभाओं के आगमन में बाधा पैदा करेगा।
- यह आतंकी गुटों में नए लोगों की रंगरूटों के रूप में भर्ती बढाने के लिए एक और बहाने का काम कर सकता है।
- ईसाई शरणार्थियों के लिए अधिमान्य व्यवहार मुसलमानों में असंतोष एवं डर उत्पन्न कर सकता है। यह एक प्रतिगामी कार्रवाई (retrograde action) है जो दुनिया भर में अमेरिका विरोध को और पुष्ट करेगा।

VISION IAS

8. जापान

(JAPAN)

8.1. भारत-जापान

(India-Japan)

हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिंजो अबे के निमंत्रण पर जापान का दौरा किया। दोनों प्रधानमंत्रियों ने व्यापक विचार-विमर्श किया।

पृष्ठभूमि

- भारत और जापान ने मुख्य रूप से चीन से जुड़ी साझा चिंताओं से प्रेरित होकर नजदीकी रक्षा साझेदारी विकसित की है, जो नियमित समुद्री अभ्यास और उच्च स्तर के राजनीतिक विचार-विमर्श द्वारा परिभाषित है।
- एशिया में संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य बढ़ती प्रतिस्पर्धा के बीच, दो माध्यमिक शक्तियों - भारत और जापान - के बीच प्रायः उपेक्षित संबंध, शांतिपूर्ण ढंग से पिछले 16 वर्षों में, एक नजदीकी रक्षा साझेदारी में विकसित हो गया है।
- दोनों देशों की पारस्परिक निर्भरता
  - जापान में बुजुर्ग जनसँख्या का बढ़ता अनुपात (65 वर्ष से ऊपर 23%) तथा भारत की जनसँख्या में बढ़ती युवा शक्ति (50% से अधिक जनसँख्या की आयु 25 वर्षों से कम);
  - भारत के समृद्ध प्राकृतिक तथा मानव संसाधन और जापान की उन्नत तकनीक;
  - भारत की सेवा क्षेत्र विशेषज्ञता तथा विनिर्माण क्षेत्र में जापान की उत्कृष्टता;
  - जापान के पास निवेश हेतु अधिशेष पूंजी का होना तथा भारत में विशाल और तेजी से विकसित होते बाज़ार के साथ ही बड़े मध्यवर्ग की उपस्थिति।
- ऐतिहासिक महत्त्व वाले 'भारत-जापान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) पर हस्ताक्षर होने तथा अगस्त 2011 से इसके प्रभावी हो जाने से दोनों देशों के मध्य आर्थिक व्यापारिक और व्यावसायिक संबंधों के और सशक्त होने की उम्मीद है।
- जापान 1958 से ही भारत को द्विपक्षीय ऋण और अनुदान सहायता उपलब्ध करा रहा है। भारत को द्विपक्षीय रूप से सर्वाधिक अनुदान जापान से ही प्राप्त होता है। जापान के द्वारा प्रदान की जाने वाली आधिकारिक विकास सहायता(ODA), भारत द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के लिए किये जाने वाले प्रयासों के लिए महत्वपूर्ण है। ODA विशेषकर प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे विद्युत, परिवहन, पर्यावरण संबंधी तथा मूलभूत आवश्यकताओं से संबंधित परियोजनाओं के लिए अत्यधिक महत्त्व रखती है। उदाहरण के लिए
  - नई दिल्ली मेट्रो नेटवर्क
  - वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर (DFC),
  - आठ नई औद्योगिक टाउनशिप के साथ दिल्ली- मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर,
  - चेन्नई-बेंगलुरू इंडस्ट्रियल कॉरिडोर (CBIC)
  - भारत जापान को मुख्यतः पेट्रोलियम उत्पाद, रसायन, रासायनिक तत्व तथा यौगिक, गैर-धात्विक खनिज सामग्री, मत्स्य तथा इससे निर्मित उत्पाद, धात्विक (मेटलीफेरस) अयस्क और स्क्रैप, कपड़े और एक्सेसरीज़, लौह और इस्पात उत्पाद, धागे तथा मशीनरी इत्यादि का प्राथमिक रूप से निर्यात करता है।
- भारत में जापान से प्राप्त प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) तेजी से बढ़ा है। यह 2004 के 139 मिलियन डॉलर से बढ़कर 2008 में 5551 मिलियन अमरीकी डॉलर होकर, अब तक के सर्वाधिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। जनवरी से दिसंबर 2014 तक भारत में जापानी FDI 1.7 अरब डॉलर था। यह मुख्य रूप से ऑटोमोबाइल, विद्युत उपकरण, दूरसंचार, रसायन और दवा क्षेत्रों में प्राप्त हुआ।

यात्रा के परिणाम

- **बेहतर तालमेल युक्त भागीदारी**: दोनों देशों ने "**भारत और जापान विजन 2025**" में रेखांकित **विशेष सामरिक और वैश्विक भागीदारी** की व्यापक समीक्षा की और पिछले दो वर्षों में द्विपक्षीय संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति को स्वीकृत किया।

VISION IAS

- **सुरक्षित और स्थिर विश्व के लिए मजबूत भागीदारी**
  - **भारत-प्रशांत क्षेत्र के बढ़ते महत्व पर बल-** क्षेत्र के बहुलवादी और समावेशी विकास को साकार करने में लोकतंत्र, शांति, कानून, सहिष्णुता का शासन, और पर्यावरण के प्रति सम्मान आदि बुनियादी मूल्यों पर बल।
  - **सुरक्षा और रक्षा सहयोग को मज़बूत बनाना -** रक्षा उपकरण और प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण एवं गुप्त सैन्य जानकारी के संरक्षण के लिए सुरक्षा उपायों के विषय में दो रक्षा फ्रेमवर्क समझौतों को स्वीकार किया गया।
  - "2+2" डायलॉग, रक्षा नीति वार्ता (defence policy dialogues), सैन्य-सैन्य वार्ता (Military-to-Military Talks) और तटरक्षक-तटरक्षक सहयोग (Coast Guard-to- Coast Guard co-operation) के माध्यम से **द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा संवाद** को मजबूती प्रदान करना।
- **समृद्धि के लिए सहयोग (Partnership for prosperity)**
  - प्रौद्योगिकी के चरणबद्ध हस्तांतरण और "मेक इन इंडिया" के लिए एक ठोस रोडमैप विकसित करने के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित कर **एक समर्पित कार्य बल** स्थापित किया जाएगा।
  - कौशल स्थानांतरण संवर्धन कार्यक्रम (Manufacturing Skill Transfer Promotion Programme) के माध्यम से भारत में विनिर्माण क्षेत्र में **मानव संसाधन विकास** पर सहयोग।
  - दोनों प्रधानमंत्रियों ने **भारत में परम्परागत रेलवे प्रणाली के आधुनिकीकरण और विस्तार** में भारत और जापान के बीच बढ़ते सहयोग का उल्लेख किया।
  - स्मार्ट द्वीप समूहों के विकास के लिए **स्मार्ट सिटीज के क्षेत्र में सहयोग** स्थापित करना। इस क्षेत्र में तकनीक की पहचान के लिए विचार-विमर्श की शुरुआत, बुनियादी ढांचा, विकास रणनीतियों और प्रबंधन की प्रक्रियाओं द्वारा कुशल और प्रभावी ढंग से स्मार्ट द्वीपों का विकास करना।
- **एक स्वच्छ और हरित भविष्य के लिए सहयोग**
  - विश्वसनीय, स्वच्छ और सस्ती ऊर्जा तक पहुँच के महत्व को मान्यता देना और जनवरी 2016 में आयोजित 8वीं भारत-जापान ऊर्जा वार्ता द्वारा रखी गई **जापान-भारत ऊर्जा भागीदारी पहल** को स्वीकार किया गया।
  - **नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग** के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए जो स्वच्छ ऊर्जा,आर्थिक विकास और एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित विश्व के विषय में एक नए स्तर का आपसी विश्वास और रणनीतिक भागीदारी दर्शाता है।
- **एक भविष्य उन्मुख भागीदारी की स्थापना** -दोनों देशों ने निम्नलिखित समझौता ज्ञापन (Memorendum of understanding:MoUs) पर हस्ताक्षर किए-
  - JAXA और ISRO के मध्य बाह्य अंतरिक्ष (outer space) क्षेत्र पर MoUs
  - पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय (MOES), भारतीय गणराज्य और JAMSTEC (The Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology) के मध्य समुद्री और भूविज्ञान प्रोद्योगिकी विषय पर MoUs।
  - राष्ट्रीय निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड और जापान ओवरसीज़ इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन के बीच परिवहन और नगरीय विकास के लिए MoUs।
  - वस्त्र उद्योग क्षेत्र में कपड़ा मंत्रालय, कपड़ा समिति, भारत सरकार और जापान के कपड़ा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रौद्योगिकी केन्द्र (QTEC) बीच MoUs।
- लोगों के बीच संपर्क एवं अन्य क्षेत्रों में सहयोग द्वारा **लोगों में निवेश (investing in people) के माध्यम से टिकाऊ साझेदारी विकसित करना**। विनिर्माण कौशल और स्थानांतरण संवर्धन कार्यक्रम के क्षेत्र में कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय,भारत सरकार तथा जापान के आर्थिक, व्यापार और उद्योग मंत्रालय, जापानी सरकार के मध्य MoC.

8.2 भारत-जापान परमाणु करार

(Indo-Japan Nuclear Deal)

भारत और जापान ने नवंबर 2016 में एक महत्वपूर्ण नागरिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए, जो जुलाई, 2017 में प्रभावी हुआ। इस समझौते के माध्यम से जापान भारत को परमाणु ऊर्जा संयंत्र तकनीक का निर्यात करने के साथ ही भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए वित्त उपलब्ध कराने में सक्षम हो पायेगा।

महत्व

- इस समझौते के महत्त्वपूर्ण होने का कारण यह है कि अमेरिका स्थित रिएक्टर विक्रेताओं तथा साथ ही अन्य वैश्विक परमाणु रिएक्टर निर्माताओं ने जापानी कंपनियों के साथ गठजोड़ की है और वे एक रिएक्टर के सबसे महत्वपूर्ण उपकरण कैलेंड्रिया (calandria) या रिएक्टर पात्र को प्रमुख जापानी भारी भट्ठी निर्माता जापान स्टील वर्क्स (JSW) से प्राप्त करते हैं। अब, इस समझौते के बाद भारत का परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग के लिए जापान के साथ प्रत्यक्ष समझौता है।
- यह समझौता भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है क्योंकि यह जापान का पहला नागरिक परमाणु सहयोग समझौता है जोकि उसने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर नहीं करने वाले किसी देश के साथ किया है। इस आशय की वार्ता जून 2010 में शुरू हुई थी।
- इस समझौते को होने मे कई साल लग गए क्योंकि भारत जरूरत पड़ने पर और अधिक परमाणु हथियार 'परीक्षण करने के अपने विकल्प' को सीमित करने के लिए अनिच्छुक था तथा जापान परमाणु अप्रसार व्यवस्था के इतर भारत के परमाणु हथियार कार्यक्रम से असहज था।
- यह समझौता दुनिया के सामने परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण ढंग से उपयोग करने वाले एक जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र के रूप में भारत की स्थिति की पुष्टि करता है।
- यह समझौता परमाणु हथियार रहित विश्व बनाने की जापान की महत्वाकांक्षा के क्रम में है।
- **भारत-जापान परमाणु संधि,** ऊर्जा की कमी से जूझ रहे भारत को स्वच्छ विद्युत उत्पन्न करने के लिए संवेदनशील प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- यह आने वाले दशकों में कम कार्बन वाले विकास मॉडल को आगे बढ़ाने में भारत की रणनीति को बढ़ावा देगा। इसे पिछले साल पेरिस में COP-21 में घोषित और 2 अक्टूबर 2016 को सरकार द्वारा पुष्ट राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित अभीष्ट योगदान (Intended Nationally Determined Contribution:INDC) में औपचारिक रूप से सम्मिलित किया गया था।
- यह समझौता संपन्न होने में कई वर्ष लगे क्योंकि भारत अपनी आवश्यकता के अनुसार और अधिक परमाणु परीक्षण करने के विकल्प को सीमित करने हेतु अनिच्छुक था; जबकि जापान परमाणु अप्रसार व्यवस्था के बाहर भारत के किसी भी परमाणु अस्त्र कार्यक्रम से असहज था।

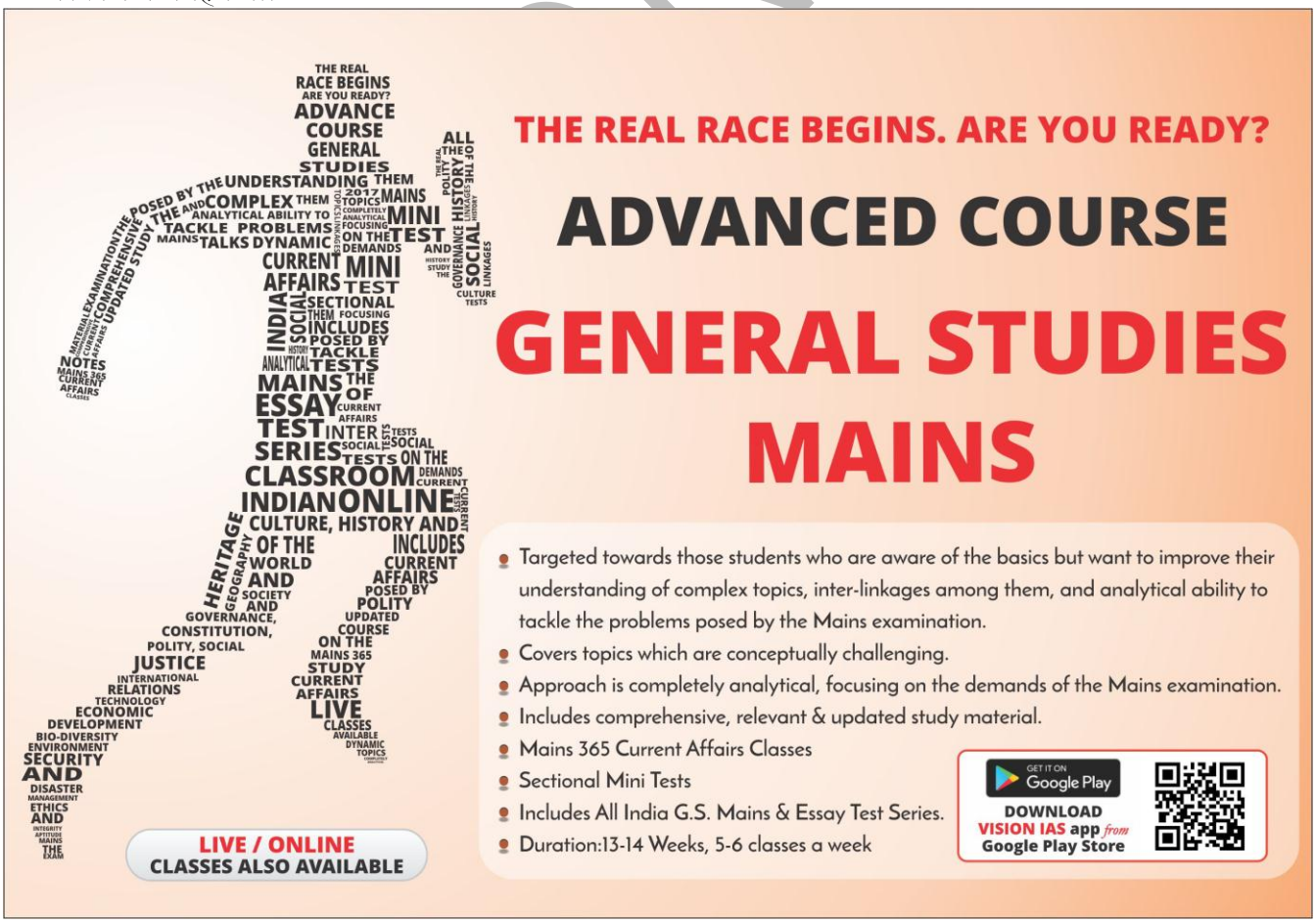

9. ऑस्ट्रेलिया

(AUSTRALIA)

9.1. ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री की भारत यात्रा

(Australian PM Visit To India)

ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री मैल्कम टर्नबुल ने भारत की आधिकारिक यात्रा की।

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य व्याप्त विभिन्न समानताएँ दोनों देशों के मध्य घनिष्ठ सहयोग एवं बहुआयामी पारस्परिक संबंधों की आधारशिला के रूप में कार्य करती हैं।
- दोनों सशक्त, जीवंत, धर्मनिरपेक्ष और बहुसांस्कृतिक लोकतांत्रिक देश हैं।
- दोनों देशों में स्वतंत्र प्रेस और आत्मनिर्भर न्यायिक प्रणाली है तथा अंग्रेजी भाषा एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
- दोनों राष्ट्रों में क्रिकेट अत्यधिक लोकप्रिय है तथा यह इन देशों के निवासियों को एक दूसरे के प्रति जागरूक करने में सहायक है।

द्विपक्षीय संबंध

व्यापार और निवेश

- वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया में भारतीय निवेश 10.9 बिलियन आस्ट्रेलियन डॉलर था एवं भारत में ऑस्ट्रेलियाई निवेश 9.8 बिलियन आस्ट्रेलियन डॉलर था।
- वित्तीय वर्ष 2012 (FY'12) में 18 बिलियन की उच्च सीमा प्राप्त करने के बाद भारत-ऑस्ट्रेलिया व्यापार में गिरावट आई और FY'14 और FY'16 के दौरान यह 12-13 बिलियन डॉलर पर स्थिर बना रहा।

कॉम्प्रीहेन्सिव इकॉनोमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट (CECA)

- व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ाने के लिए CECA के कार्यान्वयन को तीव्र करने के प्रयास में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने शीघ्र ही इस पर वार्ताओं के अगले दौर के आयोजन का निर्णय किया है।
- प्रस्तावित भारत-ऑस्ट्रेलिया कॉम्प्रीहेन्सिव इकॉनोमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर वार्ताएं मई 2011 में आरम्भ हुईं। इनका उद्देश्य द्विपक्षीय निवेश एवं वस्तुओं और सेवाओं में व्यापार का मार्ग प्रशस्त करना था। अब तक वार्ता के **नौ दौर** आयोजित किए गए हैं जिनमें से अंतिम दौर सितंबर 2015 में आयोजित किया गया था।

CECA में प्रमुख बाधाएं

- भारत शराब, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स, ताजा फलों और मांस पर शुल्कों (ड्यूटी) में अत्यधिक कमी करने/समाप्त करने की ऑस्ट्रेलिया की मांगों के प्रति सहमति हेतु अनिच्छुक रहा है।
- ऑस्ट्रेलिया ने वस्त्रों, ऑटोमोबाइल कम्पोनेंट एवं ताजा फलों पर शुल्कों में कमी करने के साथ ही सेवा क्षेत्रक में कुशल पेशेवरों की बड़ी संख्या के लिए आसान आवाजाही सहित, और अधिक बाजार पहुंच सुनिश्चित करने संबंधी भारत की मांग पर अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

भारत-ऑस्ट्रेलिया परमाणु समझौता

- भारत और ऑस्ट्रेलिया ने सितंबर 2014 में नागरिक परमाणु समझौते (civil nuclear deal) पर हस्ताक्षर किए थे
- ऑस्ट्रेलियाई संसद ने भारत के लिए यूरेनियम की आपूर्ति हेतु कानून को 2016 में अनुमति प्रदान कर दी थी और अब इसके लिए "वाणिज्यिक वार्ताएं" जारी हैं।
- विश्व के यूरेनियम भंडारों का लगभग 40 प्रतिशत ऑस्ट्रेलिया में है एवं यह वार्षिक रूप से लगभग 7,000 टन येलो केक (yellow cake) का निर्यात करता है।
- यद्यपि भारत के परमाणु बाजार का भाग बनने में ऑस्ट्रेलियाई कंपनियों को रुचि है, तथापि उस देश में भारत में सुरक्षा विनियमों (सेफ्टी रेगुलेशन) के संबंध में चिंताएं हैं।

सुरक्षा

- भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच भारत-प्रशांत क्षेत्र के अंतर्गत और उससे परे साझा सुरक्षा हितों का लंबा इतिहास है।

VISION IAS

- भारत और ऑस्ट्रेलिया दोनों हिंद महासागर के सीमावर्ती हैं तथा नेविगेशन और व्यापार की स्वतंत्रता बनाये रखने में दोनों देशों के साझा हित हैं।

इस यात्रा के प्रमुख बिन्दु

भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए

- अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद एवं अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध का सामना।
- नागरिक उड्डयन सुरक्षा में सहयोग।
- पर्यावरण, जलवायु और वन्य जीवन।
- खेलों के क्षेत्र में सहयोग।
- भू-प्रेक्षण और सैटेलाइट नेविगेशन में सहयोग पर इसरो (ISRO) और जियोसांइस ऑस्ट्रेलिया के बीच कार्यान्वयन व्यवस्था।

9.2. 457 वर्किंग वीजा में परिवर्तन

(The 457 Working Visa Changes)

ऑस्ट्रेलिया ने देश में बढ़ती बेरोजगारी से निपटने के लिए 95,000 से अधिक अस्थायी विदेशी श्रमिकों, जिनमें से अधिकांश भारतीय हैं, द्वारा उपयोग किया जाने वाला वीजा कार्यक्रम समाप्त कर दिया है।

- 457 वीजा के रूप में जाना जाने वाला यह कार्यक्रम, व्यापारों को ऐसे कुशल रोजगारों में चार वर्ष तक की अवधि के लिए विदेशी श्रमिक रखने की अनुमति देता है जिनमें ऑस्ट्रेलियाई श्रमिकों की कमी है।
- 457 वीज़ा कार्यक्रम वह मार्ग है जिसका कई भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रोजगार पाने के लिए उपयोग करते हैं।
- नए नियम के अनुसार, ऑस्ट्रेलियाई वीजा दो रूपों में प्रदान किया जाएगा: अल्पावधि की दो वर्ष की प्रवेश की अनुमति और मध्यम अवधि की दो वर्ष की प्रवेश की अनुमति
    - नए सुधारों के अंतर्गत, आवेदक को कम से कम चार वर्ष तक स्थायी निवासी होना चाहिए – जो वर्तमान की तुलना में तीन वर्ष अधिक है - और "ऑस्ट्रेलियाई मूल्यों" को अपनाने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।
    - भावी नागरिकों को **स्टैंडअलोन** अंग्रेजी परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा।

विश्लेषण

- भारत सरकार ने चेतावनी दी है कि इस कदम का दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते - व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते (CECA) - पर चल रही वार्ता पर प्रभाव पड़ सकता है।
- नई वीजा व्यवस्था से कुशल श्रमिकों के आवागमन पर अंकुश लगाने हेतु विकसित विश्व में संरक्षणवादी उपायों के उभार का पता चलता है। न्यूजीलैंड ने भी कुशल प्रवासियों के लिए अपनी वीजा शर्तों को कड़ा कर दिया है।
- इस महीने के आरभ में, ब्रिटेन ने अल्पकालिक 'टीयर 2' वीज़ा जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसका मुख्य रूप से ब्रिटेन में परियोजनाओं पर काम करने के लिए इंजीनियरों को भेजने के लिए भारतीय IT सेवा कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता था।
- विश्लेषकों का मानना है कि बड़े देशों के संरक्षणवादी कदमों का भारतीय IT सेवा कंपनियों के मार्जिन पर बड़ा प्रभाव पड़ेगा, जो पहले ही कम हो रहा है।

10. भारत-हिन्द महासागर

(INDIA-INDIAN OCEAN)

पृष्ठभूमि

- भारत एक प्रायद्वीपीय देश है जो तीन ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है। भारत की भौगोलिक स्थिति, सुरक्षा संबंधी निर्णय, तथा व्यापार आदि तत्व हिन्द महासागर को इसकी विदेश नीति का अभिन्न अंग बनाती है।
- वर्तमान में, हिन्द महासागर में विश्व का लगभग आधा कंटेनर शिपमेंट, एक-तिहाई थोक कार्गो यातायात तथा दो-तिहाई तेल शिपमेंट होता है। इसके समुद्रतटीय देशों में घनी आबादी वाले 40% से अधिक आबादी है जो इसे एक आकर्षक बाजार बनाती है।
- यह भारत के व्यापार का 90% भाग और तेल आयात का 90% वहन करता है।
- संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन जैसी विश्व शक्तियों के बदलते भू-राजनीतिक समीकरणों के साथ, हिन्द महासागर के महत्व में वृद्धि हुई है।

भारत और हिन्द महासागर

भू-रणनीतिक स्थिति- हिन्द महासागर, भारत को दक्षिण एशिया, दक्षिण-पूर्व एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशिनिया तक पहुँचने का मार्ग प्रदान करता है जो ऊर्जा, आर्थिक व्यापार और सुरक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हैं।

- **हर्मुज जलसन्धि, बाब-अल-मंडब जलसन्धि, मलक्का जलसन्धि, सुन्डा जलसन्धि और लोम्बक जलसन्धि** जैसे चोक पॉइंट भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक व्यापार के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं।
- भारत के लिए हिन्द महासागर पर बढ़ते चीनी प्रभुत्व का मुकाबला करना भी महत्वपूर्ण है। वर्तमान में, चीन हिन्द महासागर में मॉरीशस में, हंबनटोटा(श्रीलंका) , पाकिस्तान में ग्वादर आदि जैसे कई बंदरगाहों को विकसित कर रहा है।

- **आर्थिक एकीकरण** - भारत एक उभरती हुई **बाजार अर्थव्यवस्था** है । **दक्षिण-पूर्व एशिया, दक्षिण एशिया, अफ्रीका, पश्चिम एशिया और ओशियेनिया** के साथ अपने व्यापार संबंधों के माध्यम से भारत को अत्यधिक लाभ होगा। वर्तमान में **ऊर्जा के अन्वेषण, खनिज संसाधनों और भारतीय डायस्पोरा के लिए रोजगार** के अवसरों के सन्दर्भ में **अफ्रीका** में अपार संभावनाएं निहित हैं।
  - **ऑस्ट्रेलिया** हिन्द महासागर क्षेत्र में सबसे बड़ा राष्ट्र है जो पहले से ही एक **वैश्विक नेतृत्वकर्ता** है । भारत के साथ इसकी साझेदारी विविध रूपों में भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ पहुंचाएगी । इस सन्दर्भ में **परमाणु ऊर्जा की उपलब्धता, भारतीय माल के लिए नए आर्थिक बाजार, पीपल टू पीपल कांटैक्ट** आदि क्षेत्र महत्वपूर्ण हैं।
  - **दक्षिण-पूर्व और पश्चिम एशिया** अपने समृद्ध तेल भंडार और अन्य खनिज संसाधनों की दृष्टि से भारत के लिए महत्वपूर्ण है।
  - **सुरक्षा - मुंबई में आतंकी हमले** के बाद तथा **हिन्द महासागर में चीन की उपस्थिति** बढ़ने के बाद, हिंद महासागर भारत की समुद्री नीति का एक अभिन्न अंग बन गया है।
  - **नई समुद्री सुरक्षा नीति, 2015** विभिन्न समुद्री एजेंसियों के बीच अधिक से अधिक समन्वय के लिए निर्बाध और समग्र दृष्टिकोण विकसित करने की आवश्यकता पर बल देती है।
  - यह आर्थिक एकीकरण के उद्देश्य से पारंपरिक और गैर-पारंपरिक सी लाइन्स ऑफ़ कम्युनिकेशन को सुरक्षित करने के लिए एक साधन के रूप में भारतीय नौसेना के उपयोग को वैधता प्रदान करता है।
  - **भारतीय नौसेना** ने **'हाई सी' में पायरेसी** रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। हिन्द महासागर के व्यापक क्षेत्र में क्षमता निर्माण, संयुक्त अभ्यास और बहुपक्षीय आदान -प्रदान के माध्यम से भारतीय नौसेना ने **'नेट सिक्योंरिटी प्रोवाइडर '** के रूप में भी अपनी सार्थकता सिद्ध की है।
  - **ऊर्जा सुरक्षा:** भारत, दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक है जिसका पश्चिम और दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों से अधिकतम तेल आयात होता है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु हिन्द महासागर एक महत्वपूर्ण माध्यम है।
  - **महासागरीय संसाधन:** भारत, मत्स्यन और जलीय कृषि जैसे महासागरीय संसाधनों पर अत्यधिक निर्भर है। भारत, दक्षिण कोरिया से प्राप्त समुद्र रत्नाकर नामक समुद्री जहाज के माध्यम से मध्य हिन्द महासागर में डीप सी एक्स्प्लोरेशन का कार्य कर रहा है।

VISION IAS

भारत-हिमतक्षेस क्षेत्र(IOR) से संबंधित चुनौतियां-

- सोमालिया के तट पर पायरेसी की घटनाओं में कमी आने के बावजूद, हिन्द महासागरीय क्षेत्र में गैर पारंपरिक चुनौतियों में अचानक वृद्धि देखी जा रही है।
- हाल के वर्षों में, एशियाई तटीय देशों में अवैध ड्रग व्यापार के मामलों में रिकॉर्ड बढ़ोत्तरी हुई है।
- दक्षिण और दक्षिण-पूर्व एशिया में प्रवासन और मानव तस्करी में भी बढ़ोत्तरी हुई है। बांग्लादेश और म्यांमार से शरणार्थियों के आगमन में वृद्धि के कारण गम्भीर मानवीय संकट उत्पन्न हुआ है।

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन

इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) ने 5-7 मार्च को इसकी स्थापना की 20वीं वर्षगांठ पर **जकार्ता** में पहले शिखर सम्मेलन का आयोजन किया।

- इस कांफ्रेंस का विषय **"स्ट्रेंथनिंग मेरीटाइम कोऑपरेशन फॉर ए पीसफुल, स्टेबल एंड प्रोस्परस इंडियन ओशन (Strengthening Maritime Cooperation for a Peaceful, Stable and Prosperous Indian Ocean) है।"**

शिखर सम्मेलन के परिणाम

21 सदस्य देशों ने एक स्ट्रेटेजिक विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया, जिसे **जकार्ता कॉनकार्ड** के नाम से जाना जाता है। यह डॉक्यूमेंट "नवीकृत और स्थायी क्षेत्रीय संरचना के लिए एक विज़न तैयार करता है"।

- जकार्ता कॉनकार्ड, इंडियन ओशन रिम में क्षेत्रीय संरचना को सुदृढ़ बनाने और क्षेत्रीय सहयोग के रूप में IORA को उन्नत करने के उपाय और साधन निर्धारित करता है।
- यह डॉक्यूमेंट इस क्षेत्र में व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग की क्षमता को अधिकतम करने का प्रयास करता है। इसके अतिरिक्त **जकार्ता कॉनकार्ड का उद्देश्य गैर-पारम्परिक मुद्दों जैसे- गैरकानूनी, बिना सूचना के और अनियमित मत्स्यन; मानव तस्करी; नशीले पदार्थों की तस्करी; अवैध प्रवास और पाइरेसी आदि मुद्दों का समाधान करना है।**
- शिखर सम्मेलन में **आतंकवाद और हिंसक चरमपंथ को रोकने और इसका सामना करने की घोषणा** पर सहमति प्रदान की गई।
- IORA ने **2017-2021 के लिए अल्पावधिक, मध्यम अवधि और दीर्घावधि की प्रमुख पहलों के आरम्भ हेतु अपना पहला एक्शन प्लान** तैयार किया।

- IORA में 21 सदस्य देश और 7 डायलॉग-पार्टनर देश सम्मिलित हैं; इंडियन ओशन रिसर्च ग्रुप को पर्यवेक्षक का दर्जा प्राप्त है। IORA के सदस्य देशों में भारत, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, कोमोरोस, ईरान, केन्या, मेडागास्कर, मलेशिया, मॉरीशस, मोज़ाम्बिक, ओमान, सेशेल्स, सिंगापुर, सोमालिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, तंजानिया, थाईलैंड, संयुक्त अरब अमीरात और यमन हैं।
- यह खुले क्षेत्रवाद और सदस्यता के समावेशीकरण का समर्थक है।
  - आर्थिक सहयोग में वृद्धि करना;
  - उदारीकरण एवं क्षेत्रीय एकीकरण को बढ़ावा देना;
  - सतत विकास और संतुलित क्षेत्रीय वृद्धि को बढ़ावा देना।

आगे की राह

- हिंद महासागर के तटीय देश आकार में विषमता, उच्च टैरिफ एवं निवेश लागत जैसी असुविधाओं से ग्रस्त हैं। अतः तटीय राज्यों द्वारा हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) जैसे उन क्षेत्रीय समूहों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो समावेशी और सतत क्षेत्रीय विकास को प्रोत्साहित करते हैं।
- भारत को अधिक व्यापक समुद्री नीति विकसित करनी चाहिए जो न केवल चीन की उपस्थिति को प्रतिसंतुलित करे अपितु हिन्द महासागर से संचालित आतंकवादी समूहों का भी प्रत्युत्तर देने में सक्षम हो।
- इंडियन ओशेन मैरीटाइम सिम्पोजियम (INDIAN OCEAN MARITIME SYMPOSIUM) को समुद्री सुरक्षा बढ़ाने वाले महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जा सकता है। इसका उद्देश्य नौसेनाओं के मध्य समुद्री सहयोग में वृद्धि करना है।

- सागर(सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर आल इन द रीजन) जैसी पहल क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास हेतु क्षेत्रीय देशों को संलग्न करने की एक अच्छी रणनीति हो सकती है। यह न केवल चीन की उपस्थिति के लिए यह एक जवाब होगा बल्कि इससे आर्थिक एकीकरण और सुरक्षा में भी वृद्धि होगी।
- अन्य पहलें-
  - भारतीय गश्ती पोत का स्थानांतरण- बाराकुडा से मॉरीशस तक
  - सेशेल्स में निगरानी हेतु P-81 एयरक्राफ्ट तैनात किये गए हैं।
  - मॉरीशस में अगालेगा और सेशेल्स में एजम्पशन द्वीप पर संपर्क अवसंरचना सम्बन्धी सुविधाएँ विकसित करने के लिए समझौता
- भारतीय महासागरों में चोक पॉइंट्स (CHOKE POINTS) की रक्षा तथा हिन्द महासागरीय देशों में रहने वाले भारतीय प्रवासियों के आवागमन मार्ग की सुरक्षा।
- आपदा प्रबंधन,प्रौद्योगिकीय उन्नति, ब्लू इकॉनमी, सस्टेनेबल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन तथा मानवीय सहायता जैसे क्षेत्रों का भी अन्वेषण होना चाहिए।

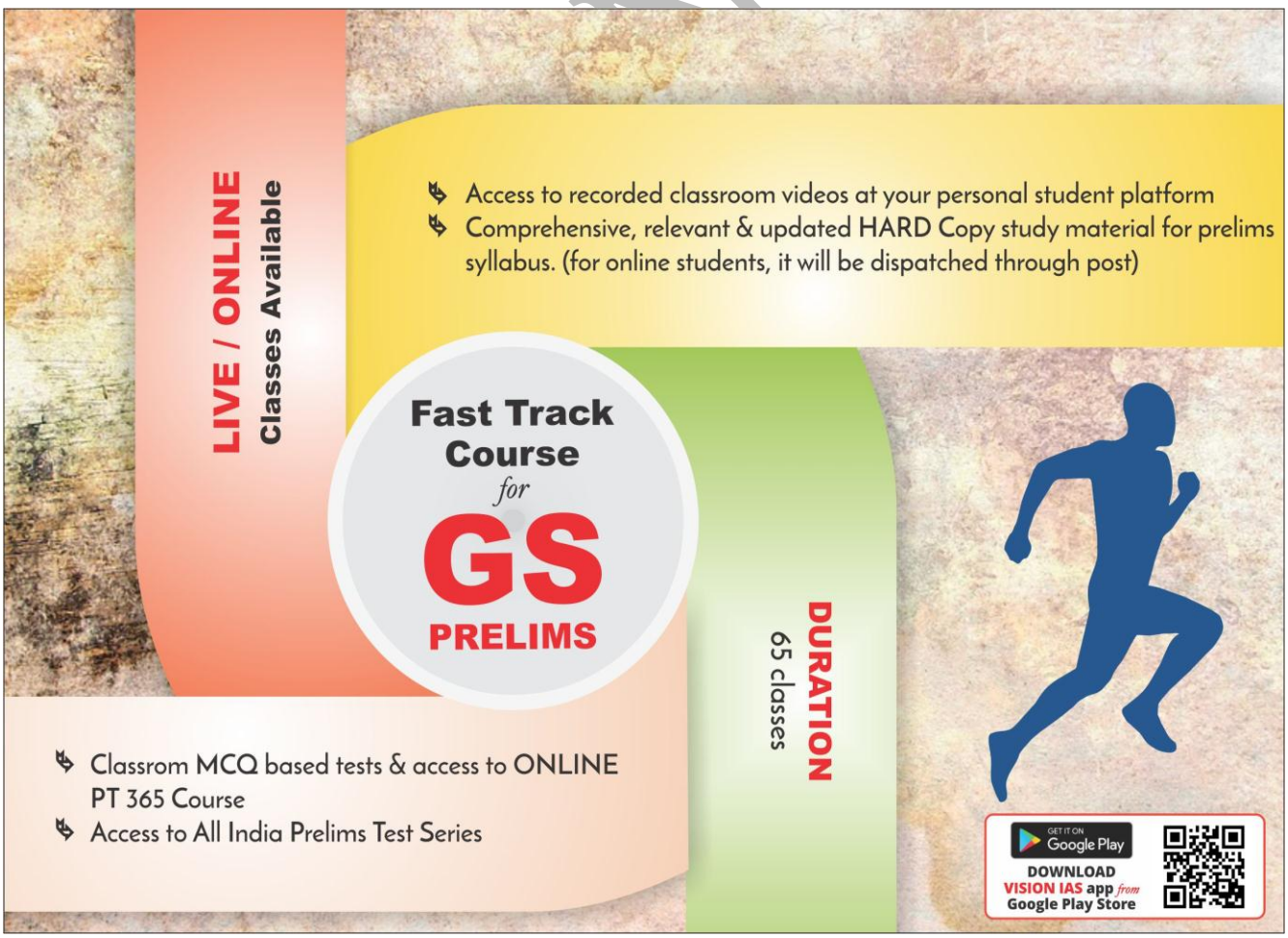

11. भारत एवं प्रशांत महासागरीय द्वीपसमूह

(INDIA-PACIFIC ISLANDS)

पृष्ठभूमि

- प्रशांत महासागर विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। लगभग 46% जलीय सतह के साथ, यह 41 स्वायत्त राष्ट्रों और 22 गैर-स्वतंत्र राज्यों से घिरा हुआ है।
- यह भू-राजनैतिक रूप से महत्त्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका, चीन, रूस, इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं प्रशांत महासागर के साथ अपनी सीमाएं साझा करती हैं।
- यह समुद्री संसाधनों में समृद्ध है और विश्व के मत्स्य-ग्रहण का 71% यहीं से प्राप्त होता है।
- प्रशांत महासागर में फैले सैकड़ों द्वीपों की जनसंख्या 2.3 मिलियन से अधिक है जिनमें से फिजी सबसे बड़ा द्वीप है।
- भारत का व्यापक हित हिन्द महासागर में है। किन्तु, फिर भी अब यह प्रशांत महासागर की ओर बढ़ रहा है जिसमें वियतनाम जैसे विशाल हाईड्रोकार्बन अन्वेषण स्थल भी अवस्थित हैं।
- इसलिए भारत, फोरम फॉर इंडिया -पैसिफ़िक आईलैंड को-ऑपरेशन (FIPIC) के माध्यम से प्रशांत महासागर द्वीपों के साथ अपने संबंध विकसित करने के लिए प्रयासरत है।
- वर्तमान में, प्रशांत द्वीपसमूह जलवायु परिवर्तन और भूमंडलीय तापमान वृद्धि के कारण विश्व में सबसे अधिक संवेदनशील हैं। विश्व बैंक की वर्ल्ड रिस्क रिपोर्ट के अनुसार, प्रशांत महासागर के पांच देश सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के उच्चतम औसत के आधार पर आपदा क्षति में शीर्ष 20 देशों में सम्मलित हैं।

प्रशांत द्वीपों में भारत की भूमिका

- प्रशांत क्षेत्र में भारत की संलिप्तता को बढ़ाने के लिए FIPIC एक गम्भीर प्रयास है।
- 1999 में स्थापित पैसिफ़िक आई लैंड फोरम (PIF) में भारत, डॉयलॉग पार्टनर है। भारत को 2002 में इसके डॉयलॉग पार्टनर के रूप में स्वीकार किया गया था।
- PIC के साथ भारत के संबंध उसकी विस्तारित 'एक्ट इस्ट पॉलिसी' का एक भाग है।
- वियतनाम जैसे देशों के तटों पर हाईड्रोकार्बन संसाधनों के दोहन ने भारतीय भागीदारी को आकर्षित किया है।
- फिजी के साथ भारत के सहयोग और घनिष्ट संलग्नता का इतिहास काफी पुराना है। फिजी में भारतीय मूल की विशाल जनसंख्या रहती है।
- विशेष रूप से, समुद्री क्षेत्रों की बेहतर समझ और EEZs की सुरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए भारत ने तटीय निगरानी और हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षणों के लिए नौसेना के प्रत्यक्ष समर्थन और क्षमता निर्माण की पेशकश की है।
- भारत ने भूमि और जल संसाधनों, मत्स्य-क्षेत्रों की विस्तृत सूची बनाने के लिए, वानिकी संसाधन प्रबन्धन, तटीय और समुद्री अध्ययन तथा जलवायु परिवर्तन और आपदा प्रबन्धन सहायता के लिए अपनी अंतरिक्ष प्राद्योगिकी क्षमता प्रदान करने की पेशकश की है।
- व्यापार के लिए, नई दिल्ली में FIPIC व्यापार कार्यालय के अतिरिक्त, भारत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के विकास हेतु नारियल प्रसंस्करण मशीनरी की खरीद तथा धान और ईख की पैदावार में वृद्धि करने में भी सहायता करेगा। भारत विकासशील छोटे द्वीपीय राष्ट्रों की बाजारों में पहुंच में भी सुधार करेगा।
- स्वास्थ्य के क्षेत्र में, भारत स्वास्थ्य सेवाओं की क्षमता विकसित करने पर भी ध्यान केन्द्रित करेगा। वर्तमान में भारत से जेनरिक दवाओं की आपूर्ति तीसरे देशों के माध्यम से उच्च लागत पर की जाती है। भारत, प्रशांत द्वीप क्षेत्र में एक फर्मास्यूटिकल विनिर्माण संयत्र और वितरण केंद्र स्थापित करने के लिए तैयार है और इस परियोजना के लिए भारत ने ऋण देने की पेशकश भी की है।

फोरम फॉर इंडियन-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (FIPIC)

हाल ही में विदेश मंत्रालय द्वारा भारत और प्रशांत द्वीपों के बीच संधारणीय विकास पर एक सम्मेलन का आयोजन किया गया।

सम्मेलन के बारे में

- इस सम्मेलन का आयोजन फोरम फॉर इंडियन-पैसिफिक आइलैंड्स को-ऑपरेशन (FIPIC) द्वारा किया गया; द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टिट्यूट (TERI) इसका प्रमुख नॉलेज पार्टनर था।

VISION IAS

- इसमें ब्लू इकॉनमी, जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु शमन (mitigation) प्रयासों, आपदा सम्बन्धी तैयारी, स्वास्थ्य, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे मुद्दों पर तथा नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रिब्यूशन (NDC) के क्रियान्वयन का व्यावहारिक समाधान खोजने पर ध्यान केन्द्रित किया गया।
- इस सम्मेलन में ज्ञान और अनुभव के आदान-प्रदान की सुविधा प्रदान करने तथा सभी सहभागी देशों के बीच सार्वजनिक-निजी प्रयासों तथा संयुक्त कार्यक्रमों में भागीदारी और सहयोग प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया।

FIPIC के बारे में

- प्रशांत द्वीपीय देशों के साथ भारत के संबंधों को मजबूत करने के लिए नवंबर 2014 में **FIPIC** का गठन किया गया।
- सरकार के प्रमुखों के स्तर का पहला **FIPIC** शिखर सम्मेलन नवंबर 2014 में फिजी के सुवा में आयोजित किया गया था। भारत में अगस्त 2015 में जयपुर में **FIPIC** के दूसरे शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया।
- भारत ने जयपुर में प्रशांत द्वीप समूह के देशों के संगठन, 'भारत-प्रशांत द्वीप समूह सहयोग फोरम (FIPIC)' के दूसरे शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। यह, आर्थिक और भौगोलिक दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने की रणनीति के तहत उठाया गया एक कदम है।
- जयपुर में आयोजित इस शिखर सम्मेलन में दक्षिण प्रशांत के 14 द्वीपों के बढ़ते भूगर्भीय महत्व को रेखांकित किया गया है। ये द्वीप, संसाधनों से समृद्ध हैं, मुख्य समुद्री मार्ग के केंद्र में स्थित हैं और संयुक्त राष्ट्र में सबसे बडे वोटिंग ब्लॉक्स में से एक हैं।

PIC के सम्मुख प्रमुख चुनौतियाँ:

- अमेरिका, रूस, आस्ट्रेलिया, चीन आदि जैसी बड़ी अर्थव्यस्थाओं की उपस्थिति से **संसाधनों का असमान उपयोग।**
- दक्षिण चीन सागर की तरह **EEZs के अतिव्यापन** के कारण दक्षिणी चीन सागर, पूर्वी चीन सागर आदि जैसे अनेक विवाद।
- **जलवायु परिवर्तन और प्राकृतिक आपदाओं** के लिए उच्च सुभेद्यता।
- द्वीप एक **विशाल क्षेत्र में** फैले हुए हैं जिसके कारण अवसंरचना विकसित करना कठिन है।

आगे की राह

- इस क्षेत्र में भारत की संलग्नता को निरंतर बनाये रखने की आवश्यकता है क्योंकि अन्य देशों की तुलना में इस क्षेत्र में भारत की भागीदारी न तो औपनिवेशिक और न ही प्रभावशाली रही है।
- भारतीय राजनायिक प्रतिनिधित्व कमजोर है और कई PIF सदस्यों को छोटे अनिवासी भारतीय मिशनों द्वारा कवर किया जाता है जो निरंतर दौरे करने में सक्षम नहीं है।यात्राओं को और अधिक निरंतर की जाने की आवश्यकता है ताकि इस क्षेत्र में हमारे मिशन और भी सशक्त हों ।
- PIF देशों में महत्त्वपूर्ण विकास चुनौतियाँ और वैश्विक तापमान वृद्धि से प्रेरित समुद्री स्तरों की वृद्धि तथा चरम मौसमी घटनाओं का संकट बना रहता है। परिवहन, संचार, नवीकरणीय (अक्षय) ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवाएं, मत्स्य पालन (ब्लू इकॉनमी), और कृषि आधारित उद्योग ऐसे क्षेत्र हैं, जहाँ भारत अपना प्रभाव छोड़ सकता है।
- **भारत में व्यापार वृद्धि के लिए (FIPIC)** जैसी पहलें, व्यापार और निवेश और दोनों पक्षों से व्यवसाय वृद्धि में सफल सिद्ध होंगी।
- विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों में भारतीय विशेषज्ञों की सेवाओं और कर्मियों के प्रशिक्षण की बहुत मांग है। इन देशों के छात्रों को भारत में अध्ययन करने के और अधिक अवसर प्रदान किये जा सकते है।
- FIPIC में 14 देश सम्मलित हैं जिनके समुद्रों के काफी बड़े क्षेत्र के साथ अतिव्यापी अनन्य आर्थिक क्षेत्र हैं। वर्तमान में 300 मिलियन डालर का वार्षिक व्यापार होता है जिसे और अधिक सुदृढ़ किया जा सकता है।
- फिजी के साथ भारत के सशक्त सम्बन्धों का इस क्षेत्र में बहुत प्रभाव है जिससे चीन के बढ़ते प्रभाव को रोकने में सहायता प्राप्त हो सकती है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थाई सदस्यता के लिए भारतीय प्रयासों में इन देशों का समर्थन बहुत महत्त्वपूर्ण है।

VISION IAS

12. रूस

(RUSSIA)

12.1. भारत-रूस

(India-Russia)

रूस के सन्दर्भ में भारत की चिंताएं

रूस-चीन संबंध-

- भारत का चीन के साथ सीमा विवाद और पाकिस्तान के साथ बीजिंग के घनिष्ठ संबंधों के कारण भारत-चीन के मध्य अच्छे संबंध नहीं हैं। ऐसे मे उसके "भरोसेमंद रणनीतिक साझीदार" रूस का चीन की तरफ बढ़ता झुकाव चिंता का मुख्य कारण है।

रूस-पाकिस्तान संबंध-

- पिछले साल रूस ने पाकिस्तान के साथ अपना पहला सैन्य अभ्यास आयोजित किया, जिससे भारत की चिंताएं बढ़ीं हैं।
- गत वर्ष गोवा ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में पाकिस्तान के दो आतंकवादी समूहों पर भारत में आतंकवाद फ़ैलाने के भारत के आरोप का रूस द्वारा समर्थन न किया जाना भी चिंता का विषय है।

आतंकवाद के मुद्दे पर -

- पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भूमि से उत्पन्न होने वाले आतंकवाद के मुद्दे पर नई दिल्ली और मॉस्को के मतों में भिन्नताएं हैं। साथ ही रूस, **भविष्य के अफगानिस्तान में तालिबान** की महत्वपूर्ण भूमिका तय करने के पक्ष में है ताकि यहाँ इस्लामिक स्टेट के उदय को रोका जा सके।

भारत के साथ रूस की चिंता:

- अमेरिका और भारत के बीच ***मिलिट्री लोजिस्टिक्स अग्रीमेंट*** पर हस्ताक्षर होने से रूस चिंतित है।

हितों का सामंजस्य

- भारत और रूस दोनों अब महसूस कर रहे हैं कि वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित होने के लिए यह जरूरी है कि वे अपनी घनिष्ठ मैत्री को पुनर्स्थापित करें।

रूस के लिए भारत का महत्व

- रूस द्वारा यूक्रेन में शक्ति प्रदर्शन के बाद उस पर पश्चिमी देशों द्वारा लगाये गये प्रतिबंधों के प्रभाव को कम करने के लिए एक बड़े बाज़ार के रूप में भारत का महत्व।
- अमेरिका द्वारा संचालित आगामी 'ट्रान्स अटलांटिक व्यापार और निवेश साझेदारी' भी रूस को यूरोप के अलावा अन्य बाजारों की ओर रुख करने को बाध्य करेगी। भारत इसका एक स्वाभाविक भागीदार है।
- चीन के साथ नए सिरे से दोस्ती होने के बावजूद, रूस जल्द ही स्वयं को इसके साथ प्रतिस्पर्धा में पायेगा क्योंकि बीजिंग स्वयं को अमेरिका के साथ नए G2 के रूप में देख रहा है। इस रूप में चीन और अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंधों का निकट भविष्य में बढ़ना स्वाभाविक ही होगा।
- भारत बहु-ध्रुवीयता की स्थापना करने में मदद कर सकता है। ऐसी बहुध्रुवीय व्यवस्था के लिए रूस भी व्यग्र है।

भारत के लिए रूस का महत्व

- रूस लागत प्रभावी मूल्य पर भारत की प्रचुर ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है।
- अमेरिका, इजरायल और यूरोप से अपनी रक्षा खरीद बढ़ाने के बावजूद, भारत को रूस के साथ भविष्य की तकनीक के साथ-साथ अंतरिक्ष के क्षेत्र में भी दक्षता प्राप्त करने के लिए सहयोग की आवश्यकता रहेगी।
- हथियारों की खरीद हेतु पश्चिम के साथ बातचीत में यह भारत की सौदेबाजी की क्षमता को बढ़ाता है।
- रूस भारतीय उद्योगों यथा फार्मास्यूटिकल्स, विनिर्मित माल, डेयरी उत्पाद, बोवाइन मीट और फ्रोजेन सी फूड के लिए एक प्रमुख बाजार हो सकता है।
- भू-राजनीतिक रूप से, रूस चीन और पाकिस्तान द्वारा भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की साठगाँठ के खिलाफ एक संतुलनकारी बल के रूप में विद्यमान है।

12.2. रूस के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

(Russian President Visit To India)

- रूसी राष्ट्रपति ने भारत और रूस के बीच 17वीं द्विपक्षीय शिखर बैठक के लिए भारत का दौरा किया।

VISION IAS

- प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच "विशेष और विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी" (special and privileged strategic partnership) पर बल देते हुए कहा कि "दो नए दोस्तों से बेहतर एक पुराना दोस्त है।"

द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन की मुख्य विशेषताएं

- **सीमा पार आतंकवाद** की स्पष्ट निंदा की गई और आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और अन्य अवैध सीमा पार गतिविधियों का मुकाबला करने के लिए 'सूचना सुरक्षा' पर एक समझौता हुआ।
- **रक्षा क्षेत्र-** रूस के सबसे उन्नत S-400 'Triumf' मिसाइल रोधी रक्षा प्रणाली को खरीदने, कामोव-226T यूटिलिटी हेलीकाप्टरों का निर्माण करने और चार Krivak या तलवार वर्ग स्टील्थ के लिए समझौता हुआ।
- **क्षेत्रीय एकीकरण और व्यापार:** अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन कॉरिडोर (इंटरनेशनल नार्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर: INSTC) के कार्यान्वयन पर बल दिया गया।
- **बुनियादी ढांचा और प्रौद्योगिकी:** रूसी प्रत्यक्ष निवेश कोष (RDIF), भारत के राष्ट्रीय अवसंरचना निवेश कोष (NIIF) के तहत एक उप फंड में निवेश करेगा।
- **परमाणु विद्युत परियोजना:** मोदी और पुतिन दोनों ने संयुक्त रूप से कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दूसरी इकाई (यूनिट 5 और 6) के परिचालन की घोषणा की।
- **रूस का भारत में सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश**- रूसी तेल कंपनी रोजनेफ्ट और यूनाइटेड कैपिटल पार्टनर्स ने 10.9 बिलियन डॉलर में एस्सार एनर्जी होल्डिंग्स लिमिटेड की रिफाइनिंग और खुदरा परिसंपत्तियों के अधिग्रहण के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, यह भारत में रूस का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है।

12.3. प्रधानमंत्री मोदी की रूस यात्रा

(PM Modi Visit To Russia)

हाल ही मे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी **सेंट पीटर्सबर्ग** में **18वें 'भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन'** के साथ-साथ 'सेंट पीटर्सबर्ग इंटरनेशनल इकॉनोमिक फोरम' में भाग के लिए उपस्थित थे।

सेंट-पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र

- राजनयिक संबंधों के 70 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में भारत और रूस ने **सेंट पीटर्सबर्ग घोषणापत्र** पर हस्ताक्षर किए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच वार्षिक द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन के बाद इस घोषणा-पत्र पर हस्ताक्षर किए गए।

सेंट-पीटर्सबर्ग घोषणा-पत्र के मुख्य बिंदु

- इसमें कहा गया कि भारत और रूस ऊर्जा क्षेत्र में एक-दूसरे के पूरक हैं। साथ ही, दोनों राष्ट्रों के मध्य एक **"एनर्जी ब्रिज"** के निर्माण का प्रयास किया जायेगा। इसके अतिरिक्त **परमाणु, हाइड्रोकार्बन, पनबिजली, अक्षय ऊर्जा स्रोतों सहित ऊर्जा सहयोग के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों** का विस्तार करेंगे और ऊर्जा दक्षता में सुधार करेंगे।
- दोनों देश रूस के आर्कटिक शेल्फ में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण और दोहन के लिए संयुक्त परियोजना शुरू करने के लिए भी सहमत हुए हैं।
- इस घोषणा-पत्र में नए विश्व व्यवस्था के सन्दर्भ में यह कहा गया है कि भारत और रूस दोनों 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में बहु-ध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की स्थापना का सम्मान करते हैं क्योंकि राष्ट्रों के मध्य संबंधों का विकास प्राकृतिक और अपरिहार्य प्रक्रिया के रूप में हो रहा है।
- रूस ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह में स्थायी सदस्यता के लिए भारत का समर्थन किया है।
- दोनों देशों ने आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा की है।
- उन्होंने सभी देशों और संस्थाओं से आतंकवादी नेटवर्क एवं उनके वित्तपोषण को बाधित करने के लिए और आतंकवादियों के सीमापारीय घुसपैठ को रोकने के लिए आग्रह किया है। वैश्विक आतंकवाद निरोधक मानकों एवं कानूनी ढांचे को मजबूत करने के लिए ***कॉम्प्रेहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म*** पर वार्ता की शुरुआत की इच्छा व्यक्त की गई है।
- रक्षा सहयोग के सन्दर्भ मे यह कहा गया है कि दोनो देशों के सहयोग को तीव्र एवं अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों का संयुक्त निर्माण, सह-उत्पादन और सह-विकास के माध्यम से किया जायेगा। साथ-साथ भविष्य की उन्नत प्रौद्योगिकियों को अपनाने और साझा करने पर भी बल दिया जायेगा।
- दोनों देश हाई स्पीड ट्रेन, *डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर* और प्रभावी रेल परिवहन हेतु नई प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए भी कार्य करेंगे।

- दोनो राष्ट्रों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण परिवहन गलियारा और *ग्रीन कॉरिडोर* के कार्यान्वयन के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे के निर्माण के प्रति अपनी वचनबद्धता को दोहराया गया है। हालाँकि *कनेक्टिविटी* के मुद्दे पर निर्णय सभी पक्षों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए बातचीत और सहमति से लिया जायेगा।

भारतीय PM की रूस यात्रा के दौरान हस्ताक्षरित समझौते

भारत और रूस द्वारा अपनी **"*स्पेशल एंड प्रिविलेज्ड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप*"** को पुनः अनुमोदित करते हुए निम्नलिखित समझौतों पर हस्ताक्षर किए:

- 2017-2019 के लिए रूस के सांस्कृतिक मंत्रालय और भारत के सांस्कृतिक मंत्रालय के मध्य सांस्कृतिक आदान-प्रदान से सम्बंधित समझौता।
- ***क्रेडिट प्रोटोकॉल* और कुडनकुलम** NPP (KK5 और KK 6) के तीसरे चरण के निर्माण के लिए *जनरल फ्रेमवर्क अग्रीमेंट*।
- ***इंडियन डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ ट्रेडिसनल नालेज* (TKDL)** तक *रॉस्पाटेंट* विशेषज्ञों (Rospatent experts) की पहुंच प्रदान करने के लिए ***फेडरल सर्विस फॉर इंटलेक्चुअल प्रोपर्टी (रॉस्पाटेंट)* और CSIR** के बीच समझौता।
- **नागपुर-सिकंदराबाद के बीच में हाई-स्पीड सेवा के कार्यान्वयन के लिए JSC** (रूसी रेलवे) और भारतीय रेलवे के बीच का अनुबंध।

12.4. रूस पाकिस्तान संबंध

(Russia Pakistan Relations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

रूस और पाकिस्तान के संयुक्त सैन्य अभ्यास के पश्चात, भारत ने 22वें भारत-रूस अंतर-शासकीय आयोग में रूस-पाकिस्तान के बढ़ते सम्बन्धों पर चिंता व्यक्त की है।

पृष्ठभूमि

- भारत और रूस के सम्बन्धों में पिछले कई वर्षों में बदलाव देखा गया है। यह बदलाव **संयुक्त राज्य अमेरिका** के साथ भारत के बढ़ते सम्बन्धों के कारण है, विशेषकर अमेरिका के साथ बढ़ते हुए सैन्य संबंध।
- संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ **मूलभूत सैन्य समझौते, लॉजिस्टिक सहयोग समझौते (LSA), संचार ऑपेरटेबिलिटी और सुरक्षा ज्ञापन अनुबंध (CISMOA) और बेसिक एक्सचेंज और सहयोग समझौते (BECA)** ने भी रूस को विचलित किया है। परन्तु, रूस अब भी भारत के सैन्य उपकरणों का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है।
- **अफगानिस्तान में गृह युद्ध** की समाप्ति के पश्चात, पाकिस्तान द्वारा बेहतर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए रूस अपने सम्बन्धों में सुधार कर रहा है। रूस-पाकिस्तान के सुधरे हुए संबंध भारत के लिए उपयुक्त नहीं हैं जिसके लिए वह अपना क्षोभ समय समय पर व्यक्त करता रहा है।

रूस-पाकिस्तान संबंध

- ऐतिहासिक रूप से पाकिस्तान और रूस के बीच सम्बन्धों में उतार-चढाव होते रहे हैं।
- 1947 में शीतयुद्ध के समय में पाकिस्तान एक नवगठित राष्ट्र था। अपने शैशवावस्था में होने के कारण उसे मानव संसाधन विकसित करने, **सैन्य परिसम्पत्तियों** में वृद्धि और **संवैधानिक समस्याओं** के समाधान की आवश्यकता थी। इसके लिए **वित्तीय सहायता** की आवश्यकता थी।
- इस अवधि में पाकिस्तान ने रूस की तुलना में संयुक्त राज्य अमेरिका के समर्थन पर अधिक बल दिया। इसलिए, अन्ततः उसने **SEATO (1954) और CENTO (1955)**पर हस्ताक्षर कर दिए जिससे **पश्चिमी गुट** के प्रति उसकी निष्ठा प्रदर्शित होती थी। इस प्रकार, पाकिस्तान और रूस **शीत युद्ध में प्रतिद्वंदी** बन गये।
- यद्यपि हाल ही में, नवम्बर 2014 में, रूस ने **पाकिस्तान पर शस्त्र आपूर्ति का स्वयं द्वारा लगाया गया प्रतिबन्ध** हटा दिया। इस कदम ने रूस-पाक सम्बन्धों को एक सकारात्मक मोड़ दिया है।

आतंकवाद का सामना

- दोनों देशों को एक ही शत्रु का खतरा है अर्थात इस्लामिक राज्य इराक और लेवान्त।
- आतंकवाद के मुकाबले के लिए एक **संयुक्त कार्य दल की स्थापना, सामरिक स्थिरता और रूस के साथ अंतर-शासकीय आयोग की स्थापना।**
- **नशीली दवाओं के व्यापार के विरुद्ध मुकाबले** के लिए परस्पर समन्वय में वृद्धि।

- पाकिस्तान द्वारा **चेचन्या आतंकवादियों को** रूस को सौपना।
- **आर्थिक संबंध -व्यापार और निवेश** में भी सुधार हुआ है। 2003 में व्यापार की मात्र 92 मिलियन डालर थी जो अब 2012 में बढ़कर 542 मिलियन डालर हो गयी है।
- रूस, यूक्रेन में अपनी आक्रमकता के पश्चात कई प्रतिबन्ध झेल रहा है ।अब उसे अपने सैन्य उपकरणों के लिए पाकिस्तान में **एक नया बाजार** दिख रहा है।
- रूस भी **मध्य एशिया** के साथ अपने सम्बन्धों को सुधारने का प्रयास कर रहा है जिसके लिए **अफगानिस्तान में शांति** बहुत महत्त्वपूर्ण है। तालिबान के साथ वार्ता के माध्यम से अफगानिस्तान के गृह युद्ध को समाप्त करने के लिए पाकिस्तान की भूमिका भी अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है।
- पाकिस्तान ने रूस को **ग्वादर पत्तन** का उपयोग करने की पेशकश की है।

आगे की राह

- अफगानिस्तान में रूस के बदले हुए रुख से स्पष्ट है कि वह अफगानिस्तान में सक्रिय भूमिका निभाएगा। इसे पड़ोस में शांति स्थापित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा जा सकता है।
- इससे भारत को शांतिपूर्ण अफगानिस्तान का उपयोग करने और अपने प्रस्तावित **अंतर्राष्ट्रीय उत्तर-दक्षिण गलियारे** के विकास और मध्य एशिया के साथ जुड़ने में सहायता प्राप्त होगी। इसके अतिरिक्त, यह द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढ़ावा देगा और क्षेत्रीय संपर्क में वृद्धि करेगा।
- परन्तु, भारत को अपनी व्यापार की सम्भावनाओं को बेहतर बनाने और 2025 तक 30 बिलियन डालर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए **फर्मास्यूटिकल, कृषि और खाद्य प्रसंस्करण** जैसे क्षेत्रों में रूस के साथ सहयोग की सम्भावनाओं की तलाश करनी चाहिए।
- कुडनकुलम के लिए **सामान्य ढांचा समझौता** अभी भी लम्बित है। भारत को अपनी ऊर्जा की आवश्यकताओं को सुरक्षित करने के लिए तेजी से आगे बढना चाहिए।
- दोनों देशों के बीच विचारकों की कड़ी को पुनर्जीवित करना चाहिए क्योंकि इससे रूस में एक नयी पीढ़ी के भारत समर्थकों (इन्डोलॉजिस्ट) के प्रशिक्षण और उन्हें आगे बढ़ाने में सहायता प्राप्त होगी।
- सम्पूर्ण एशिया में भू-राजनीतिक परिस्थिति का बदलना भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है ताकि भारत **दक्षिण-एशिया में अपने नेतृत्व की भूमिका को बनाये रख सके** और अमेरिका से अपने सम्बन्धों को संतुलित कर सके।

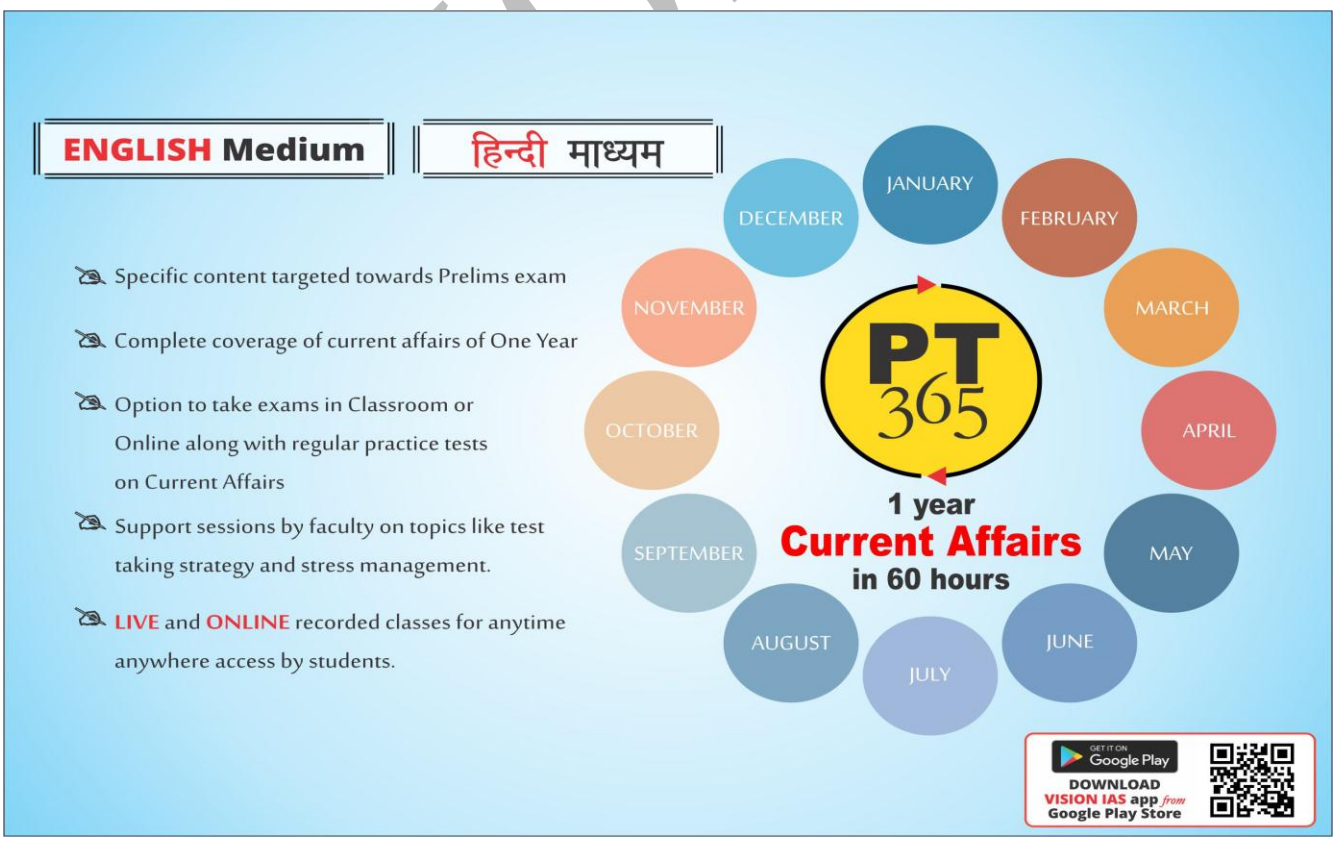

13. महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय/क्षेत्रीय समूह एवं सम्मेलन

(IMPORTANT INTERNATIONAL/REGIONAL GROUPS AND SUMMITS)

13.1. बिम्सटेक

(BIMSTEC)

बे ऑफ़ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी-सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकॉनोमिक कॉपरेशन (बिम्सटेक) द्वारा 06 जून, 2017 को अपनी स्थापना की 20 वीं वर्षगांठ मनाई गई।

बिम्सटेक के बारे में

- बिम्सटेक में **भारत, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड** शामिल हैं।
- बिम्सटेक का स्थायी सचिवालय 2014 में **ढाका** में स्थापित किया गया।
- बिम्सटेक क्षेत्र में लगभग 1.5 अरब जनसँख्या निवास करती है जो कि कुल वैश्विक आबादी का लगभग 22% है।
- बिम्सटेक एक क्षेत्रक-आधारित सहयोगात्मक संगठन है जिसमे मूल रूप से सहयोग के छह क्षेत्रों यथा व्यापार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, परिवहन, पर्यटन और मत्स्य पालन को चिन्हित किया गया था।
- 2008 में इसमें आठ अन्य क्षेत्रों कृषि, सार्वजनिक स्वास्थ्य, गरीबी उन्मूलन, आतंकवाद, पर्यावरण, संस्कृति, जनसंपर्क करने और जलवायु परिवर्तन को शामिल किया गया।

भारत के लिए बिम्सटेक का महत्त्व

भारत, बिम्सटेक का संस्थापक-सदस्य है। भारत स्पष्ट रूप से बिम्सटेक में अपनी रूचि प्रदर्शित कर रहा है। पाकिस्तान द्वारा सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) की प्रासंगिकता में कमी आई है। इस कारण से सार्क की तुलना में भारत द्वारा बिम्सटेक को प्रमुखता दी जा रही है।

- बिम्सटेक, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बीच एक पुल की भांति कार्य करता है। इस क्षेत्रीय संगठन के हाल की गतिविधियों में भारत की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।
- बिम्सटेक के विकास से भारत की **'लुक ईस्ट पालिसी'** को भी गति मिलेगी।
- इसके अतिरिक्त यह भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास में भी सहायक होगा। भारत का यह क्षेत्र पूर्वी और दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों के लिए एक भौगोलिक प्रवेश द्वार है।
- भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग और भारत-म्यांमार कलादान ***मल्टीमॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट*** के द्वारा इस उप-क्षेत्र में *कनेक्टिविटी* और आर्थिक सहयोग में भी वृद्धि होगी।
- भारत; म्यांमार और थाईलैंड के साथ मिलकर एक त्रिपक्षीय मोटर वाहन समझौता करने हेतु उत्सुक है जैसा कि जून, 2015 में बांग्लादेश, भूटान, भारत एवं नेपाल (हालाँकि, भूटान ने इससे अलग होने का निर्णय लिया है) के मध्य हुआ था। इस प्रकार के समझौते से इन राष्ट्रों के मध्य वस्तुओं, सेवाओं एवं लोगों का आवागमन आसान एवं तीव्र होगा तथा इससे व्यापार एवं उत्पादकता में भी वृद्धि होगी।
- भारत ने परिवहन और संचार, पर्यावरण और आपदा-प्रबंधन, पर्यटन और आतंकवाद-विरोधी और पार-राष्ट्रीय अपराध की रोकथाम के क्षेत्रों में अन्य राष्ट्रों की तुलना में अधिक प्रगति की है।

बिम्सटेक की क्षमतायें

बिम्सटेक में एक समूह के रूप में उभरने की व्यापक क्षमतायें विद्यमान हैं जो इस क्षेत्र में क्षेत्रीय एकीकरण, सुरक्षात्मक सहयोग और समावेशी विकास की प्रक्रिया को गति दे सकता है।

- पिछले पांच वर्षों में, बिम्सटेक के सदस्य देश वैश्विक वित्तीय मंदी के बावजूद 6.5% आर्थिक विकास दर को बनाए रखने में सफल रहे हैं।
- इस संगठन के सात राष्ट्रों द्वारा मुक्त व्यापार समझौते के लिए किये जा रहे प्रयासों के माध्यम से इस क्षेत्र में गैर-प्रशुल्क बाधाओं को समाप्त करने और व्यापारिक प्रगति में सहायता मिलेगी।
- इस क्षेत्र में अभी प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक, जलीय तथा मानव संसाधन है जिनका दोहन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त हिमालयी बेसिन में हाइड्रो पॉवर तथा बंगाल की खाड़ी में हाइड्रोकार्बन की अपार संभावनाएं हैं।

VISION IAS

- सार्क के विपरीत, बिम्सटेक एक सामान्यतः विवादरहित संगठन है, जहां सभी देश विकास प्रक्रिया में सहयोग के लिए प्रयासरत हैं।सार्क के विपरीत, बिम्सटेक का कोई लिखित चार्टर नहीं है, जिसके कारण यह एक लचीले संगठन के रूप में स्थापित है।
- बिम्सटेक के पांच देश सार्क से और दो आसियान से संबंधित हैं। अतः बिम्सटेक दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के मध्य एक सेतु के रूप में कार्य कर सकता है।
- इसके अलावा, बंगाल की खाड़ी में समुद्री वाणिज्य के समृद्ध इतिहास और प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों के साथ बिम्सटेक और सार्क (पाकिस्तान के बिना) के सदस्यों के मध्य क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग की भारी संभावनाएं मौजूद हैं।

बिम्सटेक की चुनौतियाँ

1998 में, इस क्षेत्रीय समूह के दो प्रमुख साझीदारों, भारत और थाईलैंड ने क्रमशः *'लुक ईस्ट'* और *'लुक वेस्ट'* कार्यक्रमों को बढ़ावा देते हुए बिम्सटेक क्षेत्र के लिए एक **मुक्त व्यापार समझौते** (FTA) की पेशकश की। हालाँकि, अभी तक बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौता मूर्त रूप नहीं ले सका है।

- बिम्सटेक के सदस्य देशों के मध्य शरणार्थियों से सम्बंधित मुद्दे और नृजातीय तनाव के मुद्दे समूह के समक्ष चुनौती उत्पन्न कर सकते हैं।
- दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ाने के मामले में अपनी व्यापक क्षमताओं के बावजूद, बिम्सटेक लंबे समय से संसाधनों की कमी और सदस्य राज्यों के मध्य उचित समन्वय के अभाव से ग्रस्त है।
- अभी तक, बिम्सटेक ने पिछले दो दशकों में केवल चार शिखर सम्मेलन आयोजित किए हैं।

निष्कर्ष

बिम्सटेक दक्षिण एशिया और आसियान के मध्य एक सेतु के रूप अत्यधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है जिसे निभाने में सार्क अभी तक असफल रहा है। बिम्सटेक मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करके तथा नियमित उच्च स्तरीय शिखर सम्मेलनों को आयोजित करके अपनी व्यापक वास्तविक क्षमताओं को हासिल कर सकता है।

13.2. ITI-DKD-Y कॉरिडोर

(ITI-DKD-Y CORRIDOR)

भारत ढाका से इस्ताम्बुल तक एक रेलवे ट्रैक बिछाने की योजना पर काम कर रहा है। यह ट्रेन बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, ईरान से होते हुए तुर्की तक पहुंचेगी तथा 6,000 किलोमीटर की दूरी का सफ़र तय करेगी।

- भारत की बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ रेल कनेक्टिविटी पहले से ही विद्यमान है। लेकिन इस लिंकेज को इस्तांबुल (तुर्की) तक बढ़ाने का प्रस्ताव है।
- प्रस्तावित "ट्रांस-एशियन रेलवे (TAR)" या "ITI-DKD" (इस्तांबुल-तेहरान-इस्लामाबाद, दिल्ली-कोलकाता-ढाका) कॉरिडोर 6,000 किलोमीटर लंबा होगा। इस कॉरिडोर में ढाका-कोलकाता-दिल्ली-अमृतसर-लाहौर- इस्लामाबाद-ज़ाहेदान-तेहरान-इस्तांबुल शामिल होंगे।
- इस कॉरिडोर को यांगून (म्यांमार) तक बढ़ाने का भी एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस प्रकार, "ITI-DKD-Y" कॉरिडोर विश्व के प्रमुख इंटरनेशनल रेल कॉरिडोर्स में से एक बन सकता है।
- इन देशों की राजधानियों को जोड़ने वाले सामरिक मार्ग के संभाव्यता अध्ययन *यूनाइटेड नेशन्स इकॉनोमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड द पैसिफ़िक* (UNESCAP) द्वारा किये गए। ये अध्ययन सम्पूर्ण यूरोप और एशिया में इंटीग्रेटेड फ्रेट नेटवर्क हेतु **ट्रांस-एशियन रेलवे (TAR)** प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में किये गए है।
- इस अवधारणा पर विचार-विमर्श करने और बाधाओं को दूर करने के लिए UNESCAP ने *आर्गेनाईजेशन फॉर कोऑपरेशन बिट्वीन रेलवेज़* (Organisation for Co-operation between Railways) और रेल मंत्रालय के साथ नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की।

13.3. विश्व व्यापार संगठन

(World Trade Organization)

13.3.1. WTO के महानिदेशक की भारत की यात्रा

(WTO Director General Visit To India)

WTO के महानिदेशक रॉबर्टो एज़ेवेडो ने भारत की यात्रा की। इस यात्रा के दौरान, भारत ने दिसंबर 2017 में अर्जेंटीना में मंत्रिस्तरीय सम्मेलन से पूर्व हल किए जाने वाले विश्व व्यापार संगठन में लंबित मुद्दों को उठाया।

- वाणिज्य मंत्री ने दिसम्बर 2017 में, अर्जेंटीना में मंत्रिस्तरीय सम्मलेन से **पूर्व खाद्य सुरक्षा उद्देश्यों के लिए सार्वजनिक स्टॉक के रखरखाव के मुद्दे** समेत WTO की दोहा दौर की वार्ता के अनसुलझे मुद्दों का समाधान सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
- भारत, जिनेवा में WTO के मुख्यालयों में एक विशेषज्ञ दल भेजेगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि **खाद्य सुरक्षा के मुद्दों और प्रस्तावित वैश्विक सेवा समझौते पर वार्ता** शीघ्रता से आगे बढ़े।

नए मुद्दों को शामिल करने पर भारत का विरोध:

भारत, विश्व व्यापार संगठन के सभी सदस्यों की सहमति के बिना वैश्विक व्यापार के उदारीकरण पर WTO स्तर की वार्ता के औपचारिक एजेंडे में **'नए मुद्दों'** को प्रस्तुत करने के खिलाफ है। WTO में शामिल किए जाने वाले मुद्दों में **ई-कॉमर्स और निवेश** हैं।

A. e-कॉमर्स मुद्दा

- इंटरनेशनल चैंबर ऑफ कॉमर्स (ICC) और B-20 (बिजनेस 20, जी -20 देशों के बिजनेस समूहों का प्रतिनिधित्व करते हुए) द्वारा उनके समावेशन का समर्थन किया गया है।
  - ई-कॉमर्स पर "WTO पैकेज" को अपनाने के लिए ICC और B-20 ने सितंबर 2016 में एक प्रस्ताव पेश किया।
  - यह प्रस्ताव e-कॉमर्स को बेहतर तरीके से अपनाने के द्वारा सूक्ष्म, छोटे और मध्यम उद्यमों (MSMEs) को बढ़ावा देने की बात करता है।
  - प्रस्ताव का तर्क है कि एक प्रभावी e-कॉमर्स परिवेश बड़े और छोटे व्यवसायों के मध्य व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा को सामान स्तर पर लाएगा, जिससे छोटे व्यवसायों को बाजारों तक पहुंच बनाने में आने वाली बाधाओं को दूर करने में सक्षम किया जा सके।
  - WTO के महानिदेशक ने e-कॉमर्स का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने इंटरनेट पैठ (वैश्विक आबादी का 43%) में वृद्धि की ओर संकेत किया है।
  - 2015 में, अत्यधिक कम विकसित और कम आय वाले देशों में इंटरनेट पहुँच क्रमशः 12.6% और 9.4% थी। यहां तक कि निम्न मध्यम आय वाले देशों में भी, यह आंकड़ा वैश्विक औसत से नीचे था।
- विकसित और विकासशील देशों के बीच इंटरनेट पहुंच में भारी असमानताओं के कारण e-कॉमर्स के संभावित लाभार्थी विकसित देशों के होंगे।

B. निवेश का मुद्दा

- **निवेशक राज्य विवाद निपटान की प्रक्रिया** पर ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसका प्रयोग करके निवेशक अपने मेजबान राज्यों पर निजी अंतरराष्ट्रीय पैनलों में मुकदमा कर सकता है।
- भारत ने WTO स्तर पर कुछ अमीर देशों द्वारा एक वैश्विक निवेश समझौते के लिए काम करने का विरोध किया है, जिसमें विवादास्पद **निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र** शामिल होगा।

13.3.2. ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज (TFS) एग्रीमेंट

(Trade Facilitation In Services (TFS) Agreement)

भारत ने WTO से वैश्विक सेवा समझौते हेतु वार्ता की प्रक्रिया में तीव्रता लाने की मांग की है।

- भारत ने कानूनी विवीक्षा के उपरांत (legally vetted) WTO के समक्ष **ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज (TFS) एग्रीमेंट** हेतु एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

ट्रेड फैसिलिटेशन इन सर्विसेज (TFS) एग्रीमेंट

प्रस्तावित समझौता वस्तुओं के लिए किए गए WTO के **ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट** (TFA) के समान है। TFA हाल ही में लागू हुआ था; इसका उद्देश्य वैश्विक वस्तुओं के व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सीमा शुल्क मानदंड को आसान बनाना है।

- अन्य बातों के अतिरिक्त प्रस्तावित TFS का उद्देश्य चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए **सामाजिक सुरक्षा योगदानों और सीमा-पारीय (cross-border) बीमा कवरेज की पोर्टबिलिटी सुनिश्चित करना** है।
- भारत ने निर्दिष्ट किया कि प्रस्तावित TFS समझौता "बाजार पहुंच को 'प्रभावी 'और वाणिज्यिक रूप से सार्थक बनाने हेतु आवश्यक **'सुविधा'** से भी सम्बद्ध है। यह समझौता 'नए' (अपेक्षाकृत विशाल) बाजार तक पहुंच के सन्दर्भ में नहीं है।"

VISION IAS

- अन्य बातों के अतिरिक्त TFS का उद्देश्य सीमाओं के पार **कुशल कर्मचारियों के आवागमन हेतु मानदंडों को आसान बनाना है।**
- TFS समझौता, सेवाओं के व्यापार को सुगम बनाने हेतु आवश्यक प्रमुख मुद्दों को संबोधित करेगा। इन मुद्दों में **पारदर्शिता, प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित बनाना और बाधाओं को दूर करना** आदि सम्मिलित हैं।
- भारत ने तर्क दिया कि यह ड्राफ्ट लीगल टेक्स्ट, **मोड 1 (सीमा-पारीय सेवाएं), मोड 2 (विदेशों में उपभोग) और मोड 4 (अल्पकालिक सेवा प्रदाताओं या नेचुरल पर्सन्स की आवाजाही)** को कवर करता है। यह ड्राफ्ट "कुछ निश्चित अनिवार्य दायित्वों और 'एक सीमा तक व्यवहार्य' दायित्वों या 'इंडेवर (जिनके संबंध में प्रयास किया जा सकता है)' की श्रेणी में आने वाले दायित्वों के सावधानी से चुने गए सम्मिश्रण पर आधारित है।"
- भारत ने तर्क दिया कि यह समझौता, विशेष और विभेदक व्यवहार (differential treatment) प्रावधानों की व्यवस्था करता है जिनके तहत विकासशील देशों को संक्रमण की अवधि प्रदान की जाती है, जबकि अल्प-विकसित देशों को TFS समझौते से उत्पन्न होने वाली किन्हीं भी प्रतिबद्धताओं से छूट दी जाती है।
- कई विकासशील देशों के अनुसार यह उन पर भारी प्रतिबद्धता आरोपित करेगा।
- यूरोपीय संघ (EU), कनाडा, स्विटजरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे बड़े औद्योगिक सदस्य देशों ने भारतीय प्रस्ताव का स्वागत किया है।

13.3.3. वैश्विक निवेश समझौता

(Global Investment Agreement)

भारत ने ब्राजील, अर्जेंटीना और कुछ अन्य देशों के साथ, यूरोपीय संघ और कनाडा के एक अनौपचारिक प्रयास को खारिज कर दिया है जिसका उद्देश्य विश्व व्यापार संगठन में एक वैश्विक निवेश समझौते की दिशा में काम करना है।

- यूरोपीय संघ और कनाडा ने एक निवेश समझौते पर हस्ताक्षर किया है,जिसमें विवादास्पद निवेशक-राज्य विवाद निपटान तंत्र (Investor-State Dispute Settlement (ISDS) mechanism) शामिल किया गया है।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र क्या है?

- ISDS तंत्र विवादास्पद बन गया है क्योंकि यह कंपनियों द्वारा स्थानीय उपायों पर गौर किये बिना सरकारों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में ले जाने की अनुमति देता है।
- यह कंपनियों को नीति में परिवर्तन सहित विभिन्न कारणों से हुई हानियों के बदले बहुत बड़ी मुआवजा राशि का दावा करने की अनुमति भी देता है।

भारत की स्थिति

- अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता न्यायाधिकरण में जाने के विकल्प का प्रयोग केवल तभी किया जा सकता है जब कॉर्पोरेट और सरकार के बीच विवादों को निपटाने के सभी स्थानीय विकल्प समाप्त हो चुके हों।
- यह भी कहा गया कि इस तरह के प्रावधान (ISDS तंत्र) द्विपक्षीय समझौतों का एक हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन एक बहुपक्षीय समझौते में उन्हें रखने की अनुमति नहीं दी जा सकती।

13.4. अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय

(International Criminal Court: ICC)

- बुरुंडी, दक्षिण अफ्रीका और गाम्बिया ने अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय ICC की सदस्यता त्याग दी है। अब केन्या और युगांडा भी इस सम्बन्ध में विचार कर रहे हैं।
- रूस ने भी क्रीमिया के सम्बन्ध में न्यायालय द्वारा रिपोर्ट के प्रकाशन से क्षुब्ध होकर औपचारिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय (ICC) से अपनी सदस्यता वापस ले ली। इस रिपोर्ट में क्रीमिया के अधिग्रहण को रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष के परिणामस्वरूप रूस द्वारा क्रीमिया पर किए गए कब्ज़े के रूप में दर्शाया गया है।

ICC: चिंता के प्रमुख बिंदु

- **न्यायाधिकार का अभाव-** ICC का विश्व के कुछ सबसे शक्तिशाली देशों जैसे अमेरिका, रूस, चीन और इजरायल पर न्यायाधिकार नहीं है।
- **संकीर्ण अधिदेश-** यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों (अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन) के अधिकारों के उल्लंघन की जांच नहीं करता है।

- **कोई स्वतंत्र अधिकार नहीं-** यह अपने अधिकार के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सहयोग पर निर्भर है।
- राजनीति से प्रेरित अभियोजन के विरुद्ध सुरक्षा उपाय होने के बावजूद राजनीतिक अभियोजन और गैरजिम्मेदार अभियोजन पक्ष।
- **राज्य संप्रभुता बनाम सार्वभौमिक न्यायाधिकार के बीच अस्पष्टता-** ICC के कानूनी और राजनीतिक आधारों के बीच संबंधों में अस्पष्टता पैदा होती है, क्योंकि मुख्य रूप से एक सार्वभौमिक कानूनी ढांचे के भीतर संचालन के बावजूद, न्यायालय उन नीतियों की वजह से कमजोर है जिन पर अभी तक संप्रभु मॉडल का प्रभुत्व है।

क्या किये जाने की जरूरत है?

- रोम संविधि में अनेक अस्पष्टताएं हैं जिन्हें दूर किये जाने की आवश्यकता है।
- संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों से समर्थन जो ICC के मामलों पर वीटो शक्तियां धारण किये हुए हैं।
- यह सुनिश्चित करने के लिए कि ICC अपने मौजूदा जांच और मामलों को प्रभावी ढंग से संचालित कर सके, और ICC की क्षमता में वृद्धि पर ध्यान केन्द्रित करने की आवश्यकता है।
- उचित फंडिंग प्रणाली के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना।
- पारदर्शिता और जवाबदेही के उपायों के साथ जांच और अभियोजन का सुदृढ़ीकरण।
- पीड़ितों की भागीदारी और उनके प्रभावी प्रतिनिधित्व के लिए सहायता।

ICC के बारे में

- यह विश्व की प्रथम कानूनी संस्था है जिसके पास नरसंहार, मानवता के विरुद्ध अपराधों और युद्ध अपराधों के मामलों में अभियोग चलाने का स्थायी अंतरराष्ट्रीय न्यायाधिकार है।
- हेग स्थित ICC के 124 देश सदस्य हैं।

13.5. संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद

(UN Human Rights Council)

सीरिया में अपनी नीतियों के संबंध में युद्ध अपराधों के आरोपों के कारण रूस संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में अपनी सीट को बनाए रखने के प्रयास में असफल रहा।

यह महत्वपूर्ण क्यों है?

एक दशक पहले UNHRC के निर्माण के बाद से यह पहला अवसर था जबकि सुरक्षा परिषद के पांच स्थायी सदस्यों में से कोई एक सदस्य परिषद के लिए निर्वाचित होने में विफल रहा।

रूस के बाहर होने के बाद संभावित प्रभाव

- इससे सीरिया को लेकर रुस की विदेश नीति में किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन की संभावना नहीं है।
- यह रूस और पश्चिम, विशेष रूप संयुक्त राज्य अमेरिका, के बीच तनावपूर्ण संबंधों को और भड़का सकता है, और रूस में मानव अधिकारों की स्थिति और खराब हो सकती है।
- रूस का UNHRC से बाहर होना सऊदी अरब के परिषद में सफलता पूर्वक पुनर्निर्वाचन से असंगत है। यमन के गृह-युद्ध में सऊदी अरब द्वारा की गई कार्रवाई की कठोर आलोचना के बावजूद, सऊदी अरब मानवाधिकार परिषद में अपनी जगह बनाये रखने में सफल रहा। यह मानव अधिकारों को पश्चिमी हस्तक्षेप के एक उपकरण के रूप में उपयोग को रेखांकित करता है।

संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के बारे में

- परिषद जिनेवा स्थित 47 सदस्यीय निकाय है।
- इसे वर्ष 2006 में वैश्विक स्तर पर मानव अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाया गया था।
- परिषद के सदस्य विभिन्न देशों को मानवाधिकारों की स्थिति में सुधार लाने की दिशा में प्रवृत्त करने के लिए कार्य करते हैं।
- यह उल्लंघन के मामलों को प्रकाश में लाने से लेकर सुरक्षा परिषद द्वारा अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय के लिए एक रेफरल बनाने के लिए अनुशंसा करने तक का निर्णय करती है।
- परिषद के पास कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है, लेकिन यह उल्लंघन करने वाले देश पर महत्वपूर्ण दबाव डाल सकती है और विशेष प्रतिवेदक (Rapporteurs) रख सकती है, जिनके पास जांच-पड़ताल और मानव अधिकारों के हनन के प्रतिवेदन का अधिदेश (मैंडेट) होता है।

13.6. UNCITRAL

संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून आयोग (यूनाइटेड नेशन्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ: UNCITRAL) ने हाल ही में अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे कर लिए। यह उत्सव भारत द्वारा आयोजित किया गया।

UNCITRAL के बारे में

- यह अंतरराष्ट्रीय व्यापार कानून के क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र का एक मूल (core) कानूनी निकाय है।
- UNCITRAL को 1966 में इस मान्यता के साथ स्थापित किया गया था कि "राज्यों के बीच अंतरराष्ट्रीय व्यापार सहयोग, मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण कारक है और इसके परिणामस्वरूप, शांति और सुरक्षा बनाए रखने में भी मदद मिलती है"।
- इसका कार्य अंतरराष्ट्रीय व्यापार के नियमों का आधुनिकीकरण और उनमें सामंजस्य स्थापित करना है।
- UNCITRAL में 60 सदस्य हैं जो छह वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं- एशिया से 14, अफ्रीका से 14, लैटिन अमेरिकी और कैरिबियन देशों से 10, पूर्वी यूरोप से 8 और 14 सदस्य पश्चिमी यूरोप तथा अन्य देशों से।

UNCITRAL की भूमिका

व्यापार का अर्थ है- वाणिज्य के माध्यम से तीव्र वृद्धि, उच्च जीवन स्तर, और नए अवसर। विश्व भर में इन अवसरों को बढ़ाने के लिए, UNCITRAL वाणिज्यिक लेनदेन के संबंध में आधुनिक, निष्पक्ष, और सामंजस्यपूर्ण नियम तैयार कर रहा है। इसमें शामिल हैं:

- कन्वेंशन, मॉडल कानून और नियम जो पूरे विश्व में स्वीकार्य हों,
- व्यावहारिक रूप से महत्वपूर्ण कानूनी और विधायी दिशानिर्देश और सिफारिशें,
- कानूनी मामले (case law) पर अद्यतन जानकारी और एक समान वाणिज्यिक कानून का अधिनियमन,
- कानून सुधार परियोजनाओं में तकनीकी सहायता,
- एक समान वाणिज्यिक कानून पर क्षेत्रीय और राष्ट्रीय सेमिनार।

इसकी प्रमुख उपलब्धियों को सारांशतः निम्न प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है:

- यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दि रिकग्निशन एंड एन्फोर्समेंट ऑफ़ आर्बिट्रल अवॉर्ड्स 1958, या न्यूयार्क कन्वेंशन मध्यस्थता समझौतों हेतु एक समान विधायी मानकों की स्थापना का प्रयास करता है। यह विदेशी और गैर-घरेलू मध्यस्थता निर्णयों को लागू करने का भी प्रावधान करता है।
- इसके द्वारा 'यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉन्ट्रैक्ट फॉर इंटरनेशनल सेल ऑफ़ गुड्स' का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया है। इस कन्वेंशन के माध्यम से वाणिज्यिक लेन देन को सुनिश्चित स्वरुप प्रदान करने के साथ ही लागत में भी कटौती संभव हो पायी है।
- 'दि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन दि कैरेज ऑफ़ गुड्स बाई सी' एक अनुबंध के तहत शिपर्स, कैरिअर्स और कन्साइनीज़ (consignees) के अधिकारों और दायित्वों को शासित करने वाली एक समान कानूनी व्यवस्था की स्थापना करता है।
- विवाद समाधान हेतु इसके द्वारा 1976, 1980 और 1982 में UNCITRAL आर्बिट्रेशन रूल्स का निर्माण एवं क्रियान्वयन किया गया। इसके अलावा देशों को उनके मध्यस्थता कानूनों के आधुनिकीकरण तथा मध्यस्थता के समस्त चरणों में सहायता प्रदान करने के लिए UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन कमर्शियल आर्बिट्रेशन का निर्माण किया गया है।
- UNCITRAL मॉडल लॉ ऑन इंटरनेशनल कमर्शियल कंसीलिएशन 1985 सुलह प्रक्रिया के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए इस संबंध में समान नियमों की स्थापना का प्रयास करता है। इस कानून के माध्यम से सुलह प्रक्रिया को निश्चित स्वरुप प्रदान करने के साथ ही निर्णयों के संबंध में अधिक वस्तुनिष्ठ प्रक्रिया को अपनाया जा सकेगा।

UNCITRAL और भारत

- भारत UNCITRAL का एक संस्थापक सदस्य है।
- भारत उन आठ देशों में से एक है जो UNCITRAL की स्थापना के समय से इसके सदस्य हैं, और हाल ही में इसे छह वर्षों की अवधि के लिए फिर से निर्वाचित किया गया है।
- UNCITRAL कन्वेंशन और इसके आदर्श विधिक दस्तावेजों (मॉडल लीगल टेक्स्ट) ने भारत में नए अधिनियमों और विभिन्न वाणिज्यिक कानूनों में संशोधन के आधार का निर्धारण किया है। उदाहरणार्थ:
    - मध्यस्थता और समझौता अधिनियम (Arbitration and Conciliation Act) 1996,

VISION IAS

- सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 और
- वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम (Securitisation and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act) 2002 आदि।

अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्यिक मध्यस्थता 1985 पर UNCITRAL के मौलिक मॉडल कानून ने भारत के मध्यस्थता और समझौता अधिनियम, 1996 के आधार का निर्धारण किया है।

13.7. TIR कन्वेंशन

(TIR Convention)

TIR कार्नेट्स (TIR कन्वेंशन) के तहत कस्टम्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़ गुड्स (Customs Convention on International Transport of Goods) में भारत के प्रवेश तथा अनुसमर्थन हेतु आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी करने के लिए केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दे दी है।

कन्वेंशन से लाभ

यह कन्वेंशन तीव्र, सुगम, विश्वसनीय और बाधारहित अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था तक पहुंच स्थापित करने में भारतीय व्यापारियों की मदद करेगा। वस्तुओं के आवागमन हेतु अनुबंध के अन्य पक्षकारों के क्षेत्रों में सड़क या बहुआयामी साधनों का उपयोग किया जाएगा।

- कन्वेंशन में शामिल होने से, कस्टम कंट्रोल्स की पारस्परिक स्वीकृति के कारण मार्ग में सचल दस्तों के साथ-साथ मध्यवर्ती सीमाओं पर वस्तुओं के निरीक्षण की आवश्यकता समाप्त हो जाएगी।
- आंतरिक कस्टम लोकेशन्स पर कस्टम क्लीयरेंस संपन्न हो सकती है। इससे बॉर्डर क्रासिंग पॉइंट्स और बंदरगाहों पर क्लीयरेंस की प्रक्रिया से बचा जा सकता है जो प्रायः इन स्थानों पर भीड़ का कारण होती है।
- TIR कन्वेंशन, कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा सील किए गए वाहनों और कंटेनरों को सामान्यतः सीमा पर होने वाले परीक्षणों के बिना राष्ट्रों की सीमाओं को पार करने के लिए व्यापार और अंतरराष्ट्रीय सड़क परिवहन की सुविधा प्रदान करता है।
- TIR का सिंगल ट्रांजिट डॉक्यूमेंट गलत सूचना प्रस्तुत करने के जोखिम को भी उल्लेखनीय ढंग से कम करता है। केवल स्वीकृत ट्रांसपोर्टर्स और वाहनों के संचालन को अनुमति प्रदान की जाती है।
- इस कन्वेंशन के अनुपालन से सप्लाई चेन में बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित होगी क्योंकि कन्वेंशन के अनुसार केवल स्वीकृत ट्रांसपोर्टर्स और वाहनों को संचालन की अनुमति है।
- चूंकि TIR कार्नेट सीमा शुल्क और करों एवं पारगमन में यातायात की गारंटी प्रदर्शित करता है इसलिए मार्गों में ऐसे कर और शुल्क भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है।
- TIR कार्नेट, कस्टम डेक्लरेशन (घोषणा-पत्र) के रूप में भी कार्य करता है, इसलिए इससे विभिन्न देशों के राष्ट्रीय कानूनों को संतुष्ट करने वाले कई घोषणापत्रों को फाइल करने की आवश्यकता समाप्त हो जाती है।
- TIR कन्वेंशन, **इंटरनेशनल "नार्थ-साउथ" ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर** (**International "North-South" Transport (INSTC) Corridor**) के समानांतर वस्तुओं के आवागमन का एक माध्यम हो सकता है । यह ईरान के बंदरगाहों विशेषकर चाबहार बन्दरगाह का उपयोग कर सेंट्रल एशियन रिपब्लिक और राष्ट्रमंडल देशों (Commonwealth of Independent States) के साथ व्यापार को बढ़ावा देने में सहायक होगा।
- TIR में भारत की भागीदारी पूर्वी और पश्चिमी पड़ोसी देशों के साथ इसके व्यापार को भी सुविधाजनक बना सकती है।

TIR के बारे में

यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक कमीशन फॉर यूरोप के तत्वावधान में TIR कार्नेट्स (TIR कन्वेंशन), 1975 के तहत *कस्टम्स कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ऑफ़ गुड्स* एक इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम है। इसके अंतर्गत कन्वेंशन के पक्षकार देशों के मध्य वस्तुओं के निर्बाध आवागमन की सुविधा प्रदान की गयी है।

- भारत इस इंटरनेशनल ट्रांजिट सिस्टम का 71वां हस्ताक्षरकर्ता देश होगा।
- भारत से पहले TIR पर हस्ताक्षर करने वाले दो देश पाकिस्तान (2015) और चीन (2016) हैं।

13.8. कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ (CLCS)

(Commission on the Limits of the Continental Shelf (CLCS))

यह पिछले दो दशकों में पहली बार है कि प्रतिष्ठित UN वैज्ञानिक निकाय- **कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ़ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ़ (CLCS)** में भारत का कोई सदस्य नहीं होगा।

- CLCS का कार्यकाल पांच वर्ष का है और 2017-2022 अवधि के लिए चुनाव जून में आयोजित किये जायेंगे।
- रसिक रवींद्र भारत की तरफ से CLCS के वर्तमान सदस्य हैं।
- औपचारिक रूप से भारतीय उम्मीदवारों को मनोनीत करने वाले विदेश मंत्रालय (MEA) ने एक अन्य UN निकाय इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ़ द सी (International Tribunal for the Law of the Sea: ITLOS) हेतु एक व्यक्ति को नामांकित करने का निर्णय लिया है।
- CLCS में, एशिया-प्रशांत क्षेत्र से वर्तमान सदस्य चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, मलेशिया और भारत हैं। भारत के अतिरिक्त सभी देश द्वारा दोनों पदों के लिए उम्मीदवार भेज रहे हैं।
- भारत 1982 में UNCLOS का हस्ताक्षरकर्ता बना और इसने क्रमशः 1997, 1996 और 1994 में CLCS, ITLOS और इंटरनेशनल सी-बेड अथॉरिटी (ISA) की स्थापना के बाद से इनमें लगातार प्रतिनिधित्व किया है।

इस कदम के निहितार्थ

इस 21 सदस्यीय समूह में एक भी भारतीय के न होने का अर्थ यह है कि तथाकथित एशिया-प्रशांत समूह को आवंटित की गई पांच सीटों में से दो को चीन और पाकिस्तान द्वारा भरने की संभावना बढ़ जायेगी।

CLCS की सदस्यता भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है?

- इस वैज्ञानिक निकाय का सदस्य होना प्रतिष्ठा का विषय है।
- कमीशन की सदस्यता से भारत को सी-बेड के कुछ हिस्सों में विभिन्न देशों द्वारा किए गए दावों की वैज्ञानिक क्षमता का आंकलन करने की अनुमति प्राप्त होगी। इसमें क्षेत्रीय जल (टेरीटोरियल वाटर) आदि के वे हिस्से शामिल होंगे जिन्हें सीमांकित करना कठिन होता है। ऐसी जानकारी केवल सदस्यों को उपलब्ध होती है।
- भारत का इसके कई पड़ोसियों जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका के साथ महाद्वीपीय शेल्फ (अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के नीचे समुद्र तट) के न्यायपूर्ण वितरण पर विवाद रह चुका है।
- CLCS में भारत का व्यापक हित है। भारत ने एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन (EEZ) की मौजूदा सीमा 200 नॉटिकल मील को 350 नॉटिकल मील तक विस्तारित करने के लिए आवेदन किया है।

CLCS के बारे में

CLCS, 1982 के UNCLOS के तहत बनाई गई तीन संस्थाओं में से एक है। अन्य दो संस्थान ITLOS और ISA हैं। इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर दि लॉ ऑफ़ दि सी (ITLOS) तथा इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी (ISA) अन्य दो महत्वपूर्ण संस्थान हैं।

- CLCS का उद्देश्य बेस लाइन से 200 समुद्री मील (M) परे महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमाओं को स्थापित करने के संबंध में UNCLOS के कार्यान्वयन को सुगम बनाना है। बेस लाइन वह स्थान है जहां से क्षेत्रीय समुद्र की चौड़ाई मापी जाती है।
- उन क्षेत्रों में जहां महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमा 200 समुद्री मील से अधिक है, महाद्वीपीय शेल्फ की बाहरी सीमा से सरोकार रखने वाले तटीय देशों द्वारा संकलित आंकड़ों और अन्य सामग्रियों पर विचार करना।
- संबंधित तटीय देश द्वारा अनुरोध किए जाने पर इस तरह के आंकड़ों के संकलन के दौरान वैज्ञानिक और तकनीकी सलाह प्रदान करना।

13.9.यूरेशियाई आर्थिक संघ

(Eurasian Economic Union-EAEU)

भारत यूरेशियाई आर्थिक संघ के साथ मुक्त व्यापार समझौते को औपचारिक रूप देने के लिए तैयार है।

भारत के लिए FTA का महत्व

- भारत और पांच यूरेशियाई देशों के बीच व्यापार लगभग 11 बिलियन डॉलर का है।
- FTA से 37 से 62 बिलियन डॉलर की व्यापार क्षमता वाला एक बड़ा बाजार खुलने की संभावना है।
- यूरेशियाई बाजार मसालों, समुद्री उत्पादों, कॉयर और रबर जैसे पारंपरिक क्षेत्रों के अतिरिक्त केरल के लिए चिकित्सा पर्यटन, आईटी और आईटी क्षम सेवाओं में नई निर्यात संभावनाओं के द्वारा खोल सकता है।

यूरेशियाई आर्थिक संघ

- यूरेशियाई आर्थिक संघ में रूस, बेलारूस, अर्मेनिया, कजाकिस्तान और किर्गिस्तान सम्मिलित हैं।
- यूरेशियाई आर्थिक संघ का 183 मिलियन लोगों का एकीकृत एकल बाजार और 4 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर (PPP) से अधिक का सकल घरेलू उत्पाद है।

14. विविध

(MISCELLANEOUS)

14.1.भारत की शरणार्थी नीति

(India's Asylum Policy)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- बलूचिस्तान में, भारत द्वारा मानवाधिकारों के दुरुपयोग को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय मंचों पर उठाने के बाद भारत की शरणार्थी नीति पर भी सवाल उठने लगे हैं।
- म्यांमार के राखिने राज्य के एक नृजातीय समूह रोहिंग्या भी भारत में शरण मांग रहे हैं।
- दक्षिण-एशिया में भारत की शरणार्थी जनसंख्या सबसे अधिक है। परन्तु, शरण प्रदान करने को लेकर एक समान कानून अभी तक बनाया नहीं गया है।

एक आश्रय-साधक और शरणार्थी में अंतर

- संयुक्तराष्ट्र शरणार्थी संस्था UNHCR के अनुसार, **शरण चाहने वाले वह** व्यक्ति हैं, जिन्होंने **अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा** की मांग की है और उनके शरणार्थी दावे को अभी निर्धारित नहीं किया गया है, भले ही उन्होंने कितने भी समय पहले वह मांग दर्ज करायी हो।
- **शरणार्थी** वह व्यक्ति होते हैं जिन्हें शरणार्थियों के **दर्जे से सम्बंधित 1951 के अधिसमय,** इसके 1967 के प्रोटोकॉल, अफ्रीका में शरणार्थियों की समस्या के विशिष्ट पक्षों को शासित करने वाले 1969 के OAU अभिसमय, UNHCR संविधि के अंतर्गत मान्यता प्राप्त है। इसके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी इस श्रेणी में रखे जाते हैं जिन्हें पूरक रूप में सुरक्षा प्रदान की गयी है या जो अस्थाई सुरक्षा भोग रहे हैं।

भारत में शरणार्थियों की स्थिति

- 2015 के अंत तक, संयुक्त राष्ट्र के शरणार्थी निकाय के अनुसार, भारत में 2,07,861 लोग ऐसे थे जो या तो इस दर्जे को प्राप्त कर चुके थे या अभी भी उसकी मांग कर रहे थे। इनमें से 2,01,281 शरणार्थी थे और 6,480 शरणार्थी के दर्जे की मांग करने वाले थे।
- अनेक वर्षों से भारत , तिब्बतियों, बंगलादेश के चकमा, अफगान और श्रीलंका के तमिल जनजातीय शरणार्थियों को शरण देता रहा है।
  - **1959 और 1962 के बीच भारत आने वाले तिब्बतियों को** उन्हें 38 से अधिक बस्तियों में पर्याप्त शरण प्रदान की गयी थी।
  - 1980 के दशक में **गृह युद्ध से भागने वाले अफगान शरणार्थी** दिल्ली की मलिन बस्तियों में रहते हैं।
  - म्यांमार के राखिने राज्य का जनजातीय समूह **रोहिन्गया** विश्व में सबसे अधिक सताए जाने वाले समूहों में से एक है। **13,000 से अधीन रोहिन्गया शरणार्थी** भारत में शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र उच्चायोग (UNHCR) में पंजीकृत हैं।

भारत में शरणार्थियों और आश्रय मांगने वालों की प्रविष्टि का निर्धारण कैसे होता है?

- भारत ने **शरणार्थियों की स्थिति पर 1951 के संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी अभिसमय** या इसके 1967 के प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर नहीं किये हैं। इसमें आश्रयदाता देश द्वारा शरणार्थियों को आवश्यक रूप से प्रदान की जाने वाली सुविधाओं का उल्लेख किया गया है।
- शरणार्थियों और शरण के इच्छुक लोगों के भारत में प्रवेश करने के संबंध में भारतीय अधिकारियों द्वारा **पासपोर्ट (भारत का प्रवेश) अधिनियम 1920, पासपोर्ट अधिनियम 1967, विदेशियों के लिए आदेश अधिनियम 1946** से परामर्श लिया जाता है।
- शरणार्थियों को न्यायपालिका (राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाम अरुणाचल प्रदेश, 1966) द्वारा **सुरक्षा प्रदान की गयी है।**
- इसके अतिरिक्त **भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि** समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14) और जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का विस्तार शरणार्थियों तक जाता है।
- दिसम्बर 2015 में, भारत की शरणार्थी नीतियों को समेकित और सुसंगत बनाने के लिए एक कानूनी ढांचे की स्थापना के लिए लोकसभा में एक निजी सदस्य का आश्रय विधेयक, 2015 पेश किया गया था। इस विधेयक पर अभी विचार किया जाना बाकी है।

VISION IAS

संयुक्त राष्ट्र अभिसमय पर भारत द्वारा हस्ताक्षर न किये जाने के कारण:

- यह देश में जनसांख्यिक संतुलन को प्रभावित कर सकता है क्योंकि दक्षिण एशिया के चारो ओर की सीमाएं खुली हुई है।
- शरणार्थियों के अंत:प्रवाह के कारण स्थानीय अवसंरचना पर दबाव पड़ सकता है, जैसा वर्तमान में यूरोप के विकसित देशों के मामलों में देखा गया है।
- अभिसमय में शरणार्थियों को 34 स्वतंत्रताएं और अधिकार प्रदान किये गये हैं जिनका संविधान में निहित अधिकारों के साथ टकराव है।

आगे की राह

सभी शरणार्थियों समुदायों के लिए एक समान आश्रय कानून अपनाने से शरणार्थियों के आश्रय सम्बन्धी सर्वोत्तम प्रक्रियाओं का संहिताकरण सम्भव होगा। यह संहिताकरण हर बार शरणार्थी सुरक्षा का प्रश्न उठने पर अपनी ऐतिहासिक नीतियों पर पुनर्विचार की आवश्यकता को समाप्त कर देगा। एक बार पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद राष्ट्रीय आश्रय नियम (नेशनल असाइलम पालिसी) समानांतर तंत्रों की आवश्यकता को कम करेगा और भविष्य में आश्रय प्रबन्धन के लिए एक संरचित प्रणाली उपलब्ध कराएगा।

14.2. निकासी नीति

(Evacuation Policy)

वर्तमान में, संघर्ष क्षेत्र में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत के पास कोई व्यापक निकासी नीति नहीं है।

- भारत ने अफ्रीका, एशिया और यूरोप में तीस से अधिक निकासी कार्यों का संचालन किया है, जिसमें 1990 में फारस की खाड़ी से 110,000 लोगों की सबसे बड़ी नागरिक एयरलिफ्ट शामिल है।
- हालांकि, **औपचारिक सिद्धांत या आपातकालीन योजना** की कमी के कारण, भारत के मिशन की ज्यादातर सफलता अपने राजनयिक कोर (diplomatic corps), प्रमुख वाहक (flagship carrier) और सशस्त्र बलों से इतर अधिकारियों के व्यक्तिगत बलिदानों के कारण हुई थी।
- US, UK और NATO ने गैर-लड़ाकू निकास संचालन (NEO) सिद्धांत को संस्थागत किया है। विकासशील देशों में, ब्राजील ने भी एक मानक ऑपरेटिंग प्रक्रिया (SOP) को संस्थागत किया है।

व्यापक नीति की आवश्यकता क्यों?

- डायस्पोरा के बढ़ते आकार और जटिलता के कारण सरकार को क्षमता बढ़ाने और प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता है।
- 11 मिलियन से अधिक भारतीय अब विदेशों में रहते हैं और हर वर्ष 20 मिलियन भारतीय अंतरराष्ट्रीय यात्रा करते हैं।
- पश्चिम एशियाई क्षेत्र राजनीतिक अस्थिरता से ग्रसित है, जो कि 7 मिलियन से अधिक भारतीयों की मेजबानी करता है।

क्या किये जाने की आवश्यकता है?

- सबसे पहले, सरकार को इस तरह के कार्यों का संचालन करने के अपने समृद्ध अनुभव को एकीकृत करने की आवश्यकता है। भारत के ऐतिहासिक अनुभवों, सर्वोत्तम तरीकों का अध्ययन और सीखे गए उदाहरणों से उन्हें संस्थागत बनाने में सहायता मिलेगी।
- दूसरा, एक अंतर-मंत्रिस्तरीय समिति को दिशानिर्देशों के साथ मैनुअल तैयार करना चाहिए जो कमांड की एक स्पष्ट श्रृंखला और योग्यता के (कार्य) विभाजन की स्थापना करे।
- तीसरा, भारत के राजनयिक कैडर को प्रतिकूल परिवेश में संचालन करने के लिए विशिष्ट प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
- चौथा, भविष्य के ऑपरेशन की सफलता नई दिल्ली द्वारा मित्र सरकारों के साथ मिलकर काम करने की इच्छा पर भी निर्भर करेगी।
- पांचवा, सरकार को अपने सशस्त्र बलों को एक बड़ी भूमिका प्रदान करनी होगी, विशेष रूप से नागरिक अधिकारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए नौसेना और वायु सेना की क्षमता को मजबूत करने के द्वारा।
- छंठा, कमियों को न्यूनतम करने के लिए, सरकार को **आपातकालीन निकासी हेतु एक स्थायी अंतर-मंत्रिस्तरीय समन्वय तंत्र को संस्थागत** बनाना चाहिए, डायस्पोरा मामलों से संबंधित अधिकारियों की अंतर-एजेंसी क्रॉस-पोस्टिंग को प्रोत्साहित करना और क्षेत्रीय आकस्मिक योजना बनाने के लिए राज्य सरकारों को प्रोत्साहित करना।

VISION IAS

- सातवां, लागत मुद्रास्फीति और देरी से बचने के लिए, सरकार को एक स्थायी नागरिक रिजर्व एयर फ्लीट की स्थापना करनी चाहिए जो पूर्व-स्थापित मांग और प्रतिपूर्ति प्रक्रिया के आधार पर सभी भारतीय एयरलाइन्स से विमानों को शामिल करती हो।
- आठवां, डायस्पोरा की प्रोफाइल और गतिशीलता की बेहतर निगरानी के लिए नई प्रौद्योगिकियों में निवेश किया जाए।
- अंत में, सरकार को जनता की राय का प्रबंधन करने और स्थिर कूटनीति करने में सक्षम होने के लिए प्रयासों को विस्तृत करना चाहिए जो कि विवादित क्षेत्रों से प्रवासी भारतीयों को सुरक्षित रूप से निकालने के लिए महत्वपूर्ण है।

14.3. विकसित देशों में संरक्षणवाद

(Protectionism in Developed Nations)

सुर्ख़ियों में क्यों?

- **ब्रिटेन का यूरोपीय संघ से अलग होने का निर्णय, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप से अलग होना तथा विभिन्न वीजा विवादों इत्यादि सहित** विभिन्न घटनाएं बढ़ती संरक्षणवादी प्रवृत्तियों का प्रतिबिंब हैं।

संरक्षणवाद क्या है?

- संरक्षणवाद का संदर्भ सरकार की उन कार्यवाहियों एवं उसकी नीतियों से है जो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रतिबंधित करती हैं। ऐसी कार्यवाहियां या नीतियाँ प्रायः विदेशी प्रतियोगिता से स्थानीय व्यापारों एवं नौकरियों का संरक्षण करने के प्रयोजन से की जाती हैं।
- संरक्षणवाद निम्न तरीकों से कार्य करता है- आयात पर टैरिफ और कोटा या स्थानीय व्यवसायों को सब्सिडी अथवा करों में कटौती के माध्यम से।
- संरक्षणवाद का प्राथमिक उद्देश्य कीमत में वृद्धि कर या देश में प्रवेश करने वाले आयातों की मात्रा को प्रतिबंधित कर स्थानीय व्यवसायों या उद्योगों को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है।

संरक्षणवाद और अंतरराष्ट्रीय सहयोग से पीछे हटना स्पष्ट रूप से इस समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि नीति निर्माताओं को वैश्वीकरण और बहुपक्षीयता के प्रति संदेह के कारण उत्पन्न अपनी शंकाओं को कम करना होगा।

भारत पर प्रभाव

- अरविंद सुब्रह्मण्यम के अनुसार, यदि विश्व संरक्षणवादी बन गया तो हमारे निर्यात में 25 प्रतिशत की दर से विकास नहीं हो पायेगा जिसका हमारी संवृद्धि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा ।
- H1B वीजा के नियमों में परिवर्तन से संयुक्त राज्य अमेरिका जाने के इच्छुक भारतीयों पर तो प्रभाव पड़ेगा ही साथ - साथ पहले से ही वहाँ निवास कर रहे लोग भी इससे अत्यधिक प्रभावित होंगे।
- ऐसे संरक्षणवादी कदम उन देशों में शिक्षा और रोजगार के अवसर की तलाश कर रहे छात्रों के सपनों और आकांक्षाओं को अत्यधिक प्रभावित कर सकते हैं।
- काम की आउटसोर्सिंग के मामले में गृह देश में रोजगार के अधिक अवसर उत्पन्न करने के लिए, ये देश आउटसोर्स होने वाली नौकरियों की संख्या में कटौती आरम्भ कर सकते हैं। इसी प्रकार, यह भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एवं विदेशी संस्थागत निवेशों को भी प्रभावित कर सकता है।
- ऐसी स्थिति प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा के प्रश्न पर ध्यान केन्द्रित करने का भी आह्वान करती है। सरकार के बढ़ते संरक्षणवादी रुख के कारण उनके नागरिकों ने अपने अन्दर बाहरी लोगों के प्रति रोष और घृणा जैसी नकारात्मक प्रवृत्तियों को भी विकसित कर लिया है। यह इन देशों में निवास करने वाले विदेशी नागरिकों पर हमलों के रूप में परिणत हुआ है।
- समग्र प्रभाव भारत जैसे विकासशील देशों के सकल घरेलू उत्पाद एवं वृद्धि दर में कमी के रूप में देखा जाएगा जो अपनी प्रौद्योगिकी और वित्तीय आवश्यकताओं के लिए इन विकसित देशों पर अत्यधिक निर्भर रहते हैं।

क्या किया जा सकता?

- भारत जैसे देशों को बजट - न्यूट्रल रूप से विकास अनुकूल राजस्व और व्यय उपायों का विकल्प चुनना चाहिए।
- विशेष रूप से खाद्य और उर्वरक पर सार्वजनिक व्यय को अलक्षित सब्सिडी से पूंजीगत और सामाजिक व्यय की ओर पुनः मोड़कर, विकास अनुकूल राजकोषीय समेकन को जारी रखा जाना चाहिए।
- भारत जैसे उभरते बाजारों एवं विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में भली प्रकार अभिकल्पित सामाजिक अंतरण एवं बेहतर लक्षित व्यय के माध्यम से स्वास्थ्य एवं शिक्षा की उपलब्धता में सुधार करने से विशाल एवं उत्पादक श्रमबल उत्पन्न होगा।

VISION IAS

- संरक्षणवादी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने के लिए व्यवस्था में विश्वास बहाल करने के लिए कई कदम उठाने की आवश्यकता है, जैसे कि:
    - अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को आकार प्रदान करने वाले नियमों में सुधार करना,
    - प्रौद्योगिकी के प्रभावी विनियमन के लिए साझा दृष्टिकोण का विकास करना एवं
    - यह सुनिश्चित करना कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष एवं बहुपक्षीय विकास बैंक (MDBs) मंदी को रोकने एवं अनुक्रिया करने के लिए तैयार हैं।
    - देशों को जवाबदेह बनाने के लिए अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष अधिक प्रयास कर सकता है और उसे ऐसा करना भी चाहिए।

आगे की राह

- असंतुलन को संबोधित करने के लिए बहुपक्षीय दृष्टिकोण किसी भी एकतरफा या क्षेत्रीय समाधान की तुलना में कहीं अधिक प्रभावी एवं कम कठोर होगा। इसके साथ ही देशों के बीच विवादों के तेजी से समाधान, बढ़ी हुई पारदर्शिता एवं विकासशील देशों के लिए बेहतर तकनीकी सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रणाली हेतु अतिरिक्त सुधारों की आवश्यकता है।
- सतत और समावेशी विकास को बढ़ावा देने के लिए नीति निर्माताओं को ऐसे ठोस परिवर्तनों पर अनिवार्य रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है जो हमारे सम्मुख विद्यमान चुनौतियों के प्रति अनुक्रियात्मक हों।
- अंततः वैश्वीकरण और बहुपक्षीय दृष्टिकोण में विश्वास बहाली के लिए दीर्घावधिक समाधान की तत्काल आवश्यकता है।

14.4. मॉडल द्विपक्षीय संधि

(Model Bilateral Treaty)

सुर्ख़ियों में क्यों?

दिसंबर 2015 में, भारत सरकार ने नए मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि के लिए मसौदा जारी किया। नए दिशानिर्देशों के अनुरूप, अब तक कई संधियों पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं।

द्विपक्षीय निवेश संधि

- **द्विपक्षीय निवेश संधि** (BIT) दो देशों के बीच एक समझौता है जो एक-दूसरे के देशों में विदेशी निवेश के लिए नियमों के निर्माण में सहायता करता है। द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) मेजबान राष्ट्र को स्वतंत्र अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता प्रणाली के माध्यम से अपनी नियामक शक्ति के उपयोग के लिए जवाबदेह मानते हुए विदेशी निवेशक के लिए सुरक्षा प्रदान करती है।
- भारत ने यूनाइटेड किंगडम के साथ वर्ष 1994 में अपनी प्रथम द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) पर हस्ताक्षर किए थे।

भारत और कंबोडिया के बीच द्विपक्षीय निवेश संधि, भारतीय मॉडल पर आधारित **प्रथम द्विपक्षीय निवेश संधि** है। मंत्रिमंडल द्वारा दिसंबर 2015 में इसका अनुमोदन किया गया है।

पृष्ठभूमि

- भारत की एक मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि, 2003 की थी जो भारत और अन्य देशों के बीच कई वर्षों तक द्विपक्षीय निवेश संधि वार्ताओं का आधार बनी रही।
- 2011 के अंत तक, भारत ने द्विपक्षीय निवेश संधि के संबंध में व्हाइट इंडस्ट्रीज ऑस्ट्रेलिया लिमिटेड बनाम भारत गणराज्य के वाद में अपना पहला प्रतिकूल निर्णय प्राप्त किया। भारत ने विभिन्न निवेशकों से एवं विभिन्न द्विपक्षीय निवेश संधियों के अंतर्गत भी कई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते से सम्बंधित नोटिस प्राप्त किए हैं।
- विधि आयोग की 260वीं रिपोर्ट, भारत सरकार को संतुलित वार्ता का सीख प्राप्त करने की दृष्टि से प्रस्तुत की गई थी जो कि विदेशों में निवेश करने वाले भारतीय निवेशकों के संरक्षण एवं साथ ही राज्य की विनियामक शक्तियों की सुरक्षा करने पर ध्यान देती है।
- सरकार ने मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि जारी की जो अन्य देशों के लिए भारतीय द्विपक्षीय व्यापार समझौतों को प्रशासित करने वाले नियमों को समझने हेतु विवरण पत्रिका के रूप में कार्य करती है।

- संशोधित मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि, वर्तमान द्विपक्षीय निवेश संधियों हेतु पुनर्वार्ता एवं भविष्य की द्विपक्षीय निवेश संधियों पर वार्ता एवं व्यापक आर्थिक सहयोग समझौतों (CECAs)/ व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौतों (CEPAs) / मुक्त व्यापार समझौतों (FTAs) में निवेश सम्बन्धी अध्यायों के लिए उपयोग की जाएगी।

2015 मॉडल का उद्देश्य

- निवेशको के अधिकारों और सरकार के दायित्वों के बीच एक संतुलन बनाए रखते हुए, प्रासंगिक अंतरराष्ट्रीय दृष्टांतों और प्रथाओं के प्रकाश में, भारत में विदेशी निवेशकों एवं भारतीय निवेशकों को विदेशों में उचित संरक्षण प्रदान करने के लिए।

निवेशक-राज्य विवाद निपटान (ISDS) तंत्र विवादास्पद है क्योंकि यह स्थानीय उपचारों का पूर्ण उपयोग किए बिना ही कंपनियों द्वारा सरकारों को विवादों में खींचने एवं नीति में परिवर्तन इत्यादि कारणों का हवाला देते हुए क्षतिपूर्ति के रूप में अत्यधिक धनराशि की मांग करने हेतु सक्षम करता है।

महत्व

- भारत का द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) कार्यक्रम भारत सरकार के निवेशकों का भरोसा बढ़ाने के लिए और देश में तथा देश से बाहर की ओर निवेश प्रवाह बढ़ाने के लिए भारत सरकार के व्यापक व्यापार और निवेश एजेंडे का भाग है।
- द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) सुविधा स्तर में बढ़ोत्तरी करती है ओर एक बराबरी का स्तर प्रदान कर एवं सभी मामलों में गैर-भेदभाव सुनिश्चित कर निवेशकों के विश्वास को बढ़ावा देती है।

विशेषताएं

- नई द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) में, निवेश की "उद्यम" आधारित परिभाषा प्रदान की गई है जो अनिवार्य रूप से "निवेश की तुलना मेजबान राज्य में स्थापित किए गए उद्यम" से करती है। इससे पहले के 1993 के मॉडल में "परिसंपत्ति आधारित परिभाषा" थी।
- नई मॉडल संधि से 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' खंड को पूरी तरह से निकाल दिया गया है। यह कदम व्हाइट इंडस्ट्रीज वाद से प्राप्त सीख को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है, जहां दायित्व सीधे भारत-ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के तहत उत्पन्न नहीं हुए] अपितु, 'मोस्ट फेवर्ड नेशन' खंड का उपयोग कर भारत-कुवैत द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) से लिए गए प्रावधान के कारण उत्पन्न हुए।
- मॉडल संधि में उचित प्रक्रिया के माध्यम से गैर भेदभावपूर्ण व्यवहार का आरम्भ किया गया है।
- परिष्कृत **निवेशक राज्य विवाद निपटान (ISDS)** के लिए भी एक खण्ड मौजूद है जिसके अंतर्गत निवेशकों को अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता आरम्भ करने से पूर्व स्थानीय उपचारों का पूर्ण उपयोग करने की आवश्यकता होती है।
- मॉडल संधि किसी भी व्यापक व्याख्या के दुरुपयोग की संभावना को टालने के लिए निष्पक्ष और समान व्यवहार को पारम्परिक अंतरराष्ट्रीय कानून से संबद्ध करती है।
- मॉडल संधि ने पर्याप्त सीमा तक निवेशको के दायित्वों को कम कर दिया है। इसने संधि के इससे पहले के मसौदे की तुलना में भारत द्वारा निवेशकों के विरुद्ध जवाबी दावों की संभावना को भी छोड़ दिया है।
- मॉडल संधि में माध्यस्थता (आर्बिट्रेशन) प्रक्रिया के सम्बन्ध में पारदर्शिता बरतने का प्रावधान है। सरकार को यह पूर्णतः पारदर्शी तरीके से यह बताना होगा कि वह कौन से आधार एवं तरीके हैं जिनके कारण निवेशकों को ऐसे दावे करने पड़े।
- यह मॉडल सरकार हेतु नियामक प्राधिकरण बनाए रखने के लिए सरकारी खरीद, कराधान, सब्सिडी, राष्ट्रीय सुरक्षा और अनिवार्य लाइसेंस जैसे मामलों को सम्मिलित नहीं करता है।

आलोचना

- मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) के संबंध में कई अस्पष्टताएं हैं। उदाहरण के लिए, द्विपक्षीय वार्ताओं में भारत के उद्देश्य क्या होने चाहिए? व्यापक और अस्पष्ट द्विपक्षीय निवेश संधि (BIT) से उत्पन्न होने वाले विवाद महंगे एवं/या अपनाने में अव्यावहारिक हो सकते हैं।
- द्विपक्षीय निवेश संधियाँ (BITs) देश की छवि को स्थिरता और निश्चितता प्रदान करने वाले एवं कानून को सम्मान प्रदान करने वाले न्यायाधिकार क्षेत्र के रूप में प्रस्तुत करने के लिए एक महान अवसर के रूप में हैं। इस संबंध में, वर्तमान मॉडल की प्रभावशीलता में एक मूलभूत दोष भारतीय न्यायिक प्रणाली द्वारा दिया जाने वाला अत्यधिक उत्साही समर्थन है ।

VISION IAS

- 2015 मॉडल द्विपक्षीय निवेश संधि 'मोस्ट फेवर्ड नेशन ' खंड को हटाने के कारण भी प्रतिक्रियावादी प्रतीत होती है जो द्विपक्षीय निवेश संधि का मानक तत्व है। यह मॉडल, इस प्रकार कराधान को भी अपनी परिधि में सम्मिलित नहीं करता है जो स्पष्ट रूप से वोडाफोन, नोकिया, और केयर्न (Cairn) जैसी कम्पनियों के साथ सरकार के कर विवादों की प्रतिक्रिया में है।

इस नए मॉडल द्वारा अर्थव्यवस्था और निवेशक प्रोफ़ाइल को लक्षित किया जाना चाहिए जिसमें भारत उद्यम करने एवं अगले दशक में उन्हें आकर्षित करने का इच्छुक है। मेक इन इंडिया नीति के कारण, सरकार भारत को 'वैश्विक विनिर्माण हब' बनाने के लिए अत्यधिक उत्सुक है।'

14.5. एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत

(India as a Soft Power)

- भारत के लिए सॉफ्ट पॉवर का तमगा इसकी अपनी हजारों वर्षों की विशाल विरासत पर आधारित है।
- लंदन स्थित पोर्टलैंड कम्युनिकेशंस (एक राजनीतिक परामर्श एवं लोक संबंध संस्थान) द्वारा जारी सॉफ्ट पॉवर की सर्वाधिक क्षमता वाले देशों की दूसरी वार्षिक सूची में सॉफ्ट पॉवर के मामले में भारत को 34वें स्थान पर रखा गया है।

सॉफ्ट पॉवर क्या है?

सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा को हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जोसेफ न्ये (Joseph Nye) द्वारा विकसित किया गया था।

इनके अनुसार सॉफ्ट पॉवर की अवधारणा वस्तुतः आक्रामक नीतियों या मौद्रिक प्रभाव (धौंस) का उपयोग किए बिना अन्य लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने और उनकी पसंद को आकार प्रदान करने की क्षमता है।

- अनुनय और निवेदन (appeal and persuasion) के माध्यम से दूसरों की वरीयताओं को आकार देने की क्षमता सॉफ्ट पॉवर कहलाती है।
- सॉफ्ट पॉवर किसी देश के आकर्षण शक्ति में निहित होती है। यह तीन संसाधनों से मिलकर बनती है: उस देश की संस्कृति (जब यह अन्य देशों के लिए आकर्षक है), उसके राजनीतिक मूल्य (जब वह देश घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनका पालन करता हो) और उसकी विदेश नीति (जब उसे वैध और नैतिक रूप से सही माना जाता हो)।
- यद्यपि सॉफ्ट पावर के प्रयोग से परिणाम प्राप्त करने में अधिक समय लगता है तथापि यह दूसरे देशों से अपना इच्छित कार्य करवाने में सैन्य बल प्रयोग और आर्थिक प्रोत्साहन की तुलना कम खर्चीला है।
- हार्ड पॉवर में सैन्य और आर्थिक साधन शामिल हैं जबकि सॉफ्ट पॉवर संस्कृति और मूल्यों से संबंधित है।
- सॉफ्ट पॉवर, नेटवर्कों के निर्माण और उनकी लामबंदी, सम्मोहक आख्यानों के विकास और उनके प्रसार, अंतरराष्ट्रीय मानदंडों की स्थापना एवं गठबंधनों के निर्माण द्वारा तथा एक देश को दूसरे देश के निकट लाने वाले उन महत्वपूर्ण संसाधनों पर निर्भरता बढ़ाकर, एक दूसरे की सहमति प्राप्त करने के लिए किये जाने वाले कार्य में प्रयुक्त होने वाली एक रणनीति है।
- सॉफ्ट पॉवर एक राष्ट्र की प्रतिष्ठा को आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक रूप से स्थापित करने के लिए महत्वपूर्ण है।

सॉफ्ट पॉवर के तीव्र गति से विकसित और लोकप्रिय होने के क्या कारण हैं?

- शक्ति के विस्तार और डिजिटल क्रांति से प्रेरित विदेश नीति के बदलते स्वरूप के संदर्भ में सॉफ्ट पॉवर रणनीतियां एक उचित प्रतिक्रिया हैं।
- हार्ड पॉवर की तुलना में सॉफ्ट पॉवर संसाधनों के प्रयोग अधिक लागत-प्रभावी हो सकते हैं।
- आपसी सहयोग, वर्तमान में प्रमुख वैश्विक परिणामों को आकार देने के लिए सबसे प्रभावी तरीका बन गया है। इसके विपरीत, एकतरफा कार्रवाई अत्यधिक कठिन, मंहगी, और चुनौतीपूर्ण हो गयी है। उदाहरण के लिए: क्रीमिया के विलय के बाद रूस द्वारा वहन की गयी भारी आर्थिक लागत।

एक सॉफ्ट पॉवर के रूप में भारत

- भारत विविधतापूर्ण तथा विशिष्ट सॉफ्ट पॉवर संसाधनों से संपन्न देश है। इसकी आध्यात्मिक विरासत, योग, फिल्म और टेलीविजन धारावाहिक, शास्त्रीय और लोकप्रिय नृत्य तथा संगीत, अहिंसा, लोकतांत्रिक संस्थान तथा बहुसांस्कृतिक समाज जैसी विशिष्टताओं ने पूरे विश्व में लोगों को आकर्षित किया है।
- **भारतीय दर्शन** ने 1960 के बाद से पश्चिमी मन:स्थिति को मोहित किया है।
- भारतीय सिनेमा ने लंबे समय से एशिया, अफ्रीका, और अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में दर्शकों को आकर्षित किया है।

- अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रभावशाली वैश्विक भागीदारी।
- भारत के पास दर्शन, मनोविज्ञान, चिकित्सा, विज्ञान, सामाजिक विचारधारा और आध्यात्मिकता की परिष्कृत प्रणाली है जो सूचना प्रौद्योगिकी के इस नए युग के लिए ज्ञान और परिवर्तनकारी विचारों की निधि से लैस है।
- भारत के पास संगीत, नृत्य, चित्रकला, कविता, मूर्तिकला और वास्तुकला की एक व्यापक और समन्वित कलात्मक संस्कृति है जो मानव रचनात्मकता के सभी विविध रूपों को समाहित करती है।
- भारतीय सॉफ्ट पॉवर का विश्व में अत्यधिक प्रभाव है- जिसे धार्मिक और आध्यात्मिक पहलुओं से लेकर सांस्कृतिक लोकप्रियता में देखा जा सकता है। इसकी आईटी से संबंधित विशेषज्ञता, आज की तेजी से डिजिटल होती दुनिया में महत्वपूर्ण है।

लेकिन कुछ क्षेत्रों में कार्य किया जाना शेष है:

सांस्कृतिक संस्थान: भारत को अन्य देशों के समकक्ष अपने सांस्कृतिक संस्थान, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन (ICCR) में और अधिक निवेश करने, या एक नया और अधिक युवा उन्मुख संस्थान बनाने की आवश्यकता है।

- विभिन्न देशों के अपने ऐसे संस्थान हैं, जैसे जर्मनी का गेटे संस्थान (Goethe Institute), चीन का कन्फ्यूशियस संस्थान, और फ्रांस का Alliance Francaise।
- ये गैर-लाभकारी संस्थाएं हैं जिनकी विश्व के सभी प्रमुख शहरों के साथ ही, प्रमुख विश्वविद्यालयों में शाखाएं हैं, जहां वे व्यक्तियों को विदेशी भाषाओं को सीखने तथा फिल्म प्रदर्शनियों और कुकिंग क्लासेस जैसे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने का अवसर प्रदान करती हैं।
- संग्रहालय: भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय विश्व के शीर्ष संग्रहालयों की सूची में शामिल नहीं है।
  - भारत में एक विश्व स्तरीय संग्रहालय की आवश्यकता है।
  - संग्रहालय में दक्षिण एशिया की निधियों का संग्रह होना चाहिए, लेकिन विश्व के अन्य भागों की कलाकृतियों की भी खोज होनी चाहिए।
  - संग्रहालय को अंतरराष्ट्रीय और घरेलू दोनों प्रकार के दर्शकों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखना चाहिए।
- **खेल: भारत को खेलों में और अधिक निवेश करना चाहिए।**
  - एक बड़े, भौगोलिक रूप से विविधतापूर्ण देश के रूप में, इसे घरेलू और अंतरराष्ट्रीय दोनों दर्शकों को प्रोत्साहित करना चाहिए।विशेष रूप से नवीन धनाढ्य मध्यवर्ग को, जिसे इन गतिविधियों के लिए यूरोप अथवा अमेरिका की यात्रा करनी पड़ती है।
  - उदाहरण के लिए, ईरान की तरह भारत एक महत्वपूर्ण स्कीइंग संस्कृति विकसित करके पड़ोसी देशों, मध्य-पूर्व और दक्षिण-पूर्व एशिया के तीसरी दुनिया के अपेक्षाकृत अधिक गर्म देशों से स्कीइंग सीखने के इच्छुक लोगों के आकर्षण का केंद्र बन सकता है।
- पर्यटन: भारत को उड़ीसा में सूर्य मंदिर, कर्नाटक में हम्पी के अवशेष, या हिमाचल प्रदेश में स्पीति घाटी जैसे सुंदर, लेकिन पर्यटकों के बीच अपेक्षाकृत कम लोकप्रिय गंतव्य स्थलों की ओर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए और अधिक प्रयास करना चाहिए।
  - भारत को सिर्फ ताजमहल और राजपूत किलों की छवि से परे जाकर अन्य पर्यटक स्थलों को विकसित करना चाहिए।
  - पर्यटन को बढ़ावा देकर सभी राज्यों के लिए पर्यटकों को आकर्षित करना चाहिए।

सिनेमा:

- भारत किसी भी अन्य देश की तुलना में प्रतिवर्ष अधिक फिल्मों का निर्माण करता है। फिर भी, भारत ने अपनी फिल्मों के प्रति लोगों के प्रेम को इस दिशा में परिवर्तित करने के लिए ऐसा कुछ नहीं किया जिससे इन फिल्मों से आकर्षित होकर लोग भारत आने के लिए या इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित हों। इसका हम ठीक वैसे ही दोहन कर सकते हैं, जैसे जापान ने अपने anime (एनिमे, जापानी कंप्यूटर एनीमेशन के लिए प्रयुक्त एक शब्द है) का प्रयोग स्वयं के सिनेमा जगत को विश्वभर में बढ़ावा देने के लिए किया।
- भारत को बेहतर, अधिक सुसंगत मार्केटिंग की आवश्यकता है।

निष्कर्ष

सॉफ्ट पॉवर के बिना, हार्ड पॉवर अपनी बौद्धिक और सांस्कृतिक बढ़त नहीं बना पता है। सॉफ्ट पॉवर विचार और प्रेरणा प्रदान करता है, हार्ड पॉवर सॉफ्ट पॉवर के विस्तार के लिए उपकरण और अस्त्र प्रदान करता है।

VISION IAS

14.6. अंतरिक्ष कूटनीति

(Space Diplomacy)

यह उपग्रह पूर्णतया भारत द्वारा वित्तपोषित, पहला दक्षिण एशियाई उपग्रह (GSAT-9) है। हाल ही में इसरो द्वारा इस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया है। इसने भारत की ***नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी*** को बढ़ावा देने के साथ-साथ भारत को विशिष्ट रूप से अंतरिक्ष कूटनीति में नामांकित किया है।

साउथ एशिया सेटेलाइट के बारे में

- यह उपग्रह भारत की ओर से दक्षिण एशियाई देशों के लिए एक उपहार है। इसका वजन 2,230 किग्रा है तथा इसका उपयोग **जिओसिंक्रोनस कम्युनिकेशन** और मौसम विज्ञान सम्बन्धी गतिविधियों के लिए किया जायेगा।
- इससे प्राकृतिक संसाधनों के मानचित्रण, टेलीमेडिसिन, IT कनेक्टिविटी, DTH कनेक्टिविटी, अपेक्षाकृत अधिक सटीक मौसम पूर्वानुमान और प्राकृतिक आपदाओं के प्रति त्वरित अनुक्रिया जैसे लाभ मिलेंगे।
- पाकिस्तान को छोड़कर सभी सार्क देश इस परियोजना का हिस्सा हैं। इसलिए इसे "सार्क सेटेलाइट" न कहकर साउथ एशिया सेटेलाइट नाम दिया गया है।
- इससे जुड़े अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है:-
  - यह **इलेक्ट्रिकल प्रोपल्शन** का उपयोग करने वाला पहला भारतीय उपग्रह है।
  - यह *GSLV क्रायोजेनिक अपर स्टेज* की लगातार चौथी सफलता है जिससे इस तकनीकी की बेहतर भविष्य की क्षमता का संकेत मिलता है।

भारत के लिए अंतरिक्ष कूटनीति का महत्व

- **शांतिपूर्ण और समृद्ध पड़ोस** -इस लांच ने निरंतर सहयोग हेतु मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की नेबरहूड पॉलिसी को सशक्त किया है।
- **अंतरिक्ष राजस्व**- भारत की प्रक्षेपण क्षमताओं के कारण अंतरिक्ष राजस्व की काफी संभावनाएं हैं। इंडोनेशिया, कजाकिस्तान सहित कई देश अंतरिक्ष मामलों में इसरो के साथ सहयोग करना चाहते हैं।
- **अंतरिक्ष में चीन के बढ़ते प्रभाव को कम करना**- चीन कूटनीति के लिए अंतरिक्ष का शक्तिशाली उपकरण के रूप में उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए: चीन द्वारा पाकिस्तान, बांग्लादेश और अन्य देशों के साथ मिलकर एशिया-प्रशांत अंतरिक्ष सहयोग की स्थापना तथा श्रीलंका में अंतरिक्ष अकादमी की स्थापना।
- **वैश्विक अंतरिक्ष दौड़ में पहचान बनाए रखने के लिए** - अंतरिक्ष अभियान के क्षेत्र में 60 से अधिक देश प्रयास कर रहे है। इस दिशा में अधिकांश एशियाई देशों के शामिल होने के कारण, भविष्य में अंतरिक्ष में सहयोग को भारत के विदेश नीति निर्धारको के रूप में देखा जा रहा है।
- **सामाजिक समस्याओं के लिए सहयोग**- अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के सामाजिक अनुप्रयोगों के क्षेत्र में भारत एक नेतृत्वकर्ता के रूप में उभरा है। इस तरह हम अंतरिक्ष में दूसरे देशों की क्षमता निर्माण के क्षेत्र में सहयोग करके भूमि, जल, वन, फसल आदि से सम्बंधित समस्याओं को हल कर सकते हैं।

14.7. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार और भारत

(UNSC Reform And India)

सुर्खियों में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र महासभा, 2016 के 71 वें सत्र के दौरान, सुरक्षा परिषद सुधार पर अंतरराष्ट्रीय वार्ता के लिए बैठक **आयोजित की गई थी, जहाँ सदस्य राज्यों ने सुधार की तत्काल आवश्यकता के विचार पर स्वीकृति व्यक्त की**।

पिछले सुधार और पहलें

गैर स्थायी सदस्यों में वृद्धि: 1965 में, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इनकी संख्या को छह से बढ़ाकर दस कर दिया गया।

- जनरल असेंबली रेजोल्युशन **67/62 (1992)**: इसने परिषद के संबंध में उठाई गई तीन प्रमुख आलोचनाओं पर प्रकाश डाला:
  - समान प्रतिनिधित्व का अभाव।
  - नई राजनीतिक वास्तविकताओं के प्रति अनुक्रिया का अभाव।
  - पश्चिमी राष्ट्रों का प्रभुत्व।

- जनरल असेंबली रेजोल्युशन **48/26 (1993)**: इसने सुरक्षा परिषद सुधार पर चर्चा करने के लिए ओपन एंडेड वर्किंग ग्रुप (OEWG) की स्थापना की जिसके परिणामस्वरूप 2009 में अंतर-सरकारी बातचीत (IGN) के लिए कार्य समूह एवं सुरक्षा परिषद सुधार पर ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स का गठन किया गया।
- ग्रुप ऑफ फोर **[G4]: भारत**, **ब्राजील**, **जर्मनी और जापान ने** मिलकर G4 का गठन किया हैं जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद पर स्थायी सीटों के लिए एक-दूसरे के दावे का समर्थन करते हैं। .
- **रजाली सुधार योजना:** इस योजना के तहत, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में चार अतिरिक्त गैर-स्थायी सदस्यों के अलावा, **बिना वीटो अधिकार वाले पांच नए स्थायी सदस्य होंगे।** इस प्रकार, परिषद की कुल सदस्य संख्या 24 होगी।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद सुधारों की आवश्यकता

- युद्धोपरांत बनाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, वास्तव में उन परिवर्तनों को प्रतिबिम्बित नहीं करती है जो शीत युद्ध के अंत के बाद अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में हुए हैं।
- उपनिवेशवाद के युग से उत्तर उपनिवेशवादी स्वतंत्र राज्यों में परिवर्तन के साथ विश्व ने शक्ति के एक पुनर्वितरण और नए सत्ता केंद्रों का उदय देखा है।
- स्थायी सदस्यों के बीच भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को वैश्विक संकट से निपटने के लिए प्रभावी तंत्रों का विकास करने से रोका है।
- भारत यह मानता है कि वैश्विक क्षेत्र में "संयुक्त राष्ट्र में लोकतंत्र का अभाव प्रभावी बहुपक्षीयता को रोकता है"।
- जटिल वैश्विक परिदृश्य: राष्ट्रों के बीच सशस्त्र संघर्ष अब पीछे छूट गए हैं और उनकी जगह सदस्य राष्ट्रों के बीच अधिकाधिक भागीदारी और समन्वय युक्त आधुनिक शांति और सुरक्षा सम्बन्धी विचारों ने ले ली है ।
- प्रतिनिधित्व की कमी: अफ्रीका महाद्वीप से कोई स्थायी सदस्य नहीं है।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सीट के लिए भारत का तर्क

- भारत, संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्यों में से है।
- यह विश्व का सर्वाधिक विशाल लोकतंत्र एवं एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है।
- भारतीय सेना, संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन में मिशन की स्थापना के बाद से ही सबसे बड़ी योगदानकर्ता है।
- भारत द्वारा अनेक संयुक्त राष्ट्र अंगों जैसे: संयुक्त राष्ट्र डेमोक्रेसी फण्ड(UNDEF) इत्यादि में नियमित रूप से दान देने के साथ ही, यह संयुक्त राष्ट्र को सर्वाधिक वित्तीय योगदान करने वाले देशों में से है।
- गुटनिरपेक्ष आंदोलन जैसी पहलों के कारण ऐतिहासिक रूप से अंतराष्ट्रीय संबंधों में भारत की छवि विश्व शान्ति के पक्षधर एवं संघर्षों के विरोधी की रही है।
- मुस्लिम राष्ट्रों द्वारा भारत पर अपेक्षाकृत अधिक विश्वास किया जाता है एवं सुरक्षा परिषद के पास संभवत: चीन के अतिरिक्त, मध्य पूर्व में वार्ता हेतु भारत के रूप में एक अन्य विकल्प उपलब्ध होगा। .

सुधार के लिए चुनौतियां

- **युनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस(UFC): कॉफी क्लब** उपनाम का यह 13-सदस्यीय समूह है जिसने स्थायी सदस्यता के विस्तार का विरोध किया। इसे भय है कि नई स्थायी सीटों के लिए उनके क्षेत्रीय प्रतिद्वंद्वियों का चयन किया जाएगा।
- इसने रजाली योजना के विरोध के रूप में वर्तमान दो वर्ष के स्थान पर अधिक लम्बी अवधि **की निर्वाचित सदस्यता की नई श्रेणी** के निर्माण का सुझाव किया।
- **संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनी वैधानिकता खोते जाना**: देश में कई नीति निर्माताओं द्वारा, अपनी वैधानिकता खोती जा रही संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था में प्रवेश के भारत के प्रयास की तार्किकता के प्रति प्रश्नचिह्न खड़ा किया जा रहा है।
- **बहुपक्षीय संस्था में भारत का प्रदर्शन**: बहुपक्षीय संस्थाओं में बातचीत के दौरान भारत पर कई सदस्यों द्वारा बड़ी बाधा के रूप में आरोप लगाया गया है।
- **पी-5 सदस्यों की यथास्थिति**: वे अपनी संबंधित स्थिति में किसी भी बड़े परिवर्तन के विरोधी हैं।

आगे की राह

- सुधार प्रक्रिया को तीव्र गति प्रदान करना: जी4 ने सुधार प्रक्रिया को आगे बढ़ने की अनुमति देने के लिए सौदेबाजी चिप के रूप में संशोधित सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों के रूप में आरम्भिक रूप से वीटो अधिकार को त्यागने का प्रस्ताव दिया है।

VISION IAS

- **युनाइटिंग फ़ॉर कंसेंसस (UFC)** द्वारा दिए गए सुझाव के अनुसार, केवल गैर-स्थायी श्रेणियों के लिए विस्तार करना, परिषद में केवल "असंतुलन के प्रभाव" की स्थिति को और अधिक चिंताजनक बनाता है एवं "समानता के लिए अफ्रीका की आकांक्षाओं के प्रति गंभीर अन्याय" करता है।
- स्थायी सदस्यों को इस तथ्य का भान होना चाहिए कि अधिक लोकतान्त्रिक और प्रतिनिधिकमूलक सुरक्षा परिषद,, वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए बेहतर रूप से सुसज्जित होगी।
- परिषद को और अधिक प्रतिनिधिक और लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिषद का सार्थक सुधार अपरिहार्य है ताकि यह शांति और सुरक्षा, संधारणीय विकास और मानव अधिकारों की चुनौतियों हेतु व्यापक, समन्वित और सुसंगत दृष्टिकोण अपनाने में सक्षम हो सके।

14.8. द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास

(Bilateral Military Exercises)

भारत भविष्य के सामरिक सहयोग के लिए द्विपक्षीय सैन्य अभ्यासों का उपयोग कर रहा है।

- सेना ने तीन वर्षों की अवधि में 18 देशों के साथ सैन्य अभ्यास किए हैं तथा भारतीय सैन्य कर्मियों ने 34 देशों में सैन्य प्रशिक्षण एवं पाठ्यक्रमों में भाग लिया है।

सैन्य अभ्यासों का महत्व

कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स (Confidence Building Measure)

- अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सैन्य अभ्यासों में भागीदारी **सदस्य देशों के बीच निष्ठा और विश्वास के उच्चतम स्तर का संकेत** है।
- यह एक महत्वपूर्ण **कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स** (CBM) है। यह किसी अन्य देश या सदस्य देशों के समूह पर भारत के विश्वास का संकेत है।

द्विपक्षीय सैन्य (आर्मी-टू-आर्मी) संबंधों को बढ़ावा देना

- संचालन पक्ष में, **सैन्य अभ्यास एक दूसरे के अभ्यास और प्रक्रियाओं को समझने, भाषा अवरोधों को दूर करने और उपकरण क्षमताओं के साथ परिचित होने में सेनाओं को सक्षम बनाता है।**
- यह नई प्रौद्योगिकियों को समझने और उनसे परिचित होने की सुविधा भी प्रदान करता है, जिसका अन्य देश उपयोग कर सकते हैं और एक-दूसरे के कर्मचारियों को **प्रशिक्षण प्रदान करने में सक्षम** हो सकते है।
- यह विशिष्ट रूप से **संयुक्त अभियान की स्थिति में उपयोगी है, चाहे वह युद्ध की स्थिति हो या युद्ध के अतिरिक्त कोई अन्य अभियान (OOTW)** जैसे कि - मानवतावादी सहायता, आपदा राहत, एंटी पायरेसी इत्यादि। यह तब भी उपयोगी है जब विभिन्न राष्ट्र एक साझा समस्या से निपटने के लिए एक साथ आते हैं।

'सामरिक संकेत'

- संभवतः, संयुक्त सैन्य अभ्यास का सबसे महत्वपूर्ण लाभ 'सामरिक संकेत' (स्ट्रेटेजिक सिग्नलिंग) है।
- एक या एक से अधिक देशों के साथ एक संयुक्त अभ्यास का आशय इस क्षेत्र में हमारे प्रभाव के संबंध में तीसरे देश को संकेत प्रदान करना है। साथ ही यह हमारे कूटनीतिक उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के हमारे संकल्प का प्रदर्शन करने के उद्देश्य से कार्य करता है।

राष्ट्र की सॉफ्ट पॉवर

- इसका अमूर्त पक्ष यह है कि सैन्य अभ्यास सैनिकों और सेनाओं के बीच **भाईचारे और सौहार्द्र को बढ़ावा** देते हैं।
- सद्भावना के अतिरिक्त, यह एक राष्ट्र की सॉफ्ट पॉवर - संस्कृति, भाषा, रिवाज, विश्वास, भोजन की आदतों और जीवन शैली के प्रदर्शन का एक उपकरण है।

संबंध और मित्रता की भावना

- विश्व भर के सैनिकों की लगभग समान रैंक और संगठनात्मक संरचनाएं हैं, जो इस बात पर ध्यान दिए बिना कि वे किस देश के हैं, उनके समुदायों के बीच संबंधों और मित्रता की एक अद्वितीय भावना स्थापित करने में मदद करता है।

हाल में हुए सैन्य अभ्यास

- **सूर्य किरण:** उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में नेपाल के साथ सूर्य किरण अभ्यास संपन्न हुआ।
- **अल नगाह-II:** ओमान के साथ अल नगाह-II अभ्यास हिमाचल प्रदेश के बकलोह में संपन्न हुआ।
- **बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास:** उत्तर प्रदेश के बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में सिंगापुर के साथ बोल्ड कुरुक्षेत्र अभ्यास संपन्न हुआ। यह एक सशस्त्र अभ्यास (आर्मर्ड एक्सरसाइज) है।

- **नोमॅडिक एलिफेंट 2017:** भारत और मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास का बारहवां संस्करण नोमॅडिक एलिफेंट 2017 मिजोरम के वेरंगटे में संपन्न हुआ।
- **सिम्बेक्स (SIMBEX)** - यह भारतीय नौसेना और रिपब्लिक ऑफ़ सिंगापुर की नौसेना (RSN) द्वारा आयोजित वार्षिक द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है। भारत और सिंगापुर ने (वर्ष 2017 में) **सिंगापुर इंडिया मेरीटाइम बाईलैटरल एक्सरसाइज (SIMBEX) का आयोजन विवादित दक्षिणी चीन सागर में किया।**
- **कॉरपैट (CORPAT)-** भारत और इंडोनेशिया की नौसेनाओं के द्वारा वर्ष में दो बार संयुक्त रूप से अपनी अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा के क्षेत्र में कोऑर्डिनेटेड पेट्रोल (CORPAT) का आयोजन किया जाता है। इस अभ्यास का प्रारंभ 2002 में किया गया। इसका उद्देश्य हिन्द महासागर क्षेत्र के इस महत्वपूर्ण भाग को कमर्शियल शिपिंग व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए सुरक्षित बनाए रखना है। भारत-इंडोनेशिया CORPAT श्रृंखला के 29वें संस्करण का प्रारम्भ भारतीय नौसेना की अंडमान और निकोबार कमान के तत्वावधान में पोर्ट ब्लेयर में हुआ।
- **इंडो-थाईलैंड/सियाम भारत:HADR (Indo-Thailand Siam Bharat: HADR)-** थाईलैंड के चियांग माई में आयोजित यह अभ्यास भारतीय वायु सेना और रॉयल थाईलैंड वायु सेना के बीच आयोजित होने वाला इस प्रकार का दूसरा अभ्यास है। यह **मानवीय सहायता और आपदा राहत (ह्युमनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ :HADR) पर एक टेबल टॉप अभ्यास है।** इस द्विपक्षीय अभ्यास का उद्देश्य आकस्मिक प्राकृतिक आपदाओं जैसे सुनामी, भूकंप, चक्रवात, बाढ़ आदि के दौरान राहत अभियानों की **योजना तैयार करना और उनके क्रियान्वयन के लिए SOPs (स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार करना है।**

14.9. परमाणु निरस्त्रीकरण

(Nuclear Disarmament)

संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत (इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस) ने प्रशांत महासागरीय द्वीप राष्ट्र, मार्शल द्वीपसमूह द्वारा ब्रिटेन, भारत और पाकिस्तान के खिलाफ दायर परमाणु निरस्त्रीकरण के मामले को खारिज कर दिया।

मामला ख़ारिज होने के कारण

मार्शल द्वीप यह साबित करने में असफल रहा है कि इसके और तीन परमाणु शक्तियों के बीच निरस्त्रीकरण को लेकर कानूनी विवाद है। अदालत ने यह कहकर इसे ख़ारिज कर दिया कि यह मामला उसके न्याय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है।

परमाणु निरस्त्रीकरण के पक्ष में तर्क

- यह एक सामरिक बहाना (strategic excuse) है। अधिकतर परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्रों का दावा है कि वे सामरिक रक्षा के लिए इन पर निर्भर होते हैं और वे इन विनाशकारी हथियारों के बिना विभिन्न हमलों के लिए भेद्य हैं, जो वस्तुतः बहुध्रुवीय विश्व में सत्य नहीं है।
- आर्थिक: परमाणु हथियार कार्यक्रम में सामान्यतया स्वास्थ्य देखभाल, शिक्षा, आपदा राहत और अन्य महत्वपूर्ण सेवाओं पर होने वाले खर्च के कुछ भाग का उपयोग किया जाता है। अतः अब मानवीय जरूरतों को पूरा करने की दिशा में धन को पुनः प्रेषित करने का समय आ गया है।
- पर्यावरणीय: परमाणु हथियार अभी तक बनाया गया एकमात्र उपकरण है जिसमें पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी जटिल जीवन रूपों को नष्ट करने की क्षमता है।
- सुरक्षा चिंताएँ: परमाणु हथियार से हर जगह लोगों के लिए एक प्रत्यक्ष और निरंतर खतरा है। शांति बनाये रखने के अलावा, यह राष्ट्रों के बीच भय और अविश्वास को जन्म देता है।
- मानवीय मुद्दे: परमाणु हथियारों का उन्मूलन एक तत्काल मानवीय आवश्यकता है। परमाणु हथियारों के किसी भी प्रकार के उपयोग का परिणाम भयावह होगा।
- परमाणु आतंकवाद- इसका एक प्रमुख खतरा यह है कि पाकिस्तान या रूस जैसे राजनीतिक रूप से अस्थिर देशों में परमाणु हथियार दुष्ट आतंकवादी तत्वों के हाथों में जा सकता है।

परमाणु हथियारों से संबंधित तथ्य

- वर्तमान में, पूरे विश्व में 16,400 परमाणु हथियार हैं।
- पांच देशों- अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन को अप्रसार संधि के तहत परमाणु हथियार क्षेत्र के रूप में घोषित किया गया है।
- कई अन्य देशों जैसे- भारत, पाकिस्तान, इजरायल, इराक, ईरान, लीबिया, सीरिया और कोरिया पर परमाणु हथियार विकसित करने का संदेह किया गया है।
- आज तक परमाणु बम का इस्तेमाल केवल एक बार 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के विरुद्ध किया गया था।

परमाणु निरस्त्रीकरण पर भारत का रुख

भारत परमाणु निरस्त्रीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है और यह सह-प्रायोजकों के साथ काफी हताशा महसूस करता है कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय बहुपक्षीय परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता को आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं रहा है।

निरस्त्रीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा उठाये गए कदम

- संयुक्त राष्ट्र महासभा की नि:शस्त्रीकरण और सुरक्षा समिति ने परमाणु हथियारों के निषेध के लिए नई अंतरराष्ट्रीय संधि पर अगले वर्ष वार्ता शुरू करने के लिए मतदान किया है।
- नयी बहुपक्षीय संधि पहली बार परमाणु हथियारों के प्रयोग, तैनाती, उत्पादन, परिवहन, एकत्रीकरण और वित्तपोषण जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है।
- इससे स्पष्ट, सुगम कानूनी बाध्यता का निर्माण कर मौजूदा हथियारों को समाप्ति द्वारा अप्रसार संधि के परमाणु निरस्त्रीकरण दायित्व का विस्तार होगा जोकि गैर-NPT देशों के साथ ही सभी NPT देशों पर भी लागू होगा।

परमाणु अप्रसार संधि (NPT) के बारे में

- NPT एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य परमाणु हथियारों और हथियार प्रौद्योगिकी के प्रसार को रोकना, परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग में सहयोग को बढ़ावा देना और इससे आगे परमाणु नि:शस्त्रीकरण तथा सामान्य एवं पूर्ण निरस्त्रीकरण के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- यह 1970 में अस्तित्व में आया। 1995 में इसे अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया था।
- यह संधि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के पांचों सदस्यों: अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन को मान्यता प्रदान करता है।
- संयुक्त राष्ट्र के चार सदस्य देश- भारत, इजरायल, पाकिस्तान और दक्षिण सूडान परमाणु अप्रसार संधि में कभी शामिल नहीं हुए।

आगे की राह

- परमाणु निरस्त्रीकरण परमाणु हथियारों वाले देशों में निरस्त्रीकरण के लिए नैतिक दबाव पैदा करेगा और परमाणु हथियार के विकास, अधिग्रहण और उपयोग के निषेध के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थापित करेगा।
- परमाणु हथियार वाले देशों को विश्व में बेहतर नीति निर्माण के लिए वार्ता में पूरी तरह से भाग लेना चाहिए।

Copyright © by Vision IAS

All rights are reserved. No part of this document may be reproduced, stored in a retrieval system or transmitted in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without prior permission of Vision IAS.